



छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन

वर्ष 2017—18

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1	प्रारंभिक (1.1—1.6)	01
1.7	अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य समस्याएं	05
1.8	नक्सलवाद प्रभावित आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु प्रावधान	06
1.9	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989	13
1.10	आदिवासियों की भूमि का अनुसूचित क्षेत्र में क्रय—विक्रय	14
1.11	प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में छ.ग. साहूकारी अधिनियम 1934 का क्रियान्वयन	16
1.12	औद्योगिक नीति	16
1.13	अनुसूचित क्षेत्र में आबकारी नीति	21
2	अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं सामाजिक, आर्थिक प्रोत्साहन हेतु संवैधानिक प्रावधानों का क्रियान्वयन	25
2.1	शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि	25
2.2	जनजाति सलाहकार परिषद का गठन	25
2.3	राजनीतिक आरक्षण	27
2.4	विधानसभा में आरक्षण	27
2.5	शासकीय सेवा में आरक्षण	27
2.6	जाति प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन	27
2.7	अधिसूचित क्षेत्र के लिये विशेष शैक्षणिक योजनाएं	33
2.8	परियोजना सलाहकार मंडल	44
2.9	परियोजना क्रियान्वयन समिति	45
2.10	आदिवासी विकास प्राधिकरणों का गठन	46
2.11	अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान	47
2.12	छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	51
3	अधिसूचित क्षेत्र में राज्यपाल के अनुमोदन से लागू केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के नियमों की जानकारी	64
4	अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित विकास की योजनाएं	67
4.1	वन विभाग	67
4.2	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	72
4.3	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	87
4.4	छ.ग. राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), ऊर्जा विभाग	92
4.5	पशु चिकित्सा सेवायें	98
4.6	कृषि विभाग	101
4.7	उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छ.ग. रायपुर	108
4.8	सहकारिता	111
4.9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	114
4.10	नगरीय प्रशासन एवं विकास	117
4.11	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	121
4.12	उच्च शिक्षा विभाग	122

4.13	रोजगार एवं प्रशिक्षण	125
4.14	महिला एवं बाल विकास विभाग	130
4.15	ग्रामोद्योग	133
4.16	रेशम उद्योग	134
4.17	छ.ग.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	141
4.18	छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड	145
4.19	चिकित्सा शिक्षा	148
4.20	लोक निर्माण विभाग	175
4.21	खनिज विभाग	177
4.22	समाज कल्याण विभाग	178
4.23	मछली पालन	182
4.24	जल संसाधन	190
4.25	पुलिस विभाग	191
4.26	संस्कृति विभाग	195
4.27	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	197
5	विकास कार्यक्रमों की समीक्षा	202
5.1	वन विभाग	204
5.2	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	206
5.3	ऊर्जा विभाग	207
5.4	ऊर्जा (क्रेडा)	209
5.5	पशु चिकित्सा विभाग	210
5.6	कृषि विभाग	211
5.7	उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	213
5.8	सहकारिता विभाग	217
5.9	स्वास्थ्य विभाग	218
5.10	नगरीय प्रशासन विभाग	219
5.11	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	219
5.12	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	221
6	विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	229
7	अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006	240
8	छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 01 जुलाई 2018 का कार्यवाही विवरण	246

परिशिष्ट

9 अ	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत परियोजनाओं को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	269
9 ब	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत माडा पाकेट को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	272

9 स	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत लघुअंचल को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	273
9 द	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरणों को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	274
9 इ	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (सी.सी.डी.प्लान) अंतर्गत प्रावधानित राशि की स्वीकृत कार्ययोजना	276
9 ई	संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत प्रावधानित राशि की स्वीकृत कार्ययोजना	283



छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष — 2017—18

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244 (1) भाग 'ए' की कंडिका 3 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर
वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2017—18

अध्याय — 1

प्रारंभिक

- 1.1 1 नवम्बर सन् 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य मध्यप्रदेश से पृथक होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 27 जिले हैं, जो क्रमशः रायपुर, धमतरी, महासमुन्द, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा (कबीरधाम), बस्तर (मध्य बस्तर), नारायणपुर, दन्तेवाड़ा (दक्षिण बस्तर), बीजापुर, कांकेर (उत्तर बस्तर), बिलासपुर, जांजगीर—चांपा, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, अम्बिकापुर—सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, मुंगेली, बलरामपुर, बेमेतरा, बलौदा बाजार, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोण्डागांव हैं। राज्य में कुल 146 विकासखण्ड है जिनमें आदिवासी विकास खण्डों की संख्या 85 है।
- 1.2 छत्तीसगढ़ राज्य में 11 लोकसभा क्षेत्र है। इनमें से 4 अनुसूचित जनजाति, 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें से 39 सीटें (29 अनुसूचित जनजाति और 10 अनुसूचित जाति के लिए) आरक्षित है।
- 1.3 छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश के पूर्व में 17.00—23.70 अंश उत्तर अक्षांश तथा 80.40—83.38 अंश पूर्व देशांतर के मध्य में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ 135191 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जिसमें से 81,861.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 60.55 प्रतिशत है। अनुसूचित क्षेत्र राज्य के 19 जिलों (13 पूर्ण एवं 06 आंशिक) में फैला हुआ है। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है :—

प्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग—दो, अनुभाग—तीन, उप अनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी, 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रकाशित अनुसूचित क्षेत्र संबंधी आदेश के

तहत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्र निम्नानुसार है :—

छत्तीसगढ़

- (1) सरगुजा जिला
- (2) कोरिया जिला
- (3) बस्तर जिला
- (4) दन्तेवाड़ा जिला
- (5) कांकेर जिला
- (6) बिलासपुर जिले में मरवाही, गौरेला-1, गौरेला-2 आदिवासी विकास खण्ड, और कोटा राजस्व निरीक्षक सर्किल
- (7) कोरबा जिला
- (8) जशपुर जिला
- (9) रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और खरसिया जनजाति विकासखण्ड।
- (10) दुर्ग जिले में डौण्डी जनजाति विकासखण्ड
- (11) राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला जनजाति विकासखण्ड
- (12) रायपुर जिला में गरियाबंद, मैनपुर, और छुरा जनजाति विकासखण्ड
- (13) धमतरी जिले में नगरी, (सिहावा) जनजाति विकासखण्ड

टीपः—जिलों के पुनर्गठन होने के फलस्वरूप वर्तमान में क्रमांक 01 पर सरगुजा जिला के अतिरिक्त बलरामपुर तथा सूरजपुर जिला, क्रमांक 03 पर बस्तर जिला के अतिरिक्त नारायणपुर तथा कोण्डागांव जिला, क्रमांक 04 पर दन्तेवाड़ा जिला के अतिरिक्त बीजापुर तथा सुकमा जिला, क्रमांक 10 पर दुर्ग जिले के स्थान पर बालोद जिला क्रमांक 12 पर रायपुर जिला के स्थान पर गरियाबंद जिला अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत स्थित है। इस प्रकार वर्तमान में 13 जिले पूर्ण रूप से तथा 06 जिले के आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है। अतः उपरोक्तानुसार अनुसूचित क्षेत्र का युक्तियुक्तकरण प्रस्तावित किया गया है।

प्रदेश का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	परियोजना	माडा	लघु अंचल
1	बस्तर	1 – जगदलपुर		
2	कोण्डागांव	2 – कोण्डागांव		
3	नारायणपुर	3 – नारायणपुर		
4	कांकेर	4 – भानुप्रतापपुर		
5	दन्तेवाड़ा	5 – दन्तेवाड़ा		
6	सुकमा	6 – कोन्टा		
7	बीजापुर	7 – बीजापुर		
8	गरियाबंद	8 – गरियाबंद		
9	बलौदाबाजार		1 – बलौदा बाजार	1 – धुरीबांधा
10	धमतरी	9 – नगरी	2 – गंगरेल	
11	महासमुन्द		3 – महासमुन्द –1	
			4 – महासमुन्द –2	
12	बालोद	10 – डोण्डीलोहारा		
13	राजनांदगांव	11 – राजनांदगांव	5 – नचनियां	2 – बछेराभाटा
14	कबीरधाम		6 – कवर्धा	
15	सरगुजा	12 – अंबिकापुर		
16	सूरजपुर	13 – सूरजपुर		
17	बलरामपुर	14 – पाल (रामानुजगंज)		
18	कोरिया	15 – बैकुण्ठपुर		
19	कोरबा	16 – कोरबा		
20	बिलासपुर	17 – गौरेला		
21	जांजगीर-चांपा		7 – रूगजा	
22	रायगढ़	18 – धरमजयगढ़	8 – सारंगढ़	
			9 – गोपालपुर	
23	जशपुर	19 – जशपुरनगर		

1.4 राज्य का सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत है। छत्तीसगढ़ उपयोजना क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र का परिदृश्य छत्तीसगढ़ जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्न है :—

(अ) छत्तीसगढ़ (जनगणना 2011)

❖ प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	1,35,191वर्ग किमी.
❖ प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र का क्षेत्रफल	81861.88वर्ग किमी.
❖ अनुसूचित क्षेत्र का प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत	60.55 प्रतिशत
❖ प्रदेश की कुल जनसंख्या	255.45 लाख
❖ प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	78.22 लाख
❖ प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	30.62 प्रतिशत

(ब) आदिवासी उपयोजना क्षेत्र :—(जनगणना 2011)

❖ आदिवासी उपयोजना का क्षेत्रफल	88.000 वर्ग किमी.
❖ आदिवासी उपयोजना का प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत	65.12 प्रतिशत
❖ कुल उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र	93.02 प्रतिशत
❖ उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या	115.61 लाख
❖ उपयोजना क्षेत्र की जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या से प्रतिशत	45.26 प्रतिशत
❖ उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उपयोजना क्षेत्र की अनु.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत	56.09 प्रतिशत
❖ अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या	102.79 लाख
❖ अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या से अनु. जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत	57.09 प्रतिशत
❖ प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या से अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	75.02 प्रतिशत
❖ उपयोजना क्षेत्र की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या से अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत	90.50 प्रतिशत

1.5 प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का विकास आदिवासी उपयोजना की अवधारणा के अनुरूप किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड हैं। इसकी विभिन्न उपजातियाँ माड़िया, मुरिया, दोरला, आदि है। इसके अतिरिक्त उरांव, कंवर, बिंझवार, बैगा, भतरा, कमार, हल्बा, सवरा, नागेशिया, मंझवार, खरिया और धनवार जनजाति बड़ी संख्या में है। अन्य जनजातियों की संख्या बहुत कम है। प्रदेश में 88 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के रूप में मान्य है। यह प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.12 प्रतिशत है। प्रदेश का सम्पूर्ण आदिवासी उपयोजना क्षेत्र प्रशासकीय दृष्टि से 19 एकीकृत आदिवासी परियोजनाओं, 9 माडा पाकेट तथा 2 लघु अंचलों में विभक्त है। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत कुल 24 जिले (13 पूर्ण एवं 11 आंशिक) एवं 85 आदिवासी विकास खण्ड पूर्ण रूप से तथा 27 सामुदायिक विकास खण्ड आंशिक रूप से शामिल हैं।

1.6 छत्तीसगढ़ राज्य में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों यथा बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर तथा अबूझमाड़ियों का निवास है। इन जनजातियों के आर्थिक सामाजिक एवं क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में 6 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण एवं 9 प्रकोष्ठ गठित है। वर्ष 2005-06 में हुए बेस लाईन सर्वे के अनुसार प्रदेश में इनकी जनसंख्या 1.55 लाख है। वर्ष 2015-16 में नवीन बेस लाईन सर्वेक्षण किया गया है, जिसके अनंतिम आंकड़ों के अनुसार इनकी जनसंख्या 1.84 लाख है।

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002-03 में पंडो तथा भुंजिया जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के समतुल्य मानते हुए इनके लिए पृथक-पृथक अभिकरण क्रमशः सूरजपुर जिले में पंडो जनजाति के लिए तथा गरियाबंद जिले में भुंजिया जनजाति के लिए गठित किए गए हैं। विकास अभिकरणों के माध्यम से इन जनजातियों हेतु सामान्य जनजातियों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ ही साथ अतिरिक्त सुविधायें जैसे अधोसंरचना मूलक, समुदाय मूलक तथा परिवार मूलक कार्य संपादित किए जा रहे हैं।

1.7 अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य समस्याएं :-

नक्सलवादी गतिविधियां एवं कानून व्यवस्था की स्थिति :-

वर्तमान में छ.ग. राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य समस्या क्षेत्र का उग्र वामपंथी गतिविधियों से पीड़ित होना है। गृह विभाग भारत सरकार द्वारा 24 फरवरी 2016 के

राज्यवार जारी LWE जिलों की सूची में 16 जिले सम्मिलित किये गये हैं जिनके नाम क्रमशः बस्तर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, महासमुंद, बालोद, गरियाबंद, धमतरी एवं राजनांदगांव है।

1. प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को सामान्य बनाये रखते हुए विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एवं केन्द्र शासन द्वारा विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

केन्द्र सरकार द्वारा दो विशेष भारत रक्षित वाहिनियों की स्वीकृति दी है, जिनमें से प्रत्येक में 2-2 तकनीकी कंपनी हैं जो इन क्षेत्रों में अधोसंरचना के निर्माण में सहयोग करेगी और शेष कंपनी सुरक्षा प्रदान करेंगी।

2. पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन का गठन करके प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस के लिए आवश्यक अधोसंरचना यथा पुलिस थानों, कर्मचारी आवासगृह आदि का निर्माण किया जायेगा।
3. सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम 2011 के तहत सहायक सशस्त्र पुलिस बल बनाया गया है जिसमें बस्तर क्षेत्र के युवकों से भर्ती की गई है और जवानों की तैनाती भी उसी क्षेत्र में की गई है इसके तहत लगभग 4000 का बल तैयार किया गया है।

1.8 नक्सलवाद प्रभावित आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु प्रावधान

छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-4/82/ गृह-सी/2001/दिनांक 20 अक्टूबर 2004 में उल्लेख अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में नक्सल पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़े जाने के उद्देश्य से तथा पर्याप्त सुरक्षा एवं पुनर्वास के लिये निम्नानुसार कार्ययोजना स्वीकृत करता है :-

1. नक्सल पीड़ित व्यक्ति/परिवार से आशय ऐसे व्यक्ति/परिवार से है -

अ. जिस व्यक्ति/परिवार के सदस्य की नक्सलवादियों द्वारा हत्या कर दी गई हो अथवा स्थाई तौर पर शारीरिक रूप से अक्षम कर दिया गया हो अथवा गंभीर रूप से আহত कर दिया गया हो

अथवा

ब. जिस व्यक्ति/परिवार की चल/अचल संपत्ति को नक्सलवादियों द्वारा इस स्तर तक क्षति पहुंचा दी गई हो जिससे उसके जीविकोपार्जन में बाधा उत्पन्न होती हो।

2. पुनर्वास से संबंधित कार्य योजना को कार्यान्वित करने व समीक्षा करने के लिये जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें पुलिस अधीक्षक, संबंधित वनमंडलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उप संचालक, कृषि, उप संचालक शिक्षा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शामिल होंगे। पीड़ित परिवार में परिवार के मुखिया अथवा वैध उत्तराधिकारी ही राहत/सहायता राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
3. नक्सल पीड़ित एवं आत्मसमर्पित नक्सली व्यक्तियों द्वारा पुनर्वास हेतु आवेदन पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किये जाने पर, पुलिस अधीक्षक प्रकरण की वस्तुस्थिति का स्वयं परीक्षण कर आवश्यक दस्तावेजों सहित कलेक्टर को अपने अभिमत के साथ अग्रेषित करेगा। कलेक्टर के पास आवेदन पत्र आने पर वे पुलिस अधीक्षक से सुसंगत जानकारी प्राप्त कर पुनर्वास हेतु कार्यवाही प्रारंभ करेंगे।
4. पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही 90 दिन के अन्दर पूरी कर ली जायेगी। इसके लिये संबंधित सभी विभागाध्यक्षों को अवगत कराया जायेगा तथा प्रत्येक विभाग उपरोक्त समयावधि में अपने विभाग से संबंधित कार्यवाही पूर्ण करेंगे। राज्य स्तर पर एक अंतर्विभागीय समिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता में होगी, जो प्रदेश के सभी ऐसे पुनर्व्यवस्थापन के प्रकरण जो इस योजना के अंतर्गत बनाये गये होंगे, की प्रगति की समीक्षा करेगी। यदि किसी कारणवश जिला स्तर पर पुनर्व्यवस्थापन के किसी प्रकरण के प्राप्ति के 60 दिनों में उसका निराकरण नहीं किया जाता है तो अंतर्विभागीय समिति उसका निराकरण करेगी।
5. आत्मसमर्पित नक्सली के पुनर्वास में इस बात का परीक्षण किया जायेगा कि उसके द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध कार्यवाही में राज्य को कितना योगदान दिया गया है।
6. नक्सल पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास करने एवं अनुदान आदि दिये जाने में निम्न बातों को दृष्टिगत रखना आवश्यक होगा :—
 - (1) उम्र, (2) शिक्षा, (3) सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, (4) व्यवसाय का मापदंड जिसे वह पुनर्वास हेतु स्वीकार करना चाहता है। (5) पुनर्वास की विस्तृत योजना।
7. आत्मसमर्पित नक्सली पर यदि पूर्व में राज्य शासन/पुलिस विभाग द्वारा इनाम घोषित रहा हो तथा आत्मसमर्पण करने के बाद यदि उसके द्वारा पुलिस को नक्सली विरोधी अभियान

में सहयोग दिया गया हो, तो उस आधार पर इनाम की समस्त राशि अथवा आंशिक राशि जैसा परिस्थितियों के अनुरूप उचित हो आत्मसमर्पित नक्सलवादी को दिये जाने पर विचार किया जा सकता है तथा इस प्रकार उपलब्ध कराई गई इनाम की राशि आत्मसमर्पित नक्सली के पुनर्वास के लिए स्वीकृत व्यय में सम्मिलित की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त नक्सल प्रभावित जिलों के संघम सदस्यों द्वारा नक्सली गतिविधियों से स्वयं को विरत कर नक्सल विरोधी अभियान में शासन को सहयोग देने पर उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पांच हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा सकेगी। ऐसे सभी प्रकरणों का प्रस्ताव जिले के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त होने पर इसका पूर्ण परीक्षण जिला स्तर पर गठित समिति, द्वारा किया जायेगा तथा समिति की अनुशंसा उपरांत प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा सकेगी। प्रोत्साहन राशि बजट शीर्ष “मांग संख्या-4 शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-200- अन्य योजना-2653 पूर्व दृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान/सहायक अनुदान-14 आर्थिक सहायता-सहायता अनुदान” आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी।

8. आत्मसमर्पित नक्सली ने यदि शस्त्रों के साथ समर्पण किया है, तो ऐसे समर्पित शस्त्रों के बदले मुआवजे के रूप में शासन द्वारा निम्नानुसार अनुग्रह राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

1.	एल.एम.जी.	—	रु.	3,00,000
2.	ए.के.-47 रायफल	—	रु.	2,00,000
3.	एस.एल.आर. रायफल	—	रु.	1,00,000
4.	श्री नाट श्री रायफल	—	रु.	50,000
5.	12 बोर बन्दूक	—	रु.	20,000

9. आत्मसमर्पित नक्सली पति एवं पत्नी को एक ही इकाई माना जायेगा और उन्हें पुनर्व्यवस्थापित करने के लिये दोनों में से किसी एक को पुनर्वास योजना का लाभ दिया जायेगा।

10. आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित व्यक्तियों को ग्रामीण विकास विभाग की आवास एवं स्वरोजगार संबंधी विभिन्न प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत पात्रता अनुसार प्राथमिकता देते हुये सहायता दी जायेगी। जिन जिलों/विकास खंडों का चयन राष्ट्रीय

सम विकास योजना/छ.ग. गरीबी उन्मूलन परियोजना के अंतर्गत किया गया है वहां इन योजनाओं के अंतर्गत ए.पी.एल. परिवारों के हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु आवश्यकतानुसार ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराने में जिला कलेक्टर द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी।

11. नक्सल पीड़ित व्यक्ति/परिवार एवं आत्मसमर्पित नक्सलवादी, जिनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन न हो, नक्सल प्रभावित जिलों में से किसी भी स्थान पर कृषि योग्य भूमि आबंटन हेतु निवेदन कर सकेंगे। संबंधित विभाग की यह जिम्मेदारी होगी कि इन व्यक्तियों के यथासंभव वरीयता क्रम में भूमि उपलब्धता अनुसार आबंटित की जायेगी। साथ ही भूमि आबंटन करते समय इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जायेगा। इसके क्रियान्वयन के लिये यदि आवश्यक होगा, तो संबंधित विभाग अपने वर्तमान नियमों में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। ऐसे प्रकरणों में यदि आवश्यक हो तो नक्सली पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा की दृष्टि से उसके स्वयं के भूमि के बदले में दूसरे स्थान में सममूल्य भूमि उपलब्धता अनुसार दी जा सकेगी।
12. यदि नक्सल पीड़ित व्यक्ति एवं आत्मसमर्पित नक्सली द्वारा वन क्षेत्र/राजस्व की भूमि निवास अथवा कृषि हेतु अतिक्रमित की गई है तो पात्रतानुसार भूमि व्यवस्थापन की कार्यवाही की जायेगी। आवश्यक होने पर संबंधित विभाग अपने वर्तमान नियमों में संशोधन कर लेंगे। वन भूमि में व्यवस्थापन के लिये वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई "कटऑफ" तिथियां यथावत रहेंगी।
13. सुरक्षा तथा अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुये यदि शहरी क्षेत्र में पुनर्वास करना आवश्यक हो, तो शहरी योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने हेतु शहरों में आवास तथा स्वरोजगार की प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत नजूल प्लॉट उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जावेगी।
14. यदि आत्मसमर्पित नक्सली व नक्सल पीड़ित व्यक्ति शिक्षित है और शिक्षक/ कर्मचारी नियुक्त होने की पात्रता रखता है तो ऐसे प्रकरणों में उनकी नियुक्ति उसी पद्धति से की जावेगी, जिस पद्धति से विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (प्रिमीटिव ट्राइब) के व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है।

15. यदि आत्मसमर्पित नक्सली अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्ति शासकीय सेवा में नियुक्त होने की पात्रता रखता है तो उसे नियुक्ति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। अन्यथा उसे पात्रता अनुसार होमगार्ड के रूप में नियुक्ति दी जायेगी।
16. यदि किसी व्यक्ति द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया गया हो, जिसके कारण उसकी सम्पत्ति एवं प्राणों की सुरक्षा को वास्तविक खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में उसे क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक की सहमति से पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग के अधीन निम्नतम पदों पर अर्थात् आरक्षक, अर्दली या उसके समकक्ष पदों अथवा होमगार्ड पर योग्यतानुसार नियुक्ति कर सकेगा। यह प्रावधान आम जनता के उन व्यक्तियों के लिये ही लागू होगा, जिन्होंने नक्सलियों के विरुद्ध मुठभेड़ में पुलिस को विशेष सहयोग किया हो अथवा स्वयमेव आम जनता की रक्षा व शासकीय/अशासकीय सम्पत्ति की सुरक्षा के दौरान नक्सलियों से मुकाबला किया हो।
17. नक्सल पीड़ित महिलाओं एवं आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही उन्हें शासन की प्रचलित योजना का सदस्य बनाकर कुटीर उद्योगों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। इनके उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जायेगा।
18. नक्सल पीड़ित व्यक्ति एवं आत्मसमर्पित नक्सली यदि स्वयं की शिक्षा पुनः जारी रखना चाहते हैं, अथवा उसके पुत्र-पुत्री शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें छात्रवृत्ति की सुविधा, पात्रता अनुसार प्राथमिकता के आधार उपलब्ध करायी जायेगी।
19. यदि उनके पुत्र-पुत्री शिक्षित हैं, एवं शासकीय सेवा के लिये न्यूनतम अर्हता रखते हैं तो उन्हें शासकीय सेवा में प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा। यदि पीड़ित व्यक्ति या परिवार के पुत्र-पुत्री पुलिस विभाग में आना चाहते हों, तो ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में रेंज के पुलिस महानिरीक्षक की सहमति से पुलिस अधीक्षक पुलिस विभाग में ऐसे व्यक्तियों को आरक्षक पद पर नियुक्त कर सकेंगे। आरक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक मापदण्डों में किसी प्रकार की छूट देने के लिए रेंज पुलिस महानिरीक्षक सक्षम होंगे।
20. मृतक के परिवार में ऐसे कम उम्र के बच्चे, जो 18 वर्ष से कम के हो और अध्ययनरत हो, उन्हें समीप के आश्रम में रहने की सुविधा एवं छात्रवृत्ति ठीक उसी प्रकार उपलब्ध करायी

जायेगी, जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उपलब्ध करायी जाती है।

21. मृतक के आश्रित परिवार के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को, यदि उक्त परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में न हो, तथा वह शासकीय सेवा में नियुक्त होने की पात्रता रखता हो, तो शासकीय सेवा में नियुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।
22. नक्सली हिंसा में मारे गये आम नागरिकों के आश्रित परिवारों को प्रति मृतक व्यक्ति रुपये एक लाख के मान से राहत/सहायता राशि आश्रित परिवार को गृह विभाग के बजट शीर्ष "मांग संख्या-4" शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य योजना- 2653 पूर्वादृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान/सहायक अनुदान-14 आर्थिक सहायता-सहायक अनुदान" आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी। इस राहत/सहायता राशि को आश्रित परिवार को प्रदान करने के लिये राशि का आहरण एवं संवितरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। जिला कलेक्टर का यह दायित्व होगा कि घटना के एक सप्ताह के भीतर पूरी राशि का भुगतान नक्सली पीड़ित परिवार को हो जाये। राशि के आहरण हेतु जिला कलेक्टर बजट आंबटन की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। उक्त बजट शीर्ष से राशि आहरण एवं वितरण कर गृह विभाग व वित्त विभाग को इसकी सूचना तीन दिवस के भीतर भेजेंगे। कलेक्टर द्वारा भुगतान की गई राशि का प्रावधान उसी वित्तीय वर्ष के प्रथम/द्वितीय/तृतीय अनुपूरक अनुमान में प्रावधान कराना आवश्यक है।
23. यदि नक्सली गतिविधियों के कारण किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाई गई हो, और वह विकलांग हो गया हो, तो उसके आश्रित परिवार के बच्चों को वे सुविधाएं ठीक उसी प्रकार उपलब्ध कराई जायेगी, जो कि नक्सली गतिविधियों के कारण किसी मृतक व्यक्ति के आश्रित परिवार को उपलब्ध कराई जा रही है।
24. नक्सली हिंसा में किसी आम नागरिक के शारीरिक रूप से अपंग होने/गंभीर रूप से घायल होने आदि किसी व्यक्ति की संपत्ति को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्षति होने पर उन्हें निम्नानुसार राहत/सहायता राशि गृह विभाग बजट शीर्ष "मांग संख्या-4 शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-200 अन्य योजना-2653 पूर्वादृष्टि प्रयोजनों के लिये अनुदान/सहायक अनुदान-14 आर्थिक सहायता-सहायक अनुदान" आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी :-

1.	घायल को— क. स्थाई असमर्थ ख. गंभीर घायल	रु. 50,000 (रु.पचास हजार) रु. 10,000 (रु. दस हजार)
2.	स्थायी संपत्ति (मकान, दुकान आदि) क. कच्चे मकान ख. पक्के	रु. 10,000 (रु. दस हजार) रु. 20,000 (रु. बीस हजार)
3.	चल संपत्ति (अनाज, कपड़े, घरेलू सामान) के नुकसान पर	रु. 5,000 (रु. पांच हजार)
4.	जीविकोपार्जन के साधन की क्षति जैसे – बैलगाड़ी, नाव आदि	रु. 10,000 (रु. दस हजार)
5.	जीविकोपार्जन के साधन की क्षति जैसे – ट्रैक्टर, जीप आदि	रु. 25,000 (रु.पच्चीस हजार)

उपरोक्त सुविधा में वे व्यक्ति परिधि में नहीं आयेंगे, जिन्हें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के नियमों के अंतर्गत पात्रता है।

25. नक्सली गतिविधियों के कारण किसी व्यक्ति की संपत्ति को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कोई क्षति पहुंचती है तो ऐसी संपत्ति की बीमा राशि को छोड़कर उचित मुआवजा दिया जायेगा। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों की संपत्ति का नुकसान होने पर उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के नियम 12(चार) के अंतर्गत राहत राशि आदिम जाति तथा कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
26. आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सली पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों के पुर्नवास की व्यवस्था तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अंतर्गत ही की जायेगी। साथ ही उनकी आवश्यकता एवं पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये उपरोक्त सुविधाओं में से किसी एक अथवा एक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय जिला स्तरीय समिति कर सकेगी।
27. आत्मसमर्पित नक्सली अथवा नक्सली पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध यदि पूर्व में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो, तो उनके द्वारा नक्सली उन्मूलन में दिये गये योगदान को ध्यान में रखते हुए आपराधिक प्रकरणों को समाप्त करने पर शासन विचार कर सकेगा।
28. आत्मसमर्पित नक्सलियों द्वारा पुनर्वास के पश्चात् नक्सली दलों से संपर्क रखने की जानकारी प्राप्त होने पर तथा उसकी पुष्टि किये जाने पर ऐसे आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास हेतु उपलब्ध करायी गई ऋण राशि एवं संसाधनों को जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन राजसात करने के आदेश दे सकेगा।

29. नक्सल पीड़ित परिवार यदि वह चाहे तो अपने स्वामित्व की भूमि को शासन को देकर तथा उसके बदले अन्यत्र प्रदेश में कहीं भी उसकी भूमि के बदले समतुल्य कीमत की भूमि उसे आबंटित किये जाने का आवेदन दे सकेगा। इस आवेदन का परीक्षण कर जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर भूमि की आवेदित स्थान पर उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए शासन समतुल्य मूल्य की भूमि आबंटित कर सकेगी।

1.9 अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं

संशोधन अधिनियम 2015

गैर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर उत्पीड़न व अत्याचार किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे प्रकरणों में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दण्डित किए जाने का प्रावधान है।

1. छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति वर्ग की रिपोर्ट/शिकायत पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित कर निर्धारित समयावधि में निराकरण किया जाता है, प्रकरण का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त अथवा एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद प्रभावित एवं पीड़ित वर्ग को राहत अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है, जिला मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक प्रकरणों की मॉनीटरिंग की जाकर समय-सीमा में कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है, अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक प्रकरण की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है।
2. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में स्थित थानों में घटित अत्याचार के अपराधों के आंकड़ों के आधार पर प्रभावित क्षेत्र को चिन्हित किया जाकर पुलिस द्वारा ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण करके निगाह रखी जाती है एवं स्थिति अनुसार प्रतिबंधक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। किन्तु राज्य में परिलक्षित क्षेत्र की जानकारी निरंक है।
3. राज्य में कुल 11 विशेष न्यायालय क्रमशः जिला-रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, जशपुर तथा कोरिया जिलों हेतु स्वीकृत है। जिसमें 08 यथा – रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, कोरबा तथा रायगढ़ में विशेष न्यायालय कार्यरत है। अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों के समुचित निराकरण हेतु विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति शासन द्वारा की गई है तथा उनके परफार्मेंस की समीक्षा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की जाती है।

1.10 आदिवासियों की भूमि का अनुसूचित क्षेत्र में क्रय-विक्रय :-

(1) अंतरण पर प्रतिबंध :-

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 165 की उपधारा (6) में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों से गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को भूमि अन्तरण पर प्रतिबंध के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं :-

धारा 165(6)

“उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी जनजाति के, जिसे कि राज्य सरकार ने, उस संबंध में अधिसूचना द्वारा, उसे पूरे क्षेत्र के लिए जिसको कि यह कोड लागू होता है, या उसके किसी भाग के लिये आदिम जनजाति (Aboriginal Tribe) होना घोषित किया हो, किसी भूमि स्वामी का अधिकार -

(एक) ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें आदिम जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती हो, तथा ऐसी तारीख से, जिसे/जिन्हे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्र में की ऐसी जनजाति का न हो द्वारा विक्रय या अन्यथा या उधार संबंधी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जायेगा और न ही अंतरणीय होगा,

(दो) खंड (एक) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि ऐसी जनजाति का न हो, कलेक्टर की पद श्रेणी से अभिन्न को, जो कि किसी राजस्व अधिकारी की ऐसी अनुज्ञा के बिना, जो कि लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायेगी, विक्रय द्वारा या अन्यथा या उधार संबंधी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जायेगा और न ही अंतरणीय होगा।”

इस तरह राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसी भी कृषक के द्वारा अपनी भूमि का हस्तांतरण केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को ही किया जा सकता है, गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को नहीं। राज्य में कुल 146 विकासखंड हैं, जिनमें से 85 विकासखंड अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा 61 विकासखंड गैर अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन 85 अधिसूचित विकासखंडों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों द्वारा गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को भूमि का हस्तांतरण पूर्णतः प्रतिबंधित है। शेष 61 गैर अधिसूचित

विकास खंडों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों की भूमि जिला कलेक्टर की अनुमति से ही हस्तांतरित की जा सकती है, अन्यथा नहीं। अधिनियम में उक्त प्रावधान वर्ष 1976 से लागू किये गये हैं।

(2) कपटपूर्वक किये गये अन्तरण की जांच :—

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 165 की उपधारा (6) के उल्लंघन में या वर्ष 1976 में संशोधित उक्त प्रावधान लागू होने के पूर्व कपटपूर्वक किये गये अन्तरणों या अन्य रीति से किये गये अन्तरणों की जांच करने, ऐसा अन्तरण विधि विरुद्ध या असदभाविक पाये जाने पर ऐसे अन्तरणों को निरस्त करने के लिए संहिता की धारा 170 में प्रावधान किये गये हैं। संक्षेप में प्रावधान निम्नानुसार है :—

- (1) धारा 170 में यह प्रावधान किया गया है, कि वर्ष 1976 में संशोधन अधिनियम लागू होने के पूर्व यदि अनुसूचित जनजाति से गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को भूमि अन्तरण किया गया हो, अथवा वर्ष 1978 के बाद की स्थिति में, अन्तरण के दिनांक से 12 वर्ष के भीतर मूल भूमि स्वामी के द्वारा स्वयं या उसके वारिसानों द्वारा ऐसे अन्तरित भूमि के कब्जा दिलाये जाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसा आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा निराकृत किये जाने का प्रावधान है।
- (2) संहिता की धारा 170 में वर्ष 1980 में नया प्रावधान शामिल कर नवीन धारा 170(ख) शामिल किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि वर्ष 1980 के पूर्व अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों द्वारा धारित भूमि यदि गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति के कब्जे में हैं, तो कब्जेदार 2 वर्ष के भीतर ऐसी भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी को सूचित करेगा, कि वह भूमि उसके कब्जे में कैसे आयी। ऐसी सूचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जांच की जावेगी, कि अन्तरण सदभाविक है, या नहीं। यदि अन्तरण असदभाविक पाया जाता है तो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त भूमि मूल कृषक या उसके वारिसानों को वापस किया जावेगा। इस धारा के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है, कि उक्त संशोधन अधिनियम लागू होने की तिथि के 2 वर्ष के भीतर अर्थात् वर्ष 1980 से 2 वर्ष के भीतर यदि कब्जेधारी द्वारा ऐसी सूचना नहीं दी जाती है, तो यह उप धारणा की जावेगी, कि अंतरण असदभाविक है।
- (3) वर्ष 1998 में अधिनियम की धारा 170 (ख) में उपधारा (2-क) शामिल कर यह नवीन प्रावधान शामिल किया गया है, कि अनुविभागीय अधिकारी को अंतरण की जांच करने के

लिए जो शक्तियां प्राप्त है, वह अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं को होगी। इस तरह वर्तमान प्रावधानों के अनुसार उक्त शक्तियां अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को भी प्राप्त है। यदि ग्राम सभा उक्त कार्यवाही करने में असमर्थ होती है, तो अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा उक्त कार्यवाही की जावेगी।

- (4) अधिनियम की धारा 170(ग) में गैर आदिवासी को पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही अधिवक्ता नियोजित करने का प्रावधान है। इसी तरह धारा 170(घ) द्वारा ऐसे समस्त आदेश, जो 24 अक्टूबर 1983 को या उसके पश्चात धारा 170 के तहत पारित किये गये हैं, उनमें द्वितीय अपील वर्जित किये गये है।
- (5) अधिनियम के उक्त प्रावधानों के तहत राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों की भूमि अंतरण संबंधी मामलों की सूक्ष्म जांच कराई गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

प्रावधान लागू होने से अब तक दर्ज प्रकरण	अब तक निराकृत प्रकरण	शेष प्रकरण	अ.ज.जा. वर्ग के पक्ष में निराकृत प्रकरण	अ.ज.जा. वर्ग को लौटाई गई भूमि का रकबा	कब्जा देने हेतु शेष प्रकरण	रकबा
44464	44093	371	18037	12212.147	81	100.183

कब्जा नहीं सौंपने का कारण प्रकरणों का विभिन्न न्यायालयों में लंबित तथा स्थगन होना है।

1.11 प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में छ.ग.साहूकारी अधिनियम 1934 का क्रियान्वयन:-

अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत जनसंख्या (विशेषकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य) को ऋणग्रस्तता से मुक्त रखने के लिए प्रदेश में छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन अधिनियम 2010) अधिनियम लागू किया गया है। इसके तहत छ.ग. साहूकारी अधिनियम 1934 का विस्तार निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा। इस प्रकार प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में ब्याज पर ऋण देने की प्रक्रिया को गैर कानूनी घोषित किया गया है।

1.12 औद्योगिक नीति :-

राज्य शासन द्वारा घोषित औद्योगिक नीति 2014-19 दिनांक 01 नवंबर 2014 में अनुसूचित जनजातियों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु निम्नानुसार छूट एवं रियायत के प्रावधान निर्धारित किये गये हैं :-

ब्याज अनुदान :-

पात्र उद्योगों को उनके द्वारा लिए गए सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा :-

- क. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक।
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 50 लाख वार्षिक।
- ख. मध्यम एवं बृहद उद्योग – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक।
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 60 लाख वार्षिक।
- ग. मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (केवल व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक व इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद, फार्मास्युटिकल, आई.टी. सेक्टर, बाँयो टेक्नोलॉजी, टेक्सटाईल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण, साइकिल निर्माण/साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स)

क्षेत्र	विवरण
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट-7 के अनुसार)	6 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 70 लाख वार्षिक।
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट-8 के अनुसार)	8 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 120 लाख वार्षिक।

1. स्थायी पूँजी निवेश अनुदान :-

- क. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 40 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 80 लाख।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 80 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 120 लाख।

ख. मध्यम उद्योग – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 80 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 100 लाख।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 90 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम रु. 125 लाख।

ग. वृहद उद्योग – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 100 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 120 लाख।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 120 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 45 प्रतिशत रु. 140 लाख।

घ. मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर)

क्षेत्र	विवरण
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिषिष्ट-7 के अनुसार)	स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 350 लाख
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिषिष्ट-8 के अनुसार)	स्थायी पूँजी निवेश का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 500 लाख

परियोजना प्रतिवेदन अनुदान :-

राज्य में नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उद्योग स्थापना उपरांत परियोजना प्रतिवेदन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रु. 1.50 लाख तथा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रु. 2.50 लाख।

2. विद्युत शुल्क छूट (केवल नवीन उद्योगों हेतु) :-

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की श्रेणी के सामान्य उद्योगों एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट दी जावेगी।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की श्रेणी में सामान्य उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक

पूर्ण छूट दी जावेगी। मेगा प्रोजेक्ट्स/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर) –

क्षेत्र	विवरण
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिषिष्ट-7 के अनुसार)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिषिष्ट-8 के अनुसार)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट

टीप :- केप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्रों वाले उद्योगों में केवल केप्टिव विद्युत उपभोग पर ही विद्युत शुल्क की छूट प्राप्त होगी।

- औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, बृहद, मेगा एवं अल्ट्रामेगा उद्योगों के लिए) :-
 - उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक एवं सेवा उद्यमों की स्थापना हेतु भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी एवं भू-भाटक की दर रु. 1 प्रति एकड़ वार्षिक होगी। संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क, जल शुल्क एवं अन्य कर व उपकर निर्धारित दर पर देय होंगे।
 - औद्योगिक क्षेत्रों में (उद्योग व सेवा उद्यम में) निःशुल्क प्लॉट आबंटन की सुविधा प्राप्त हो सके, इस हेतु राज्य शासन/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक भू-खण्डों का इन वर्गों के लिए आरक्षित रखने की पूर्व नीति यथावत रहेगी।
आरक्षण की अवधि नियम दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात का हो, से दो वर्ष तक की पूर्व नीति यथावत रहेगी।
 - अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु लघु शेड बनाए जाएंगे।
 - अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भूखण्ड/भूमि की मात्रा छत्तीसगढ़ उद्योग भूमि-शेड नियमों की पात्रता अनुसार निर्धारित की जाएगी।

5. प्रत्येक जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जावेगा।
6. मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के परिशिष्ट-4 में दर्शित कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को भू-प्रीमियम एवं भू-भाटक में कोई छूट प्राप्त नहीं होगी।
4. गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान :-
राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को आई.एस.ओ. 9000, आई.एस.ओ. 14000, आई.एस.ओ. 18000, आई.एस.ओ. 22000 श्रेणियाँ, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बीईई) नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी. प्रमाणीकरण, एगमाक्र, यूरो मानक या अन्य समान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुए व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम रु. 1.25 लाख की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
5. तकनीकी पेटेन्ट अनुदान :-
राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उनके मूल कार्य/अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पंजीकृत एवं स्वीकृत पेटेन्ट के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा एवं प्रत्येक पेटेन्ट हेतु व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम रु. 6 लाख की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
6. प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान :-
राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग तथा मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर इस योजना के अंतर्गत एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किए गए भुगतान का 60 प्रतिशत या अधिकतम रु. 6 लाख की प्रतिपूर्ति की जावेगी।
7. मार्जिन मनी अनुदान :-
रु. 5 करोड़ के पूँजीगत लागत तक के उद्योगों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान, राज्य शासन के आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित जनजाति विशेषांक योजना से दिया जायेगा, अनुदान की अधिकतम सीमा रु. 40 लाख होगी।

8. औद्योगिक पुरस्कार योजना :—

प्रत्येक वर्ष प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार राज्य स्तर पर दिया जावेगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः रु. 1.00 लाख, 0.51 लाख व 0.31 लाख की राशि तथा प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा।

9. अन्य आर्थिक प्रोत्साहन :—

उपरोक्त विशेष औद्योगिक निवेश के आर्थिक प्रोत्साहन के अतिरिक्त निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों की भांति निम्नानुसार औद्योगिक निवेश के आर्थिक प्रोत्साहन भी प्राप्त होंगे :—

11.1 स्टाम्प शुल्क से छूट

11.2 प्रवेश कर भुगतान से छूट

11.3 विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान

11.4 इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान)

(केवल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए)

टीप :- नियत दिनांक के पश्चात स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक पार्कों एवं नियत दिनांक के पूर्व स्थापित/स्थापनाधीन औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक पार्कों में स्थापित होने वाले उद्योगों को जो भू-आबंटन प्राप्त करते हैं, उन्हें अनुदान से संबंधित प्रकरणों में 10 प्रतिशत अधिक अनुदान देय होगा व अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में छूट की अवधि 1 वर्ष अधिक होगी।

1.13 अनुसूचित क्षेत्र में आबकारी नीति :-

संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट के अंतर्गत आबकारी नीति निम्नानुसार है :-

1. छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित क्षेत्र में मादक द्रव्यों की वाणिज्यिक गतिविधियां बहुत सीमित है। जनसंख्या एवं क्षेत्र के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों में मदिरा दुकानों की संख्या नगण्य है। नीति लागू होने के बाद दुकानें बंद की गई है। वर्तमान में मदिरा दुकानों का आबंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है जिसमें भागीदारी सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं। नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु आबकारी अधिनियम में संशोधन भी किये गये हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में उपलब्धन कार्य हेतु कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है। आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 61ख के तहत इस समुदाय के लोगों को संरक्षण

प्राप्त है। ग्राम सभा द्वारा पारित किसी भी निर्णय को लागू करने के लिये उपखंड मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आबकारी अधिनियम की धारा 61च के तहत कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत है। अतः अनुसूचित जनजाति के लोगों की शोषण जैसी स्थिति नहीं है।

2. अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिये मदिरा निर्माण करने की छूट है। इस संबंध में आबकारी अधिनियम की धारा 61घ में प्रावधान है :—

आबकारी अधिनियम की धारा 61घ के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अधिनियम के कतिपय उपबंधों से छूट —

1. इस अधिनियम के उपबंध, आसवन द्वारा देशी मदिरा के विनिर्माण, उसके कब्जे तथा उपभोग के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे।
2. अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्य निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए, आसवन द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण कर सकेंगे अर्थात :—
(एक) अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण केवल घरेलू उपभोग तथा सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर उपभोग के प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा।
(दो) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जायेगा।
(तीन) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा को कब्जे में रखने के प्रति गृहस्थी अधिकतम सीमा किसी भी समय 5 लीटर होगी।

परंतु ग्राम सभा देशी मदिरा के कब्जे की सीमा को कम कर सकेगी।

स्पष्टीकरण :— गृहस्थी से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्तियों का कोई समूह जो एक ही घरेलू इकाई के सदस्यों के रूप में संयुक्त रूप से निवास तथा भोजन करता है।

3. अनुसूचित क्षेत्रों में वर्तमान में लॉटरी के माध्यम से दुकान आबंटित की जाती है। पूर्व में वर्ष 1981 से 1990 तक एवं वर्ष 1993 से 2001 तक देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें शासन द्वारा संचालित होती थी।

4. अनुसूचित क्षेत्रों में मादक द्रव्यों के विनिर्माण, विक्रय आदि को विनियमित करने तथा प्रतिसिद्ध करने की शक्ति ग्राम पंचायत को है, इस संबंध में प्रावधान आबकारी अधिनियम की धारा 61 ड में हैं, जो निम्नानुसार है :—

धारा 61 ड मादक द्रव्यों के विनिर्माण विक्रय आदि को विनियमित करने तथा प्रतिसिद्ध करने की ग्राम सभा की शक्ति —

- (1) ग्राम सभा को अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों के विनिर्माण, कब्जे, परिवहन, विक्रय और उपभोग को विनियमित करने तथा प्रतिसिद्ध करने की शक्ति होगी। परंतु ग्राम सभा द्वारा पारित किया गया प्रतिबंध का कोई आदेश ऐसी विनिर्माण शाला को लागू नहीं होगा जो किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण में लगी हुई है और इस अध्याय के उपबंधों के प्रवृत्त होने के पूर्व स्थापित की गई हो।
- (2) ग्राम सभा की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर समाविष्ट, किसी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा की सहमति या अनुज्ञा के बिना किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण के लिये कोई नई विनिर्माण शाला स्थापित नहीं की जाएगी और मादक द्रव्यों के विक्रय के लिये कोई नया निकास नहीं खोला जाएगा।
- (3) यदि कोई ग्राम सभा अपने क्षेत्र में किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण, कब्जे, विक्रय और उपभोग को प्रतिसिद्ध करती है, तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे :—
 - (क) ग्राम सभा की अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों की कोई भी नई विनिर्माण शाला स्थापित नहीं की जाएगी।
 - (ख) किसी मादक द्रव्य के विक्रय के लिए कोई नया निकाय नहीं खोला जाएगा और विद्यमान निकाय, यदि कोई हो, प्रतिषेध के आदेश के जारी होने के ठीक पश्चात आने वाले आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से बंद कर दिए जाएंगे।
 - (ग) कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, विक्रय या उपभोग नहीं करेगा।

अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को पर्याप्त संरक्षण दिये जाने का आबकारी अधिनियमों में प्रावधान निहित है।

आबकारी मामलों से राहत :—जन सामान्य को, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को नियम— कानूनों की जानकारी नहीं होने के कारण वे कई बार आपराधिक प्रकरणों में फंस जाते हैं, जिससे उन्हें सामाजिक, मानसिक तथा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

आबकारी मामलों में ऐसी परेशानियां झेल रहे लाखों परिवारों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आदिवासियों के विरुद्ध 31 दिसंबर 2011 तक दर्ज प्रकरण समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

अध्याय-2

अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं सामाजिक, आर्थिक प्रोत्साहन हेतु संवैधानिक प्रावधानों का क्रियान्वयन

— 0 —

2.1 संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि :-

राज्य विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

2.2 संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण :-

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन :-

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) भाग (ख) की चौथी कंडिका में दिए गए प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में नीतिगत विषयों पर राज्य शासन को परामर्श देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन की अध्यक्षता में छ.ग. जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। परिषद के उपाध्यक्ष माननीय मंत्री आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग है। परिषद में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद एवं विधायक तथा चक्रानुक्रम में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया गया है। जनजाति सलाहकार परिषद के गठन संबंधी अधिसूचना निम्नानुसार है :-

// अधिसूचना //

नया रायपुर दिनांक 27 जून 2014

क्रमांक/एफ-20-2/2009/आजाकवि/25-2 : छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद नियम, 2006 के उप नियम 3 एवं 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लिये इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.05.2009 एवं 13.09.2011 द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया था।

उक्त अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा निम्नानुसार छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करता है :

1.	मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	—	अध्यक्ष
2.	मान.श्री केदार कश्यप, मंत्री, आ.जा.तथा अनु.जा.वि.वि. एवं स्कूल शिक्षा विभाग	—	उपाध्यक्ष
3.	मान.श्री दिनेश कश्यप, सांसद, बस्तर	—	सदस्य
4.	मान.श्री विष्णुदेव साय, सांसद, रायगढ़	—	सदस्य
5.	मान.श्री विक्रम उसेंडी, सांसद, कांकेर	—	सदस्य
6.	मान.श्री चम्पादेवी पावले, विधायक भरतपुर—सोनहत	—	सदस्य
7.	मान.श्री रामसेवक पैकरा, विधायक, प्रतापपुर	—	सदस्य
8.	मान.श्री राजषरण भगत, विधायक, जशपुर	—	सदस्य
9.	मान.श्री रोहित कुमार साय, विधायक, कुनकुरी	—	सदस्य
10.	मान.श्री शिवशंकर पैकरा, विधायक, पथलगांव	—	सदस्य
11.	मान.श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया, विधायक, लैलूंगा	—	सदस्य
12.	मान.श्री गोवर्धन सिंह मांझी, विधायक, बिन्द्रानवागढ़	—	सदस्य
13.	मान.श्री श्रवण मरकाम, विधायक, सिहावा	—	सदस्य
14.	मान.श्री महेश गागड़ा, विधायक, बीजापुर	—	सदस्य
15.	मान.श्री चिन्तामणी महाराज, विधायक, लुण्ड्रा	—	सदस्य
16.	मान.श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, विधायक, मोहला—मानपुर	—	सदस्य
17.	मान.श्रीमती देवती कर्मा, विधायक, दन्तेवाड़ा	—	सदस्य
18.	मान.श्री खेलसाय सिंह, विधायक, प्रेमनगर	—	सदस्य
19.	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग	—	सचिव

2— विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे विधानसभा के सदस्य रहेंगे, अन्य सदस्य परिषद में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद के सदस्य रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 01 जुलाई 2018 का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-03 एवं 04 पर संलग्न है।

2.3 राजनीतिक आरक्षण :-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोक सभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य से चयनित 11 लोकसभा सदस्यों में से 4 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। आरक्षित सीट के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य गण लोकसभा के लिए निर्वाचित है।

2.4 विधानसभा में आरक्षण :-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 90 विधानसभा के सदस्यों में से 29 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित है। आरक्षित सीट के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य गण विधानसभा के लिए निर्वाचित है।

2.5 शासकीय सेवाओं में आरक्षण :-

संविधान के अनुच्छेद 335 के अंतर्गत शासकीय सेवाओं के लिये अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिये नियुक्ति करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाये रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप इन वर्गों को इनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान है। केन्द्र शासन द्वारा केन्द्रीय सेवाओं में छत्तीसगढ़ के लिये आरक्षण की अधिसूचना पूर्व में जारी की जा चुकी है उसी के अनुरूप छत्तीसगढ़ में जनगणना वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है। आरक्षण की सुविधा शासकीय सेवाओं के साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी दी गई है।

2.6 जाति प्रमाण-पत्रों की जाँच एवं सत्यापन :-

भारत सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण के समय अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, रीति-रिवाज, रहन-सहन तथा अन्य सांस्कृतिक व अनुसंधानिक तथ्यों के अभाव में इन वर्गों के विकास हेतु योजना निर्माण में कठिनाईयों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में अविभाजित मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिये थे।

राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या के दृष्टिगत भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुशंसा अनुरूप राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत देश की 15 वें आदिमजाति अनुसंधान संस्थान की स्थापना 02.09.2004 को राज्य में की गई।

संस्थान के प्रमुख कार्य —

आदिमजाति अनुसंधान संस्थान के प्रमुख कार्य निम्नांकित है :—

- अनुसूचित जनजातियों संबंधी आधारभूत सामाजिक—आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना।
- अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर इनके निराकरण हेतु शासन को सुझाव देना।
- अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
- अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में जातियों का इथनोलाजिकल, एन्थ्रोपोलॉजिकल परीक्षण कर शासन को अभिमत देना।
- अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के निराकरण हेतु देश के प्रमुख विषय—विशेषज्ञों को आमंत्रित कर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना।
- आदिवासी हितों के संरक्षण हेतु बनाये गये विभिन्न अधिनियमों तथा जनजातीय विकास से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना आदि।

संस्थान की भौतिक उपलब्धियाँ वर्ष 2017—18

मानव शास्त्रीय अध्ययन :—

- | | | |
|------------|---|-----------------------|
| 1. गोंड | — | प्रतिवेदन पूर्ण। |
| 2. भुंजिया | — | अध्ययन कार्य जारी है। |
| 3. कमार | — | अध्ययन कार्य जारी है। |

नृजातीय अध्ययन :—

- | | | |
|------------------------|---|--------------------|
| 1. मंगिया | — | प्रतिवेदन पूर्ण। |
| 2. झाड़ी/झड़िया | — | अध्ययन कार्य जारी। |
| 3. मन्नेवार (मन्नेपोड) | — | अध्ययन कार्य जारी। |
| 4. सोनझरिया | — | अध्ययन कार्य जारी। |

मोनोग्राफ अध्ययन :—बियार जनजाति में प्रथागत कानून — प्रतिवेदन पूर्ण।

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1. पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रथागत कानून | — | प्रतिवेदन पूर्ण। |
| 2. बिरहोर जनजाति में प्रथागत कानून | — | प्रतिवेदन पूर्ण। |
| 3. बस्तर दशहरा | — | प्रतिवेदन पूर्ण। |

सर्वेक्षण :-

संस्थान द्वारा राज्य की पांच विशेष पिछड़ी जनजातियों यथा **कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं अबुझमाड़िया** के कुल **49080** परिवारों का आधारभूत सर्वेक्षण कार्य पूर्णकर लिया गया है, जिसका जनजातिवार, जिलेवार एवं विकासखण्डवार अनंतिम आकड़े निम्नानुसार है :-

क्र.	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का नाम	जिला	ब्लॉक	कुल ग्राम.पं. /न.प.	कुल सर्वेक्षित ग्राम/नगर	कुल परिवार	पुरुष	महिला	कुल जनसंख्या
1	अबुझमाड़िया	नारायणपुर	नारायणपुर	64	13	154	346	377	723
2	अबुझमाड़िया	नारायणपुर	ओरछा	39	236	4632	11106	11281	22387
योग				103	249	4786	11452	11658	23110
1	बैगा	बिलासपुर	गौरेल्ला-2 (पेंडरा रोड)	50	17	2094	4113	3893	8006
2	बैगा	बिलासपुर	कोटा	101	32	1520	2646	2522	5168
3	बैगा	बिलासपुर	तखतपुर	117	2	60	110	137	247
4	बैगा	कबीरधाम	बोड़ला	142	184	6631	13976	13459	27435
5	बैगा	कबीरधाम	पंडरिया	146	78	4624	8710	8534	17244
6	बैगा	कोरिया	भरतपुर	64	84	5142	7963	8030	15993
7	बैगा	कोरिया	खडगवां	64	24	355	634	579	1213
8	बैगा	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	58	23	437	795	741	1536
9	बैगा	मुंगेली	लोरमी	134	41	2357	4257	4114	8371
10	बैगा	राजनांदगांव	छुईखदान	107	39	1347	2282	2270	4552
योग				983	524	24567	45486	44279	89765
1	बिरहोर	बिलासपुर	कोटा	101	4	104	167	170	337
2	बिरहोर	बिलासपुर	मस्तूरी	126	2	39	57	66	123
3	बिरहोर	जशपुर	बगीचा	86	4	58	100	82	182
4	बिरहोर	जशपुर	दुलदुला	30	1	16	29	27	56
5	बिरहोर	जशपुर	कांसाबेल	37	4	28	47	55	102
6	बिरहोर	जशपुर	कुनकुरी	52	1	25	37	36	73
7	बिरहोर	जशपुर	पत्थलगांव	83	2	36	57	54	111
8	बिरहोर	कोरबा	करतला	73	3	13	19	20	39
9	बिरहोर	कोरबा	कोरबा	72	9	145	227	218	445
10	बिरहोर	कोरबा	पाली	91	11	160	244	255	499
11	बिरहोर	कोरबा	पोड़ी उपरोडा	100	12	188	287	272	559
12	बिरहोर	रायगढ़	धरमजयगढ़	123	17	219	327	348	675
13	बिरहोर	रायगढ़	घरघोडा	42	2	13	30	22	52

14	बिरहोर	रायगढ	लैलुंगा	73	3	23	36	47	83
15	बिरहोर	रायगढ	तमनार	61	3	49	64	78	142
योग				1150	78	1116	1728	1750	3478
1	कमार	बलौदाबाजार	कसडोल	110	2	40	78	81	159
2	कमार	धमतरी	धमतरी	90	5	20	39	44	83
3	कमार	धमतरी	मगरलोड	64	26	449	813	830	1643
4	कमार	धमतरी	नगरी	99	88	1243	2334	2401	4735
5	कमार	गरियाबंद	छूरा	74	59	1088	1983	1879	3862
6	कमार	गरियाबंद	फिंगेश्वर	72	18	205	335	316	651
7	कमार	गरियाबंद	गरियाबंद	59	71	1972	3156	3036	6192
8	कमार	गरियाबंद	मैनपुर	73	51	1428	2226	2166	4392
9	कमार	कांकेर	नरहरपुर	66	13	78	125	137	262
10	कमार	कोण्डागांव	बडेराजपुर	42	1	9	18	16	34
11	कमार	महासमुंद	बागबाहरा	110	32	387	680	698	1378
12	कमार	महासमुंद	महासमुन्द	104	41	460	707	718	1425
13	कमार	महासमुंद	पिथौरा	123	2	44	87	82	169
योग				1086	409	7423	12581	12404	24985
1	पहाड़ी कोरवा	बलरामपुर	बलरामपुर	67	9	164	351	342	693
2	पहाड़ी कोरवा	बलरामपुर	कुसमी	68	24	751	1677	1585	3262
3	पहाड़ी कोरवा	बलरामपुर	राजपुर	62	43	1529	2969	2906	5875
4	पहाड़ी कोरवा	बलरामपुर	शंकरगढ़	50	48	1347	2923	2816	5739
5	पहाड़ी कोरवा	जशपुर	बगीचा	86	80	3847	7114	6940	14054
6	पहाड़ी कोरवा	जशपुर	कुनकुरी	52	1	9	16	16	32
7	पहाड़ी कोरवा	जशपुर	मनोरा	40	12	238	494	523	1017
8	पहाड़ी कोरवा	कोरबा	कोरबा	72	23	609	1145	1183	2328
9	पहाड़ी कोरवा	कोरबा	पोडीउपरोडा	100	4	33	68	58	126
10	पहाड़ी कोरवा	सरगुजा	अंबिकापुर	86	11	298	590	562	1152
11	पहाड़ी कोरवा	सरगुजा	बतौली	40	16	409	848	772	1620
12	पहाड़ी कोरवा	सरगुजा	लखनपुर	70	8	186	361	356	717
13	पहाड़ी कोरवा	सरगुजा	लुण्ड्रा	70	63	1054	2183	2052	4235
14	पहाड़ी कोरवा	सरगुजा	मैनपाट	41	16	354	731	732	1463
15	पहाड़ी कोरवा	सरगुजा	सीतापुर	41	9	190	362	339	701
16	पहाड़ी कोरवा	सरगुजा	उदयपूर	53	5	170	316	317	633
योग				998	372	11188	22148	21499	43647
महायोग				4320	1632	49080	93395	91590	184985

उपरोक्त पांचों विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों का सर्वेक्षण उपरांत अनुसूचियों का सारणीयन एवं विश्लेषण तथा प्रतिवेदन लेखन का कार्य प्रगति पर है।

भाषा — बोली एवं वार्तालाप संक्षेपिका :—

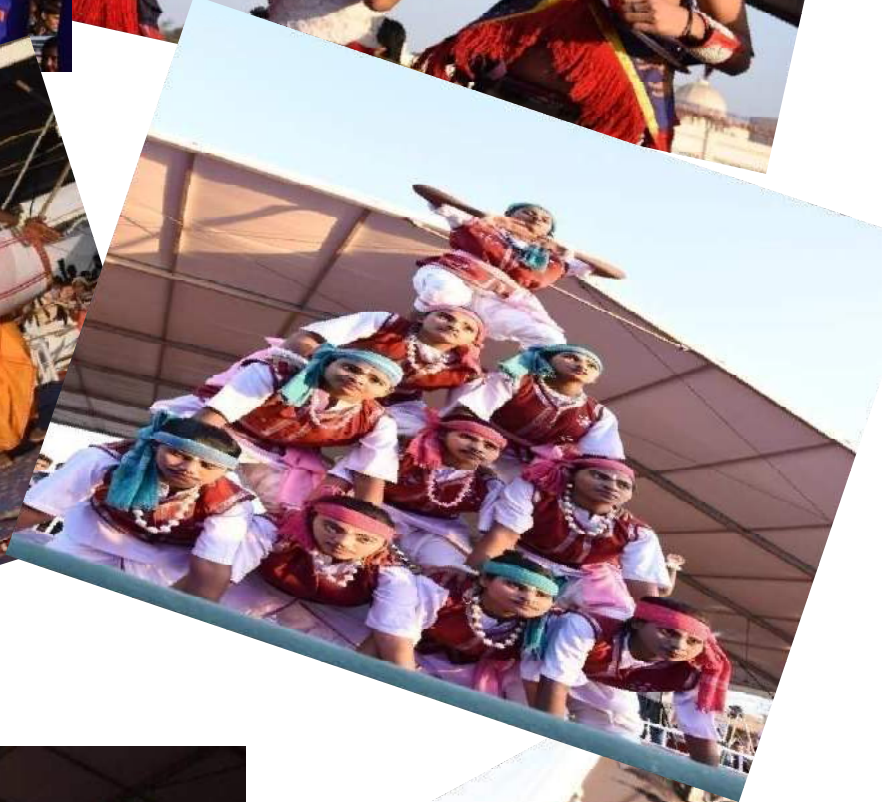
1. सादरी बोली में वार्तालाप संक्षेपिका
2. हिन्दी गोण्डी वार्तालाप
3. हिन्दी गोण्डी शब्दकोश
4. परजा बोली में वार्तालाप संक्षेपिका
5. हिन्दी दोरली शब्दकोश
6. हिन्दी दोरली वार्तालाप संक्षेपिका
7. हिन्दी गोण्डी (दण्डामी माड़िया) वार्तालाप
8. हिन्दी गोण्डी (दण्डामी माड़िया) शब्दकोश हेतु तथ्यों का संकलन कर प्रतिवेदन पूर्ण किया गया।

प्रशिक्षण :—

संस्थान एवं क्षेत्रीय इकाईयों (बस्तर, सरगुजा एवं बिलासपुर) द्वारा विकासखण्ड मुख्यालयों पर वन अधिकार अधिनियम (एफ.आर.ए.), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जनजातीय जागरूकता, विधिक परामर्श एवं आरक्षण संबंधी नियम—निर्देशों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कुल **07** सत्रों में आयोजित कर कुल **288** संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया।

विश्व आदिवासी दिवस एवं आदिवासी महोत्सव का आयोजन :—

1. दिनांक **09.08.2017** को माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य के प्रतिभावान (**चिकित्सा महाविद्यालय, UPSC में चयनित**) आदिवासी प्रतिभागियों को आई—पेड वितरण विभाग की ओर से किया गया।
2. छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह जी के शहादत दिवस के अवसर पर दिनांक **10—11 दिसंबर, 2017** को आयोजित **छत्तीसगढ़ आदिवासी महोत्सव** में संस्थान द्वारा **02** दिवसीय साहित्य महोत्सव अंतर्गत **72** शोध पत्रों की शोध सारांश पुस्तिका का प्रकाशन एवं प्रस्तुतिकरण के साथ—साथ राज्य एवं पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी नर्तक दलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।



आदिवासी महोत्सव 2017 के आयोजन के अबुसर पर छत्तीसगढ़ तथा उत्तर पूर्वी भारत के प्रदेशों के सांस्कृतिक दलों द्वारा ही गई मनमोहक नया प्रस्तुतियों की चलकियां

सेमीनार :—

मानव विज्ञान अध्ययनशाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर SIMA मैसूर एवं संस्थान के संयुक्त तात्वाधान में दिनांक 16–18 मार्च, 2018 तक "Relevance of Medical Anthropology and Tribal Health Care System in the Globalizing World" विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

जाति प्रमाण-पत्रों की जांच :—

संस्थान में राज्य शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति को फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों की जांच से संबंधित अब तक कुल **645** प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें कार्यवाही पूर्ण करते हुए **497** प्रकरणों में आदेश पारित किये जा चुके हैं। आदेश पारित प्रकरणों में **251** जाति प्रमाण-पत्र सही पाये गये एवं **246** जाति प्रमाण-पत्र गलत पाये गये। जांच हेतु **148** प्रकरण शेष है जिसमें से **70** प्रकरण जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के विजिलेंस सेल के पास अन्वेषणाधीन है। शेष **78** प्रकरणों में सुनवाई प्रक्रिया जारी है।

छानबीन समिति द्वारा वर्ष 2017–18 में दिनांक **31.03.2018** तक कुल **48** नवीन प्रकरण दर्ज किये गये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणीकरण विनियमन नियम, 2013 में विहित प्रावधान एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप दिनांक **31.03.2018** तक **14** प्रकरणों पर आदेश पारित किये गये हैं जिनमें से **11** जाति प्रमाण-पत्र सही एवं **03** जाति प्रमाण-पत्र गलत पाये गये।

जाति प्रमाण पत्रों का प्रदाय :— अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 8वीं से 12वीं में शाला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सुविधा की दृष्टि से जिला स्तर पर जाति प्रमाण तैयार कर निःशुल्क प्रदान किये जा रहे हैं ताकि जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कठिनाईयों का सामना न करना पड़े एवं विभिन्न आवश्यकताओं के लिए उन्हें जाति प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध हो सके। वर्ष 2016–17 में राज्य में कुल 729576 विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाये गये जिसमें से अनुसूचित जनजाति के 213984 विद्यार्थी शामिल हैं। राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के 13 पूर्ण एवं 06 आंशिक जिलों के 446928 विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाये गये जिसमें अनुसूचित जनजाति के 186422 विद्यार्थी शामिल हैं।

2.7 अनुसूचित क्षेत्र के लिये विशेष शैक्षणिक योजनाएं :—

1. मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना:—

नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन आदि सुविधा प्रदान कर संरक्षक की भूमिका निभाते हुए रोजगार में स्थापित

कर जीवन में स्थायित्व पैदा करना इस योजना का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा “मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना 2010” का संचालन प्रारंभ किया गया। इस योजना में प्रमुख रूप से राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजनांतर्गत 1510.90 लाख का प्रावधान किया गया है। इस योजना के चार घटक निम्नानुसार हैं :-

1. आस्था 2. निष्ठा 3. प्रयास 4. सहयोग

(1) **आस्था** : नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए दन्तेवाड़ा जिले में आस्था गुरुकुल विद्यालय संचालित है। इस विद्यालय में कक्षा पहली से 12 वीं तक अध्ययन की निःशुल्क व्यवस्था है तथा पूरे वर्ष भर निःशुल्क आवासीय सुविधा दी जाती है। वर्तमान में संस्था में 290 विद्यार्थी (139 बालक 151 कन्या) इस योजना से निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। उक्त आस्था गुरुकुल आवासीय विद्यालय वर्ष 2007 से संचालित है।

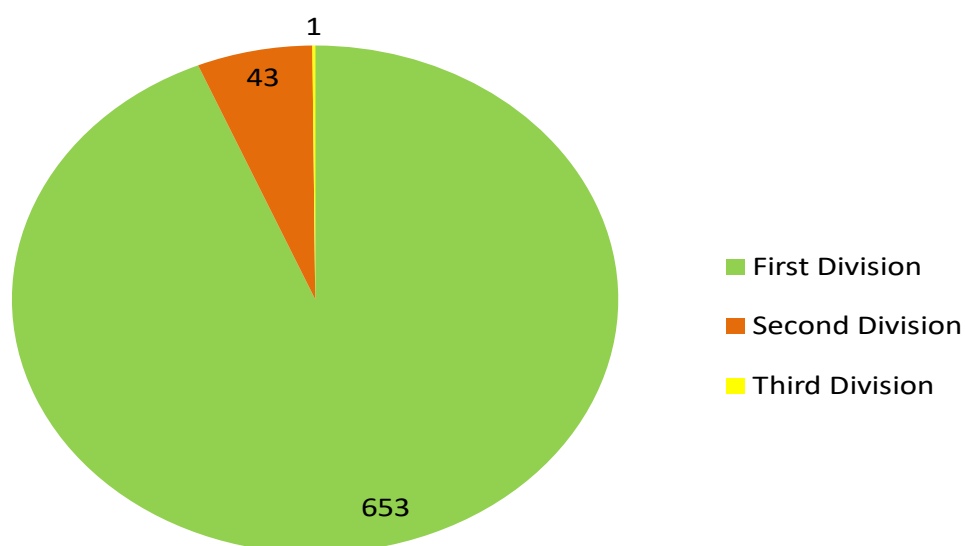
(2) **निष्ठा** : इस योजना के अंतर्गत नक्सल हिंसा में मृत माता-पिता के बच्चे/पीड़ित परिवार के बच्चे तथा प्रभावित ग्राम/क्षेत्र के बच्चे प्रदेश के राजनांदगांव जिले में निजी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। शासन द्वारा निजी संस्थाओं के प्रबंधन से चर्चा करके विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिलाया जाता है। जिला प्रशासन की अनुशंसा पर विद्यार्थी पर हुए कुल व्यय के 25 प्रतिशत शिक्षण शुल्क के रूप में राशि की प्रतिपूर्ति निजी संस्थाओं को की जाती है। वर्तमान में इस योजना के तहत नक्सल हिंसा प्रभावित ग्राम/क्षेत्र के वर्ष 2017-18 में 151 बच्चे राजनांदगांव एवं रायपुर जिले के कुल 16 निजी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं।

(3) **प्रयास** : “मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना” के महत्वाकांक्षी घटक के रूप में प्रदेश की राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में प्रयास आवासीय बालक विद्यालय का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 19 जुलाई 2010 को किया गया। इसमें नक्सल प्रभावित 16 जिलों कांकेर/कोण्डागांव/बस्तर/नारायणपुर/बीजापुर/सुकमा/दन्तेवाड़ा/जशपुर/बलरामपुर/अंबिकापुर/कोरिया/धमतरी/महासमुंद/गरियाबंद/बालोद एवं राजनांदगांव के कक्षा 10वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण तथा चयनित प्रतिभावान छात्रों को कक्षा 11वीं एवं 12वीं विज्ञान/गणित विषय के अध्यापन के साथ-साथ अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेईई (मेन/एडवांस) तथा एआईपीएमटी परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से प्रयास आवासीय

विद्यालय रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर में संचालित किये जा रहे हैं तथा रायपुर एवं कांकेर जिला मुख्यालय पर फाउंडेशन प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु संचालित है। उक्त योजना अंतर्गत सत्र 2017-18 में विभिन्न प्रयास आवासीय विद्यालयों में कुल 1935 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना से अब तक 12वीं बोर्ड परीक्षा का परीक्षा परिणाम निम्नानुसार है :-

सत्र/ वर्ष	संस्था का नाम	परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	परीक्षा परिणाम प्रतिशत में
2012	बालक प्रयास आवासीय विद्यालय गुड़ियारी, रायपुर	250	171	75	04	100%
2013	बालक प्रयास आवासीय विद्यालय गुड़ियारी, रायपुर	137	134	03	--	100%
2014	प्रयास बालक/बालिका आवासीय विद्यालय गुड़ियारी, रायपुर	272	225	40	01	98%
2015	प्रयास बालक/बालिका आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर	408	390	17	01	100%
2016	प्रयास बालक/बालिका आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं जगदलपुर	725	646	78	01	100%
2017	प्रयास बालक/बालिका आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं जगदलपुर	690	624	57	4	99.27%
2018	प्रयास बालक/बालिका आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं जगदलपुर	701	653	43	01	99.43%

प्रयास आवासीय संस्था का बोर्ड परीक्षा परिणाम वर्ष 2018



उपरोक्त परीक्षा परिणाम के अतिरिक्त सत्र 2012 से अब तक इंजीनियरिंग/मेडिकल की विभिन्न परीक्षाओं में क्वालिफाई छात्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	बैच	एनआईटी / समकक्ष में प्रवेशित	आईआईटी /समकक्ष में प्रवेशित	इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेशित	पीएमटी में प्रवेशित
2010-12	प्रथम बैच	12	02	130	-
2011-13	द्वितीय बैच	20	01	45	01
2012-14	तृतीय बैच	08	0	81	03
2013-15	चतुर्थ बैच	07	06	84	03
2014-16	पंचम बैच	30	06	92	12
2015-17	षष्ठम बैच	40	08	96	08
2016-18	सप्तम बैच	17	18	85	-
योग		134	41	613	27

अभिनव पहल :-

1. सत्र 2017-18 से आई.आई.टी. में प्रवेशित विद्यार्थियों को 40,000 रु.प्रतिवर्ष प्रदाय किया जा रहा है।
2. सत्र 2017-18 से प्रयास बालक आवासीय विद्यालय रायपुर में कामर्स (सी.ए./सी.एस. की कोचिंग हेतु 30-30 विद्यार्थियों कक्षा 11वीं एवं 12वीं के साथ दी जा रही है।) इसी तरह प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर के 30-30 कन्याओं को कक्षा 11वीं एवं 12वीं के साथ-साथ विधि (क्लेट) की कोचिंग प्रदान की जा रही है।
3. सत्र 2017-18 से आई.आई.टी तथा एन.आई.टी में प्रवेशित विद्यार्थियों को लैपटाप उच्च अध्ययन में सुविधा हेतु प्रदान किया जा रहा है।
4. सत्र 2018-19 से प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर तथा बस्तर में कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु 250-250 सीटर फाउंडेशन प्रयास प्रारंभ किया जाना है। इसी तरह कांकेर फाउंडेशन प्रयास को अपग्रेड करते हुए कक्षा 11वीं एवं 12वीं प्रारंभ किया जाना है।

(4) सहयोग : मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के इस घटक अंतर्गत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे उच्च अध्ययन कर रोजगार प्राप्त कर सकें। अनाथ बच्चों को पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई के दौरान शिक्षण शुल्क एवं आने-जाने के व्यय आदि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

4. आर्यभट्ट विज्ञान-वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना:-

प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में जो अभिरुचि रखते हैं तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं। उन्हें पूर्ण संसाधनों के साथ अवसर उपलब्ध कराकर विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के स्नातक, स्नातकोत्तर एवं बी.एड. की पढ़ाई के लिए उत्प्रेरित करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षकों के रूप में सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2013-14 से अभिनव योजना के रूप में जिला दुर्ग में (कन्या) प्रारंभ की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य नक्सल हिंसा से प्रभावित प्रदेश के जिले में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों के अभाव की पूर्ति करना है।

कुल स्वीकृत सीट :- योजनांतर्गत जिला दुर्ग में 500 सीटर (कन्या) एवं जिला जगदलपुर में 500 सीटर (बालक) विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र की स्वीकृति प्रदान की गई है।

लाभान्वित जिलें :- इस योजनांतर्गत जिला अंबिकापुर, बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कोण्डागांव, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, सूरजपुर, कांकेर, रायगढ़, गरियाबंद एवं कोरबा जिले के अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

छात्राओं को प्रदत्त सुविधाएं :- योजना के तहत निम्नानुसार निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं—

- (i) निःशुल्क सुविधा युक्त आवासीय व्यवस्था
- (ii) शैक्षणिक पाठ्य वस्तु
- (iii) छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा
- (iv) निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था
- (v) निःशुल्क भोजन व्यवस्था
- (vi) निःशुल्क स्मार्ट क्लॉस एवं वाईफाई की व्यवस्था इत्यादि

5. वर्ष 2017-18 में जिला दुर्ग एवं जगदलपुर में निम्नानुसार छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं:-

	स्नातक स्तर						स्नातकोत्तर स्तर				बी.एड.		कुल		
	गणित		जीव विज्ञान		वाणिज्य		जीव विज्ञान		वाणिज्य						
	स्वीकृत	प्रवेशित	स्वीकृत	प्रवेशित	स्वीकृत	प्रवेशित	स्वीकृत	प्रवेशित	स्वीकृत	प्रवेशित	स्वीकृत	प्रवेशित	स्वीकृत	प्रवेशित	रिक्त
दुर्ग	80	78	80	90	40	49	80	44	20	03	200	184	500	448	52
जगदलपुर	80	13	80	30	40	11	80	05	20	00	200	07	500	66	434

6. लाभान्वित छात्राएं—

1. 07 छात्राएं पंचायत व्याख्याता के पद पर पदस्थ
2. प्री.बी.एड परीक्षा 2016 में 216 छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं।
3. प्री.बी.एड परीक्षा 2017 में 30 छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना वर्ष 2017-18

राज्य के प्रतिभावान निर्धन आदिवासी विद्यार्थियों को गुणवत्तामूलक शिक्षा उपलब्ध करने के उद्देश्य से राज्य के प्रतिष्ठित स्कूलों एवं समकक्ष संस्थाओं में प्रवेश दिलाया जाता है। योजनांतर्गत प्रतिवर्ष राज्य के 130 अनुसूचित जनजाति तथा 70 अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं का चयन कर बेहतर परिणाम वाले पब्लिक स्कूलों में (कक्षा 6वीं में 150 एवं 9वीं में 50 विद्यार्थियों) को प्रवेश दिलाया जाता है। इन शालाओं का संपूर्ण व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2017-18 में कुल रुपये 1400.00 लाख का प्रावधान रखा गया है जिसके विरुद्ध रुपये 1189.93 लाख का व्यय हुआ है। योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 में कुल 998 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

5. आदिवासी विकासखंड मुख्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा :- आदिवासी विकासखंड मुख्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 500 सीटर छात्रावास खोलने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में 13 छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं।

6. वनबंधु कल्याण योजना :-

आदिवासी विकासखंड तथा स्थानीय जनजातियों के समग्र विकास के उद्देश्य से “वनबंधु कल्याण योजना” प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत कोण्डागांव जिले के विकासखंड कोण्डागांव का चयन किया गया है। वर्ष 2014-15 में इस योजना हेतु रु.1000.00 लाख का आबंटन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। योजनांतर्गत लाइवलीहुड, कौशल परीक्षण, पेयजल सुविधा, स्वास्थ्य परीक्षण एवं सुविधाएं, विद्यालयों में शैक्षणिक सुविधाएं तथा विद्यार्थियों को कोचिंग, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं/बच्चों को पोषण आहार, हस्तशिल्प विकास एवं दस्तावेजीकरण, विद्युतीकरण तथा अन्य सामुदायिक अधोसंरचना इत्यादि कार्य विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा कराए जा रहे हैं। वर्ष 2015-16 में योजनांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के निम्न साक्षरता क्षेत्र (Low Literacy Pocket) की बालिकाओं जिसमें विशेष पिछड़ी जनजाति की बालिकाएं भी शामिल हैं को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा कुल 10 आश्रम विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं जो जिला मुख्यालयों में स्थापित करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार द्वारा अब तक रु.1416.50 लाख की स्वीकृति दी गई है। जिसके विरुद्ध भारत सरकार से राशि रु.1384.50 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है। जिसमें से राशि रु.1273.44 लाख 06 जिलों क्रमशः- बलरामपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा एवं गरियाबंद के लिये जारी किया गया है।

7. खाद्यान्न सुरक्षा योजना :- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये संचालित प्रदेश के सभी छात्रावास-आश्रम में “खाद्यान्न सुरक्षा योजना” लागू की गई है।

8. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय:- भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य जाति के विद्यार्थियों के समकक्ष लाना, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो इस हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ किये गए हैं। वर्तमान में 06 बालक तथा 02 कन्या एवं 17 संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, इस

प्रकार प्रदेश में कुल 25 आवासीय विद्यालय विभिन्न जिलों में संचालित किये जा रहें हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक 60 सीटर प्रति कक्षा के मान से प्रत्येक विद्यालय में 420 विद्यार्थियों को प्रवेश देने का प्रावधान हैं। शिक्षण सत्र 2018-19 में 6372 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन विद्यालयों में वर्तमान में छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल बोर्ड से अध्यापन कराया जा रहा हैं। निकट भविष्य में इन विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम संचालित करने की विभाग की योजना हैं।



एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

शिक्षण सत्र 2017-18 में कक्षा 10वीं का परीक्षाफल 98.24 प्रतिशत रहा। जिसमें 506 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, इसी प्रकार कक्षा 12वीं का परीक्षाफल 92.65 प्रतिशत रहा प्रथम श्रेणी में 257 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए।

9 नर्सिंग प्रशिक्षण योजना :- नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन सुविधा योजना

नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन सुविधा योजना वर्ष 2009-10 से प्रारंभ की गयी हैं। योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजाति वर्ग के 245 विद्यार्थियों को योजनांतर्गत लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य हैं। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजाति मद अंतर्गत राशि रु.550.00 लाख का बजट प्रावधान है। योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 तक 1777 विद्यार्थियों के लिये शिक्षण, मेस एवं छात्रावास हेतु जिलों को राशि उपलब्ध कराया जा चुका है।

10 छात्र भोजन सहाय योजना :- विभागीय मैट्रिकोत्तर छात्रावासों में प्रवेशित अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विशेष पोषण आहार एवं मेस संचालन के लिए आवश्यक राशि की पूर्ति हेतु प्रति छात्र -छात्रा रु. 500/- प्रतिमाह की दर से सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 हेतु रु.1237.00 लाख का बजटीय प्रावधान एवं भौतिक लक्ष्य 2485 है।

11. विशेष शिक्षण योजना :- अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एवं विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों से संबंधित कमजोरी को

दूर कर प्रवीणता बढ़ाना है जिससे इस वर्ग के छात्र-छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बनाया जाता है। वर्तमान में यह योजना प्रदेश के 146 विकासखंडों में संचालित है।

12. स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा योजना) :- चिकित्सा सुविधा अप्राप्त/विहीन दूरस्थ क्षेत्रों में संचालित छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा गंभीर रोग दुर्घटना की स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2017-18 में लगभग 74830 छात्र/छात्राएं लाभान्वित रहे हैं।

13. आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता :- आदिवासी संस्कृति के परिरक्षण एवं विकास योजना अंतर्गत आदिवासियों को सांस्कृतिक वाद्ययंत्र क्रय करने हेतु अनुदान स्वरूप प्रति दल रु. 10,000/- दिये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत जिलों के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को आबंटन उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रु.100.00 लाख का प्रावधान है। वर्ष 2017-18 तक 5630 हितग्राहियों (सांस्कृतिक दलों) हेतु जिलों को आबंटन उपलब्ध कराया जा चुका है।

14. आदिवासी सांस्कृतिक का परिरक्षण एवं विकास अंतर्गत पूजा स्थलों (देवगुड़ी) का मरम्मत/निर्माण योजना :- आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजना अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों के पूजा एवं श्रद्धास्थलों (देवगुड़ी) के निर्माण एवं मरम्मत योजना वर्ष 2006-07 से संचालित है। वर्ष 2017-18 से योजना अंतर्गत देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत हेतु प्रति देवगुड़ी राशि रु.1.00 लाख का आबंटन जिलों के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रु.400.00 लाख का बजट प्रावधान है। योजना प्रारंभ से वर्ष 2017-18 तक 16850 देवगुड़ी का मरम्मत/निर्माण हेतु आबंटन उपलब्ध कराया गया है।

15. युवा करियर निर्माण योजना :-वर्ष 2003 में यह योजना परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के नाम से संचालित थी। योजना अंतर्गत संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मुख्य रूप से शासकीय शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में आमंत्रित कर की जाती थी जिसके कारण योजना में सफलता का प्रतिशत कम रहता था। उक्त योजना के प्रावधानों की समीक्षा कर वर्ष 2006 में युवा कैरियर निर्माण योजना के नाम से प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रशिक्षण का कार्य प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थाओं को Out sourcing करके देने का महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। जिसका परिणाम भी उत्साहवर्धक रहा है। वर्ष 2011 में योजना का विस्तार करते हुए

बैंकिंग, रेल्वे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग इत्यादि परीक्षाओं की कोचिंग के कार्य को भी योजना में समाहित किया गया है। वर्तमान में यह योजना परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, कबीरधाम तथा नारायणपुर में संचालित की जा रही है, एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी हेतु रायपुर एवं दुर्ग में 50-50 सीटें स्वीकृत हैं। योजनांतर्गत वर्ष 2008 की राज्य सिविल सेवा की परीक्षा में कुल 26 अभ्यर्थी डिप्टी कलेक्टर, उप पुलिस अधीक्षक, नायब तहसीलदार इत्यादि पदों पर चयन हुआ है। वर्ष 2012-13 में बैंकिंग, रेल्वे भर्ती इत्यादि परीक्षाओं में 18 प्रतिभागियों का विभिन्न पदों पर अंतिम रूप से चयन हुआ है। उल्लेखनीय है इनमें से 4 प्रतिभागियों का प्रोबेशनरी आफिसर के रूप में चयन हुआ है वर्ष 2011 की राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में कुल 09 अभ्यर्थी, उप पुलिस अधीक्षक, नायब तहसीलदार इत्यादि पदों पर चयनित हुए हैं। वर्ष 2012 की राज्य की सिविल सेवा परीक्षा की 02 माह की अल्पावधि में कोचिंग संचालित की गई जिसमें कुल 32 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया गया। जिसमें 04 अभ्यर्थी अंतिम रूप से विभिन्न पदों पर चयनित हुए हैं जिसमें कु. आराध्या कुमार, विशेष पिछड़ी जनजाति की अभ्यर्थी का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद हेतु हुआ है। वर्ष 2014-15 में जिला-रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में कुल 293 प्रवेशित अभ्यर्थियों में से 35 अभ्यर्थी विभिन्न पदों पर चयनित हुए। इसी तरह वर्ष 2015-16 में कुल 300 प्रवेशित अभ्यर्थियों में से 32 अभ्यर्थी एवं वर्ष 2016-17 में कुल 300 प्रवेशित अभ्यर्थियों में से 40 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न पदों पर हुआ है।

16 ट्रायबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली :- देश की राजधानी में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा तथा अखिल भारतीय स्तर पर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए द्वारका नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा ट्रायबल यूथ हास्टल संचालित किया जा रहा है। इस संस्था का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करते हुए मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। साथ ही संस्था में पोस्ट मैट्रिक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थाओं में उच्च अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराना है। यह संस्था पूर्णतः आवासीय है जहां आवास करने वाले बच्चों को भोजन, आवागमन की सुविधा प्रदान की जाती है।

100 सीटें इस हॉस्टल में 50 सीटें संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी हेतु एवं 25-25 सीटें उच्च शिक्षण संस्थानों एवं अन्य अखिल भारतीय सेवा की तैयारी हेतु निर्धारित हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के 253 अभ्यर्थी अब तक इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। यहां अध्ययनरत 47 अभ्यर्थी संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग

द्वारा आयोजित परीक्षाओं में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्ष 2016 की यू.पी.एस.सी. परीक्षा में श्री पीयूष लहरे 969 वॉ रैंक प्राप्त कर IRTS के पद पर चयनित हुए। श्री लाल दास (746 वॉ रैंक) व श्री गगन गिरी गोस्वामी ने (710 वॉ रैंक) वर्तमान में IRS पद पर कार्यरत हैं। इसी प्रकार वर्ष 2017 की यू.पी.एस.सी. की परीक्षा में श्री अजय चौधरी ने 640 वॉ रैंक प्राप्त कर IPS हेतु चयनित हुए। श्री फागेश सिन्हा एवं श्री विक्रम बहादुर, सहायक कमाण्डेन्ट जैसे उत्कृष्ट पदों को प्राप्त करने में सफल हुए।

17. सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना :- सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन योजना संचालित है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पालक आयकर दाता नहीं हैं उन्हें यू.पी.एस.सी. सिविल सर्विसेस प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर रु. 1,00,000/- की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। वर्ष 2017-18 में 02 अभ्यर्थी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।

18. मल्टी सेक्टरल डेवेलपमेंट प्रोग्राम :-

अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए “मल्टी सेक्टरल डेवेलपमेंट प्रोग्राम” जशपुर जिले में लागू किया गया है। योजना अंतर्गत जशपुर जिले में 05 विकासखंड (जशपुर, मनोरा, दुलदुला, कुनकुरी एवं कांसाबेल) को अल्पसंख्यक विकासखंड के रूप में चयनित किया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के असंतुलन को कम करने एवं इस समुदाय के सदस्यों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई योजना में केन्द्रांश 75 प्रतिषत एवं राज्यांश 25 प्रतिषत है।

इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पक्के आवास, सड़क, पेयजल, आय के अवसर उत्पन्न करने वाली योजनाओं के बीच की कमी को भरने एवं अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

वर्ष 2017-18 की स्थिति में मल्टी सेक्टरल डेवेलपमेंट प्रोग्राम अंतर्गत जिला जशपुर के लिये अब तक कुल राशि रु.2755.02 लाख (केन्द्रांश राशि रु.1869.94 लाख एवं राज्यांश राशि रूपए 885.08 लाख) का आबंटन प्रदाय किया गया है। कलेक्टर जशपुर के निर्देश में विभिन्न विभागों के सहयोग से योजना का संचालन किया जा रहा है।

2.8 परियोजना सलाहकार मण्डल :-

परियोजना सलाहकार मण्डलों को और सक्षम बनाने के उद्देश्य से शासन के आदेश क्रमांक/एफ-23/4/96/3/25, दिनांक 19.05.97 अनुसार सलाहकार मण्डल का गठन किया गया है। परियोजना सलाहकार मण्डलों को रुपये 10 लाख तक के कार्य स्वीकृत करने के अधिकार सौंपे गए हैं तथा सदस्य सचिव, परियोजना प्रशासकों को बनाया गया। इसका गठन निम्नानुसार किया गया है :-

1. अध्यक्ष –राज्य शासन द्वारा मनोनीत। अनुसूचित जनजाति वर्ग का मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष अथवा जनपद पंचायत के अध्यक्ष।
2. सदस्य –
 - क. जिला पंचायत अध्यक्ष।
 - ख. परियोजना क्षेत्र के समस्त विधायक यदि कोई विधायक मंत्री हो तो वे सदस्य के रूप में अपना प्रतिनिधि नामांकित कर सकेंगे।
 - ग. परियोजना क्षेत्र के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष।
 - घ. जिला पंचायतों के दो आदिवासी सदस्य जिनमें से एक महिला आदिवासी सदस्य होंगी। यदि कोई महिला आदिवासी सदस्य न हो तो शासन द्वारा नामांकित आदिवासी महिला।
 - ज. परियोजना क्षेत्र में कार्यरत दो प्रतिष्ठित अशासकीय संस्थाओं के अध्यक्ष जो आदिवासी समाज के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत अथवा दो प्रतिष्ठित समाज सेवी जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के हों।
 - च. अनुसूचित जनजातियों के विकास के कार्यक्रमों के विशेषज्ञ।
 - छ. कलेक्टर।
 - ज. व्यवस्थापक, स्थानीय लीड बैंक।
 - झ. अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी बैंक।
 - ञ. अध्यक्ष, भूमि विकास बैंक।

शासन के आदेश क्रमांक एफ-23725/95/3/25 ए, दिनांक 08.01.98 अनुसार परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त राशि का उपयोग परियोजना स्तर पर परियोजना सलाहकार मण्डलों के निर्णय अनुसार ही शासन के

दिशा निर्देश (1 मई 98) में निहित प्रावधानों पर उपयोग करने में प्राथमिकताओं को ध्यान में रखेंगे।

राज्य शासन चाहता है कि समस्त परियोजना सलाहकार मण्डल विशेष केन्द्रीय सहायता मद की राशि के उपयोग में भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों को सदैव ध्यान में रखें। विशिष्ट रूप से राज्य शासन की अपेक्षा है कि कोई भी ऐसा कार्य हाथ में ना लिया जाए जो विशेष केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य के विपरीत हों। इस परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नांकित कार्य इस मद से नहीं लिए जा सकेंगे :—

1. ऐसे कार्य जिनमें कोई आवर्ती व्यय निहित हो अथवा अमले पर किसी प्रकार का कोई भी व्यय अनावर्ती अथवा आवर्ती निहित हो।
2. कार्यालयीन सामग्री, कूलर, पंखे, वाहन, मशीनरी, टाइपराइटर अथवा साज-सज्जा पर किसी प्रकार का कोई व्यय।
3. विभाग के सामान्य बजट में स्वीकृत योजना में विद्यमान कमी को पूरा करने के लक्ष्य से किये जाने वाला व्यय।
4. किसी अन्य मद से लिए गए कार्य पर अनुपूरक व्यय।
5. शासन, वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित मदों में से किसी प्रकार का व्यय।

उपरोक्त व्यय प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन की अपेक्षा है कि परियोजना सलाहकार मण्डल कार्यों के चयन के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हों और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करें। राज्य शासन का परामर्श है कि इस मद से केवल ऐसे ही कार्य लेना श्रेयष्कर होगा जो एक ही वित्तीय वर्ष के भीतर पूर्ण किये जा सकें।

2.9 परियोजना क्रियान्वयन समिति :—

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को सदस्य बनाते हुए परियोजना क्रियान्वयन समिति का गठन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 523/ एमएस/76, दिनांक 21 जून 1976 में किया गया था। इसके पश्चात मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 98/7 प्र.स./आ.जा.क./90, दिनांक 19.11.98 में परियोजना अधिकारियों के दायित्व के संबंध में निर्देश जारी हुए। जो कि छ.ग. राज्य में क्रियाशील है। इस समिति के निम्न कार्य हैं:—

1. परियोजना क्षेत्र के आदिवासी विकास के लिए योजना/प्रोजेक्ट तैयार करना।

2. परियोजना क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा उसमें आने वाली कठिनाईयों को संबंधित विभागों के सहयोग से दूर किया जाना।
3. परियोजना क्षेत्र में किए गए कार्यों में आवश्यक विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।
4. परियोजना क्षेत्र एवं जनजातियों के विकास के लिए वार्षिक तथा पंचवर्षीय कार्य योजना बनाना। अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कार्य करना।

शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि परियोजना क्रियान्वयन समिति की नियमित बैठक हो ताकि परियोजना मद से किये जा रहे कार्यों में आवश्यक निगरानी रखी जा सकें।

2.10 आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

छ.ग. राज्य के गठन के तत्काल पश्चात् राज्य शासन द्वारा यह महसूस किया गया है कि राज्य को आदिवासी अंचल एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए।

फलस्वरूप आदिवासी अंचलों के विकास हेतु:—

- अ. बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
- ब. सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन राज्य शासन के आदेश क्र. /एफ7-5/04/01/06, दिनांक 20 मई 2004 द्वारा किया गया।

बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण:—

गठन एवं विस्तार:—

उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव, बाद में विस्तार कर धमतरी जिले का नगरी, दुर्ग जिले का डौण्डी लोहरा, राजनांदगांव जिले का राजनांदगांव एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र को विकास प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित किया गया, साथ ही साथ राजनांदगांव जिले का “नचनिया” एवं जिला कवर्धा का “माडा” एवं गरियाबंद जिले का क्षेत्र भी प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित किये गये। इसके माध्यम से स्थानीय विकास के कार्य सुगमता पूर्वक स्वीकृत किये जा रहे हैं। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रु.3177.72/- लाख का बजट प्रावधान था जिसके विरुद्ध राशि रु.3177.71 से 692 निर्माण कार्य एवं 122 हितग्राही मूलक कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण:—

गठन एवं विस्तार:—

सरगुजा, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, बाद में विस्तार कर जिला कोरबा (पूर्ण राजस्व जिला) रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना एवं

बिलासपुर जिले का गौरैला परियोजना तथा मुंगेली एवं कवर्धा जिला क्षेत्र को प्राधिकरण अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसके माध्यम से स्थानीय विकास के कार्य सुगमता पूर्वक स्वीकृत किये जा रहे हैं। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रु.3722.27/- लाख का बजट प्रावधान के विरुद्ध राशि रु.3718.78 लाख से 538 निर्माण कार्य एवं 126 हितग्राही मूलक कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

उद्देश्य:-

आदिवासी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत् जनजाति समुदाय के विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाता है। क्षेत्र में निवासरत् जनजाति समुदायों के आर्थिक विकास, संस्कृति के संरक्षण, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा अंचल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण:- राज्य के अनुसूचित जाति क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य शासन के आदेश क्र / एफ-7-9/04/01/06, दिनांक 23.10.2004 द्वारा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।

गठन एवं विस्तार:-

रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुन्द, कवर्धा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चांपा, बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार, गरियाबंद पूर्ण रूप से एवं आवश्यकता के अनुसार प्राधिकरण कार्यक्षेत्र में राज्य के अन्य जिलों के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाता है। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के लिए स्थानीय विकास के कार्य सुगमता पूर्वक स्वीकृत किये जा रहे हैं। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रु.3500.00/-लाख का बजट प्रावधान के विरुद्ध राशि रु.3500.00/- लाख से 700 निर्माण कार्य एवं 50 हितग्राही मूलक कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

2.11 अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान :-

संविधान के 73 वां संशोधन एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिये पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार) केन्द्रीय अधिनियम-1996 में किये गये प्रावधानों का अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों में जागरूकता लाने हेतु राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के लिये किये गये विशेष उपबंध/प्रावधान का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) केन्द्रीय अधिनियम-1996 के उपबंध 4 का छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा क्रियान्वयन/पालन-

क्र.	केन्द्रीय अधिनियम में प्रावधान	राज्य शासन द्वारा किये गये प्रावधान
1	प्रत्येक पंचायत पर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण उस पंचायत में उस समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा, जिनके लिये संविधान के भाग-9 के अधीन आरक्षण दिया जाना चाहा गया है। परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा, परन्तु अनुसूचित जनजातियों के अध्यक्षों के सभी स्थान सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित होंगे।	छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय-14 “क” अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की धारा 129-ड में निम्न प्रावधान रखे गये हैं— अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान का आरक्षण उस पंचायत में उनकी अपनी-अपनी जनसंख्या के अनुपात में होगा। परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा। परन्तु यह और भी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायतों के यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित रहेंगे।
2	राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व नहीं है, नाम निर्देशन कर सकेगी, परन्तु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा।	छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय-14 “क” अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की कंडिका 129-ड (2) एवं (3) में निम्न प्रावधान रखे गये हैं— 1. राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी जिनका अनुसूचित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, परन्तु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दशमांश से अधिक नहीं होगा। 2. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत में अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये ऐसी संख्या में स्थान आरक्षित किये जायेंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यदि कोई हो के लिये आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर

		उस पंचायत के समस्त स्थानों तीन चौथाई स्थानों से अधिक नहीं होंगे।
3	ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों से विकास परियोजनाओं के लिये अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन करने से पूर्व और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्व्यवस्थापित या पुनर्वास करने से पूर्व परामर्श किया जायेगा, अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और उनका कार्यन्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जायेगा।	धारा 170-ख-आदिम जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमि का जो कपट द्वारा अंतरित की गई थी प्रतिवर्तन- (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1980 (जो इसमें इसके पश्चात संशोधन अधिनियम, 1980 के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रारंभ की तारीख को किसी ऐसी कृषि भूमि का कब्जा रखता है जो 2 अक्टूबर 1959 से प्रारंभ होने वाली और संशोधन अधिनियम, 1980 के प्रारंभ होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि के बीच, किसी ऐसी जनजाति के सदस्य की रही हो जिसे धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, ऐसे प्रारंभ से (दो वर्ष) के भीतर, उपखंड अधिकारी को ऐसे प्रारूप से और ऐसे रीति में, जैसी कि विहित की जाय इस संबंध में समस्त जानकारी अधिसूचित करेगा कि ऐसी भूमि उसके कब्जे में कैसे आई। (2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार जानकारी, उसमें विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर, अधिसूचित नहीं करता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसी कृषि भूमि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के रही है और वह कृषि भूमि पूर्वोक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर उस व्यक्ति को प्रतिवर्तित हो जायेगी जिसकी वह मूलतः थी और यदि वह व्यक्ति मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों को प्रतिवर्तित हो जाएगी। (2-क)-यदि कोई ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित

	क्षेत्र में यह पाती है, कि आदिम जनजाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जनजाति के भूमि स्वामी की भूमि के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी कि वह मूलतः थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिसों को प्रत्यावर्तित करेगी। परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो वह मामला उपखंड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट करेगी, जो ऐसी भूमि का कब्जा, निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा। (3) उपधारा (1) के अधीन जानकारी प्राप्त होने पर, उपखंड अधिकारी अंतरण के ऐसे समस्त संव्यवहारों के बारे में ऐसी जांच करेगा, जैसी कि आवश्यक समझी जाय और यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि आदिम जनजाति के सदस्य को उसके विधि सम्मत अधिकार से कपट वंचित किया गया है तो वह उस संव्यवहार को अकृत और शून्य घोषित करेगा और उस कृषि भूमि को अंतरण में और यदि वह मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों में पुनः निहित करने वाला आदेश पारित करेगा।
4	अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रमण के निवारण की ओर किसी अनुसूचित जनजाति की किसी विधि विरुद्ध तथा अन्य संक्रामित भूमि को प्रत्यावर्तित करने के लिये उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्ति (अ) उक्त प्रावधान के प्रकाश में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 05.01.98 को संहिता की धारा-170-ख में संशोधन किया गया है। संशोधन द्वारा उक्त धारा में एक नई उपधारा (2-क) जोड़ी गई है, जो निम्नानुसार है:- (2-क) यदि कोई ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है कि आदिम जाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जाति

	के भू-स्वामी की भूमि के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी कि वह मूलतः थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिस को प्रत्यावर्तित करेगी: (ब) परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो वह मामला उपखंड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट करेगी जो ऐसी भूमि का कब्जा निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा।
--	---

2.12 छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6(ए) के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार द्वारा राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 30 मार्च 2002 को विधिवत् किया गया, जिसका मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक माननीय मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर एवं कार्यपालक अध्यक्ष, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधिपति हैं। इस प्राधिकरण के कार्य संचालन हेतु सदस्य सचिव (जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समकक्ष अधिकारी), उप सचिव (वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के समकक्ष) एवं अवर सचिव (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के समकक्ष) की नियुक्ति की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ राज्य के समस्त 22 न्यायिक जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है एवं उन जिलों के अधीनस्थ वर्तमान में कुल 65 तालुका विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है। जिलों में स्थापित प्राधिकरणों का अध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रावधानित किए गए हैं एवं तालुका समितियों में वरिष्ठ न्यायाधीश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार राज्य के प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सचिव (वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के समकक्ष अधिकारी) की नियुक्ति की गई है तथा उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ न्यायाधीश तथा सचिव, (जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समकक्ष) की नियुक्ति की गई है।

विधिक सेवा प्राधिकरण/विधिक सेवा समिति के कार्य :-

- न्यायालय के समक्ष किसी मामले अथवा अन्य विधिक कार्यवाहियों को चलाने में लोगों को होने वाली समस्याओं को सुलझाने एवं सलाह मशविरा दिए जाने हेतु मुफ्त कानूनी सहायता एवं कानूनी सेवाएं देना।
- निरंतर लोक अदालतों का आयोजन करना जिसके माध्यम से न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं न्यायालय में दायर किए जाने से पूर्व के मामलों (प्री-लिटिगेशन) का बिना किसी कानूनी बारीकियों, खर्च एवं समय को बचाते हुए त्वरित न्याय सुनिश्चित करना।
- वैवाहिक विवादों को मध्यस्थता के द्वारा दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामलों का निपटारा करना।
- जनसाधारण के बीच सामाजिक तथा कानूनी महत्व के विभिन्न मुद्दों पर व्यापक स्तर पर कानूनी जागरूकता/साक्षरता शिविर का आयोजन करना।
- सजायाफ्ता बंदियों एवं विचाराधीन बंदियों को मुफ्त कानूनी सहायता एवं सलाह प्रदान करना।

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ण राज्य में विधिक सेवा योजनाओं का संचालन किया जा रहा है (जिसमें अनुसूचित जनजाति भी सम्मिलित हैं)। प्राधिकरण द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं की वर्ष 2017-18 में हुए विकास कार्यों की वार्षिक जानकारी निम्नानुसार है :-

1. विधिक सहायता एवं सलाह
2. लोक अदालत
3. स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा)
4. पेंशन लोक अदालत
5. जेल लोक अदालत एवं अभिरक्षा में निरुद्ध व्यक्तियों को विधिक सहायता
6. विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर
7. मध्यस्थता केंद्र
8. निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा योजना
9. लीगल एड क्लीनिक
10. स्कूलों/महाविद्यालयों में विधिक साक्षरता/विद्यार्थी क्लब का गठन
11. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के विधिक सहायता योजना
12. विधिक सेवा संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन एवं प्रचार-प्रसार योजना
13. अभिरक्षाधीन बंदियों के प्रकरणों की समीक्षा हेतु अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी का गठन
14. एसिड हमलों से पीड़ितों को क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास की निगरानी
15. मनोरोगी एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को विधिक सेवाएं
16. पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2011
17. छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2011
18. मजिस्ट्रेट न्यायालय में रिमाण्ड अवधि में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना
19. दूरभाष पर ऑनलाईन विधिक सेवा योजना
20. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाएं
21. विशेष विधिक सेवा शिविर
22. न्याय संगवारी

1. विधिक सहायता एवं सलाह :-

इस योजना के अंतर्गत न्यायालय में विचाराधीन या प्रस्तुत करने योग्य प्रकरणों में पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को विधिक सहायता, प्रकरणों में होने वाले व्यय एवं अधिवक्ता की नियुक्ति के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। यह सहायता तहसील स्तर पर तालुका विधिक सेवा समिति, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के द्वारा दी जाती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत सबको न्याय के समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु राज्य के निर्धन एवं सीमांत हितग्राहियों के लिए विधिक सेवा योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत निम्नानुसार पात्रता श्रेणी के व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं :-

- वह व्यक्ति जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।
- वह व्यक्ति जो मानव दुर्व्यवहारों से या बेगारों से सताया गया है।
- स्त्री या बालक है।
- मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ है।
- वह व्यक्ति जो अनापेक्षित अभाव जैसे बहु- विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़-सूखा, औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ है या
- कोई औद्योगिक कर्मकार है या
- अभिरक्षा में है जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किसी संरक्षण गृह में या किशोर मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में रखा व्यक्ति भी है या
- यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी अन्य न्यायालय के समक्ष है, भारत का कोई नागरिक जिसकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1,50,000/-रुपये (अंकन एक लाख पचास हजार रुपये) से अधिक न हो विधिक सेवा पाने का हकदार होगा।
- थर्ड जेण्डर, या
- वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, या
- कैंसर व्याधि से पीड़ित व्यक्ति, या
- एच.आई.वी. से ग्रस्त व्यक्ति भी विधिक सेवा पाने का हकदार होगा।

1. विधिक सहायता एवं सलाह योजनांतर्गत वित्त वर्ष 2017-18 हेतु कुल 36500 व्यक्तियों को विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। जिसमें वर्तमान (अप्रैल 2017 से मार्च 2018) तक कुल उपलब्धियाँ 43165 रही हैं, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए उपलब्धियाँ कुल 7422 को विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान करते हुए कुल 7422 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।
2. वित्त वर्ष 2017-18 हेतु विभिन्न राज्य आयोजना मदों में पूर्व वित्तीय वर्षों के अवशेष राशियों में से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु (अप्रैल 2017 से मार्च 2018) तक कुल राशि रुपये 15,82,472/- व्यय किया गया है।
3. राज्य शासन से वित्त वर्ष 2017-18 के लिये 41-2235 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (TSP) आयोजना मद में राशि 28,00,000/-आबंटन प्राप्त हुआ है। पूर्व वित्त वर्ष के अवशेष राशि तथा उक्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि से विधिक सहायता एवं सलाह योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए (अप्रैल 2017 से मार्च 2018) तक राशि रुपये 10,31,864/- व्यय किया गया है।

2. लोक अदालत :-

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के प्रावधानों के तहत राज्य के समस्त 22 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा 65 तालुका विधिक सेवा समितियों में प्रत्येक माह एक लोक अदालत तथा प्रत्येक तीसरे माह में एक वृहद लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान (अप्रैल 2017 से मार्च 2018) तक कुल 600 लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तालुका स्तर पर आयोजित की गई है। जिसमें 11448 प्रकरणों का निराकरण करते हुए राशि 3,43,25,807/- का अवार्ड पारित किया गया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सम्पूर्ण राज्य में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान (अप्रैल 2017 से मार्च 2018) तक कुल 05 नेशनल लोक अदालत का आयोजन विभिन्न चयनित प्रकरणों के संदर्भ में आयोजित किया गया तथा कुल 38437 विभिन्न प्रकार के मामलों का निराकरण करते हुए राशि 1,70,44,14,141/- का अवार्ड पारित किया गया।

(अ) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के तहत लोक अदालत का आयोजन राज्य में किया जा रहा है। सभी न्यायालयों की खण्डपीठ गठित कर अधिक से अधिक प्रकरणों में आपसी राजीनामा के आधार पर सिविल, दाण्डिक, बैंक एवं मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है।

(ब) राज्य के सभी कुटुम्ब न्यायालय, राजस्व न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं उपभोक्ता फोरम सहित विभिन्न न्यायाधिकरण में विशेष लोक अदालतें नियमित अंतराल में आयोजित किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(स) जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुका विधिक सेवा समितियों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा चिन्हांकित तिथियों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

1. लोक अदालत योजनांतर्गत वित्त वर्ष 2017-18 हेतु कुल 26500 प्रकरणों के निराकरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। जिसमें (अप्रैल 2017 से मार्च 2018) तक कुल उपलब्धियाँ 11,448 रही हैं, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए उपलब्धियाँ (अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक) कुल 3,894 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 4081 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।
2. वित्त वर्ष 2017-18 हेतु विभिन्न राज्य आयोजना मदों में पूर्व वित्तीय वर्षों के अवशेष राशियों में से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल राशि रुपये 15,82,472/- व्यय किया गया है।
3. राज्य शासन से वित्त वर्ष 2017-18 के लिये 41-2235 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (TSP) आयोजना मद में राशि 28,00,000/-आबंटन प्राप्त हुआ है। पूर्व वित्त वर्ष के अवशेष राशि तथा उक्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि से लोक अदालत योजनांतर्गत (अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक) कोई राशि व्यय नहीं किया गया है। लोक अदालत का व्यय नालसा मद से किया जाता है।

3. स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) :-

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-22 क एवं ख के अंतर्गत राज्य के 05 जिला बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, दुर्ग एवं सरगुजा (अंबिकापुर) में जनोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है। जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 163 प्रकरणों में समझौता किया गया एवं कुल समझौता राशि 9,93,524/- है।

जनोपयोगी स्थायी लोक अदालत में निम्नलिखित जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों को शामिल किया गया है :-

1. परिवहन की सेवा, या
2. डाक-तार या दूरभाष की सेवा, अथवा
3. किसी संस्थापन के द्वारा जनता को शक्ति, बिजली अथवा जल की आपूर्ति, या
4. सार्वजनिक सफाई अथवा स्वच्छता की प्रणाली, अथवा
5. औषधालय या चिकित्सालय में सेवा
6. बीमा सेवा
7. बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय संस्थानों की सेवाएं
8. किसी स्थापना द्वारा सामान्य जन को किसी भी प्रकार की ईंधन का प्रदाय और उसके अंतर्गत ऐसी कोई सेवा भी है, यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार लोकहित में अधिसूचना द्वारा लोक उपयोगी सेवा घोषित करें।
9. शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों, या
10. आवास और भू-सम्पदा सेवा।
11. अन्य।

4. पेंशन लोक अदालत :-

छ0ग0 राज्य के अंतर्गत सेवानिवृत्त के पश्चात् की परिलब्धियों की प्राप्ति हेतु पेंशन, ग्रेज्युटी, अवकाश नगदीकरण तथा अन्य लाभ हेतु इस स्कीम के तहत लोक अदालत का गठन राज्य के तीन जिलों- बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग एवं जगदलपुर में किया गया है। उक्त लोक अदालतों का बैठक माह के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ रविवार को उक्तानुसार उन स्थानों के जिला न्यायालय भवन में आयोजित की जाती है। सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश पेंशन लोक अदालत के अध्यक्ष तथा सेवानिवृत्त अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक या उप संचालक तथा एक अन्य वरिष्ठ अभिभाषक सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। राज्य के सेवानिवृत्त केन्द्रीय/ प्रादेशिक/ अर्द्धराजकीय उपक्रम/स्थानीय निकाय अथवा कोई अन्य अवकाश प्राप्त कर्मचारी अपना आवेदन पत्र पेश कर अपने पेंशन, ग्रेज्युटी, अवकाश नगदीकरण तथा अन्य लाभों का निराकरण करा सकते हैं।

(अ) जिला बिलासपुर में गठित पीठ के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में आने वाले जिले :-

बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, जशपुर तथा अंबिकापुर से संबंधित आवेदन पत्रों पर कार्यवाही होती है।

(ब) जिला रायपुर में गठित पीठ के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में आने वाले जिले :-

रायपुर, धमतरी, महासमुंद, कांकेर तथा जगदलपुर से संबंधित आवेदन पत्रों पर कार्यवाही होती है।

(स) जिला दुर्ग में गठित पीठ के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में आने वाले जिले :-

दुर्ग, राजनांदगांव तथा कवर्धा से संबंधित आवेदन पत्रों पर कार्यवाही होती है।

(द) जिला बस्तर-जगदलपुर में गठित पीठ के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में आने वाले जिले :-

जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर तथा कोण्डागांव से संबंधित आवेदन पत्रों पर कार्यवाही होती है।

1. पेंशन लोक अदालत योजनांतर्गत वित्त वर्ष 2017-18 हेतु (अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक) कुल 114 पेंशन लोक अदालत का आयोजन कर 130 प्रकरणों के निराकरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें कुल उपलब्धियाँ (अप्रैल से सितम्बर 2017 तक) 14 रही हैं। जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए उपलब्धियाँ कुल 01 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 01 व्यक्तियों को लाभांशित किया गया है।
2. वित्त वर्ष 2017-18 हेतु विभिन्न राज्य आयोजना मदों में पूर्व वित्तीय वर्षों के अवशेष राशियों में से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु (अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक) कुल राशि रुपये 15,82,472/- व्यय किया गया है।
3. राज्य शासन से वित्त वर्ष 2017-18 के लिये 41-2235 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (TSP) आयोजना मद में राशि 28,00,000/-आबंटन प्राप्त हुआ है। पूर्व वित्त वर्ष के अवशेष राशि तथा उक्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि से पेंशन लोक अदालत योजनांतर्गत राशि रुपये 26,100/- व्यय किया गया है।

5. जेल लोक अदालत एवं अभिरक्षा में निरुद्ध व्यक्तियों को विधिक सहायता:-

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छोटे अपराध में निरुद्ध बंदियों को जिनकी अभिरक्षा अवधि ऐसी हो, जिन्हें उक्त अपराध में दोषसिद्धि की दशा में उससे अधिक दण्ड नहीं दिया जा सकता हो, उन्हें उचित समय में विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु तथा जेलों में विशेष अदालत का आयोजन किया जाकर ऐसे विचाराधीन बंदियों के मामले के निराकरण की कार्यवाही जेल में की जाती है। वर्ष 2017-18 के अंतर्गत (अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक) कुल 140 जेल लोक अदालत का आयोजन कर 137 विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा 25 विचाराधीन बंदियों को विधिक सहायता प्रदान की गई।

6. विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर :-

(अ) राज्य के 22 जिला मुख्यालय एवं 65 तालुका स्तर पर विभिन्न स्थानों में प्रत्येक माह कम से कम दो विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से विधिक सेवा हेतु पात्र व्यक्तियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए उनकी विधिक समस्याओं का समाधान करने हेतु हरसम्भव प्रयास किया जा रहा है। विधिक प्रावधानों की महत्वपूर्ण प्रक्रिया से उन्हें इन शिविरों के माध्यम से विधिक रूप से साक्षर/जागरूक किया जा रहा है। साथ ही विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से शासन की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जा रही है।

(ब) विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत महिला विधिक साक्षरता सप्ताह, श्रमिक विधिक साक्षरता सप्ताह, विश्व पर्यावरण दिवस एवं बाल श्रम सप्ताह अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

1. विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर योजनांतर्गत वित्त वर्ष 2017-18 हेतु (अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक) कुल 10,000 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाने का लक्ष्य

रखा गया था। जिसमें (अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक) कुल उपलब्धियाँ 9558 रही हैं, जिसके अंतर्गत कुल 6,64,871 व्यक्तियों को लाभांशित किया गया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भी संख्या समाहित है।

2. वित्त वर्ष 2017-18 हेतु विभिन्न राज्य आयोजना मदों में पूर्व वित्तीय वर्षों के अवशेष राशियों में से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल राशि रुपये 15,82,472/- व्यय किया गया है।
3. राज्य शासन से वित्त वर्ष 2017-18 के लिये 41-2235 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (TSP) आयोजना मद में राशि 28,00,000/-आबंटन प्राप्त हुआ है। पूर्व वित्त वर्ष के अवशेष राशि तथा उक्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि से विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए (अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक) राशि रुपये 96,708/-व्यय किया गया है।

7. मध्यस्थता केंद्र :-

मध्यस्थता, विवादों को निपटाने की न्यायिक प्रक्रिया से भिन्न एक वैकल्पिक प्रक्रिया है, जिसमें एक तीसरे स्वतंत्र व्यक्ति मध्यस्थ (मीडियेटर) दो पक्षों के बीच अपने सहयोग से उनके सामान्य हितों के लिए एक समझौते पर सहमत होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है। मध्यस्थता दो पक्षों को खुलकर बातचीत करने के लिए प्रेरित और उत्साहित करता है। वह दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का समान अवसर देकर पक्षों में सामंजस्य स्थापित करता है। निर्णय लेने का अधिकार भी पक्षों का ही रहता है, कहीं भी विवशता एवं दबाव नहीं रहता, पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। उच्च न्यायालय परिसर एवं राज्य के न्यायिक जिलों में कुल 33 मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई है। मध्यस्थता केन्द्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 में 509 प्रकरणों के निराकरण किया गया।

8. निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा योजना :-

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम-1987 की धारा 12 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक अथवा अन्य असमर्थताओं के कारण अपने प्रकरणों में पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सकते तथा उनके द्वारा आवेदन किए जाने पर निःशुल्क विधिक सेवा की पात्रता रखने वाले व्यक्तियों की ओर से न्यायालय में कोई मामला प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत मामले में प्रतिरक्षा हेतु विधिक सहायता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) योजना, 2010 संचालित की गई है।

जिसके अंतर्गत प्रथमतः प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुका विधिक सेवा समितियों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में उपयुक्त स्थान, कक्ष चयनित कर प्रबंध कार्यालय स्थापित किया गया है, जिसमें कार्यालयीन समय के दौरान उपलब्ध पैनल अधिवक्ता/प्रतिधारक अधिवक्ता एवं आवश्यकतानुसार एक या अधिक पैरालीगल वालंटियर्स की सेवाएं ली जा रही हैं।

वर्तमान में प्रत्येक विधिक सेवा संस्था में पैनल अधिवक्ताओं तथा प्रतिधारक अधिवक्ताओं को 03 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है, जिसकी संख्या निम्नानुसार है :-

(माह अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक)

विधिक सेवा संस्था	पैनल अधिवक्ताओं की संख्या	प्रतिधारक अधिवक्ता की संख्या
छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	11	
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति	107	15
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	1446	158
तालुका विधिक सेवा समिति	744	175
योग :-	2308	348

9. लीगल एड क्लीनिक :-

समाज के कमजोर, पिछड़े एवं सीमांत वर्ग के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं सलाह प्रदान किए जाने हेतु शासन के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की वास्तविक जानकारी उनके हितग्राहियों को उपलब्ध कराए जाने तथा उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों से अवगत कराने आदि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा लीगल एड क्लीनिक योजना, 2010 संचालित की जा रही है।

विधिक सहायता क्लीनिकों में दी जाने वाली विधिक सेवाएं विस्तृत प्रकृति की होती हैं, जिसमें असुविधाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता हेतु जब कभी आवश्यक हो, उनकी विधिक समस्याओं का समाधान करने के लिए एकल खिड़की प्रसुविधा के समान कार्य करती हैं। उक्त क्लीनिक में विधिक सेवा के साथ अन्य सेवाएं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी स्कीम के अधीन रोजगार कार्ड, विभिन्न सरकारी प्रयोजनों हेतु परिचय पत्र के लिए आवेदन करना जैसी अन्य सेवाएं, सरकारी कार्यालयों और लोक प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क करना, सामान्य व्यक्तियों की सहायता करना जो सरकारी पदाधिकारियों, प्राधिकारियों और अन्य संस्थानों के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए क्लीनिक में आते हैं, विधिक सहायता क्लीनिक विधिक सेवाओं का ही भाग होगा। ऐसे कार्य के सम्पादन एवं सहयोग प्रदान किए जाने हेतु प्रत्येक लीगल एड क्लीनिक में पैनल अधिवक्ता एवं पराविधिक स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जाकर विवादों को सौहार्द्रपूर्ण रूप से सुलझाने के लिए तत्पर रहते हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि में राज्य में (अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक) कुल 70लीगल एड क्लीनिक की स्थापना की गई है। जिसमें जेल स्तर पर 04, जेजेबी में 02, ग्राम स्तर पर 08, विधि महाविद्यालयों में 05 एवं कम्यूनिटी सेंटर में 51 कुल 70 लीगल एड क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

वर्तमान में लीगल एड क्लीनिक की स्थापना योजना के प्रावधानों के अधीन ग्राम पंचायत क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय तथा जेल परिसर में स्थापित किया गया है। जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में 281, शहरी क्षेत्र में 139, जेल परिसर में 34, महाविद्यालयों में 27, किशोर न्याय बोर्ड में 27 तथा उत्तर-पूर्व के लोगों के लिए 03 इस प्रकार कुल संख्या 511 लीगल एड क्लीनिक वर्तमान में स्थापित किए गए हैं।

10. स्कूलों/महाविद्यालयों में विधिक साक्षरता/विद्यार्थी क्लब का गठन :-

राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत महाविद्यालयों, स्कूलों में कार्यरत इकाई विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम संचालित कर रही है। उक्त सेवा कार्यक्रमों में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के जनसमूह के मध्य विधिक जागरूकता उत्पन्न करने एवं विधिक सहायता योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु महाविद्यालयों एवं राज्य के स्कूलों में राष्ट्रीय सेवा योजना के इकाई के साथ विधिक साक्षरता क्लब/विद्यार्थी क्लब गठित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों की योग्यता एवं नवऊर्जा का इस दिशा में सामान्य विधिक जागरूकता का प्रचार-प्रसार करना है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य के आदिवासी बहुल जिलों सहित सभी जिलों में स्थित विद्यालयों में 129 लीगल लिटरेसी क्लब की स्थापना किया गया है, जिसमें कम्प्यूटर, फर्नीचर एवं विधि से संबंधित पुस्तकों की लायब्रेरी की व्यवस्था किया गया है।

11. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए विधिक सहायता योजना :-

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशन में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण हेतु बनाई गई योजनाओं तथा विधिक अधिकारों के प्रति श्रमिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिपेक्ष्य में छ.ग.शासन, श्रम विभाग से समन्वय एवं सहयोग के माध्यम से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों हेतु गठित कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में कार्य करते हुए राज्य प्राधिकरण प्रयत्नशील है। इसी कड़ी में ग्राम मोतिमपुर के अनुरागीधाम में छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा श्रम विभाग के सहयोग से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के ऑनलाईन पंजीयन हेतु एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था।

12. विधिक सेवा संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन एवं प्रचार-प्रसार योजना :-

वर्ष में प्रत्येक माह के लिए विधिक सेवा संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु कैलेंडर तैयार कर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रमों/वर्कशॉप/संगोष्ठियों /प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन प्रत्येक स्तर पर सतत रूप से किया जाता है।

1. विधिक सेवा कार्यक्रमों का आयोजन एवं प्रचार-प्रसार योजनांतर्गत वित्त वर्ष 2017-18 में विभिन्न स्तर के कार्यक्रम जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, श्रम दिवस, बाल मजदूर दिवस, विधिक सेवा दिवस, बाल दिवस, विश्व विकलांग दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस आदि का आयोजन जिला एवं तालुका स्तर पर किया गया है।
2. वित्त वर्ष 2017-18 हेतु विभिन्न राज्य आयोजना मदों में पूर्व वित्तीय वर्षों के अवशेष राशियों में से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल राशि रुपये 15,82,472/- व्यय किया गया है।
3. राज्य शासन से वित्त वर्ष 2017-18 के लिये 41-2235 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (TSP) आयोजना मद में राशि 28,00,000/-आबंटन प्राप्त हुआ है। पूर्व वित्त वर्ष के अवशेष राशि तथा उक्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि से विधिक सेवा संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन एवं प्रचार-प्रसार योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए राशि

13. अभिरक्षाधीन बंदियों के प्रकरणों की समीक्षा हेतु अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी का गठन :-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 406 / 2013 में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य के अंतर्गत जेलों में अभिरक्षाधीन बंदियों के प्रकरणों की समीक्षा हेतु प्रत्येक जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, सदस्य के रूप में नामित हैं। कमेटी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 436(ए) की परिधि में आने वाले जेल में निरुद्ध ऐसे बंदियों जो उन पर आरोपित धारा में निर्धारित सजा की अवधि की आधी अवधि जेल में व्यतीत कर लिया है, उनके प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शीघ्र रिहाई हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है। साथ ही ऐसे बंदी जिन्हें न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकृत किया जा चुका है, किंतु गरीबी या अन्य असमर्थता के कारण उनकी ओर से न्यायालय में जमानत पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ऐसे प्रकरणों की भी समीक्षा कर शीघ्र रिहाई हेतु उचित कदम उठाया जाता है तथा ऐसे बंदी जो शमनीय धाराओं के अंतर्गत आरोप में निरुद्ध हैं, उनके प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराने/त्वरित निराकरण हेतु यथोचित कदम उठाया जाता है।

उक्त कमेटी की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार आवश्यक रूप से आयोजित की जाती है। वर्ष 2017-18 की अवधि में समस्त जिला प्राधिकरणों द्वारा प्रत्येक तीन माह में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों में विधिक सहायता प्रदान किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

14. एसिड हमलों से पीड़ितों को क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास की निगरानी :-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट पीटिशन (सिविल) 129/2006 लक्ष्मी विरुद्ध यूनिन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 के परिपालन में राज्य के अंतर्गत सभी जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में इन्जुरीस कम्पनसेशन बोर्ड का गठन किया गया है। जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी इसके सदस्य हैं। बोर्ड के द्वारा पीड़ितों के उपचार, दवाई, भोजन एवं पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार का उत्तरदायित्व विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्वहन किया जा रहा है।

15. मनोरोगी एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को विधिक सेवाएं :-

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत मनोरोगी एवं मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। राज्य स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा राज्य मानसिक चिकित्सालय तथा मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नियतकालीन निरीक्षण किया जाता है तथा मनोरोगियों के उचित ईलाज, देखरेख व उनके विधिक अधिकारों को संरक्षित करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाता है।

16. पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2011 :-

ऐसे पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रितों को जिन्हें किसी अपराध के कारण चोट या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, क्षतिपूर्ति के लिए निधि के प्रावधान हेतु पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना बनाई गई है। वर्ष 2017-18 में पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत कुल 1012 प्रकरण प्रस्तुत हुए, जिनमें से 415 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा कुल 2,94,04,024 /— क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किये जाने का आदेश पारित किया गया।

17. छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2011 :-

छत्तीसगढ़ शासन के कार्यों के संबंध में जिनमें सिविल सेवाओं अथवा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों, स्थानीय निकायों, लोक प्राधिकारियों या अभिकरणों जो शासन के स्वामित्व, नियंत्रण में है, वित्तीय सहायता प्राप्त है, उन पर लागू किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नियत अवधि में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

इस प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत “नालसा (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010” को छ.ग.लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2011 के तहत जानकारी प्राप्त किए जाने हेतु अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2017-18 की अवधि में (अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक) इस अधिनियम के अंतर्गत जानकारी/सेवा प्रदाय हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या 4162 रही, जिसमें नियत समय में निराकृत आवेदन की संख्या 4162 रही है।

18. मजिस्ट्रेट न्यायालय में रिमाण्ड अवधि में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना :-

इस योजना के तहत अभिरक्षा में निरुद्ध व्यक्तियों की प्रतिरक्षा के लिए रिमाण्ड स्तर पर उनके मौलिक, वैधानिक एवं न्यायिक अधिकार प्रदान करने के लिए उन्हें रिमाण्ड पर प्रतिप्रेषण हेतु प्रस्तुत आवेदन के विरोध करने, जमानत हेतु आवेदन करने और न्यायालय में पैरवी करने हेतु विधिक सहायता अधिवक्ता प्रत्येक मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिए जिला एवं तालुका स्तर पर नियुक्त किया जा रहा है। जिला न्यायाधीश द्वारा रिमाण्ड पैनल अधिवक्ता की सूची तैयार कर पैनल में ऐसे अधिवक्ताओं को रखा जाता है, जिसे मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कम से कम 05 वर्ष के वकालत का अनुभव हो। रिमाण्ड पैनल अधिवक्ता को रिमाण्ड के प्रकरण में पैरवी करने के लिए जिला स्तर पर एकमुश्त राशि 5000/- एवं तालुका स्तर पर एकमुश्त राशि 3000/- प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाता है तथा अधिवक्ता का कार्यकाल अधिकतम 01 वर्ष का होता है।

1. अभिरक्षाधीन बंदियों को अधिवक्ता सहायता योजनांतर्गत वित्त वर्ष 2017-18 हेतु रिमाण्ड अधिवक्ताओं की नियुक्ति किए गए हैं।
2. वित्त वर्ष 2017-18 हेतु विभिन्न राज्य आयोजना मदों में पूर्व वित्तीय वर्षों के अवशेष राशियों में से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल राशि रुपये 1104089/- व्यय किया गया है।
3. राज्य शासन से वित्त वर्ष 2017-18 के लिये 41-2235 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (TSP) आयोजना मद में राशि 28,00,000/- आबंटन प्राप्त हुआ है। पूर्व वित्त वर्ष के अवशेष राशि तथा उक्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि से अभिरक्षाधीन बंदियों को रिमाण्ड अधिवक्ता सहायता योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए राशि रुपये 2,52,500/- व्यय किया गया है।

19. दूरभाष पर ऑनलाईन विधिक सेवा एवं टोल फ्री योजना :-

दूरभाष के माध्यम से आम जनता का विधिक सहायता कैसे एवं किस रूप में प्राप्त की जा सकती है तथा विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है ? संचालित योजनाओं का उद्देश्य क्या है ? दूरभाष पर ही किसी स्थान से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से

राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में विधिक सेवा ऑनलाईन दूरभाष स्थापित किए गए हैं। टोल फ्री योजना के तहत भी देश के किसी भी कोने से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में स्थापित टोल फ्री नंबर 18002332528 पर संपर्क स्थापित कर विधिक सेवा से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वर्ष 2017-18 (अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक) के दौरान कुल 1908 व्यक्तियों को टोल फ्री ऑनलाईन दूरभाष के माध्यम से विधिक सलाह एवं प्राप्त आवेदन पर विधिक सहायता प्रदान की गई है।

20. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाएँ:-

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा (ख) के अंतर्गत “केन्द्रीय प्राधिकरण” अर्थात् राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को, अधिनियम के “प्रावधानों के अंतर्गत विधिक सेवाको उपलब्ध बनाने के उद्देश्य हेतु सर्वाधिक प्रभावी एवं मितव्ययी योजनायें बनाने” हेतु वचनबद्ध किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की प्रस्तावना बल देती है कि विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित है एवं उन पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य अधिरोपित करती है कि कोई नागरिक आर्थिक अथवा अन्य विकलांगताओं/असमर्थताओं के कारण न्याय पाने के अवसरों अवसरों से वंचित न रहे। इसी कड़ी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है:-

1. नालसा (आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना,
2. नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015
3. नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015
4. नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए) योजना, 2015
5. नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015
6. नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन) योजना, 2015
7. नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन) योजना, 2015
8. नालसा (नषा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नषा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015
9. नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2016
10. नालसा (एसिड अटैक से पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2016

उपरोक्त योजनाओं को राज्य के जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाने हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने अधीनस्थ जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

21. विशेष विधिक सेवा शिविर:-

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिषा-निर्देश में नये माड्यूल के अनुरूप “विशेष विधिक सेवा शिविर” का आयोजन माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर, न्यायाधीष छ0ग0 उच्च न्यायालय/कार्यपालक अध्यक्ष महोदय, छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार राज्य के किसी एक चिन्हांकित जिला में प्रति माह किया जा रहा है। इसी क्रम में छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर एवं संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में माह जनवरी 2018 में जिला जांजगीर-चांपा, माह फरवरी 2018 में जिला बस्तर-जगदलपुर तथा माह मार्च 2018 में जिला दुर्ग में विशेष विधिक सेवा शिविर का आयोजन

किया जा चुका है। उक्त आयोजित शिविरों में उपस्थित जनसमुदाय को उनके विधिक अधिकार के संबंध में जागरूक करने के अलावा शासन के विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के अलावा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। उक्त शिविरों में 13403 व्यक्तियों के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें से 11769 आवेदनों का शिविर स्थल पर निराकरण किया गया एवं शेष कार्यवाही हेतु लंबित 1634 आवेदन पत्रों को प्राथमिकता के साथ नियमानुसार निराकृत करने हेतु संबंधित विभाग को प्रेषित किया गया है। अनुसूचित जनजाति बहुल जिला बस्तर (जगदलपुर) में माह फरवरी 2018 में आयोजित विशेष विधिक सेवा शिविर में लाभान्वित होने वाले कुल 4218 हितग्राहियों में से **3673 हितग्राही अनुसूचित जनजाति वर्ग** के लाभान्वित हुए हैं।

22. न्याय संगवारी:—

“न्याय संगवारी” विधिक सहायता स्थापना (LAE) नालसा के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय, बिलासपुर में विधिक सहायता स्थापना का शुभारम्भ दिनांक 20.06.2017 को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। विधिक सहायता स्थापना प्रत्येक कार्यदिवस को खुला रहता है, जिसमें एक पैनल लॉयर एवं दो पैरालीगल वालंटियर्स पूर्णकालिक रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। विधिक सेवा स्थापना कम्प्यूटर एवं विडियो कान्फ्रेंसिंग, दूरभाष सुविधा से सुसज्जित है। विधिक सहायता स्थापना विडियो कान्फ्रेंसिंग एवं दूरभाष के माध्यम से राज्य के समस्त जेलों तथा विधिक सेवा संस्थाओं से जुड़ा है। इस केंद्र के माध्यम से दोषसिद्ध एवं विचाराधीन बंदियों को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यकतानुसार विधिक सहायता / विधिक परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही अन्य कमजारे, पीड़ित एवं समाज के निचले तबके के व्यक्तियों को उनके आवश्यकता के अनुरूप विधिक सहायता एवं विधिक सलाह उपलब्ध कराया जाता है।

उपसंहार

माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के सतत मार्गदर्शन में छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों के कानूनी अधिकारों के संरक्षण एवं उनके विधिक अधिकार व शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ संबंधित वर्ग को सुलभ कराना सुनिश्चित करने हेतु कार्य कर रहा है तथा समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक न्याय सुलभ कराने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कृतसंकल्पित है।

अध्याय—3

अधिसूचित क्षेत्र में राज्यपाल के अनुमोदन से लागू केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के नियमों की जानकारी

1. विशेष पिछड़ी जनजातियों को शासकीय सेवा में (विशेष भर्ती अभियान) में प्राथमिकता

संविधान की पांचवी अनुसूची द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एफ 13-19/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 29.11.2012 की अनुसूची दो के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट जिला स्तरीय स्थापना में तृतीय श्रेणी (गैर-कार्यपालिक) तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों के आरक्षण का प्रतिशत इस उपान्तरण के साथ लागू करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं कि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में उक्त अधिसूचना के कॉलम (4) के अधीन प्रत्येक भर्ती के वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों में से 20 प्रतिशत तक पदों की पूर्ति, विशेष पिछड़ी जनजातियों जैसे पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार, अबुझमाड़िया, बिरहोर, भुंजिया तथा पड़ों जनजाति से संबंधित आवेदकों के बीच से की जाएगी तथा ऐसे आवेदकों का चयन भर्ती के लिए सुसंगत सेवा नियमों के अंतर्गत विहित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना किया जाएगा। माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशों के अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना एफ 13-19/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक 21.05.2013 जारी की गई है।

निर्देशों का अनुपालन किया जाकर अब तक विशेष पिछड़ी जनजाति के 12 अभ्यर्थियों को शिक्षाकर्मि वर्ग 02 (प्रधान पाठक) में, 327 अभ्यर्थियों को शिक्षाकर्मि वर्ग-03 एवं 18 अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी में तथा 1409 अभ्यर्थियों को अन्य श्रेणियों में इस प्रकार 1766 अभ्यर्थियों को शासकीय नौकरी में नियुक्ति दी गई है, जिसमें वृद्धि संभावित है।

2. राज्य में नियुक्तियों पर प्रतिबंध बस्तर संभाग हेतु शिथिलीकरण :-

छ.ग.शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक/772/एफ-3/1/2004/वित्त/ब-4/चार दिनांक 13 मई 2010 के द्वारा राज्य के शासकीय कार्यालयों तथा निगम/मंडल/प्राधिकरण/स्वशासी संस्थाओं आदि में नियुक्ति पर प्रतिबंध के संबंध में संदर्भित ज्ञापन द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि बस्तर संभाग स्थित इन कार्यालयों में सीधी भर्ती के सभी स्वीकृत किंतु रिक्त पदों को संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भरे जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। शेष सभी संभागों हेतु पूर्व में जारी निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

3. बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को स्थानीय निवासियों से भरने बाबत

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3 दिनांक 25.02.2017 द्वारा यतः भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा – 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाए गए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 में उल्लिखित “नियुक्ति के लिए पात्रता” संबंधी प्रावधान में, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3 रायपुर दिनांक 17.01.2012 द्वारा उपांतरण करते हुए, निर्देशित किया गया था कि इन नियमों में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियम अथवा विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के मात्र स्थानीय निवासी ही, उक्त अधिसूचना के जारी होने के तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए, संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे,

और यतः उक्त अधिसूचना, 17 जनवरी, 2012 को दो वर्ष की कालावधि के लिए जारी की गई थी और 16 जनवरी 2014 तक प्रवृत्त थी, उक्त अधिसूचना की अवधि को, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3 रायपुर दिनांक 19 मई 2014 द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 17 जनवरी 2014 से 16 जनवरी 2015 तक बढ़ाया गया था एवं उक्त अधिसूचना की अवधि को समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/ 2012/1-3 रायपुर दिनांक 10 मार्च 2015 द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 17 जनवरी 2015 से 16 जनवरी 2017 तक और बढ़ाया गया था,

और यतः यह आवश्यक हो गया है कि उक्त अधिसूचना की अवधि आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिए बढ़ाई जाये,

अतएव, पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद् द्वारा निर्देशित करते हैं कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 में उक्त अधिसूचना द्वारा किया गया उपांतरण, आगामी अवधि के लिए अर्थात् 17 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2018 तक निरंतर प्रवृत्त रहेगा। इस प्रकार दिनांक 25.02.2017 को जारी अधिसूचना द्वारा पूर्व में जारी उक्त अधिसूचना की अवधि में 02 वर्ष की वृद्धि की गई है।

उक्त के अनुक्रम में छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पत्र क्र./ एफ— 14-53/ 25-3/ 2011, दिनांक 09.03.2012 एवं दिनांक 15.03.2012 के द्वारा

मुख्य सचिव छ.ग. शासन के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 06.03.2012 द्वारा बस्तर तथा सरगुजा संभाग अंतर्गत आने वाले जिलों में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को स्थानीय निवासियों से जिला संवर्ग की रिक्त पदों की पूर्ति करने के निर्देश दिये गये जिसके परिपालन में तृतीय श्रेणी में 5137 एवं चतुर्थ श्रेणी के 5043 रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तियों की कार्यवाही की गई।

4. वन अधिकार अधिनियम के तहत निरस्त दावा प्रकरणों के हितग्राहियों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 के नियम 6 के खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जावे अर्थात् :-

“(ढ) उप-खंड स्तरीय समिति द्वारा निरस्त समस्त दावों को स्वतः याचिका के रूप में माना जा सकेगा तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबंधों के अधीन तथा नियम 13 के खंड (क) से (झ) के अधीन केवल एक बार के लिए पुनः परीक्षण किया जा सकेगा।”

अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित विकास की योजनाएं

भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के संरक्षणात्मक तथा विकासात्मक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर व्यापक प्रावधान किये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 46 द्वारा शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का उल्लेख है। इन वर्गों के हित-संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए अनुच्छेद 338 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित करने तथा अनुच्छेद 339 में मुख्यतः आदिवासी कल्याण हेतु योजनाएं बनाने एवं उन्हें क्रियान्वित करने हेतु राज्यों को निर्देश देने बाबत संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है। इन वर्गों के प्रति भेदभाव समाप्त करने, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने की दृष्टि से ही अनुच्छेद 15 (2), 17 एवं 25 में विशिष्ट प्रावधान वर्णित है। अनुच्छेद 46 में व्यक्त मंशा को ध्यान में रखते हुए अनु.जनजाति उपयोजना मद अंतर्गत संचालित प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

4.1 वन विभाग

1 बिगड़े वनों का सुधार

इस योजना का क्रियान्वयन वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं द्वारा निर्धारित कम घनत्व वाले विरले क्षेत्रों में किया जाता है। ये क्षेत्र अधिकांशतः आबादी से घिरे हुए हैं तथा अत्यधिक चराई, निस्तार पूर्ति हेतु जैविक दबाव की वजह से बिगड़े वन के रूप में हैं। अधिकांश क्षेत्रों में जड़ भण्डार की पर्याप्त मात्रा है जो कि विकृत रूप में है। योजना का मुख्य उद्देश्य भू-जल संरक्षण कार्य करते हुए जड़ भण्डार एवं वृक्षारोपण से क्षेत्रों का पुर्नवास करना है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 8620 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 8441 लाख का व्यय किया गया।

2 बांस वनों का पुनरोद्धार

इस योजना के अंतर्गत वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं द्वारा निर्धारित ऐसे बिगड़े बांस वन क्षेत्रों को लिया जाता है जहां पर बांस के भिरे जीर्ण-शीर्ण हो जाते हैं या अत्यधिक गुंथ जाते हैं जिसके फलस्वरूप वे अनुत्पादक हो जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में गुंथे बांस भिरों की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई, बिना गुंथे हुए अविकसित भिरों में मिट्टी चढ़ाई तथा विरल क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण एवं रखरखाव द्वारा सुधार कार्य किया जाता है। बांस भिरों की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई से जहां अविकसित भिरें विकसित होते हैं तथा उसमें नये बासों की संख्या में वृद्धि होती है तथा बास की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 2000 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 1566 लाख का व्यय किया गया।

3 पर्यावरण वानिकी

शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से वृक्षारोपण एवं अन्य इको टूरिज्म संबंधित कार्य किये जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत पथ वृक्षारोपण का कार्य भी किया जा रहा है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 में रु. 700 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरुद्ध रु. 678.71 लाख का व्यय किया गया।

4. **ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघु वनोपज / औषधी रोपण**
प्रदेश की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या वनक्षेत्रों की सीमा के 5 किलोमीटर की परिधि में रहती है। राज्य के वनों में वनौषधि विपुल मात्रा में है, इन क्षेत्रों में औषधि पौधों एवं अन्य लघु वनोपज का संवर्धन एवं विकास हेतु इस योजना के अंतर्गत कार्य कराया जाता है। योजना जनसहभागिता से क्रियान्वित की जाती है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 में रु. 825 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरुद्ध रु. 767.43 लाख का व्यय किया गया।
5. **संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढीकरण एवं विकास**
राज्य में वनों के प्रबंधन एवं संरक्षण में जनसहभागिता हेतु संयुक्त वन प्रबंधन के सुदृढीकरण एवं वन प्रबंधन तकनीकों के विकास के योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 में रु. 275 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरुद्ध रु. 261.75 लाख का व्यय किया गया।
6. **सड़के तथा मकान निर्माण कार्य**
इस योजना के अंतर्गत वन विभाग के विभिन्न स्तर पर कार्यालय भवन निर्माण, विभागीय कर्मचारियों / अधिकारियों हेतु आवासीय भवनों एवं वन मार्गों का निर्माण कराया जाता है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 में रु. 1210 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरुद्ध रु. 1178.69 लाख का व्यय किया गया।
7. **लघुवनोपज संग्राहक की सामूहिक बीमा योजना**
तेन्दू पत्ता संग्राहकों के परिवार के मुखिया का बीमा कर परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 330 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 330 लाख का व्यय किया गया।
8. **पौधा प्रदाय योजना**
निजी भूमि में पौधा रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग ने "पौधा प्रदाय योजना" प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत किसी भी भू-स्वामी को 1000 पौधे की सीमा तक 1 रुपये प्रति पौधा की रियायती दर पर, उसकी मांग अनुसार पौधे प्रदाय किये जाते हैं। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 44 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 41.75 लाख का व्यय किया गया।
9. **हरियाली प्रसार योजना**
कृषकों को उनकी निजी पड़त भूमि में वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 3300 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 3059.83 लाख का व्यय किया गया।
10. **नदी तट वृक्षारोपण योजना**
प्रदेश की बारहमासी नदियों के तटों पर भू-क्षरण रोकने एवं नदियों में पानी के बहाव को बनाये रखने के उद्देश्य से विभाग द्वारा "नदी तट वृक्षारोपण योजना" प्रारंभ की गई है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 550 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 541.35 लाख का व्यय किया गया।

- 11 सामाजिक वानिकी**
इस योजना के अंतर्गत गैर वानिकी क्षेत्रों में रोपण कार्य तथा कृषकों को कृषि वानिकी हेतु प्रोत्साहन देने का कार्य किया जाता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 330 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 314.57 लाख का व्यय किया गया।
- 12 लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना**
प्रदेश की जैव विविधता को अक्षुण्ण रख उसके सतत् उपयोग से स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के सुदृढीकरण हेतु लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है। योजना अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में औषधी पौधों एवं अन्य लघु वन उपज के संरक्षण, विकास, संग्रहण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन में सुधार संबंधी कार्य कराया जाता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 270 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 269.80 लाख का व्यय किया गया।
- 13 अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण**
इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1980 के पूर्व के वन भूमि के अतिक्रमकों को पट्टा वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा लगाई गई वृक्षारोपण की शर्त की पूर्ति के लिए एवं रिक्त कराए गए अतिक्रमित क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं उसके रखरखाव का कार्य किया जाता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 225 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 218.46 लाख का व्यय किया गया।
- 14 तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित**
योजना अंतर्गत जैविक दबाव के कारण बिगड़े वनों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों का रोपण करना। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 400 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 341.40 लाख का व्यय किया गया।
- 15 भू एवं जल संरक्षण कार्य**
राज्य शासन द्वारा भू-गर्भीय जल स्तर में वृद्धि करने एवं वनस्पति विहीन क्षेत्रों में भू-संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु नवीन मद के अंतर्गत योजना लागू की गई है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 275 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 234.49 लाख का व्यय किया गया।
- 16 लाख विकास योजना**
इस योजना के अंतर्गत राज्य में लाख की खेती का विकास, प्रसंस्करण एवं विपणन कर कार्य किया जावेगा, जिससे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 210 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 210 लाख का व्यय किया गया।
- 17 वनमार्गों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण**
योजना अंतर्गत वनक्षेत्रों से गुजरने वाले 13500 कि.मी. वनमार्गों पर रपटा/पुलिया निर्माण करना जिससे वनग्रामवासी के आवागमन तथा वनोपज निकासी में सुविधा हो सके। इस

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 1450 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 1448.12 लाख का व्यय किया गया।

18 कर्मचारी कल्याण योजना

प्रदेश में लगभग 9000 क्षेत्रीय वन कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रों में वनों के भीतर रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इस योजना के अंतर्गत इन कर्मचारियों के कल्याणार्थ कार्य कराने का प्रावधान है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 130 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 113.19 लाख का व्यय किया गया।

19 वन अधिकारों की मान्यता

अतिक्रमित वनभूमि का सर्वे कर, पात्र व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र का वितरण किया जाता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 55 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 52.17 लाख का व्यय किया गया।

20 बाड़ी बांस योजना

वन क्षेत्रों में बढ़ते जैविक दबाव के कारण बांस का उत्पादन मांग के अनुसार नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में बांस के लिए मात्रा बांस वनों पर निर्भर रहना अब संभव नहीं रह गया है। अतः बांस का उत्पादन वन क्षेत्रों के बाहर बड़े पैमाने पर किए जाने की आवश्यकता है। स्थानीय ग्रामीणों के निवास के साथ लगी हुई बाड़ियों में तथा अन्य स्थानों पर रोपण हेतु उन्नत बांस के पौधे/राईजोम उपलब्ध कराया जाकर कुछ वर्षों में बांस की पर्याप्त आपूर्ति गांव से ही हो सकेगी तथा वन विभाग पर ग्रामवासियों की निर्भरता कम होगी। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 380 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 68.11 लाख का व्यय किया गया।

21 बांस प्रसंस्करण इकाई

बांस आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बांस प्रसंस्करण इकाई की स्थापना किया जाता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 66 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 66 लाख का व्यय किया गया।

22 लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान

लघु वनोपज संग्रहण, भंडारण, विपणन एवं प्रसंस्करण के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 1500 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 781 लाख का व्यय किया गया।

23 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

राज्य के वन विकास अभिकरणों के संघ के रूप में गठन किया जाकर इसके तत्वाधान में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य वन विकास अभिकरण के अंतर्गत 32 वनमंडलों को सम्मिलित कर वन विकास अभिकरणों के गठन किये गये हैं। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 2487 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 725.13 लाख का व्यय किया गया।

24 ग्रीन इंडिया मिशन

वार्षिक कुल ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से 6.35 प्रतिशत हिस्से को वनों द्वारा कम करने की क्षमता में वृद्धि । इस मिशन के द्वारा जैवविविधता के अतुलित भण्डार में भी वृद्धि । स्थानीय समुदायों को बदलते हुए जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए कई अन्य सेवाओं (जलाऊ लकड़ी, चारा, इमारती लकड़ी, गैर काष्ठीय वनोपज, औषधीय पौधे इत्यादि) में वृद्धि । इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 190 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 190 लाख का व्यय किया गया ।

25 पारिस्थितिकीय सेवा विकास परियोजना

वनों की गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु रोपणी विकास एवं वृक्षारोपण कार्य । जैव विविधता को संरक्षित करने तथा पर्यावरण सुधार हेतु कार्य । ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक एवं निजी भूमि पर कृषि एवं फार्म वानिकी के अंतर्गत वृक्षारोपण । अकाष्ठीय लघुवनोपज के सतत उपयोग हेतु सामुदाय आधारित परियोजनाओं का क्रियान्वयन । इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 304 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध कोई भी व्यय नहीं हुआ है ।

26 एकीकृत वन सुरक्षा योजना

वनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली यह एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसमें भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत हिस्सा दिया जाता है तथा 25 प्रतिशत का हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है । इस योजना के अंतर्गत आवागमन, संचार के साधन, जांच चौकियों का निर्माण, वाचटावर निर्माण, नेटवर्किंग एवं अग्नि सुरक्षा जैसे कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है । इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 684 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध केन्द्र से राशि अप्राप्त रही ।

27 लघु वन उपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान

लघु वनोपज संग्रहण, भंडारण, विपणन एवं प्रसंस्करण के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है । इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 200 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध केन्द्र से राशि अप्राप्त रही ।



4.2 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,

(छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक परिदृश्य)

विभाग का कार्य प्रदेश के चहुमुखी विकास में औद्योगिकरण एवं व्यापार संवर्धन के माध्यम से, राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देते हुए, औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करना है, ताकि राज्य में पूंजी निवेश अधिकाधिक हो, रोजगार के अवसर बढ़ें, राज्य के मूल निवासियों को रोजगार प्राप्त हो व राज्य औद्योगिक दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी हो।

1. औद्योगिक नीति 2014-19 में पात्र उद्योगों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन :-

क्र.	योजना का नाम	योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट व रियायतों का विवरण
1	ब्याज अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	सावधि ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक अधिकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक से 100 लाख वार्षिक, अवधि 5 वर्ष से 8 वर्ष तक।
2	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 30 लाख से रु. 500 लाख तक
3	विद्युत शुल्क छूट (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष से 10 वर्ष तक
4	स्टाम्प शुल्क से छूट (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	1. भूमि, भवन/शेड के क्रय/ लीज पर पूर्ण छूट 2. ऋण-अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर 3. औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित भूमि के एवज में भू-स्वामी परिवारों द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि पर 4. भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा स्वीकृत औद्योगिक पार्कों / औद्योगिक क्षेत्रों पर 5. बंद/बीमार औद्योगिक इकाई के क्रय पर 6. फिल्म उद्योगों 7. लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेन साइलो।
5	औ0 क्षेत्रों में भू-आबंटन (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक भू-प्रब्याजि में छूट।
6	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग)	स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 1 लाख से रु. 2 लाख

7	भू व्यपवर्तन शुल्क में छूट (सूक्ष्म एवं लघु उद्योग)	अधिकतम 5 एकड़ भूमि तक, भू-पुनर्निर्धारण कर में 100 प्रतिशत छूट।
8	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग)	व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 1 लाख प्रत्येक प्रमाणीकरण हेतु।
9	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग)	व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 5 लाख
10	प्रौद्योगिकी कय अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 5 लाख
11	मार्जिन मनी अनुदान (सूक्ष्म, एवं लघु उद्योग)	परियोजना का 25 प्रतिशत, अधिकतम रु. 35 लाख
12	औद्योगिक पुरस्कार योजना	1. राज्य स्तर पर —प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रु. 1 लाख, 0.51 लाख एवं 0.31 लाख एवं प्रशस्ति पत्र, (4 श्रेणियों में—सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समग्र मूल्यांकन, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग) 2. जिला स्तर पर — सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार रु. 25,000 /— एवं प्रशस्ति पत्र।
13	प्रवेश कर भुगतान से छूट (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	05 वर्ष से 07 वर्ष की अवधि हेतु।
14	विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	स्थायी नौकरी प्रदान करने पर शुद्ध वेतन/पारिश्रमिक की 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।
15	इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान	कार्बन क्रेडिट की प्राप्ति एवं कार्बन फुटप्रिंट की कमी से संबंधित प्रत्येक तकनीकी पर मशीनरी लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रु. 14 लाख।

टीप :-

1. महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्तियों को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा अप्रवासी भारतीय/शत प्रतिशत एफडीआई निवेशकों, निर्यातकों एवं विदेशी तकनीक वाले उद्योगों को 5 प्रतिशत अधिक अनुदान, छूट की अवधि से संबंधित प्रकरणों में उपरोक्तानुसार वर्ग को एक वर्ष की अधिक छूट।

2. औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में विकासशील क्षेत्रों विकास खण्डों की अपेक्षा अधिक अनुदान छूट एवं रियायतें ।
3. प्राथमिक श्रेणी के उद्योगों को सामान्य श्रेणी के उद्योगों से अधिक अनुदान ।
4. लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग एवं कोल्ड स्टोरेज को भी सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान, छूट एवं रियायतें ।
5. औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में उद्योग स्थापना पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान एवं छूट के प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक छूट ।

1.1— औद्योगिक नीति 2014–19 में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु विशेष पैकेज :-

1. औद्योगिक क्षेत्रों में भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट एवं भू-भाटक की सांकेतिक दर रु. 1 प्रति एकड़ पर भूमि का आबंटन ।
2. औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में 50 प्रतिशत तक भू-खण्डों का आरक्षण ।
3. रु. 5 करोड़ तक के पूंजीगत लागत तक के उद्योगों में 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान— अधिकतम सीमा रु. 40 लाख ।
4. अनुदान के प्रकरणों में सामान्य वर्ग की अपेक्षा 10 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक अधिक अनुदान तथा छूट की अवधि से संबंधित प्रकरणों में 5 वर्ष तक अधिक छूट ।

2—कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012–19 की योजनाएँ

1. मूल्य संवर्धित कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर में रियायत प्रतिपूर्ति — स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 150 प्रतिशत तक सीमित, अधिकतम समयावधि 10 वर्ष
2. प्रवेश कर भुगतान से छूट— 7 वर्ष की अवधि हेतु ।
3. विद्युत शुल्क में छूट — 10 वर्ष तक छूट
4. मण्डी शुल्क छूट — 5 वर्ष तक छूट, स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के समतुल्य तक सीमित ।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त यथा समय राज्य शासन की औद्योगिक नीति के अनुरूप अन्य अनुदान, छूट एवं रियायतें ।

2.1—कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012–19 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनाएँ—

1. खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण— संयंत्र एवं मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का 25%–50.00 लाख ।
2. कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास (उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्र में)—
(अ) परियोजना लागत का 35%–500.00 लाख,
(ब) बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत सावधि ऋण पर 6%की दर से आया वास्तविक ब्याज, 5 वर्ष की अवधि हेतु—200.00 लाख
3. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापना— परियोजना लागत का 50%–250.00 लाख ।
4. रीफर वाहन योजना— कूलिंग की लागत का 50%–50.00 लाख ।

3. ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012–17 की योजनाएँ—

1. मूल्य संवर्धित कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर में रियायत प्रतिपूर्ति – मूल एवं सहायक इकाई को स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 150 प्रतिशत तक सीमित, अधिकतम समयावधि 18 वर्ष
 2. केन्द्रीय विक्रयकर में छूट– तत्समय प्रचलित दर का 50 प्रतिशत, 18 वर्षों की अवधि तक।
 3. प्रवेश कर भुगतान से छूट– 8 वर्ष की अवधि हेतु।
 4. विद्युत शुल्क में छूट – 10 वर्ष तक छूट
 5. पंजीयन शुल्क पर छूट– भूमि, भवन शेड प्रकोष्ठ पर 100 प्रतिशत छूट
 6. उपरोक्त के अतिरिक्त यथा समय राज्य शासन की औद्योगिक नीति के अनुरूप अन्य अनुदान, छूट एवं रियायतें।
- 4. औद्योगिक नीति 2014–19 के अंतर्गत स्टार्ट-अप छत्तीसगढ़ पैकेज की योजनाएँ–**
(भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में उद्योग व सेवा संबंधी इकाईयों में वैद्य पंजीयन प्रमाण पत्र धारकों को।)
- 1 ब्याज अनुदान – सावधि ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा 70 लाख रुपये वार्षिक।
 - 2 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान–
- | क्र. | श्रेणी | अनुदान की मात्रा | |
|------|------------------------|------------------|-----------------------|
| | | प्रतिशत | अधिकतम राशि (लाख में) |
| 1 | सूक्ष्म एवं लघु उद्योग | 35 | 60 |
| 2 | मध्यम उद्योग | 35 | 70 |
| 3 | वृहद उद्योग | 35 | 110 |
| 4 | मेगा उद्योग | 40 | 350 |
- 3 विद्युत शुल्क छूट– शतप्रतिशत छूट।
 - 4 भूमि के क्रय/लीज पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट।
 - 5 लिये गये ऋण पर भी तीन वर्ष तक स्टाम्प शुल्क से छूट।
 - 6 (अ) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान – मान्य स्थायी पूंजी निवेश का एक प्रतिशत, अधिकतम रुपये 2.50 लाख,
(ब) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान– व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रुपये 1.25 लाख।
(स) तकनीकी पेटेंट अनुदान– व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रुपये 6.00 लाख।
(द) प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान– व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रुपये 6.00 लाख।
 - 7 औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भूमि आबंटन पर भू-प्रब्याजी में 60 प्रतिशत छूट।
 - 8 प्रारंभिक वर्षों में श्रम कानूनों में स्व-प्रमाणन व्यवस्था।
 - 9 प्रथम 36 स्टार्ट अप यूनिट्स को वैध रहने पर 03 वर्षों तक राज्य शासन को पटाये गये समस्त करों (रिफण्ड को छोड़कर) की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

10 किराया अनुदान— किराये के भवन में स्टार्ट अप यूनिट स्थापित करने की दशा में, पटाये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रु. प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम रु. 8000/- की प्रतिपूर्ति 03 वर्षों तक।

5. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फ़ैसिलिटेशन काउंसिल :-

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं/सामग्रियों की आपूर्ति के पश्चात् क्रेताओं द्वारा समय पर भुगतान न करने अथवा भुगतान संबंधित विवादों के निराकरण हेतु राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फ़ैसिलिटेशन काउंसिल गठित है। काउंसिल के अध्यक्ष उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग तथा 4 अन्य वित्त एवं आर्थिक क्रियाकलापों के विशेषज्ञ होते हैं।

6. छत्तीसगढ़ भण्डार क़य नियम :-

राज्य के लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु, राज्य के शासकीय विभागों, निगमों, बोर्डों व स्थानीय निकायों में लगने वाली सामग्री की आपूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा पंजीयन एवं दर अनुबंध दिया जाता है।

7. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना :-

1. युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भरता, कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुरूप स्वयं का रोजगार (उद्यम, सेवा, व्यवसाय) प्रारंभ करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त होने संबंधी समस्याओं के दीर्घकालीन निराकरण हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गयी है। उनके स्वरोजगार स्थापना में बैंकों की ऋण प्रदायगी में राज्य शासन की गारंटी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा गारंटी शुल्क, सेवा शुल्क का भुगतान किया जाता है तथा मार्जिन मनी अनुदान (अधिकतम 1.50 लाख रु.) व औद्योगिक नीति के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन भी दिये जाते हैं।

ऋण की सीमा—

विनिर्माण उद्यम —	परियोजना लागत अधिकतम रु.	25.00 लाख
सेवा उद्योग —	परियोजना लागत अधिकतम रु.	10.00 लाख
व्यवसाय—	परियोजना लागत अधिकतम रु.	02.00 लाख

8. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

उद्देश्य	—	देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन।
परियोजना लागत	—	विनिर्माण — अधिकतम रु. 25.00 लाख सेवा एवं व्यवसाय — अधिकतम रु. 10.00 लाख
लाभार्थी का अंशदान	—	सामान्य वर्ग — 10 % अजा/अजजा/अपिवर्ग व अन्य — 5 %
अनुदान की दर	—	सामान्य वर्ग — शहरी 15 %, ग्रामीण 25 % अजा/अजजा/अपिवर्ग व अन्य—शहरी 25 %, ग्रामीण 35 %
पात्रता	—	आयु 18 वर्ष से अधिक, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण, स्वसहायता समूह/सोसायटी भी पात्र

9. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना—

(सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंको के माध्यम से ऋण वितरण)

1. “शिशु” — रु. 50,000 तक
2. “किशोर” — रु. 50,000 से अधिक एवं रु. 5 लाख तक,
3. “तरुण” — रु. 5 लाख से अधिक एवं रु. 10 लाख तक।

10. “स्टैण्ड अप इंडिया” योजना —

(अ) पात्रता— (1) अनुसूचित जाति, (2) अनुसूचित जनजाति, (3) महिला उद्यमी

(ब) लक्ष्य— प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक हितग्राही एवं एक महिला उद्यमी।

(स) ऋण सीमा— रु. 10 लाख से 1 करोड़ रु.।

11. छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016—

(बंद/बीमार घोषित उद्योगों के पुनर्स्थापन/पुनर्वास पर बंद/बीमार उद्योग के क्रेता उद्योग/बीमार उद्योग के पुनर्वासित बीमार उद्योग को दी जाने वाली सुविधायें यथा स्थिति लागू।)

1. स्टाम्प शुल्क से छूट
2. पंजीयन शुल्क से छूट
3. औद्योगिक क्षेत्रों/लैंड बैंक में भू-हस्तांतरण की दर 15 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत।
4. उद्योग के कार्यरत रहने की अवधि में पात्र अनुदान, छूट एवं रियायतें, जिनका उपयोग न हुआ हो/आंशिक उपयोग हुआ हो, की पात्रता।
5. उद्योग के बंद घोषित होने तक राज्य शासन के विभिन्न विभागों को देय राशियों का भुगतान 03 माह की अवधि के भीतर एकमुश्त करने पर पेनाल्टी/ब्याज/अधिभार की छूट
6. उद्योग के बंद/बीमार उद्योगों के द्वारा राज्य शासन को देय राशियों का एकमुश्त भुगतान न करने पर पेनाल्टी/ब्याज/अधिभार के भुगतान के साथ 36 समान मासिक किस्तों/12 त्रैमासिक किस्तों में सुविधा,
7. बीमार/बंद उद्योग क्रेता के पक्ष में राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले विद्युत कनेक्शन जल कनेक्शन, अन्य क्लीयरेंस एवं अनापत्ति प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण।

12. छत्तीसगढ़ राज्य विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति—

1. छत्तीसगढ़ उन राज्यों में सम्मिलित हुआ, जिनकी पृथक से एस.ई.जेड. पॉलिसी है।
2. राज्य में निर्यात उत्पादन को बढ़ावा
3. नये एस.ई.जेड. (विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र) — राजनांदगांव— सोलर पेनल (आंशिक परियोजना प्रारंभ)

रु. 500 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाली प्रथम खाद्य, फल, सब्जी एवं गैर काष्ठीय वन उत्पाद प्रसंस्करण परियोजना हेतु विशेष पैकेज

- 1 लैण्ड बैंक में भूमि आबंटित किये जाने पर प्रब्याजि में 75 प्रतिशत की छूट दी जावेगी, लीज रेंट तथा अन्य देय शुल्कों में कोई छूट नहीं दी जायेगी। इसके लिये प्रब्याजि की गणना सांकेतिक रूप से की जायेगी।
- 2 भूमि आबंटन पर स्टाम्प ड्यूटी से 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी। यह छूट प्रथम स्टाम्प शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से 36 माह में परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर मान्य होगी।
- 3 परियोजना के लिये बैंको/वित्तीय संस्थाओं से ऋण पर प्रथम 3 वर्षों के लिए स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट।
- 4 औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू-आबंटन हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमि. को 5 प्रतिशत सर्विस चार्ज देय होगा।
- 5 स्थायी पूंजी निवेश की राज्य शासन को देय ऋण के रूप में प्रतिपूर्ति के संदर्भ में पृथक से नीतिगत निर्णय लिया जायेगा।
- 6 परियोजना हेतु, अधिसूचित बैंकों से, लिये जाने वाले सावधि ऋण परियोजना के लिये आवश्यक स्थायी पूंजी निवेश का 80 प्रतिशत सीमा तक पर 10 वर्ष तक 100 प्रतिशत ब्याज (कुल स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत की सीमा तक) की प्रतिपूर्ति।
- 7 पात्रताधारित सभी संवर्ग के उद्योग को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से 15 वर्ष तक स्वयं खपत की गई बिजली की यूनिटों पर देय विद्युत शुल्क भुगतान से 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। लेकिन संस्थान द्वारा विद्युत शुल्क में छूट हेतु उद्योग संचालनालय से अनुशंसित आवेदन मुख्य विद्युत निरीक्षकालय में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के 06 माह की समय-सीमा में प्रस्तुत करना होगा।
- 8 प्रदेश के किसी संभाग में रु. 500 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाली प्रथम खाद्य, फल, सब्जी एवं गैर काष्ठीय वन उत्पाद (NTFP) प्रसंस्करण परियोजना को राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/इकाई/राज्य के बाहर से सर्वप्रथम कच्चा माल क्रय करने के दिनांक से 15 वर्ष तक के लिए कृषि उत्पादों (परिशिष्ट एक में वर्णित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण (100 प्रतिशत) छूट प्रदान की जावेगी, छूट की अधिकतम सीमा प्रसंस्करण इकाई द्वारा किये गए स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के बराबर होगी।
- 9 परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 3 वर्ष तक भूमि भवन, प्लांट मशीनरी, विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति में होने वाले निवेश को स्थायी पूंजी निवेश के अंतर्गत मान्य किया जायेगा।
- 10 परियोजना में संलग्न छत्तीसगढ़ के स्थानीय तकनीकी एवं कुशल कामगारों के कौशल विकास हेतु, परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम 500 कामगारों के प्रथम 12 माह के देय ईपीएफ बराबर की राशि की प्रतिपूर्ति अनुदान के रूप में निवेशक को प्रत्येक माह दी जायेगी।
- 11 उपरोक्त विशेष पैकेज के साथ-साथ परियोजना को औद्योगिक नीति 2014-19, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 एवं छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन में वर्णित अन्य अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु अधिसूचित नियमों में उल्लेखित पात्रता अनुसार, समान स्वरूप का अनुदान होने की दशा में उद्यमी द्वारा चयनित कोई भी एक ही अनुदान, भी प्राप्त होंगे।

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण/परिरक्षण उद्योगों हेतु पैकेज की सुविधायें एवं अनुदान

(1) ब्याज अनुदान :-

क	उद्यमी का वर्ग	पूंजी निवेश स्लैब	फल/सब्जी प्रसंस्करण उद्योग हेतु अनुदान
1	सामान्य वर्ग	रु. 25 हजार से – 25 लाख तक	10 वर्ष तक सावधि ऋण पर कुल भुगतान किए गए ब्याज का 70% अधिकतम सीमा 05 लाख वार्षिक।
2	अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग	रु. 25 हजार से – 25 लाख तक	10 वर्ष तक सावधि ऋण पर कुल भुगतान किए गए ब्याज का 70% अधिकतम सीमा 10 लाख वार्षिक।

(2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :-

क	उद्यमी का वर्ग	पूंजी निवेश स्लैब	फल/सब्जी प्रसंस्करण उद्योग हेतु अनुदान
1	सामान्य वर्ग	रु. 25 हजार से – 10 लाख तक	स्थाई पूंजी निवेश का 40% अधिकतम सीमा 05 लाख
		रु. 10 लाख से – 25 लाख तक	स्थाई पूंजी निवेश का 50% अधिकतम सीमा 12.5 लाख
2	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग	रु. 25 हजार से – 25 लाख तक	स्थाई पूंजी निवेश का 60% अधिकतम सीमा 15 लाख

(3) विद्युत शुल्क छूट :-

राज्य की नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले सभी संवर्ग के नवीन पात्रताधारित उद्योगों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से स्वयं की बिजली की खपत की गई यूनिटों पर 10 वर्ष तक देय विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट रहेगी।

(4) भूमि उपयोग में परिवर्तन :-

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित केवल पात्र नवीन, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को भू-उपयोग परिवर्तन (औद्योगिक प्रयोजन होने पर) अधिकतम 15 हजार फुट भूमि (परिवार में केवल एक खातेदार के लिए), भू-पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

टीप—उपरोक्त विशेष पैकेज के साथ-साथ औद्योगिक नीति 2014-19 के अनुदान, छूट एवं रियायतों के तहत स्टॉम्प शुल्क में छूट, औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों के भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान व प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान तथा निशक्त अनुदान पात्रता अनुसार प्राप्त होंगे।

स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति

(वर्ष 2017-18 में 31.03.2018 तक की जानकारी)

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम –

क्र.	वर्ष	लक्ष्य		स्वीकृत			वितरित		
		भौतिक	वित्तीय (मार्जिन मनी)	संख्या	राशि (मार्जिन मनी)	रोजगार	संख्या	राशि (मार्जिन मनी)	रोजगार
1	2017-18	2025	4016.685	2103	4182.48	16824	752	1691.27	6016

2. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना –

S.No.	YEAR	Target		Sanction Cases		Achhivment (Didbursement)	
		Physical	Financial (MM)	Physical	Financial (MM)	Physical	Financial (MM)
1	2017-18	460	300.00	587	235.91	459	190.63

3. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना–

भौतिक लक्ष्य – 401542

वित्तीय लक्ष्य – 2376.51(राशि करोड़ में)

वर्ष	शिशु			किशोर			तरुण			योग		
	स्वीकृत खातो की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	स्वीकृत खातो की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	स्वीकृत खातो की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	स्वीकृत खातो की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
17-18	849190	1923.77	1847.66	65487	1212.08	1090.52	14023	1091.86	1046.05	928700	4227.74	3984.28

4. स्टैण्ड-अप योजना–

राज्य गठन पश्चात् स्टैण्डअप योजना की वर्षवार जानकारी						
क्र.	वर्ष	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत प्रकरण संख्या	स्वीकृत राशि	राशि करोड़ में	
					वितरित प्रकरण संख्या	वितरित राशि
1	2017-18	4300	716	168.35	546	60.47

फेसिलिटेशन काउंसिल

क्र.	वित्तीय वर्ष	प्रकरण संख्या	निराकृत प्रकरण संख्या	पारित एवार्ड राशि (लाख में)
1.	2017-18	113	17	704.16

छत्तीसगढ़-ईज आफ डुइंग बिजनेस में टॉप एचिवर्स में से एक

छत्तीसगढ़ राज्य DIPP- World Bank Ease of Doing Business, वर्ष 2015 एवं 2016 में चौथा स्थान प्राप्त किया था एवं वर्ष 2017 में प्रगति की ओर अग्रसर होते हुए उच्च स्तरीय प्रदर्शन किया है, इस वर्ष क्रियान्वयन अंक 99.5 प्रतिशत तथा प्रतिक्रिया अंक 78.5 प्रतिशत के साथ राष्ट्र के सर्वाधिक बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में है ।

वर्ष 2016-17 का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :-

विवरण	2016	2017
संयुक्त स्कोर कार्ड Combined Score Card	97.32 प्रतिशत	97.36 प्रतिशत
क्रियान्वयन स्कोर कार्ड Implementation Score Card	97.32 प्रतिशत (327 हॉ)	99.46 प्रतिशत (370 हॉ)
प्रतिक्रिया स्कोर कार्ड Feed back Score Card	—	78.44 प्रतिशत
सुधार अंक Reforms	340 सुधार	372 सुधार
कुल विभाग No. of Departments	15+	20+
कुल सुधार क्षेत्र No. Reform Areas	10 क्षेत्र	12 क्षेत्र

छत्तीसगढ़ की सफलता की रणनीति

- हमारा प्रयास था कि राज्य के नये निवेशकों एवं विद्यमान निवेशकों को अपना व्यापार करने में सुगमता बनी रहें एवं प्रारम्भ से ही उनको हर स्तर पर सुविधाएँ उपलब्ध रहें।
- हमारे द्वारा शासन के अनेक महत्वपूर्ण विभागों को व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को चरणबद्ध एवं सुगमता के साथ शासकीय प्रक्रियाओं को समन्वित रूप से लागू करने के लिए कार्यप्रणाली विकसित की जिससे कि व्यवसाय करना सुगम हुआ।
- हमारे द्वारा प्रारम्भ किये गये एकल खिड़की प्रणाली "**उद्यम आकांक्षा**" में अब तक 25 हजार से अधिक निवेशकों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। मात्र तीन वर्ष से भी कम की अवधि में इतने निवेशकों द्वारा हमारी "ऑनलाईन प्रणाली" का उपयोग सफलतापूर्वक उपयोग करना ही हमारे प्रयासों की सफलता को दर्शाते हैं।

लागू किये गये प्रमुख बिन्दु—

- **निर्माण अनुज्ञा**— राज्य में निर्माण कार्य हेतु प्रदाय की जाने वाली अनुज्ञा जारी करने के लिए विकसित किया गया सॉफ्टवेयर को भारत सरकार ने सर्वश्रेष्ठ माना है।
- हमने इस सॉफ्टवेयर को शासन के विभिन्न विभागों एवं भारत सरकार की एजेन्सीज जैसे—भारतीय रेल, हवाई अड्डा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण जैसे संस्थाओं के साथ Integrate भी कर दिया।
- **केन्द्रीय निरीक्षण एजेन्सी**— केन्द्रीय निरीक्षण एजेन्सी का गठन किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ श्रम विभाग, पर्यावरण संरक्षण बोर्ड एवं छत्तीसगढ़ वाष्पयंत्र विभागों के साथ समन्वित निरीक्षण की व्यवस्था की गयी।
- **वाणिज्यिक विवाद न्यायालय** — हमने देश में सबसे पहले वाणिज्यिक विवाद न्यायालय की स्थापना की। जिससे वाणिज्यिक विवादों को निपटाने में गति आयी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं निर्णय पारित करने की प्रक्रिया ऑन लाईन है।
- **वित्त**—राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग जैसे— परिवहन, आबकारी, मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, विद्युत विभाग की समस्त कर संग्रह की व्यवस्था को हमने शत—प्रतिशत ऑन लाईन कर दिया है।

- ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की रणनीति राज्य में उद्योग/व्यापार करने वाले औद्योगिक समूहों/संगठनों से चर्चाएँ कर उद्योग/व्यवसाय के स्थापना/संचालन में आ रही कठिनाईयों के निवारण हेतु ईज ऑफ डूईंग बिजनेस से संबंधित सुधारों को क्रियान्वित करने की रही है।
 - उद्योग विभाग ने ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के क्षेत्र में उद्योग/व्यापार की स्थापना एवं उनके संचालन के संबंध में आ रही प्रमुख कठिनाईयों के संबंध में वृहद उद्योगों के संदर्भ में सी.आई.आई., पी.एच.डी. चेम्बर्स आफ कॉमर्स जैसे राज्य स्तरीय औद्योगिक संगठन एवं एम.एस.एम.ई सेक्टर के संदर्भ में लघु उद्योग भारती आदि औद्योगिक संघों से चर्चाएँ की, व तदनुसार सुधारों को क्रियान्वित किया।
 - वर्ष 2017 के 372 व्यावसायिक सुधारों के संबंध में उद्योग/व्यवसाय में संलग्न उद्योगपतियों, व्यावसायियों एवं नये इन्वेस्टर्स से संपर्क किया गया, व चर्चाएँ की गयी।
 - हमारी रणनीति राज्य में स्थापित उद्योगों/व्यवसाय एवं नवीन स्थापित होने वाले उद्योगों को उद्योग/व्यवसाय के स्थापना/संचालन में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, रही है।
 - मने संपूर्ण राज्य में ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के सुधारों के संबंध में व ऑनलाईन क्रियान्वयन के संबंध में संपूर्ण राज्य में वर्कशॉप, सेमीनार, संगोष्ठियों का आयोजन किया, जिससे फीडबैक के क्षेत्र में 78.44 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं।
 - नियामक सुधारों के संबंध में हमने कार्यवाही प्राथमिकता से की है, व निकट भविष्य में भी यह सतत रूप से जारी रहेगी। ताकि छत्तीसगढ़ औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के संदर्भ में देश-विदेश में एक मॉडल के रूप में विकसित हो।
 - ईज ऑफ डूईंग बिजनेस— 2017 में कुछ प्रमुख सुधार निम्नानुसार रहे—
- उद्योग विभाग —**
1. औद्योगिक नीति के तहत समस्त अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु ऑनलाईन सुविधाएँ।
 2. राज्य शासन की नीतियों एवं सुधारों के संबंध में औद्योगिक संघों, उद्योगपतियों, व्यावसायियों आदि से फीडबैक लेने हेतु ऑनलाईन पोर्टल (जनमत)।
- वित्त विभाग —**
1. राज्य में विभिन्न सेवाओं की दरों, फीस, टैक्स, शुल्क, आवेदन शुल्क हेतु केन्द्रीयकृत ऑनलाईन पोर्टल। यह पोर्टल निम्नांकित से संबंधित है— परिवहन विभाग, आबकारी विभाग, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन विभाग, मुख्य विद्युत निरीक्षक।
- स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन विभाग —**
1. संपत्तियों के पंजीयन हेतु ऑनलाईन सिस्टम (ई पंजीयन)
- वन विभाग**
1. वृक्ष कटाई ट्रांजिट परमिट की ऑनलाईन मॉड्यूल विकसित।

छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2018

राज्य की औद्योगिक एवं अधोसंरचना विकास को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में वाणिज्यिक विकास को एक नया आयाम देने के लिए एक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पार्क नीति 2018 लागू की गयी है, जिसकी कार्यावधि 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2023 तक है।

उद्देश्य —1 राज्य को लॉजिस्टिक सेवा के क्षेत्र में विकसित करना तथा राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि करना।

- 2 लॉजिस्टिक अधोसंरचना का आधुनिकीकृत एवं मशीनीकृत प्रक्रिया का उपयोग।
- 3 रोजगार के नये अवसरों का सृजन।
- 4 निजी निवेश को प्रोत्साहन करना।
- 5 देश के प्रतिष्ठित व्यवसायिक समूहों को राज्य में निवेश हेतु आकर्षित करना।
- 6 व्यापार एवं वाणिज्य की लागत में कमी कर उपभोक्ता सामग्री के मूल्यों को कम करना।
- 7 राज्य में उपलब्ध मानव संसाधनों का कुशलता से दोहन।

1. लॉजिस्टिक पार्क को दी जाने वाली अनुदान, छूट व रियायतें :-

योजना का नाम	20-40 एकड़ इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क	40 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क
स्थायी पूंजी निवेश अनुदान	पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रु. 10.00 करोड़ से रु. 12.50 करोड़	पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 12.50 करोड़ से रु. 15.00 करोड़
ब्याज अनुदान (केवल सावधि ऋण पर)	6-7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रु. 60 लाख से रु. 100 लाख वार्षिक।	
विद्युत शुल्क छूट	लॉजिस्टिक पार्क में वाणिज्यिक गतिविधियाँ प्रारंभ करने के दिनांक से 08 से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	
भू-प्रीमियम में छूट/ रियायत	भू-प्रब्याजि में 20 से 25 प्रतिशत छूट	

2. स्टाम्प शुल्क से छूट -

स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट निम्नांकित प्रकरणों में दी जायेगी -

(अ) लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदन में दी गयी अधिकतम भूमि की मात्रा तक / लीज के प्रकरणों में न्यूनतम 30 वर्ष की लीज पर-

(ब) ऋण-अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक,

3. गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान - राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान लॉजिस्टिक पार्कों को आई0एस0ओ- 9000, आई0एस0ओ-14000, आई0एस0ओ 18000, आई.एस.ओ. 22000 श्रेणी, आई.एस.ओ. 9001:2008, आई.एस.ओ. 16091:2002 एवं जेड प्रमाणीकरण या अन्य राष्ट्रीय/ अन्तराष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुये व्यय की 60 प्रतिशत राशि, अधिकतम रु. 1.50 लाख, की प्रतिपूर्ति प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर की जाएगी।

4. तकनीकी पेटेन्ट अनुदान -राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान लॉजिस्टिक पार्कों को उनके मूल कार्य/अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पंजीकृत एवं स्वीकृत पेटेन्ट के

लिए प्रोत्साहित किया जावेगा एवं प्रत्येक पेटेन्ट हेतु किये गये व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम रु. 6 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

5. **प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान** –राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान लॉजिस्टिक पार्को को इस योजना के अन्तर्गत एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किये गये भुगतान का 60 प्रतिशत अधिकतम रु. 6 लाख की प्रतिपूर्ति की जावेगी ।

6. **विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान –**

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान लॉजिस्टिक पार्को को भारत सरकार के निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर का अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत निःशक्तों को स्थायी नौकरी प्रदान करने पर उनके शुद्ध वेतन/ पारिश्रमिक की 25 प्रतिशत अनुदान की राशि की प्रतिपूर्ति तब तक की जावेगी जब तक उन्हें स्थायी नौकरी में रखा जाता है ।

7. **ई.पी.एफ. अनुदान की प्रतिपूर्ति–**

डेवलपर द्वारा किये गये कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान पर 05 वर्षों तक प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1.00 लाख रु. प्रतिवर्ष होगी । प्रतिपूर्ति निम्नानुसार दिया जायेगा:–

अ. महिला रोजगार – 100 प्रतिशत

ब. पुरुष रोजगार – 75 प्रतिशत

8. **वाहन पंजीयन शुल्क में छूट**–लॉजिस्टिक्स अधोसंरचना के लिए परियोजना प्रतिवेदन में दिये गये माल परिवहन वाहनों की संख्या पर (अधिकतम 50 वाहन), जिनकी क्षमता 09 मे. टन से कम न हो, के पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत रियायत दी जायेगी

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु विशेष प्रोत्साहन योजनाएं

1. औद्योगिक क्षेत्रों में निःशुल्क भूमि आबंटन ।
2. विकासशील क्षेत्रों में 25% एवं पिछड़े क्षेत्रों में 50% तक भू-खण्डों का 02 वर्ष तक आरक्षण ।
3. प्रत्येक जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एक विशेष प्रकोष्ठ ।
4. बैंक ऋण हेतु मार्जिन मनी अनुदान, 25 प्रतिशत, अधिकतम 40 लाख ।
5. अनुदान एवं छूट योजनाएं –

1.	ब्याज अनुदान–	सावधि ऋण पर पर ब्याज का 75%, अधिकतम सीमा 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक, रु. 20 लाख वार्षिक से लेकर रु. 120 लाख वार्षिक तक ।
2.	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान	40% से 50% तक, अधिकतम सीमा रु. 40 लाख से 500 लाख तक ।
3.	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान	स्थायी पूंजी निवेश का 1%, अधिकतम रु. 1.50 लाख से रु. 2.50 लाख ।
4.	विद्युत शुल्क छूट	10 वर्ष से 12 वर्ष तक ।
5.	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान	व्यय का 60%, अधिकतम रु. 1.25 लाख ।

6.	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान	व्यय का 60%, अधिकतम रु. 6.00 लाख।
7.	प्रौद्योगिक क्रय अनुदान	व्यय का 60%, अधिकतम रु. 6.00 लाख।
8.	अनुसूचित जाति/जनजाति पुरस्कार योजना	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रु. 1,00,000, रु. 51,000 एवं रु. 31,000

6. अन्य सामान्य योजनाएँ –

1. स्टाम्प शुल्क से छूट –

1.1 भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर,

1.2 ऋण-अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक,

2. भू-पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100%छूट – अधिकतम 05 एकड़ के लिए।

3. प्रवेश कर छूट – 05 से 07 वर्ष तक।

4. विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान – शुद्ध वेतन/पारिश्रमिक का 25%।

5. इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान – लागत का 25%, अधिकतम 10 लाख

स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी

स्टैण्ड अप इंडिया की जानकारी वर्ष 2017-18 (31.03.2018 की स्थिति में)						
(राशि रु. करोड़ में)						
क्र.	वर्ग	स्वीकृत		वितरित		संभावित रोजगार
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	
1	अनुसूचित जाति	58	14.50	47	4.73	414
2	अनुसूचित जनजाति	36	7.98	21	2.33	261
	योग—	94	22.49	68	7.06	675

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (31.03.2018 की स्थिति में)											
(राशि लाख रु. में)											
क्र.	वर्ष	कुल लक्ष्य		लाभान्वित अनुसूचित जनजाति वर्ग				लाभान्वित अनुसूचित जाति वर्ग			
		भौतिक	वित्तीय (मार्जिन मनी)	संख्या	वितरित ऋण राशि	राशि (वितरित मार्जिन मनी)	रोजगार	संख्या	वितरित ऋण राशि	राशि (वितरित मार्जिन मनी)	रोजगार
1	2017-18	2025	4016.67	78	263.35	135.78	236	74	272.61	156.48	197

मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना (31.03.2018 की स्थिति में)
--

(राशि लाख रु. में)											
क्र.	वर्ष	कुल लक्ष्य		लाभान्वित अनुसूचित जनजाति वर्ग				लाभान्वित अनुसूचित जाति वर्ग			
		भौतिक	वित्तीय (मार्जिन मनी)	संख्या	वितरित ऋण राशि	राशि (वितरित मार्जिन मनी)	रोजगार	संख्या	वितरित ऋण राशि	राशि (वितरित मार्जिन मनी)	रोजगार
1	2017-18	460	300.00	53	95.03	27.04	46	44	80.74	24.04	34

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2018 तक
अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लाभान्वित हितग्राही

(Amount Rs. in Crore)

Sr No	Category	Shishu				Kishore			
		(Loans up to Rs. 50,000)				(Loans from Rs. 50,001 to Rs. 5.00 Lakh)			
		No Of A/Cs	Sanctioned Amt	Disbursement Amt	Outstanding Amt	No Of A/Cs	Sanctioned Amt	Disbursement Amt	Outstanding Amt
1	SC	112897	256.35	245.62	175.7	3849	58.7	52.63	48.15
2	ST	115552	237.96	222.24	160.63	6432	96.89	72.29	68.75
Total		228449	494.31	467.86	336.33	10281	155.59	124.92	116.9

Sr. No.	Category	Tarun				Total			
		(Loans from Rs. 5.00 to Rs. 10.00 Lakh)							
		No Of A/Cs	Sanctioned Amt	Disbursement Amt	Outstanding Amt	No Of A/Cs	Sanctioned Amt	Disbursement Amt	Outstanding Amt
1	SC	447	30.05	28	25.13	117193	345.09	326.25	248.97
2	ST	560	35.99	34.35	32.37	122544	370.84	328.88	261.75
Total		1007	66.04	62.35	57.5	239737	715.93	655.13	510.72

4.3 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा राज्य शासन/केंद्र शासन के सहयोग से निम्न योजनाएँ संचालित हैं :-

(1) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (6825) :-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना केन्द्र शासन/राज्य शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे दिनांक 18.03.2005 से पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। छ.ग. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शत प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण हेतु “राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना” के 10 वीं एवं 11 वीं योजना के अंतर्गत राज्य शासन एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड ने जिलेवार योजना बनाने से लेकर विद्युतीकरण तक के संपूर्ण कार्यों को संपादित करने हेतु केन्द्र शासन के तीन उपक्रमों यथा एन.एच.पी.सी., एन.टी.पी.सी. एवं पी.जी.सी.आई.एल. को अधिकृत किया गया है। योजनांतर्गत 90% राशि केन्द्र शासन द्वारा एवं 10% राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। पी.जी.सी.आई.एल. को सौंपे गये 04 जिलों में से नक्सली प्रभावित 02 जिले यथा बस्तर (जिला नारायणपुर सहित) एवं दंतेवाड़ा (जिला बीजापुर सहित) के विद्युतीकरण के कार्य उनके द्वारा नहीं किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त कोरिया एवं जशपुर जिले, जिनके कार्य क्रमशः पी.जी.सी.आई.एल. एवं एन.टी.पी.सी. द्वारा किये जाने थे, उनके कार्य भी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी को सौंपे गये हैं।

10 वीं एवं 11 वीं पंचवर्षीय योजना के बाद केन्द्र शासन ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नये कार्यों के 4 जिले यथा महासमुन्द, धमतरी, जांजगीर-चांपा एवं कोरबा को भी स्वीकृति प्रदान की।

राज्य में सभी पूर्ववर्ती 18 जिलों यथा कबीरधाम, दुर्ग, राजनांदगाँव, रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, कांकेर, रायगढ़, जांजगीर-चाँपा, कोरबा, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, जशपुर एवं कोरिया की योजनाएँ कुल रु 164668.10 लाख की स्वीकृत हो चुकी हैं। योजनान्तर्गत मार्च 2018 तक कुल रु 4996.70 लाख का व्यय किया जा चुका है। योजनान्तर्गत कवर्धा (फेस-1 एवं 2), दुर्ग (फेस-1 एवं 2), राजनांदगाँव, महासमुन्द, धमतरी, जांजगीर-चाँपा, कोरबा, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा एवं कांकेर जिले की योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं। शेष जिलों के कार्य प्रगति पर हैं।

वर्ष 2017-18 में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के 06 अविद्युतीकृत/डी-इलेक्ट्रिफाइड ग्रामों का विद्युतीकरण एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 1940 परिवारों को बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदाय किया गया जिसके किये गये कुल व्यय रु 1898.75 लाख हैं।

(2) कृषि पंपों का ऊर्जीकरण (6758) :-

राज्य गठन से पूर्व राज्य में मात्र 73369 कृषि पंप विद्यमान थे जबकि राज्य गठन के पश्चात मात्र 17 वर्षों की अवधि में दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में 332209 अतिरिक्त पम्प कनेक्शनों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में कुल 405578 ऊर्जीकृत कृषि पंप हो गये हैं। इस योजनांतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु रु 4910 लाख के प्रावधान के विरुद्ध रु 2250 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था। वर्ष 2017-18 में प्रदेश

में 18029 कृषि पम्पों का कार्यपूर्ण किया गया है जिसमें से अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लगभग 7800 कृषकों के पम्पों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है।

(3) 5 अश्व शक्ति तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय (7305) :-

राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से कृषक जीवन ज्योति योजना 02 अक्टूबर 2009 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत फ्लैट रेट पर विद्युत उपयोग का विकल्प नहीं चुनने वाले कृषकों हेतु प्रत्येक सामान्य श्रेणी के कृषक परिवार को 3 अश्वशक्ति तक के कृषि पंप पर 6000 यूनिट प्रति वर्ष तथा 3 से 5 अश्वशक्ति तक के कृषि पंप पर 7500 यूनिट प्रति वर्ष निःशुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा दी गई है। योजना का विस्तार करते हुए अस्थाई कृषि पम्पों हेतु 3 अश्वशक्ति तक के कृषि पंप पर 500 यूनिट प्रति माह तथा 3 से 5 अश्वशक्ति तक के कृषि पंप पर 625 यूनिट प्रति माह विद्युत खपत पर निःशुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कृषकों के लिये विद्युत खपत में छूट की उपरोक्त सीमा लागू नहीं है। कृषि उपभोक्ताओं को फ्लैट रेट पर विद्युत उपयोग का विकल्प भी दिया गया है जिसके लिये उन्हें रु 100 प्रति अश्वशक्ति प्रति माह का शुल्क देय होगा। फ्लैट रेट पर विद्युत उपयोग का विकल्प लेने वाले कृषकों को विद्युत खपत की कोई सीमा नहीं है। राज्य शासन द्वारा कृषकों को विद्युत शुल्क, स्थाई प्रभार, उपकर एवं मीटर किराया में छूट का लाभ दिया जा रहा है।

इस योजना में राज्य शासन द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु रु 2,17,166 लाख का प्रावधान किया गया है जिसमें इस योजनांतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु रु 72,768 लाख के प्रावधान के विरुद्ध रु 55,507 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था। राज्य शासन की उक्त योजना से प्रदक्ष के 5 लाख 17 हजार से अधिक कृषकों को लाभ मिल रहा है जिसमें से अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लगभग 1 लाख 29 हजार कृषक हैं।

(4) एकलबत्ती (बी.पी.एल.) कनेक्शनों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान (6501):-

राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिये गये विद्युत कनेक्शनों में 40 यूनिट प्रति कनेक्शन प्रति माह की दर से निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। इस योजनांतर्गत राज्य शासन के बजट में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु वर्ष 2017-18 में रु 18031 लाख के प्रावधान के विरुद्ध रु 15712 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ। वर्ष 2017-18 के अंत तक राज्य के अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लगभग 7,57,000 एकल बत्ती उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया गया। बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना के अंतर्गत एल.ई.डी. लैम्प प्राप्त होने के पश्चात् प्रतिमाह निःशुल्क विद्युत खपत की पात्रता को 40 यूनिट से घटाकर 30 यूनिट कर दिया जायेगा।

(5) शासकीय स्कूलों/अस्पतालों/आंगनवाड़ियों का विद्युतीकरण (8678) :-

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य के सभी शासकीय स्कूलों/अस्पतालों/आंगनवाड़ियों का विद्युतीकरण किया जाना है। इस बावत् वित्तीय सहायता राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2017-18 में लगभग 3728 शासकीय स्कूलों/अस्पतालों/आंगनवाड़ियों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किया गया।

(6) मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना (8548) :-

वर्ष 2011-12 से प्रदेश के नगर निगम अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के अधोसंरचना के सुदृढीकरण एवं शहर के गरीब तबके के लोगों को एकल बत्ती विद्युत कनेक्शन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु “मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना” प्रारम्भ की गई। योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का अनुमोदन जिलाधीश द्वारा किया जाता है। वर्तमान में नगरीय निकायों में सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण के कार्य लगातार चलाये जा रहे हैं जिसके कारण विद्युत लाईनों एवं उपकेन्द्रों (11/0.4 के०व्ही०) की शिफ्टिंग का कार्य आवश्यक है। योजना में प्रदेश के 13 नगर निगम क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

वर्ष 2017-18 में योजनान्तर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में रु 1800 लाख के प्रावधान के विरुद्ध रु 409 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था।

(7) मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना (8965) :-

वर्ष 2014-15 में अविद्युतीकृत मजरों/टोलों, जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना या अन्य किसी शासकीय योजना में शामिल नहीं हैं, को विद्युतीकृत करने हेतु मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत सांसद आदर्श ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना/मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत शामिल मजरों/टोलों के साथ अविद्युतीकृत बसाहटों का विद्युतीकरण एवं बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किया जाना है।

वर्ष 2017-18 में योजनान्तर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में रु 9500 लाख के प्रावधान के विरुद्ध रु 9500 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसमें से रु 8218.34 लाख राशि का उपयोग किया जाकर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में लगभग 1369 मजरों-टोलों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किया गया।

(8) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (7652) :-

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के ओ.एम. क्रमांक 44/44/2014-RE दिनांक 03.12.2014 के द्वारा “दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (D.D.U.G.J.Y.)” प्रारम्भ की गई है। भारत सरकार द्वारा नवीन योजना के लिये वित्तीय संरचना निम्नानुसार प्रस्तावित है-

- (i) भारत सरकार द्वारा अनुदान — योजना लागत का 60 प्रतिशत
- (ii) वितरण कम्पनी का योगदान — योजना लागत का 10 प्रतिशत
- (iii) वित्तीय संस्थाओं/बैंक से ऋण — योजना लागत का 30 प्रतिशत

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गैर कृषि पम्प उपभोक्ताओं को 24 घण्टे अबाधित एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय करने हेतु फीडर पृथक्करण का कार्य, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विद्युत भार एवं भविष्य में हो रही भार वृद्धि को देखते हुए वितरण प्रणाली का सुदृढ होना आवश्यक है ताकि वितरण हानि को नियंत्रित रखते हुए उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, निर्बाध एवं उचित दरों पर विद्युत प्रदाय किया जा सके। योजना में अविद्युतीकृत ग्राम/मजरा-टोला के कार्य भी शामिल हैं।

योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 के बजट में रु 6000 लाख का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2016-17 के बजट में रु 6501 लाख अनुमोदित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के 27 जिलों में

स्थित सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भारत सरकार की इस योजना की नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कुल रु 125712 लाख की परियोजना स्वीकृत की गई है।

वर्ष 2017-18 में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के 56 अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 38357 परिवारों को बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदाय किया गया जिसके किये गये कुल व्यय रु 1494.87 लाख हैं।

(9) एकीकृत विद्युत विकास योजना (7655) :-

भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के ओ.एम. क्रमांक 26/1/2014-APDRP दिनांक 03.12.2014 के द्वारा **“एकीकृत विद्युत विकास योजना (I.P.D.S.)”** प्रारम्भ की गई है। भारत सरकार द्वारा नवीन योजना के लिये वित्तीय संरचना निम्नानुसार प्रस्तावित है—

- (i) भारत सरकार द्वारा अनुदान — योजना लागत का 60 प्रतिशत
- (ii) वितरण कम्पनी का योगदान — योजना लागत का 10 प्रतिशत
- (iii) वित्तीय संस्थाओं/बैंक से ऋण — योजना लागत का 30 प्रतिशत

इस योजना के अन्तर्गत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, सोलर पैनल की स्थापना, वितरण ट्रान्सफार्मर/11 के. व्ही. फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग, वितरण सेक्टर में आई. टी. उपयोग को समर्थकारी बनाने के कार्य किये जाने हैं। प्रदेश में स्थापित विद्युत भार एवं भविष्य में हो रही भार वृद्धि को देखते हुए वितरण प्रणाली का सुदृढ़ होना आवश्यक है ताकि वितरण हानि को नियंत्रित रखते हुए उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, निर्बाध एवं उचित दरों पर विद्युत प्रदाय किया जा सके।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी के 18 संचारण/संधारण वृत्तों के अंतर्गत चयनित 182 वैधानिक शहर/जनगणना शहर के लिये भारत सरकार की इस योजना की नोडल एजेंसी पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा कुल रु 48906 लाख की परियोजना स्वीकृत की गई है। वर्ष 2015-16 के बजट में रु 6000 लाख का प्रावधान राज्य शासन द्वारा किया गया था।

(10) मुख्यमंत्री एल.ई.डी. लैम्प वितरण योजना :-

राज्य में बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. विद्युत उपभोक्ताओं को एल.ई.डी. लैम्प वितरण योजना का क्रियान्वयन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (ई.ई.एस.एल.) द्वारा छ. स्टेट पा.डि.कं. लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है। राज्य में वर्तमान में लगभग 15 लाख बी.पी.एल. तथा लगभग 21 लाख ए.पी.एल. उपभोक्ता हैं जो इस योजना से लाभान्वित होंगे। एल.ई.डी. लैम्प वितरण योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्रीजी, छ.ग. शासन द्वारा दिनांक 13 मार्च 2016 को जिला राजनांदगांव से किया गया। प्रारंभ में योजना के क्रियान्वयन की अवधि एक वर्ष थी जिसे अक्टूबर 2017 तक बढ़ाया गया। योजना के प्रारंभ में एल.ई.डी. बल्बों की दर नगद भुगतान पर रु 85 तथा मासिक किष्टों में रु 90 प्रति लैम्प थी जो दिनांक 01.12.2016 से घटकर रु 65 हो गयी है। वर्तमान में दिनांक 30.05.2018 तक राज्य में कुल 21,46,974 उपभोक्ताओं को कुल 80,79,206 एल.ई.डी. लैम्पों का वितरण किया जा चुका है।

- योजना का क्रियान्वयन जिलेवार चरणों में किया जाना है। योजना के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले 09 वाट् एल.ई.डी. लैम्प की न्यूनतम गारंटी 03 वर्ष के लिए रहेगी। एल.ई.डी. लैम्प में तकनीकी खराबी अथवा पयूज होने की स्थिति में ई.ई.एस.एल. द्वारा वितरण के पश्चात् 03 वर्ष की अवधि में निःशुल्क बदला जायेगा।
- **बी.पी.एल. उपभोक्ता** – छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के पात्र बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को 03 एल.ई.डी. लैम्प का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है। इसके अलावा बी.पी.एल. उपभोक्ता अतिरिक्त 05 एल.ई.डी. लैम्प नगद भुगतान कर भी प्राप्त कर सकते हैं। बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना के अंतर्गत एल.ई.डी. लैम्प प्राप्त होने के पश्चात् प्रतिमाह निःशुल्क विद्युत खपत की पात्रता को 40 यूनिट से घटाकर 30 यूनिट कर दिया जायेगा।
- **ए.पी.एल. उपभोक्ता** – छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के पात्र ए.पी.एल. उपभोक्ता 05 नग एल.ई.डी. लैम्प एक मुश्त नगद भुगतान कर अथवा मासिक भुगतान योजना के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं जिसमें रु 10 प्रति लैम्प की दर से लैम्प प्राप्त करते समय तथा शेष राशि का भुगतान रु 10 प्रति लैम्प की दर से आगामी मासिक किश्तों में करना होगा। इसके अलावा ए.पी.एल. उपभोक्ता अतिरिक्त 05 एल.ई.डी. लैम्प नगद भुगतान कर प्राप्त कर भी सकते हैं।
- **वाणिज्यिक उपभोक्ता** – वाणिज्यिक उपभोक्ता रु 85 प्रति लैम्प की दर से नगद भुगतान कर 20 नग एल.ई.डी. लैम्प प्राप्त कर सकते हैं।
- योजना के अंतर्गत सभी हितग्राहियों को उनके नाम से जारी मासिक विद्युत बिल के साथ फोटोयुक्त परिचय पत्र (जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक) प्रस्तुत करने पर पात्रता अनुसार एल.ई.डी. लैम्प प्रदाय किया जायेगा।



4.4 छ.ग. राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), ऊर्जा विभाग

विभागीय संरचना

- 1.1 ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों को प्रदेश में बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन छ.ग. राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) का गठन 23 मई, 2001 में सोसायटी अधिनियम के तहत किया गया।
- 1.2 वर्तमान में क्रेडा के प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त 07 क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, राजनांदगांव, धमतरी एवं रायगढ़ में हैं। इनके अलावा सभी जिलों में जिला कार्यालय संचालित हैं।

प्रशासनिक ढाँचा :-

- 1.3 क्रेडा में प्रधान कार्यालय स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय प्रमुख होते हैं, जिनके अधीनस्थ तकनीकी शाखा, वित्त शाखा एवं प्रशासन शाखाएँ होती हैं। तकनीकी शाखा में मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, कार्यपालन अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, उप अभियन्ता एवं मैकेनिक होते हैं। वित्त शाखा में नियंत्रक वित्त एवं लेखा, लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, कनिष्ठ लेखा अधिकारी तथा लेखा सहायक होते हैं। अन्य समस्त पद प्रशासन शाखा के अन्तर्गत होते हैं।
- 1.4 क्षेत्रीय कार्यालयों को 04 जोनल कार्यालयों के अंतर्गत विभाजित किया गया है, जिनके प्रमुख अधीक्षण अभियन्ता होते हैं। अधीक्षण अभियन्ता संबंधित जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय व जिला कार्यालयों के अंतर्गत संचालित क्रेडा की परियोजनाओं के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन का कार्य करते हैं तथा प्रधान, क्षेत्रीय व जिला कार्यालयों के मध्य सेतु की भूमिका अदा करते हैं।
- 1.5 क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यपालन अभियन्ता कार्यालय प्रमुख होते हैं, जो उनके अधीनस्थ जिला कार्यालयों के नियंत्रक अधिकारी होते हैं। जिला कार्यालयों के प्रमुख सहायक अभियन्ता होते हैं।

1.6 अधिकारीगण :-

क्रेडा का राज्य शासन द्वारा स्वीकृत सेट-अप, उसके विरुद्ध कार्यरत् एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत् पद	रिक्त पद
1	निदेशक/अधीक्षण अभियन्ता	2	2	0
2	अति.निदेशक/कार्यपालन अभियन्ता	9	9	0
3	लेखा अधिकारी	1	1	0
4	सहायक अभियन्ता	33	33	0
5	सहायक लेखा अधिकारी	6	6	0
6	सहायक प्रशासकीय अधिकारी	1	1	0
	कुल योग-	52	52	0

1.7 कर्मचारीगण :-

1	निज सचिव	1	1	0
2	निज सहायक	1	1	0
3	उप अभियन्ता	30	29	1
4	तकनीकी सहायक	1	1	0
5	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	1	1	0
6	कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी	1	1	0
7	सहायक	5	5	0
8	सहायक ग्रेड-2	1	1	0
9	लेखा सहायक	7	7	0
10	स्टेनोग्राफर	2	2	0
11	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5	5	0
12	पार्क प्रबंधक	1	1	0
13	मैकेनिक / इलेक्ट्रिशियन	35	35	0
14	कनिष्ठ सहायक / स्टेनो-टाईपिस्ट	42	42	0
15	वाहन चालक	29	29	0
16	टिकिट वितरक	1	1	0
17	प्रदर्शक	3	3	0
	कुल योग-	166	165	1

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण :-

1	हेल्पर / भृत्य / चौकीदार	59	59	0
2	सफाई कर्मी	2	2	0
	कुल योग-	61	61	0
	महायोग-	279	278	1

नोट:- स्वीकृत पदों की वास्तविक संख्या राज्य शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के अधधीन है।

1.8 प्रशिक्षण :-

- (क) क्रेडा द्वारा वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्रीजी कौशल विकास योजना अंतर्गत जिला जॉजगीर-चांपा में 30 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।
- (ख) क्रेडा द्वारा ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्रों के संचालन-संधारण संबंधित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कलस्टर टेक्नीशियन एवं क्रेडा के मैकेनिक, उप अभियन्ता कुल 429 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- (ग) क्रेडा द्वारा आयोजित सौर संयंत्रों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय एवं जिला स्तर पर समय-समय पर आयोजित किए गए हैं।
- (घ) रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, भिलाई एवं दुर्ग शहरों में इनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड (ई.सी.बी.सी.) से संबंधित 36 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें कुल 1207 प्रशिक्षणार्थियों (आर्किटेक्ट, छात्र एवं इंजीनियर) को प्रशिक्षण दिया गया।

- (ड.) क्रेडा द्वारा बायोगैस संयंत्रों के निर्माण हेतु जिला धमतरी, जांजगीर-चांपा एवं बलरामपुर में 01-01मेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 30 मेशनों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- (च) छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में 03 दिवसीय Climate Changen and its Impat विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु 01 अधिकारी ने क्रेडा की ओर से प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- (छ) मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर में डिजिटल पेमेन्ट पद्धति से होने वाले ट्रांजेक्शन को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु क्रेडा की ओर से 04 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

1.9 राजस्व :-

क्रेडा एक सेवा संस्था है तथा इसके गठन के उद्देश्यों के तहत राजस्व संग्रहण का कार्य सम्मिलित नहीं होने के कारण इस संबंध में जानकारी निरंक है।

1.10 अपारम्परिक ऊर्जा से विद्युत उत्पादन :-

अब तक प्रदेश में अपारम्परिक ऊर्जा से 31.05.2018 तक कुल 674.751 मेगावॉट विद्युत उत्पादन क्षमता (Off Grid+Grid) के संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, जिससे प्रतिवर्ष हजारों टन कोयले की बचत हो रही है। पर्यावरण की दृष्टि से भी लाखों टन व अन्य प्रदूषित गैसों की कमी हो रही है।

1.11 ऑडिट :-

महालेखाकार (छ.ग.) द्वारा क्रेडा का वर्ष 2016-17 तक का ऑडिट किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सभी कार्यालयों का नियमित रूप से आंतरिक अंकेक्षण किये जाने की व्यवस्था है।

भाग-दो :-

बजट प्रावधान एवं व्यय

(राशि रुपए करोड़ में)

क्र.	मद का नाम	मुख्य शीर्ष योजना क्रमांक	बजट प्रावधान 2017-18	31.03.18 तक विमुक्त राशि	वास्तविक व्यय 01.04.2017 से 31.03.2018 तक
1	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना	4810-7652	37.16	15.30	15.30
2	राज्य के अविद्युतीकृत ग्रामीण मजरा-टोला/बसाहटों में विद्युतीकरण	4810-8965	50.63	12.63	10.63
3	प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना	4810-7897	25.00	25.00	0.00
	सोलर पेयजल हेतु सहायक	4810-7693	20.00	20.00	461.62

4	अनुदान				
	सौर सुजला योजना (राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित)		200.00	200.00	
	सौर सुजला योजना (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित)		500.77	500.391	
5	सौर ऊर्जा आधारित विभिन्न योजनाओं, जैसे-रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट हेतु सहायक अनुदान	2810-7694	21.10	21.095	13.72
6	ग्रामीण ऊर्जा को अनुदान	2810-5415	2.80	1.12	0.00
7	ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता कार्यक्रम	2810-6785	2.50	2.00	0.55
8	विद्यमान संयंत्रों की क्षमता का उन्नयन और नियमित रखरखाव व संचालन	2810-7695	10.00	10.00	10.00
9	सौर ऊर्जा को छोड़कर अन्य गैर पारम्परिक स्रोतों के प्रोत्साहन हेतु अनुदान	2810-7696	1.50	0.60	0.42
10	बायो इनर्जी आधारित कार्यक्रम	2810-7697	2.00	0.80	0.26
11	ऊर्जा शिक्षा उद्यान (संचालन एवं संधारण)	2810-7698	2.00	2.00	2.00
12	छ.ग. राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी हेतु स्थापना अनुदान	2810-3188	12.00	12.00	12.00
	कुल योग-	----	887.46	822.936	526.50

भाग-तीन :-

वर्ष 2017-18 के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण

- 1- **सौर सुजला योजना:-**प्रदेश के विद्युत पहुंचविहीन क्षेत्रों के कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजन से राज्य शासन द्वारा सौर सुजला योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सोलर पंप के उपयोग से राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ भू-जल के संरक्षण एवं संवर्धन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। योजना अंतर्गत हितग्राही का चयन कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा। कृषि विभाग में बोरवेल/पम्प अनुदान हेतु संचालित विभिन्न योजना में चयनित हितग्राहियों को सौर सुजला योजना के लाभ की पात्रता रहेगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 14320 नग सौर पम्प का लक्ष्य रखा गया है।

- 2— **सोलर पेयजल व्यवस्था:**—क्रेडा द्वारा राज्य में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था एवं स्वच्छता हेतु वृहद् स्तर पर सोलर ड्यूल पंप, जिन्हें सामान्य भाषा में सोलर हैण्ड पंप भी कहा जाता है, की स्थापना की गई है। इसके तहत ग्राम के पूर्व से स्थापित सार्वजनिक बोर में सौर ऊर्जा चलित सबमर्सिबल पंप की स्थापना की जाती है तथा इसमें से जल का उद्वहन कर ओवर हैड वाटर टैंक में जल संग्रहण किया जाता है। इसी तारतम्य में राज्य के ग्रामों में पेयजल सुविधा एवं स्वच्छता उपलब्ध कराये जाने की दृष्टिसे सोलर ड्यूल पंपों की स्थापना किया जाना है।
- 3— **राज्य के अविद्युतीकृत ग्रामीण मजरा-टोला/बसाहटों में विद्युतीकरण:**—विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार मार्च, 2019 तक समस्त अविद्युतीकृत मजरे- टोलों/बसाहटों का विद्युतीकरण किया जाना है। राज्य के कई ऐसे मजरे-टोले हैं, जहाँ के निवासरत् ग्रामीण बिजली न होने के कारण भौतिक सुख-सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे मजरे-टोलों को आज भी न तो परम्परागत बिजली से और न ही सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत किया जा सका है। प्रस्तावित योजना के तहत राज्य शासन द्वारा ऐसे सभी घरों को विद्युतीकृत किये जाने का लक्ष्य है।
- 4— **ग्रामीण ऊर्जा को अनुदान:**—केन्द्र प्रायोजित विद्युतीकरण योजना (डी.डी.जी.) के अंतर्गत आने वाले ग्रामों को छोड़कर, छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में अनेक ग्राम/बसाहट अभी भी अविद्युतीकृत हैं। इन ग्रामों को सौर होम लाईट के माध्यम सेसौभाग्य योजनांतर्गत विद्युतीकृत किया जाना है।
- 5— **सौर ऊर्जा आधारित विभिन्न योजनायें:**—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्र, शैक्षणिक संस्थान, पुलिस थाना एवं बेस कैम्प, जेल, होम लाईट, स्ट्रीट लाईट, औद्योगिक संस्थाएं, रूफ टॉप, व्यावसायिक संस्थान, वन विभाग के चैकपोस्ट, विश्रामगृह, पर्यटन स्थल, शासकीय भवनों आदि में सोलर पावर प्लाण्ट, सौर गर्म जल संयंत्र एवं सोलर कुकिंग सिस्टम की स्थापना का कार्य किया जाता है। सौर ऊर्जा संयंत्र विद्युत व्यवस्था में अवरोध से बचाव में सहायक हैं। ऐसे पहुँचविहीन दूरस्थ स्थल जहाँ पर परम्परागत विधि से विद्युतीकरण करने में लागत अधिक होती है, उन स्थलों में छोटे-छोटे सौर संयंत्र घर/भवन आदि में स्थापित कर विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।
- 6— **ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता कार्यक्रम:**— ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 के अंतर्गत नामित एजेन्सी के रूप में ऊर्जा संरक्षण के प्रोत्साहन हेतु प्रचार-प्रसार तथा शासकीय/निजी भवनो, नगरीय निकायों में, ऊर्जा संरक्षण पर कार्यशाला कार्यक्रम, छात्रों हेतु ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम, शासकीय अमले हेतु ऊर्जा संरक्षण कार्यशाला ई.सी.बी.सी. कार्यक्रम, कृषि के क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम वाणिज्यिक, संस्थानों में ऊर्जा अंकेक्षण का कार्य और ऊर्जा दक्ष लाईटों की स्थापना/प्रोत्साहन का कार्य किया जाता है।
- 7— **विद्यमान संयंत्रों की क्षमता का उन्नयन:**—क्रेडा द्वारा प्रदेश में अब तक हजारों की संख्या में सौर संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है तथा सौर संयंत्रों की स्थापना का कार्य निरन्तर जारी है। स्थापित किये जाने वाले सभी सौर संयंत्रों के वार्षिक रखरखाव, संचालन एवं

संधारण हेतु क्लस्टर तकनीशियन (मय हेल्पर व प्लांट ऑपरेटर्स) इकाईयों को अनुबंधित किया जाता है तथा सौर संयंत्रों, इन्वर्टर, बैट्रीज, सोलर पम्प, कन्ट्रोलर्स, सोलर मॉड्यूल्स आदि भी लगातार खराब तथा क्षतिग्रस्त होते रहते हैं। इन जनोपयोगी सौर संयंत्रों को लगातार कार्यशील रखे जाने हेतु रख-रखाव, संचालन एवं संधारण क्रेडा द्वारा किया जा रहा है।

- 8— **बायो एनर्जी आधारित कार्यक्रम:**—इस योजना के अंतर्गत घरेलू बायोगैस संयंत्र, उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, बायोमास गैसीफायर एवं बायोमास गैसीफायर कुक स्टोव एवं संस्थागत/सामुदायिक बायोगैस संयंत्र की स्थापना किया जाता है।
- 9— **सौर ऊर्जा को छोड़कर अन्य गैर पारम्परिक स्रोत आधारित कार्यक्रम:**— क्रेडा द्वारा प्रदेश में सौर गर्म जल संयंत्र, सौर तापीय तकनीक पर आधारित संयंत्र, सौर तापीय तकनीक पर आधारित सोलर कुकर एवं लघु जल विद्युत का कार्य किया जाता है।
- 10— **ऊर्जा शिक्षा उद्यान:**—क्रेडा द्वारा रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, एवं कोटमीसोनार (जांजगीर-चांपा) में आम जनता एवं बच्चों के मनोरंजन सह शिक्षा के उद्देश्य से 06 ऊर्जा शिक्षा उद्यानों की स्थापना की गई है। इन सभी उद्यानों में पारंपरिक तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के तकनीकी ज्ञान हेतु विभिन्न प्रदर्शन मॉडल्स एवं मनोरंजन हेतु विभिन्न क्रीडा उपकरणों के साथ-साथ सुन्दर झरने, फव्वारे एवं कला विधिकाओं के माध्यम से मनोरंजन एवं शिक्षा दी जा रही है।

भाग-चार :-

कम्प्यूटरीकरण

क्रेडा के सभी कार्यालयों का कम्प्यूटराईजेशन किया जा चुका है तथा सभी कार्यालयों में कम्प्यूटर के माध्यम से ही कार्य सम्पादित किया जा रहा है। क्रेडा द्वारा अपनी एक वेबसाइट <http://creda.cgstate.gov.in> भी प्रसारित की गई है, जिसमें क्रेडा द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली समस्त निविदायें, महत्वपूर्ण परिपत्र व सूचनायें आदि उपलब्ध हैं।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत क्रेडा की एक सेवा 'परिवारमूलक बायोगैस संयंत्रों के निर्माण हेतु अनुदान की स्वीकृति' को शामिल किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक 1496 आवेदन प्राप्त हुए। इन सभी 1496 आवेदनों का निराकरण निर्धारित समयसीमा में किया जा चुका है, कोई भी आवेदन निराकरण हेतु शेष नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रधान कार्यालय रायपुर तथा प्रदेश के सभी क्षेत्रीय व जिला कार्यालयों में जनसूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी जनसूचना की नियुक्ति की गई है। अवधि 01.01.2018 से 31.06.2018 तक क्रेडा में कुल 21 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 20 आवेदन पत्रों का निराकरण कर लिया गया है तथा 01 आवेदन पत्र निराकरण हेतु शेष है।

4.5 पशु चिकित्सा सेवायें

छत्तीसगढ़ राज्य के 146 विकासखंडों में 85 विकासखंड अनुसूचित विकासखंड एवं 03 विकासखंड बैगा प्री-मेट्रीव अंतर्गत आते हैं। इन आदिवासी बाहुल्य विकासखंडों में निवासरत अनुसूचित जनजाति के परिवारों के उन्नत जीवन यापन के लिए विभाग द्वारा उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

राष्ट्रीय जनगणना 2011 प्रदेश में कुल 56.50 लाख परिवार संख्या (House Hold) है, जिसके अंतर्गत कुल 29.72 लाख परिवार (56.60%) पशु पालन का कार्य करते हैं। इसमें से कुल 6.29 लाख (21.03%) परिवार भेड़, बकरी, पालन एवं 0.92 लाख (3.08%) परिवार सूकर पालन करते हैं। उक्त श्रेणी के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए विभाग द्वारा भेड़-बकरियों में फैलने वाले रोग पी.पी.आर. के विरुद्ध एवं सूकरों में होने वाले रोग स्वाइन फीवर के विरुद्ध सघन प्रतिबंधात्मक टीकाकरण प्रतिवर्ष निष्पादित किया जा रहा है, भेड़, बकरियों एवं सूकरों की मृत्यु दर में कमी आयी है। अनुसूचित जन जाति वर्ग के पशुपालकों का निम्नानुसार विभागीय योजनाओं अंतर्गत वर्ष 2017-18 में लाभान्वित किया गया है—

(1) बैकयार्ड कुक्कुट इकाई:—

योजना अंतर्गत प्रत्येक चयनित आदिवासी परिवार को 28 दिवसीय 45 रंगीन चूजे दाना सहित 90 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है। चयनित आदिवासी परिवार को लगभग 31400.00 सालाना आय संभावित है। योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में राशि रु. 240.00 लाख का अनुदान दिया जाकर 8888 आदिवासी परिवारों को लाभान्वित किया गया।



(2) सूकरत्रयी वितरण योजना

योजना अंतर्गत 90 प्रतिशत अनुदान पर आदिवासी परिवारों को 01 नर एवं 02 मादा उन्नत नस्ल के सूकर प्रदाय किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में राशि रु. 103.00 लाख अनुदान के रूप में व्यय की जाकर 1153 आदिवासी परिवारों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना से प्रत्येक परिवार को औसतन रु. 24000.00 की सालाना आय होती है।



(3) शत प्रतिशत अनुदान पर सांडों का प्रदाय:-

नस्ल सुधार का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाना है। योजनांतर्गत शत प्रतिशत अनुदान पर सांडों के प्रदाय योजना अंतर्गत नस्ल सुधार हेतु ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन्नत नस्ल के सांडों को प्रदाय किया जाता है। वित्तीय वर्ष में 192 सांड वितरित किया गया है एवं राशि रु. 44.00 लाख अनुदान के रूप में व्यय हुई है।



(4) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत पी.पी.आर. के रोकथाम हेतु कार्यक्रम :-

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में राशि रु. 1540.00 लाख व्यय किया गया है। आदिवासी बाहुल्य जिलों में बकरी प्रजाति में होने वाले संक्रामक रोग पी.पी.आर. के रोकथाम हेतु सुनियोजित कार्यक्रम चलाया जा रहा है।



(5) राज्य पोषित योजनांतर्गत डेयरी उद्यमिता विकास योजना :-

राज्य पोषित योजनांतर्गत डेयरी उद्यमिता विकास योजना हेतु राज्य शासन द्वारा 66.6 % अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष में डेयरी की 67 इकाई हेतु राशि रू. 374.00 लाख अनुदान वितरित किया गया है।



4.6 कृषि

कृषि विभाग द्वारा विभिन्न राज्य पोषित, एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना क्रियान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना में कुल 110887.39 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ, जिसके विरुद्ध 105186.98 लाख (95%) व्यय किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति उपयोजना में कुल 35483.41 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ, जिसके विरुद्ध 32722.39 लाख (92%) व्यय किया गया है।

राज्य पोषित योजना :-

जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों को प्रोत्साहन :-

इस योजनान्तर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के शिविरार्थियों कृषकों के खेतों में निःशुल्क धान/मक्का बीज वितरण एवं निःशुल्क ट्रेक्टर जुताई करायी जाती है। यह योजना नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर जिलों में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजनान्तर्गत 1360 विव. धान/मक्का बीज वितरण किया जाकर 1520 एकड़ में निःशुल्क ट्रेक्टर जुताई कर 5503 कृषकों को लाभान्वित किया गया। योजनान्तर्गत राशि रु. 53.90 लाख व्यय किया गया।

कृषक समग्र विकास योजना :-

(अ) अक्ती बीज संवर्धन योजना :- इस योजनान्तर्गत कृषकों को धान के आधार/प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिये रु. 500/- प्रति क्विं. एवं वितरण पर रु. 500/- प्रति क्विं. तथा तिलहन फसल के बीज उत्पादन/वितरण पर रु. 1000/- क्विं. अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति अंतर्गत निम्नानुसार प्रगति हुई।



क्र.	घटक	अनुसूचित जनजाति वर्ग		अनुसूचित जनजाति वर्ग	
		भौतिक पूर्ति	लाभान्वित कृषक संख्या	भौतिक पूर्ति	लाभान्वित कृषक संख्या
1	प्रमाणित बीज वितरण (क्वि. में)	232270	124204	16619	19612
2	बीज उत्पादन (क्वि. में)	164318		87838	

(ब) रामतिल विकास योजना :- राज्य में रामतिल के उत्पादन के वृद्धि के लिये आधार/ब्रीड सीड, उर्वरक, प्रदर्शन एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। यह योजना आदिवासी बाहुल्य जिलें जगदलपुर, कोंडागाँव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कॉंकेर जशपुर, सूरजपुर, सरगुजा एवं बलरामपुर जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत 6216 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

इस प्रकार उक्तानुसार कृषक समग्र विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में क्रमशः 2987.85 लाख तथा 592.88 लाख व्यय किया गया।

फसल प्रदर्शन :-

विभिन्न प्रकार के धान फसल के प्रदर्शन हेतु राज्य शासन द्वारा श्री विधि के क्षेत्र विस्तार से धान की उत्पादकतावर्धन योजना, ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन एवं द्विफसलीय क्षेत्र बढ़ाने हेतु फसल प्रदर्शन कार्यक्रम योजना क्रियान्वित है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में फसल प्रदर्शन योजना अंतर्गत निम्नानुसार हुई है।



क्र.	योजना का नाम	अनुसूचित जनजाति वर्ग		अनुसूचित जनजाति वर्ग	
		भौतिक पूर्ति	लाभान्वित कृषक संख्या	भौतिक पूर्ति	लाभान्वित कृषक संख्या
1	श्री विधि के क्षेत्र विस्तार से धान की उत्पादकतावर्धन (हेक्ट. में)	3499	8843	1267	3198
2	ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन (हेक्ट. में)	12669	15268	3627	3933
3	द्विफसलीय क्षेत्र बढ़ाने हेतु फसल प्रदर्शन कार्यक्रम (हेक्ट. में)	6691	8108	2638	3018

वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपरोक्त तीनों राज्य पोषित योजनाओं में अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में क्रमशः 1085.20 लाख तथा 342.01 लाख व्यय किया गया।

जैविक खेती मिशन :-

प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु राज्य पोषित जैविक खेती मिशन योजना का शुभारंभ वर्ष 2013-14 में किया गया। योजनान्तर्गत प्रथम चरण में 5 जिलों रायपुर, बालोद, रायगढ़, कोरिया तथा दंतेवाड़ा के कलस्टरों में चयनित कृषकों द्वारा जैविक खेती की गयी थी। वर्ष 2015-16 से प्रदेश के समस्त 27 जिलों में जैविक खेती मिशन संचालित किया जा रहा है।



वर्ष 2016-17 में राज्य के 5 जिलों क्रमशः गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर को पूर्ण जैविक जिला एवं शेष 23 जिलों के एक-एक विकासखंड को पूर्ण जैविक बनाने हेतु कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। राज्य पोषित जैविक खेती मिशन अंतर्गत वर्ष 2017-18 में जैविक कृषि तकनीकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र एवं अनुसूचित जाति में फसल प्रदर्शन का आयोजन क्रमशः 5328 एवं 1998 एकड़ में किया गया। योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 8376 कृषक तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 3154 कृषकों को लाभान्वित किया जाकर क्रमशः 903.16 लाख तथा 112.02 लाख व्यय किया गया।

सुनिश्चित सिंचाई विस्तार :-

विभाग द्वारा सुनिश्चित सिंचाई विस्तार हेतु शाकम्भरी, किसान समृद्धि योजना लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना क्रियान्वित की जा रही है। शाकम्भरी योजना में 0.5 से 5 हार्स पॉवर तक विद्युत तथा ओपन वेल सबमर्सिबल पम्प एवं डीजल पम्प क्रय करने पर 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 16875/- अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

किसान समृद्धि योजनान्तर्गत नलकूप खनन एवं पम्प प्रतिस्थान पर अजजा./अजा. वर्ग के कृषकों को रु. 43000/- अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

लघुत्तम सिंचाई तालाब योजनान्तर्गत 40 हेक्ट. तक सिंचाई क्षमता के तालाब निर्माण किये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति उपयोजना निम्नानुसार प्रगति हुई।



क्र.	योजना का नाम	अनुसूचित जनजाति वर्ग		अनुसूचित जनजाति वर्ग	
		भौतिक पूर्ति	लाभान्वित कृषक संख्या	भौतिक पूर्ति	लाभान्वित कृषक संख्या
1	शाकम्भरी योजना में डीजल एवं विद्युत पम्प एवं कूप निर्माण	3431	3431	328	328
2	किसान समृद्धि योजना	1868	1868	136	136
3	माईक्रोमाईनर सिंचाई योजना	32 पूर्ण 24 निर्माणाधीन	1041	4 पूर्ण 8 निर्माणाधीन	234

वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपरोक्त तीनों राज्य पोषित योजनाओं में अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में क्रमशः 1930.31 लाख तथा 430.13 लाख व्यय किया गया।

कृषि श्रमिकों के दक्षता उन्नयन योजना :-

कृषि कार्य में संलग्न मजदूरों को अन्य कार्यों की तुलना में श्रम एवं समय देना होता है। जिससे उनके आर्थिक स्थिति सबल नहीं हो पाती है एवं सीमित संख्या में मजदूरों के उपलब्धता के कारण कृषि कार्यों में भी विलम्ब होता है। मजदूरों के कार्य को सरल बनाने के लिये वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये कृषि कार्य हेतु उपयोगी कृषि यंत्र किट, जिसकी लगभग कीमत रु. 42000/- कृषि मजदूरों को निःशुल्क प्रदाय की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 458 कृषक समूह एवं अनुसूचित जाति वर्ग 134 कृषक समूह को किट वितरित कर क्रमशः राशि रु. 206.53 लाख तथा राशि रु. 62.80 लाख व्यय किया गया।

कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना :-

उन्नत कृषि मशीनों/यंत्रों से कृषि कार्य को प्रोत्साहन तथा आर्थिक रूप से पिछड़े कृषक, जो प्रत्येक कार्य हेतु समर्थ नहीं हैं उन्हें किराये पर उन्नत कृषि मशीनें/यंत्र उपलब्ध कराने, निजी क्षेत्र में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा एवं ग्रामीण स्तर पर कृषकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रावधान है। इस योजना में उपयोजना क्षेत्र के आवेदक को न्यूनतम राशि रु. 25 लाख अथवा 15 लाख के कृषि उपकरण/मशीन क्रय पर राशि रु. 10 लाख अथवा 7.50 लाख क्रेडिट लिंकड बैंक इंडेन्ड सब्सिडी के रूप में देय है। वर्ष 2017-18 में योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 66 कृषकों को लाभान्वित कर राशि रु. 561.00 लाख तथा अनुसूचित जाति उपयोजना में 18 कृषकों को लाभान्वित कर राशि रु. 174.75 लाख व्यय किया गया।



केन्द्र प्रवर्तित- नेशनल मिशन ऑन आईलसीड्स एंड आयलपाम योजना :-

योजनान्तर्गत तिलहनी फसलों के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये कृषकों को प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण, पौध संरक्षण औषधि, पौध संरक्षण यंत्र, नीदानाशक, सिंचाई पाईप वितरण आदि घटकों पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 11248 कृषकों को लाभान्वित कर 90.27 लाख तथा अनुसूचित जाति उपयोजना में 4956 कृषकों को लाभान्वित कर 29.16 लाख व्यय किया गया।



केन्द्र प्रवर्तित –सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल योजना :-

योजनान्तर्गत कृषकों को एक एकड़ के लिये अनाज फसलो के आधार/प्रमाणित बीज वितरण पर 50 प्रतिशत एवं दलहन/तिलहन तथा चारा फसलों के लिये 60 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों को प्रदाय किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 60324 कृषकों को 16673.78 किं. तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 14342 कृषकों को 6252.067 किं. आधार/प्रमाणित बीज वितरण किया जाकर क्रमशः राशि रु. 256.90 लाख एवं 80.93 लाख व्यय किया गया।

केन्द्र प्रवर्तित कृषि यंत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान :-

राज्य में कृषि यंत्रिकीकरण को प्रोत्साहन देने हेतु तथा कृषकों को यंत्रिकीकरण खेती के लाभ से परिचित कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से कृषि यंत्रिकीकरण सबमिशन अंतर्गत कम्पोनेट क्रमांक-3 के तहत ट्रेक्टर, पावर टिलर, स्वचलित एवं शक्ति चलित यंत्रों पर 25 से 50 प्रतिशत तक अनुदान देय है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कृषि यंत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 7986 कृषकों एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में 1221 कृषकों को लाभान्वित किया गया। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्रमशः 488.30 लाख तथा 63.50 लाख व्यय किया गया।



केन्द्र प्रवर्तित –राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :-

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्थानीय आवश्यकताएँ, फसलों एवं जरूरतों को प्राथमिकता, फसलों के उत्पादकता वृद्धि हेतु उन्नत कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना तथा वृहद प्रदर्शन के माध्यम से कृषि तकनीकों को कृषकों तक पहुँचाना। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 86491 कृषकों एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में 27313 कृषकों को लाभान्वित कर क्रमशः 2041.71 लाख तथा 399.62 लाख व्यय किया गया।

केन्द्र प्रवर्तित –राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति):- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति) योजनान्तर्गत कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, अधोसंरचना विकास एवं समग्र विकास हेतु अन्य गतिविधियों का क्रियान्वयन वृहद प्रदर्शन के माध्यम से कृषि तकनीकों को कृषकों तक पहुंचाना।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 114479 कृषकों एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में 36151 कृषकों को लाभान्वित कर क्रमशः 3986.01 लाख तथा 1097.49 लाख व्यय किया गया।



केन्द्र प्रवर्तित-स्वायल हेल्थ मनेजमेंट योजना:-

स्वायल हेल्थ मनेजमेंट योजनान्तर्गत राज्य के समस्त कृषकों को उनके खेतों की उर्वरता की जानकारी प्रदान करने हेतु प्रत्येक दो वर्ष में स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण किया जाना है। जिस हेतु सिंचित रकबे में 2.5 हेक्टेयर का ग्रीड व असिंचित रकबे में 10 हेक्टेयर ग्रीड लेकर मृदा नमूना लिया जाता है। वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 146098 नमूना विश्लेषण कर 777292 कृषकों को स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण किया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति उपयोजना में 63309 नमूना विश्लेषित कर 336826 कृषकों को स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण किया गया।



परम्परागत कृषि विकास योजना :-

राज्य में प्रमाणित जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये इस योजना के तहत कलस्टर में जैविक ग्रामों के अंगीकरण एवं सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली (PGS Certification) के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण कार्य किया जा रहा है, इसके अंतर्गत राज्य के छः जिले सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर नगर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा एवं कोरबा में कृषि 113 एवं उद्यानिकी 75 कुल 188 कलस्टर, 9400 एकड़ रकबा में क्रियान्वित की जा रही है, इसका क्रियान्वयन शासन के निर्देशानुसार अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित कर सेवा प्रदायक संस्था के माध्यम से किया जा रहा है।



वित्तीय वर्ष 2017-18 में परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 3818 कृषकों को लाभान्वित कर राशि रु. 237.54 लाख एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में 462 कृषकों को लाभान्वित किया जाकर राशि रु. 53.77 लाख व्यय किया गया।

केन्द्र प्रवर्तित –प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना:– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–(पर ड्राप मोर क्राप) अंतर्गत जल के प्रत्येक बूंद से अधिक से अधिक फसल लेने के उद्देश्य से जल प्रबंधन की दक्ष तकनीकी यथा–स्प्रिंकलर (फब्वारा)/ ड्रिप (टपक सिंचाई) एवं रेनगन को प्रोत्साहित किया जाना है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 प्रतिशत अन्य कृषकों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 1200 कृषकों एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में 460 कृषकों को लाभान्वित कर क्रमशः 118.18 लाख तथा 68.99 लाख व्यय किया गया।



4.7 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छ.ग. रायपुर

वित्तीय वर्ष 2017-18 में आदिवासी उपयोजना मद अन्तर्गत राशि रु.12777.16 लाख का बजट प्रावधान था जिसके विरुद्ध राशि रु. 6840.12 लाख का व्यय किया गया। प्रमुख योजनाओं की राशि का विवरण निम्नानुसार हैं :-

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग / योजना का नाम	प्रावधान	व्यय	भौतिक लक्ष्य (ई) हे.सं.,वर्गमी.	लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि (ई)	अनु. जनजाति लाभान्वित हितग्राही
1	2	3	4	5	6	7
1	सघन फलोद्यान विकास योजना	210.00	205.60	819	859	1549
2	उद्यानिकी प्रशिक्षण	35.00	30.50	-	-	-
3	नर्सरी में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन	110.00	109.85	60	49	0
4	टपक सिंचाई योजना	7.60	0.00	56	0	0
5	नदी के कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना	57.00	56.99	485	489.85	1748
6	कम्यूनिटी फेंसिंग योजना	225.00	221.90	413	284.50	373
7	सब्जी फसलों के विविधिकरण हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	9.50	9.48	280	0	0
8	नाबार्ड पोषित संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना	874.00	0.00	0.00	-	-
9	पिपरमेंट क्षेत्र विस्तार योजना	40.00	40.00	250	0	0
10	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	402.80	379.80	&	2369.74	4798
11	एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना	5343.96	4725.84	246656	245008	18661
12	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	1683.32	46.50	1635	291	250
13	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)	3040.00	812.57	10758	8677	11596
14	नेशनल मिशन आन आईलसीडस एण्ड आईलपाम	422.31	79.96	547.20	213	76
15	एनएमएसए नेशनल मिशन ऑन एग्रोफारेट्री	316.67	121.13	842	357	-
	योग	12777.16	6840.12	-	-	-

सफलता की कहानी

किसानों की सफलता की कहानी जिला— दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

क्र.	योजना का नाम	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
1	घटक का नाम	सब्जी क्षेत्र विस्तार (आलू) एवं केला क्षेत्र विस्तार
2	हितग्राही/पिता का नाम	श्री मासोराम/श्री धुरवाराम
3	ग्राम का नाम	झोड़ियाबाड़म



4	विकासखण्ड का नाम	गीदम
5	जिला का नाम	दन्तेवाड़ा
6	फसल का नाम	केला—1.00 हे एवं आलू—0.4 हे.
7	उपज क्विंटल में	आलू—80 क्विं., केला— 550 क्विंटल संभावित
8	कीमत राशि	आलू—80000 रुपये., केला— 550000 रुपये संभावित
9	व्यय राशि	आलू—30000 रुपये., केला— 220000 रुपये संभावित
10	शुद्ध लाभ राशि	आलू—53000 रुपये., केला— 330000 रुपये संभावित
11	सिंचाई का साधन	ट्यूबवेल

टीप :- मैं पूर्व में अपने खेत में पारम्परिक तरीके से धान की खेती करता था। पिछले तीन—चार साल से उद्यान विभाग के कर्मचारियों के सम्पर्क से ट्यूबवेल खुदाई कर मैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2017—18 में आलू तथा केला की फसल लगाया हूँ। जिसमें अच्छी फसल आने की संभावना है।

सफलता की कहानी

किसानों की सफलता की कहानी जिला— दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

क्र.	योजना का नाम	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
1	घटक का नाम	सब्जी क्षेत्र विस्तार— पत्तागोभी
2	हितग्राही/पिता का नाम	श्री छन्नू/श्री मानू
3	ग्राम का नाम	आलनार
4	विकासखण्ड का नाम	गीदम
5	जिला का नाम	दन्तेवाड़ा
6	फसल का नाम	पत्तागोभी
7	उपज क्विंटल में	पत्तागोभी—
	360 क्विंटल संभावित	
8	कीमत राशि	सब्जी में—
	90000.00 केला में —	400000.00
9	व्यय राशि	सब्जी में—
	30000.00 केला में —	125000.00
10	शुद्ध लाभ राशि	सब्जी में— 60000.00 संभावित
11	सिंचाई का साधन	ट्यूबवेल



टीप :- मैं अपने कृषि भूमि में उद्यान विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के मार्गदर्शन में वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत हेक्टर क्षेत्र में पत्तागोभी लगाया हूँ। जिसमें सिंचाई सूक्ष्म सिंचाई योजनान्तर्गत स्थापित ड्रिप के द्वारा कर रहा हूँ। सिंचाई के द्वारा फसल की स्थिति अच्छी है। जिससे मुझे 255000.00 रुपये आमदनी होने की संभावना है।

4.8 सहकारिता

सहकारिता विभाग शासन के अन्य विभाग से भिन्न होकर एक नियामक एवं सहकारी आन्दोलन में कार्यरत सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने वाला विकास विभाग है। सहकारिता विभाग सीधे धनराशि व्यय करने वाला विभाग नहीं है वरन् यह विकास से जुड़ी सहकारी संस्थाओं का पर्यवेक्षण एवं नियामक विभाग है, जिसका दायित्व संस्थाओं का गठन, पंजीयन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, परिसमापन एवं सुदृढीकरण का है। सहकारिता वास्तव में लोकतांत्रिक साधन का एक ऐसा प्रारूप है जो पारस्परिक सहायता पर आधारित बैंकिंग संस्थाओं और स्वैच्छिक सहकारी संस्थाओं को संगठित कर उनका संस्थागत विकास करता है, ताकि वे सामान्यजन, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने और उनके सामाजिक व आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने का माध्यम बन सकें। प्रदेश के किसानों, कारीगरों, बुनकरों, मछुवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं तथा अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की सहकारी संस्थाओं के लिए विभाग की भूमिका एक मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के रूप में निभाता है, ताकि उनकी सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति की जा सके।

सहकारिता विभाग का मुख्य आधार सहकारी संस्थाएं एवं सहकारिताएं हैं। वर्तमान में इनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लोकोपयोगी कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में सहकारिता के सहकारी आंदोलन ने समाज में विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े, दलित और शोषित कमजोर वर्गों के सर्वांगीण विकास के हित में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा गांव-गांव में सहकारी साख सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया है। सहकारी संस्थाओं ने कृषि उत्पादन, उत्तम खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाई वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न वितरण, समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीद, उपभोक्ता, आवास, मत्स्य, डेयरी बुनकर, खनिज, वनोपज, बीज उत्पादन, शिक्षा प्रशिक्षण तथा औद्योगिक इकाईयों के निर्माण एवं संचालन के लिए संकल्पित है।

2—विभाग से संबंधित राज्य स्तरीय सामान्य जानकारी :—

प्रदेश में कुल 8757 सहकारी संस्थाएं पंजीकृत हैं। जिसमें से मुख्यतः अल्पकालीन साख संरचना के अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंक, 06 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकें तथा 1333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं। दीर्घकालीन साख संरचना के अन्तर्गत पंजीकृत राज्य विकास बैंक एवं 12 जिला सहकारी कृषि विकास बैंकों का विलय राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों में किया गया है। 13 शीर्ष स्तरीय, 35 राज्य स्तरीय संस्थाएं, 14 नागरिक सहकारी बैंकें तथा 04 सहकारी शक्कर कारखाना कार्यरत हैं।

3—विभाग संबंधी “मानिटरबल इण्डीकेटर्स ” की राज्य संबंधी जानकारी, राष्ट्र में राज्य की स्थिति (स्थापित इण्डीकेटर्स की अनुपस्थिति में) विभाग जिन बिन्दुओं की जानकारी के आधार पर विकास को दर्शाता है, उसका उल्लेख निम्नानुसार है :—

1— राज्य शासन के निर्णयानुसार प्रदेश के कृषकों को ब्याज मुक्त सहकारी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे प्रदेश के समस्त अल्पकालीन कृषि ऋण ब्याज मुक्त प्राप्त हो रही है। जिससे प्रदेश के कृषि की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है।

2— प्रदेश में 02 साख संरचना अर्थात् अल्प कालीन एवं दीर्घकालीन थी, जिसके कृषकों के हितों को ध्यान में रखकर दीर्घकालीन साख संरचना को समाप्त कर अल्प कालीन साख संरचना में संविलय किया गया है।

3— प्रदेश के कृषको के उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो को ध्यान में रख कर 04 विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी शक्कर कारखाना का निर्माण राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता से किया गया है। जिससे कृषको द्वारा उत्पादित गन्ना को क्रय कर शक्कर उत्पादन किया जा सके। इससे कृषको की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है एवं नगद फसलो की पैदावार में बढ़ोत्तरी हो रही है। सहकारी शक्कर कारखानो को प्रति वर्ष गन्ना खरीदी एवं पेराई हेतु कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कोन्टा क्षेत्र में लाल मिर्च का उत्पादन अधिक होने के कारण से लाल मिर्च विपणन का कार्य तथा टोरा, मुंगफल्ली, तिल, सरसो एवं नारियल की पेराई हेतु तेल मिल सहकारी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में सहकारी विपणन संस्थाओं को प्राथमिक प्रदान करने हेतु विपणन सहकारी संस्थाओं का सुदृढीकरण किया जाना है।

4— प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं जाति की जनसंख्या को ध्यान में रखकर उनकी सहकारी संस्थाओं में अधिकाधिक भागीदारी बढ़ाने हेतु सहकारी संस्थाओं में सदस्यता ग्रहण कराने हेतु राज्य शासन से अंशक्रय अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

5— राज्य शासन प्रतिवर्ष सहकारी बैंको एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अंशपूँजी में निवेश कर रही है, जिससे उनकी उधार ग्रहण क्षमता में वृद्धि हो एवं अपने कृषक सदस्यों में अधिक ऋण उपलब्ध करा सकें। प्राथमिक विपणन सहकारी संस्थाओं के अंशपूँजी में निवेश करने से उनको कार्य व्यवसाय हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। जिससे कार्य व्यवसाय हेतु अतिरिक्त राशि उपलब्ध होने से आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है।

विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए संचालित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

1. **(5628)—कृषक ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान :-** इस योजनान्तर्गत प्रदेश के सहकारी अल्पकालीन कृषि ऋण ब्याज मुक्त उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कुल राशि रु. 164.30 करोड़ प्रावधानित राशि में से राशि रु. 43.32 करोड़ अनुसूचित क्षेत्रों के 476 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कृषक सदस्यों को ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराया गया है।
2. **(7781)—सहकारी समितियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य बनाने हेतु अंशक्रय अनुदान :-** इस योजना से प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं एवं विपणन सहकारी समितियों के सदस्य बनाने हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भागीदारी समितियों में बढ़ाया जा सके। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रु. 13.00 लाख 2600 नये सदस्य बनाये जाने हेतु उपलब्ध कराया गया है।
3. **(7678)—सहकारी संस्थाओं के लिए अंशपूँजी :-** इस योजना से सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं, सहकारी शक्कर कारखाना एवं प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों के अंशपूँजी में निवेश किया जाता है, जिससे उनकी उधार क्षमता में वृद्धि हो/कार्य व्यवसाय हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रावधानित राशि रु. 1.18 करोड़ में से 02 संस्थाओं के अंशपूँजी में कुल राशि रु. 96.50 लाख निवेश किया गया।
4. **(8970)—प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों का सुदृढीकरण (अनुदान/ऋण) :-** इस योजनान्तर्गत विपणन सहकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से सुदृढ करना है। प्रदेश के कुछ विपणन सहकारी समितियां लाभ अर्जित कर रही हैं, तथा विपणन सहकारी समितियों के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो, किन्तु पर्याप्त कार्यशील पूंजी

उपलब्ध न होने के कारण नया व्यवसाय प्रारंभ करने में सक्षम नहीं है एवं भूमि का सही उपयोग नहीं हो पा रही है, ऐसी समितियों को नया कार्य/व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1 विपणन संस्था को राशि रु. 21.60 लाख उपलब्ध कराया गया है।

5. **(5055)–सहकारी शक्कर कारखाना :-** इस योजनान्तर्गत सहकारी शक्कर कारखानों को गन्ना खरीदी कर पेराई हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित क्षेत्र के लिए प्रावधानित राशि रु. 25.00 करोड़ उपलब्ध कराया गया है।
6. **(8641)– प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में उन्नयन :-** इस योजनान्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को वर्तमान कार्य के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय हेतु राज्य शासन द्वारा राशि रु. 10.00 लाख अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रु. 50.00 लाख 5 समितियों को उज्ज्वला योजनान्तर्गत गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध कराया गया।
7. **(5006)–जनजाति सेवा सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान :-** इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में पंजीकृत आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को प्रबंधकीय वित्तीय भार कम करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
8. **(8930)– प्रस्तावित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जशपुर को अनुदान :-** इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जशपुर को कार्य व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु राशि उपलब्ध कराया जाना है।

4.9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, जिसके 10 से ज्यादा जिले आदिवासी क्षेत्र हैं। यह ध्यान में रखते हुए ही समस्त योजनाएं तैयार की जाती हैं। योजनाओं के सभी घटक विशेष रूप से आदिवासी जनसंख्या पर केन्द्रित होती हैं। इसके अतिरिक्त पी.आई.पी. में विशेष आदिवासी योजनाएं बनाई जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत सुदूर क्षेत्रों में हाट बाजारों में विशेष स्वास्थ्य शिविर का संचालन किया जाता है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए सी.आर.एम.सी. की सुविधा बढ़ाई गई है ताकि आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कर्मचारी प्रेरित हो। कार्यक्रम प्रबंधन स्टाफ की गतिविधियों में आरक्षण का प्रावधान है।

बुनियादी सुविधाओं का विकास :-

आदिवासी क्षेत्र के जिला चिकित्सालयों में फायर सेफ्टी प्रणाली के अंतर्गत मशीन एवं उपकरण क्रय हेतु 40.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

आदिवासी क्षेत्र के जिला चिकित्सालय में अनटाइड फण्ड हेतु रु 75.00 लाख का प्रावधान किया गया था।

जिला चिकित्सालय कांकर में ट्रामा केयर सेंटर की स्थापना हेतु 238.00 लाख का प्रावधान किया गया था।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया। समस्त आदिवासी जिलों में दवा गोदाम की स्वीकृति दी गई।

आदिवासी जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सोलर हैंड पंप स्वीकृत किया गया।

समस्त जिलों में ब्लड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 12 नये ब्लड बैंक स्वीकृत किया गया। जिसमें चिकित्सा अधिकारी तथा लैब टेक्नीशियन के पदों का सृजन किया गया है।

आदिवासी जिलों में निरंतर बिजली सप्लाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

पोषण पुनर्वास केन्द्र :-

राज्य में भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच गंभीर तीव्र कुपोषण के सुविधा आधारित प्रबंधन के लिए पोषण पुनर्वास केन्द्र चलाये जा रहे हैं।

कम उम्र के बच्चों में रोग एवं मृत्यु दर का एक महत्वपूर्ण कारक गंभीर कुपोषण है। राज्य सरकार के द्वारा इस ओर पहल किया गया है एवं राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों के मृत्यु दर में कमी लाने एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पोषण पुनर्वास केन्द्र संस्थानों को मापन किया जा रहा है, जहां कुपोषण से पीड़ित बच्चों की भर्ती एवं देखरेख की जाती है।

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए नये कदम:-

- आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत नर्स एवं डॉक्टरों को प्रोत्साहन राशि में वृद्धि।
- आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण एवं मच्छरदानी हेतु राज्य बजट संसाधनों से प्रावधान।
- आदिवासी क्षेत्रों हेतु विशेष 30 वाहन चिकित्सा स्टॉफ युक्त चलित चिकित्सा इकाई का आरंभ।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में नये कदम :-

स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी चिकित्सा प्रदाता के समान सुविधा जैसे विशेषज्ञ सेवा एवं रोग निदान सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप) नीति को स्वीकृति दी गई। राज्य में संस्थागत प्रसव नवजातों की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु बीमार बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को लाने और ले जाने हेतु एक समर्पित एंबुलेंस (102 सेवा) सेवा प्रारंभ किया गया है।

कॉल आधारित सेवा देने के लिए 104 परामर्श सहायता सेवा प्रारंभ किया गया है।

108 संजीवनी एक्सप्रेस इमरजेंसी सर्विसेज योजना के अंतर्गत 36 एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। जिसमें गंभीर मरीजों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति।

सरकारी संस्थानों में प्रसव को बढ़ावा देने एवं नवजातों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए नवजातों को विशेष सामान जैसे- ब्लैकेट, कपड़े, चादर, छोटे मच्छर दानी इत्यादि प्रदान किये जा रहे हैं।

समस्त स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण आयुष डॉक्टर, डेन्टिस्ट, एएनएम एवं एमपीडब्ल्यू की एक समर्पित टीम के द्वारा किया जाता है।

मुख्य स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु सभी ब्लाकों में डेन्टिस्ट सेवा दिया जाना है।

संक्रामक रोगों की रोकथाम :-

राज्य की भौगोलिक स्थितियों के मद्देनजर संक्रामक रोगों का प्रकोप विशेष रूप से डी.व्ही.डी. पीलिया एवं मस्तिष्क ज्वर हमेशा से रहा है जिस पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में एवं विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल के स्रोतों के अंतर्गत कुओं, हैंडपम्पों एवं पारंपरिक जल स्रोतों को चिन्हांकित कर ब्लीचिंग पावडर, क्लोरिन टेबलेट से जल शुद्धिकरण करने का कार्य किया गया। प्रदेश के समस्त ग्रामों, मजरे/टोलों में डिपो होल्डर बनाकर उन्हें आकस्मिक उपचार हेतु प्रशिक्षित किया गया तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक जीवन-रक्षक औषधियां उपलब्ध करायी गई। 27 जिलों के समस्या मूलक एवं पहुंच विहीन ग्राम को चिन्हांकित कर वर्षाकाल के पूर्व ही आवश्यक औषधियों का भण्डारण किया गया। सूचना तंत्र को सशक्त करने के उद्देश्य से लिंक वर्कर्स को प्रशिक्षित कर ग्रामों में सूचना एकत्र करने एवं संचित करने के लिए तैनात किया गया है। महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर एवं खण्ड स्तर पर काम्बेट टीमों का गठन एवं नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये एवं इसके परिणाम स्वरूप आम लोगों में इन बीमारियों की रोकथाम एवं इलाज के प्रति जागरूकता पैदा हुई।

जीवन ज्योति चलित चिकित्सालय योजना:-

जीवन ज्योति चलित चिकित्सालय योजना अंतर्गत जिला नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम संचालित है। जिसे राज्य शासन द्वारा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

स्वास्थ्य मितानिन योजना:- राज्य में भौगोलिक रूप से कई गांव इतने दूर दराज में हैं कि इन तक स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुंचना कठिन है, राज्य में 5186 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाओं को जनोन्मुखी बनाने के लिए इंदिरा स्वास्थ्य मितानिन योजना की शुरुआत की गई है। जिससे दूर दराज के मजरे टोले में रहने वाले बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष तथा अन्य पिछड़े वर्गों तक स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ बन सकें। इस चिकित्सा व्यवस्था का उद्देश्य है कि लोगों की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान गांव के स्तर पर गांव के द्वारा ही किया जाये। इस योजना अंतर्गत 69,900 से भी अधिक मितानिन प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है। प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन को मुख्यमंत्री दवा पेटी योजना अंतर्गत दवा किट उपलब्ध कराई जाती है जिसकी रिफिलिंग प्रत्येक दो माह में की जाती है।

विभाग अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में तथा सामान्य क्षेत्रों में पृथक प्रशासनिक व्यवस्था है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना में निम्नानुसार मापदण्ड अपनाये जाते हैं :-

क्र	संस्था (संख्या)	सामान्य क्षेत्र (जनसंख्या पर)	आदिवासी क्षेत्र (जनसंख्या पर)
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	120000	80000
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30000	20000
3	उप स्वास्थ्य केन्द्र	5000	3000

4.10 नगरीय प्रशासन एवं विकास

वित्तीय वर्ष 2017-18 अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रम का आलेख

ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग के भूमिहीन, आवासहीन तथा उनके रोजगार हेतु पलायन को रोकने के साथ-साथ सामाजिक एवं

मांग संख्या	योजना का नाम	योजना क्रमांक	बजट प्रावधान	प्राप्त आबंटन	कार्य का विवरण
1	2	3	4	5	6
41	आदि उप.पेय. शौच. व्यव.	1785	287.00	287.00	आदि. उप. अंतर्गत स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हेतु अनुदान जारी किया जाता है।
41	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	8996	501.00	501.00	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु अनुदान दिया जाता है. तथा स्व सहायता समूह की महिलाओं को आवर्ती निधि दी जाती है –1.व्यक्ति ऋण अनुदान 2. समूह ऋण अनुदान 3.बैंक लिंकेज अनुदान
41	स्वच्छ भारत मिशन	7610	6320.00	6320.00	स्वच्छ भारत मिशन योजनांतर्गत निजी शौचालय, सामुदायिक शौचालय एवं प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाता है।
41	अमृत मिशन	7706	4200.00	4200.00	निगम अंतर्गत गार्डन, जलप्रदाय कार्य तथा क्षमता विकास।
41	सबके लिए आवास	7709	4200.00	4200.00	भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार न.नि. क्षेत्रांतर्गत गंदी बस्ती एवं गैर गंदी बस्ती क्षेत्रों में निवासरत समस्त पात्र हितग्राहियों को मिशन अवधि 2015 से 2022 तक पक्के मकान का लक्ष्य है।
83	नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान	7260	3050.00	3050.00	मूलभूत सेवा अंतर्गत निकायों को सड़क नाली, प्रकाश व्यवस्था एवं अधोसंरचना विकास कार्य हेतु अनुदान आबंटन किया जाता है।
83	अधोसंरचना विकास (अनु.)	7241	3000.00	3000.00	अधोसंरचना विकास अंतर्गत निकायों को सड़क नाली, प्रकाश व्यवस्था एवं अधोसंरचना विकास कार्य हेतु अनुदान आबंटन किया जाता है।
83	मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन	7643	180.00	180.00	योजना अभी संचालित नहीं है।
योग			21738.00	21738.00	

आर्थिक विकास के लिए समुचित अवसर एवं संसाधन निर्माण कराये जा रहे हैं। निर्धारित बिंदुवार जानकारी निम्नानुसार है:-

(I) A detailed note on implementation of the constitutional safeguards for Promotion of educational and socio-economic development of STs/SCs.

- (1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :-** ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा की प्रतिवद्धता को सुदृढ़ करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम- 2005 के तहत प्रदेश के समस्त जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना क्रियान्वित है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों के वयस्क सदस्यों को, जो अकुशल मानव श्रम करने के इच्छुक हैं, एक वित्तीय वर्ष में परिवार को 100 दिवस का श्रम उपलब्ध कराना है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में परिसम्पत्तियों का निर्माण, पर्यावरण की सुरक्षा, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, गांव से शहरों के ओर हो रहे पलायन पर अंकुश लगाना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस रोजगार के अतिरिक्त 50 दिवस का रोजगार राज्य बजट से प्रदाय किया जा रहा है। इस प्रकार 150 दिवस रोजगार दिया जा रहा है।
- (2) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण :-** ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सूची अनुसार पात्र आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 के लिये भारत सरकार द्वारा दिनांक 01/04/2016 से सामान्य जिलों के लिए राशि रु. 1.20 लाख महात्मा गांधी, नरेगा अंतर्गत (90 दिन) रोजगार से लाभ राशि रु. 15,030 एवं शौचालय निर्माण हेतु राशि रु. 12,000 इस तरह कुल राशि रु. 1.47 लाख तथा आई.ए.पी. जिलों के लिए राशि रु. 1.30 लाख महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत (95 दिन) रोजगार से लाभ राशि रु. 15,865 एवं शौचालय निर्माण हेतु राशि रु. 12,000 इस तरह कुल राशि रु. 1.57 लाख प्रावधानित है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। आवास निर्माण का कुर्सी क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर है।
- (3) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :-** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के स्व-रोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनमें समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास तथा ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना शामिल है। रा.ग्रा.आ.मि. के उद्देश्यों की पूर्ति में सार्वभौमिक, सामाजिक, संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूहों के संघ का निर्माण, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना इत्यादि कार्य शामिल हैं। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन को समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित संरचना की व्यवस्था है।

- (4) **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :-** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य सामान्य क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ना है, ताकि क्षेत्र के आर्थिक विकास का लाभ सभी वर्गों को प्राप्त हो सके।
- (5) **मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना :-** मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत ऐसी बसाहटें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों में नहीं आती है। (गैर आदिवासी क्षेत्रों में 500 से कम तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 से कम आबादी की बसाहटों) को बारहमासी सड़कों से जोड़ने तथा एक तरफ से जुड़ी बसाहटों को दूसरे तरफ से भी जोड़े जाने का प्रावधान है।
- (6) **राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) :-** 02 अक्टूबर, 2014 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में स्वच्छता के माध्यम से सुधार लाना है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के क्रम में पूरे राष्ट्र को 02 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौचमुक्त किया जाना है। प्रचार-प्रसार के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, छात्रों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा और साफ-सफाई की आदतों को बढ़ावा देना है। सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए कृषिपालनी तथा उपयुक्त तकनीकी को बढ़ावा देना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट को उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

An assessment of overall evaluation of working of Acts/regulations relating to land alienation, money-lending] trade and exise policy, bounded labour, displacement of tribals, atrocities ect.

(III) The complete sketch of the development programmes undertaken, financial allocation used and physical targets achieved.

1. योजनाओं के 2017-18 के उपलब्धि की जानकारी :-

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :-** वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल रु. 3319.03 करोड़ की राशि उपलब्ध थी, जिसके विरुद्ध रु. 3319.03 करोड़ व्यय किये गये। इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि के विरुद्ध 100 प्रतिशत व्यय किया गया। योजनांतर्गत कुल 1175.25 लाख मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित किये गये। जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग को 435.19 लाख (37 %) एवं अनुसूचित जाति वर्ग 113.63 लाख (10 %) मानव दिवस रोजगार प्राप्त हुआ।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण :-** योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 के लिए TSP वर्ग के लिए 75429 स्वीकृत आवास में से 43571 आवास पूर्ण कर लिये गये हैं एवं SCSP वर्ग के लिए 44332 स्वीकृत आवास में से 30098 आवास पूर्ण कर लिये गये हैं।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :-** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत वर्ष 2017-18 के उपलब्धि प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालन हेतु छत्तीसगढ़

ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का पंजीयन दिनांक 01.06.2011 को कराया गया है। मिशन अंतर्गत परियोजना हेतु जिलों के कुल 85 विकासखण्डों का चयन किया गया है। वर्तमान में कुल 85 विकासखंडों में कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 में 26009 स्व-सहायता समूह को 380.07 करोड़ की आर्थिक सहायता (बैंक ऋण) प्रदान की गई, जिसमें अनुसूचित जनजाति बाहुल्य 9805 स्व-सहायता समूहों को 146.6 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य 3125 स्व-सहायता समूह को रु. 46.06 करोड़ वितरण किया गया।

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :-** योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 अवधि में कुल 1638 कि.मी. लम्बाई की सड़को का निर्माण एवं उन्नयन कार्य कराया गया है। इस अवधि में 32 किलोमीटर सड़क, 13 अ.जा. बाहुल्य क्षेत्र में तथा 1606 किलोमीटर सड़क, 409 अनुसूचित जन जाति बाहुल्य नवीन बसाहट क्षेत्र में निर्मित किये गये।
- **मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना :-** योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति क्षेत्र अंतर्गत कुल 19.784 कि.मी. लंबाई की सड़को का निर्माण किया गया है।
- **मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति क्षेत्र अंतर्गत कुल 183.38 कि.मी. लंबाई के सड़कों का निर्माण किया गया है।**
- **राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) :-** वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत 7,71,927 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया गया है उक्त निर्मित 7,71,927 शौचालयों में से अनुसूचित जन जाति के परिवारों द्वारा 2,16,218 एवं अनुसूचित जाति के परिवारों द्वारा 1,36,367 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया गया है।

2- The existing level of the administration of Scheduled Areas and measures to be adopted or proposed to be adopted by the State Govt.

शासन की नीति अनुसार

3- A brief on problems relating to law and order, naxal movement and tribal unrest.

4- Central and State laws enacted in the state during the report period and their extension/adaption to Scheduled Areas by the Governor.

5- Working of PESA Act and empowerment of Local Bodies in the state.

6- The District/ITDP/ITDA-Wise analysis of results.

4.11 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में कुल 74,685 बसाहटें हैं जिनमें से 50,743 बसाहटें अनुसूचित जनजाति बाहुल्य एवं 3188 बसाहटें अनुसूचित जाति बाहुल्य हैं। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बसाहटों में 31.03.2018 की स्थिति में पेयजल व्यवस्था निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	कुल बसाहटें	50,743	—
2	पेयजल व्यवस्था पूर्ण बसाहटें	47,906	94.41%
3	आंशिक पूर्ण बसाहटें	1,983	3.91%
4	पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित बसाहटें	854	1.68.%

31.03.2018 की स्थिति में 94.41% बसाहटों में आवश्यकता के अनुरूप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। 3.91% बसाहटों में आंशिक रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। 1.68% बसाहटों में गुणवत्ता की समस्या है जिसके लिए विभिन्न योजनाओं जैसे आई.आर.पी, एफ. आर.पी., आर. ओ. इत्यादि बसाहटों में स्थापित कराये जा रहे हैं।

पेयजल की शुद्धता की जांच के लिए सभी पंचायतों को FTK उपलब्ध कराया गया है तथा ग्राम के कुछ लोगों को नमूना जांच का प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 18 मोबाईल वेन से भी जल नमूना का जांच किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में प्रयोगशाला संचालित है। इस प्रकार जल नमूनों की जांच की पर्याप्त व्यवस्था है एवं गुणवत्ता जांच सतत किया जा रहा है।

भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रोग्राम मद में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि एवं व्यय की गई राशि (31 मार्च 2018 की स्थिति में) का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	छत्तीसगढ़	(राशि रु. लाख में)
1	पूर्व अवशेष	323.42
2	उपलब्ध राशि (राज्यांश)	3433.00
3	उपलब्ध राशि (केन्द्रांश)	4394.00
4	कुल उपलब्ध राशि	8150.42
5	कुल व्यय राशि	4947.46
6	व्यय का प्रतिशत	60.70%

इस वित्तीय वर्ष में व्यय का प्रतिशत 60.70% है।

4.12 उच्च शिक्षा विभाग

वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 202123 छात्र-छात्रायें अध्ययनरत थे जिसमें स्नातक स्तर पर लगभग 21309 सामान्य वर्ग, **26749 अनुसूचित जाति, 40900 अनुसूचित जनजाति** एवं 86436 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्रायें अध्ययनरत थे। इसी तरह स्नातकोत्तर स्तर पर लगभग 4169 सामान्य वर्ग, **4567 अनुसूचित जाति, 5591 अनुसूचित जनजाति** तथा 12402 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्रायें अध्ययनरत थे।

1. सत्र 2017-18 में 05 नवीन शासकीय महाविद्यालयों (1. शासकीय नवीन महाविद्यालय, खरोरा, जिला-रायपुर 2. शासकीय नवीन महाविद्यालय बीरगांव, जिला-रायपुर 3. शासकीय नवीन महाविद्यालय, सरिया, जिला-रायगढ़ 4. शासकीय नवीन महाविद्यालय, चंद्रपुर, जिला-जांजगीर चांपा एवं 5. शासकीय नवीन महाविद्यालय, कटेकल्याण, जिला-दन्तेवाड़ा) की स्थापना किए जाने हेतु कुल 95 पद स्वीकृत किए गए ।
2. सत्र 2017-18 में 11 अशासकीय महाविद्यालय (1. कृति इन्स्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एण्ड मॉस कम्यूनिकेशन, नरदहा, रायपुर, 2. रामकृष्ण महाविद्यालय, रायपुर, 3. स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नरदहा, रायपुर, 4. प्रतिमा विद्यापीठ, दलदल सिवनी, रायपुर, 5. श्री शंकराचार्य इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मुजगहन, रायपुर, 6. श्याम बालाजी कॉलेज, महासमुंद, 7. आई.पी.एस. गुरुकुल महाविद्यालय, बेलटुकरी जिला बिलासपुर, 8. दुलीचंद जालान कॉलेज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, तिलईपाली, सरसीवा जिला बलौदाबाजार, 9. अशोका महाविद्यालय, सारंगढ़, ग्राम उम्मेदपुर, जिला रायगढ़, 10. रायगढ़ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम कोटरापाली, जिला रायगढ़, 11. सोनकर कॉलेज, रायपुर रोड बुंदेली, जिला मुंगेली) प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई ।
3. प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त 966 पदों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा उपरांत पात्र 465 के नियुक्ति-आदेश जारी किये गये हैं।
4. सत्र 2016-17 में प्रदेश के 25 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। इस हेतु 50 सहायक प्राध्यापक, 20 प्रयोगशाला तकनीशियन के पद स्वीकृत किए गए ।
5. सत्र 2017-18 हेतु प्रदेश के 25 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। इस हेतु 40 प्राध्यापक के पद स्वीकृत किए गए।
6. सत्र 2017-18 में प्रदेश के 19 शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय/जनभागीदारी योजना अन्तर्गत 29 नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने की अनुमति प्रदान की गई ।
7. सत्र 2017-18 में सेतु योजनान्तर्गत लगभग 85,000 छात्र-छात्राओं ने महाविद्यालयों में निःशुल्क ऑन-लाईन प्रवेश आवेदन जमा किया ।
8. छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त अध्ययनरत अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर के माध्यम से निःशुल्क टेबलेट का वितरण किया जा रहा है ।
9. सत्र 2017-18 में प्रदेश के 30 महाविद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं/विषयों में कुल 2060 सीट-वृद्धि की अनुमति दी गई ।
10. प्रदेश के कुल 13 निजी महाविद्यालयों को शासन द्वारा शत-प्रति-शत अनुदान प्रदान किया जा रहा है ।

11. प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात (G.E.R.) वर्ष 2003 में 3.5 से बढ़कर अब लगभग 16 प्रतिशत हो गया है। यदि हम दूरस्थ क्षेत्रों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या एवं स्वाध्यायी छात्रों को मिलाकर गणना करें तो हमारे प्रदेश के G.E.R. का औसत राष्ट्रीय औसत से बढ़कर लगभग 20 हो जाता है।
12. सभी महाविद्यालयों में प्रवेश-प्रक्रिया में सरलता एवं एकरूपता लाने हेतु चिप्स के माध्यम से तैयार किये गये साफ्टवेयर सेतु (Student Empowerment Through Technology Utilization-SETU) का सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है। Student Empowerment Through Technology Utilization-SETU के माध्यम से समस्त शासकीय महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं को सफलतापूर्वक ऑन-लाईन प्रवेश प्रदान किया गया है। इसके अन्तर्गत छात्र-छात्राओं का प्रवेश तथा अन्य सभी अभिलेख ऑन-लाईन करने का प्रयास किया जा रहा है। Student Empowerment Through Technology Utilization (SETU) के माध्यम से स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑन-लाईन प्रवेश प्रदान किया गया।
13. प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के नैक प्रत्यायन/पुनर्प्रत्यायन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयास जारी है।
14. **राज्य के महाविद्यालयों का "राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC)" द्वारा मूल्यांकन** – प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के नैक प्रत्यायन/पुनर्प्रत्यायन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयास जारी है। परिणामतः आज प्रदेश में 'A' ग्रेड प्राप्त 02 विश्वविद्यालय एवं 06 महाविद्यालयों सहित लगभग 55 शासकीय महाविद्यालय, 07 अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय, 26 अशासकीय महाविद्यालय एवं 03 विश्वविद्यालय नैक द्वारा प्रत्यायित/पुनर्प्रत्यायित हैं।
15. **राष्ट्रीय सेवा योजना** – वर्ष 2016-17 में केन्द्र शासन द्वारा अतिरिक्त छात्र संख्या 2800 का अबंटन किया गया है जिससे राष्ट्रीय सेवा योजना की कुल आबंटित संख्या 93,000 से बढ़कर 95,800 हो गया है।
16. **बी.पी.एल. बुक बैंक योजना:-** बी.पी.एल. बुक बैंक योजना राज्य शासन द्वारा 2005 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. छात्र-छात्राओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रतिवर्ष पूरे शैक्षणिक सत्र के लिये पाठ्य पुस्तकें महाविद्यालय द्वारा क्रय कर प्रदान की जाती हैं। इस शैक्षणिक सत्र के लिये रु. **45 लाख** का बजट प्रावधान किया गया है।
17. **अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिये मुफ्त स्टेशनरी/पुस्तकें प्रदान करना** :- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मुफ्त स्टेशनरी एवं पुस्तकें प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत स्नातक स्तर पर रुपये 50/- प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी एवं प्रति दो विद्यार्थी रुपये 600/- की पुस्तकें तथा स्नातकोत्तर स्तर पर रुपये 50/- प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी तथा प्रति दो विद्यार्थी रुपये 800/- की पुस्तकें देने का प्रावधान है। इस हेतु बजट में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये 95.00 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये 75.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना से स्नातक स्तर पर कुल-67649 (अनुसूचित जाति के 26749 एवं अनुसूचित जनजाति के 40900) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कुल-10158 (अनुसूचित जाति के 4567 एवं अनुसूचित जनजाति के 5591) इस प्रकार कुल-77807 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
18. **बी.पी.एल. छात्रवृत्ति** :- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों के छात्रों हेतु बी.पी.एल. छात्रवृत्ति सत्र 2005-06 से प्रदान की जा रही है।

इसके अन्तर्गत आने वाले स्नातक स्तर के छात्रों को रू. 300/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए कुल 3000/- रू. एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को रू. 500/- प्रति माह की दर से 10 माह के लिए कुल 5000/- प्रति छात्र प्रदान किया जाता है। इस हेतु बजट में 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कुल-13596 छात्र-छात्राओं को राशि रू. 15818952/- एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कुल-2254 छात्र-छात्राओं को राशि रुपये 5011150/- इस प्रकार कुल-15850 छात्र-छात्राओं को कुल राशि रू. 20830102/- वितरित की गयी है।

4.13 रोजगार एवं प्रशिक्षण

प्रशिक्षण पक्ष

राज्य में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार स्थापित करने की दृष्टि से छ.ग. शासन, कौशल विकास विभाग के अंतर्गत मार्च 2018 की स्थिति में कुल 178 शासकीय आई.टी.आई. संचालित है। विभाग द्वारा राज्य के सभी विकास खण्ड में कम से कम एक-एक शासकीय आई.टी.आई. खोलने की योजना है। जिसके परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में राज्य के 146 में से कुल 142 विकास खण्ड में शासकीय आई.टी.आई. स्थापित हैं। शेष 04 आदिवासी बाहुल्य विकासखण्ड में से 02 विकासखण्ड में केन्द्र सरकार के सहयोग से एवं 02 विकासखण्ड में राज्य योजनांतर्गत आई.टी.आई. खोलने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित क्षेत्र –

वर्तमान में राज्य के 85 विकास खण्ड, जो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के रूप में चिह्नांकित हैं, में से 81 विकास खण्ड में आई.टी.आई. संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 02 अनुसूचित जनजाति विकास खण्ड को कवर किया गया। तदनुसार वर्तमान में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य विकास खण्ड का 95% क्षेत्र में आई.टी.आई. संचालित हैं।

राज्य के अनुसूचित जाति बाहुल्य 12 विकास खण्ड में कुल 13 आई.टी.आई. संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 01 अनुसूचित जाति बाहुल्य विकास खण्ड को कवर किया गया। इस तरह मार्च 2018 तक तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य का 100% क्षेत्र में आई.टी.आई. संचालित है।

आई.टी.आई. –

राज्य में संचालित कुल 178 शासकीय आई.टी.आई. में से 75 आई.टी.आई.(42.13%) अनुसूचित जनजाति उपयोजना(TSP) तथा 13 आई.टी.आई.(7.30%) अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) अंतर्गत संचालित है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में TSP अंतर्गत 03 तथा SCSP अंतर्गत 01 नये आई.टी.आई. खोले गये। विभाग के अंतर्गत 9 संस्थायें विषेय रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये संचालित हैं। वर्तमान में अनेक संस्थाएँ ऐसे हैं जो अनुसूचित क्षेत्रों में स्थापित हैं किन्तु सामान्य योजना अंतर्गत संचालित हैं। जिसके कारण अनुसूचित क्षेत्रानुसार संस्थाओं का वितरण असमान है। अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित ऐसे संस्थाओं को अनुसूचित क्षेत्रानुसार योजना में परिवर्तित करने की योजना है। जिससे कि शासन द्वारा निर्धारित योजनानुपात लक्ष्य की पूर्ति की जा सके।

क्र.	वर्ष	संचालित ITI			प्रारंभ किये गये नवीन ITI		
		कुल	TSP	SCSP	कुल	TSP	SCSP
1	2017-18	178	75	13	06	03	1

संस्थाओं में स्वीकृत सीट –

प्रदेश में संचालित कुल 178 शासकीय आई.टी.आई. में वर्तमान में प्रशिक्षण क्षमता 25589 सीट्स (स्वीकृत सीट्स 18348 एवं पेमेंट सीट्स 7241) हैं, जो कि विगत वर्ष की तुलना में लगभग 34.08% की वृद्धि हुई है। शासन के नियमानुसार स्वीकृत सीटों में आरक्षण का प्रावधान है। जिसके अनुसार

अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 7387(40.26%) तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 2202(12.00%) सीट्स आरक्षित हैं। स्वीकृत सीटों के 30% अधिसंख्य सीटों पर पेमेंट सीट के रूप में प्रवेश दी जाती है। जिसमें अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। विभाग के अंतर्गत 9 संस्थाएँ विषेय रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संचालित होने के कारण अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के प्रतिषत में आधिक्य विद्यमान है।

क्र.	वर्ष	संचालित ITI	प्रशिक्षण क्षमता (सीट्स)	कुल प्रशिक्षणार्थी	ST प्रशिक्षणार्थी	SC प्रशिक्षणार्थी
1	2017-18	178	25589	23616	8460	3193

बजट –

विभाग के अंतर्गत संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण के “प्रशिक्षण पक्ष” के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रु. 27836.50 लाख का बजट प्रावधान था। जिसमें से कुल राशि रु. 20248.64 लाख (72.74%) व्यय हुआ। व्यय में कमी का मुख्य कारण विभाग में स्वीकृत पदों का रिक्त होना है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट प्रावधान एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है—

क्र	योजना	प्रावधान	प्रावधान का %	व्यय	व्यय का %
1	सामान्य	16775.43	60.26	12214.56	72.81
2	अनुसूचित जनजाति	9404.95	33.79	6984.07	74.26
3	अनुसूचित जाति	1656.12	5.95	1050.01	63.41
योग –		27836.50	100.00	20248.64	72.74

राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थापित कुछ आई.टी.आई. सामान्य योजना के अंतर्गत संचालित होने के कारण योजनावार बजट प्रावधान में अंतर उत्पन्न हुई है। इन संस्थाओं को अनुसूचित क्षेत्रानुसार योजना में परिवर्तित कर बजट समावेश किये जाने की योजना है।





TURNER



TRACTOR MECHANIC



ELECTRICIAN



DRAUGHTSMAN
CIVIL



WIREMEN



FITTER

कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडो में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए प्रशिक्षार्थीगण



कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडो में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए प्रशिक्षार्थीगण

तकनीकी शिक्षा

1. प्रदेश में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत् एस. सी./ एस.टी. के छात्र/छात्राओं को संध्याकालिन विशेष कोचिंग का लाभ प्रदान किया जाता है।
2. प्रदेश में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत् एस. सी./ एस.टी. के छात्र/छात्राओं हेतु बुक बैंक योजना के माध्यम से निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जाती है।
3. प्रदेश में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत् एस. सी./ एस.टी. के छात्र/छात्राओं को ड्राईंग सामग्री का लाभ प्रदान किया जाता है। समस्त संस्थाओं में योजनांतर्गत प्रगति संतोषजनक है।
4. अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति वर्ष 2016-17 में की गई है।
5. केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं राज्य बजट के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र में स्थित शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं के प्रयोगशालाओं के उन्नयन कार्य यथा— मशीन उपकरण, फर्नीचर एवं पुस्तकें हेतु बजट में राशि प्रावधानित किया जाता है।
6. केन्द्र क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत संचालित 11 नवीन शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु प्रावधानित राशि के विरुद्ध वित्तीय वर्ष में व्यय की प्रतिशत में वृद्धि हुई है, क्योंकि 06 शासकीय पॉलीटेक्निक, कांकेर, कोरिया, जशपुर, नारायणपुर, बीजापुर एवं बिलासपुर में निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। शेष 05 शासकीय पॉलीटेक्निक, रायपुर, बस्तर, कोण्डागांव, सूरजपुर एवं रामानुजगंज में भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।
7. प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं के शैक्षणिक, प्रशासनिक, अधोसंरचना के उन्नयन एवं भौतिक संसाधनों के विकास हेतु योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप सतत प्रयास किया जा रहा है।



4.14 महिला एवं बाल विकास विभाग

1. ग्रामीण महिलाओं का दिशा दर्शन भ्रमण

योजना के तहत स्व-सहायता समूह की महिलाओं का चयन किया जाता है तथा दिशा दर्शन के तहत ऐसे स्व-सहायता समूहों से भेंट करवायी जाती है जो सुदृढ़ हो, उल्लेखनीय आर्थिक/सामाजिक गतिविधि कर रहे हों। स्व-सहायता समूहों को दिशा दर्शन पर ले जाने के पूर्व आवश्यकता आंकलन कर समूहों की क्षमता विकास संबंधी आवश्यकता अनुकूल समूहों का भ्रमण करवाया जाता है। दिशा-दर्शन कार्यक्रम को प्रशिक्षण सह दिशा दर्शन के रूप में आयोजित किया जाता है जिस गतिविधि के लिए दिशा-दर्शन करवाया जा रहा है उसका संक्षिप्त मौके पर प्रशिक्षण रखवाया जाता है।

2. स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान

विभाग द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने हेतु विभागीय अनुदान नियम 2005 बनाया गया है। अनुदान नियमों के प्रावधान के अनुसार 100 से अधिक स्वैच्छिक संगठनों को विभागीय मान्यता दी गई है। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा दिये गए अनुदान आवेदन के आधार पर अनुदान राशि दी जाती है। स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता से अनेक क्षेत्रों में कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

3. महिला जागृति शिविर की स्थापना

महिलाओं से संबंधित मुद्दों एवं कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है। महिलाओं को समाज में बराबरी का हक देने उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाने के लिए जागृति शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

4. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

योजना के तहत प्रदेश की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की कन्या का विवाह कराने का संकल्प लिया है। अभी तक सरकार लगभग 88 हजार से अधिक कन्याओं का विवाह करा चुकी है एवं वर्ष 2018-19 में 8666 कन्याओं का विवाह कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से सामूहिक विवाह होने के कारण विवाह पर होने वाला अनावश्यक व्यय कम हो रहा है वही बाल विवाह जैसी कुप्रथा में कमी आयी है।

5. अनैतिक व्यापार की रोकथाम हेतु कार्यक्रम

मानव व्यापार की रोकथाम तथा उनके पुनर्वास के लिए इस योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 50.00 लाख का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2018-19 में रोकथाम तथा उनके पुनर्वास पर कार्यवाही किया जाना है।

6. भवन निर्माण

आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण विभागीय योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत मनरेगा अभिसरण एवं अन्य स्थानीय मद की योजनाओं से किया जाता है। प्रदेश में 27 जिले में से 19 जिलों के भवन स्वीकृत है, 2018-19 में जिलों में जिला कार्यालय भवन निर्माण प्रस्तावित है। पर्यवेक्षकों हेतु

मुख्यालय में निवास करने हेतु “पर्यवेक्षक आवास सह कार्यालय” वार्षिक योजना में प्रस्तावित की गई है। प्रदेश में आंगनबाड़ी भवनों के केन्द्रों में विद्युत व्यवस्था एवं शौचालय का प्रावधान किया गया है।

7. एकीकृत बाल विकास सेवा योजना सामान्य

भारत सरकार द्वारा कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर के स्तर में कमी लाने, बच्चों में मानसिक बौद्धिक विकास की नींव डालने एवं उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल में माताओं की क्षमता निर्माण की महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के साथ योजना प्रारंभ किया गया। समेकित बाल विकास सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत 26 डीपीओ सेल, 220 परियोजनाओं के स्थापना व्यय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं को भारत शासन द्वारा निर्धारित मानदेय के अलावा योजना संचालन के सामान्य घटक जैसे- सूचना शिक्षा संचार, मूल्यांकन अनुश्रवण, प्री स्कूल किट, मेडिसिन किट, स्नेह शिविर, सामग्री प्रदाय, निशक्त बच्चों की देखभाल, फ्लैक्सी फंड, आकस्मिक व्यय, ईसीसीई आदि शामिल है।

8. किशोरी शक्ति योजना

इस योजना में 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की शिक्षा दी जाती है। इस वर्ष 144.60 लाख का प्रावधान है तथा 100.552 व्यय किया गया है तथा 3210 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया।

9. सबला योजना

सबला योजना अंतर्गत 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है जिसमें पूरक पोषण आहार के साथ-साथ स्वास्थ्य पोषण शिक्षा एवं जीवन चक्र प्रशिक्षण भी शामिल है। पूरक पोषण आहार घटक में भारत सरकार 50 प्रतिशत राशि वहन करती है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 27 में से 10 जिलों को सबला योजना अंतर्गत शामिल किया गया है, शेष 17 जिलों में राज्य आयोजना से किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है।

10. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम- विशेष पोषण आहार योजना

मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, नवाजतन योजना, आंगनबाड़ी केन्द्रों में सामग्री प्रदाय, गणवेश प्रदाय आदि हेतु प्रावधान रखा गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में सामग्री प्रदाय, आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को गणवेश प्रदाय तथा मॉडल आंगनबाड़ी का संचालन किया जा रहा है।

11. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

इस योजनांतर्गत गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को कुछ शर्तों के साथ मातृत्व लाभ पहुंचाए जाते हैं जिनका उद्देश्य उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है ताकि दूध पिलाने वाली और गर्भवती स्त्रियों के माहौल में सुधार किया जा सके और इसके लिए उन्हें नकद प्रोत्साहन राशि दी जा सके।

12. नोनी सुरक्षा योजना

राज्य में बाल लिंगानुपात बनाये रखन, आमजन में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच लाने एवं बाल विवाह की रोकथाम हेतु 1 अप्रैल 2014 से नोनी सुरक्षा योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रत्येक बालिका को 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12वीं तथा शिक्षा पूर्ण होने पर ही 1 लाख रु. की राशि प्रदान करेगी।

13. मुख्यमंत्री अमृत योजना

राज्य के 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सप्ताह में 01 दिन (सोमवार) सुगंधित मीठा दूध वितरण किया जाता है। इस वर्ष 8,04,478 बच्चे लाभान्वित हुए हैं।

14. महतारी जतन योजना

इस योजनांतर्गत गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल करने के उद्देश्य से उन्हें पोषण युक्त आहार गर्भ भोजन एवं टेक होम राशन पद्धति से रेडी टू ईट का प्रदाय किया जाता है। इस वर्ष 2,21,815 गर्भवती एवं कुपोषित महिलाएं लाभान्वित हुए हैं।

15. फुलवारी योजना

राज्य में कुपोषण से बचाव हेतु गर्भवती माता, शिशुवति माता एवं 0 से 03 वर्ष के बच्चों को पोषण उपलब्ध कराना। यह योजना समुदाय के सहयोग से संचालित योजना है।

16. शुचिता योजना

बालिका दिवस के अवसर पर शुचिता योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 2000 स्कूलों जहां बेटियां अध्ययनरत हैं, सेनेटरी नेपकिन की एटीएम वैंडिंग मशीन लगाई जाएगी। इस वर्ष 584 स्कूलों में सेनेटरी नेपकिन की एटीएम वैंडिंग मशीन लगाई गई है।

4.15 ग्रामोद्योग

विश्व में भारत का वन्य रेशम उत्पादन में चीन के बाद द्वितीय स्थान है, देश में छत्तीसगढ़ राज्य टसर उत्पादन में झारखण्ड के बाद द्वितीय स्थान में है, प्रदेश के उत्पादित कोसे को कुशल बुनकरों के माध्यम से कलात्मक एवं आकर्षक डिजाईनों में परिवर्तित कर प्रदेश के कोसा वस्त्रों को राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हो रही है। राज्य शासन द्वारा वन आधारित ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के संकल्प के प्रतिपूर्ति हेतु रेशम प्रभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराने हेतु टसर रेशम विकास एवं विस्तार योजना, नैसर्गिक टसर कोसा उत्पादन विकास कार्य, पालित प्रजाति के कृमिपालकों को टसर स्व. डिम्ब समूह पर सहायता, मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान तथा लघु निर्माण कार्य की योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में राज्य में 83439 हितग्राही एवं श्रमिक लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश में 429 टसर केन्द्र एवं स्थलों पर विभागीय परियोजना एवं प्राकृतिक वनखण्ड 13395 हेक्टेयर क्षेत्र का उपयोग हो रहा है। मलबरी केन्द्रों की संख्या 69 है, जिसमें 652 एकड़ क्षेत्र में शहतूत पौधरोपण उपलब्ध है।

वर्ष 2017-18 में पालित एवं नैसर्गिक ककून का उत्पादन 28.27 करोड़ नग तथा रॉ-सिल्क उत्पादन 522.80 मि. टन हुआ है, जो कि राज्य गठन से अब तक का सर्वाधिक ककून एवं धागा उत्पादन है। मलबरी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 68639 किलोग्राम मलबरी ककून का उत्पादन हुआ है।

प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत 117 विभागीय कोसा बीज एवं कोसा मार्गदर्शी तथा 69 मलबरी केन्द्रों हेतु ही विभागीय राशि बजट में प्रावधान की जाती है। वर्ष 2018-19 में 151 नैसर्गिक रैली एवं डाबा प्रगुणन केम्प तथा टसर ककून उत्पादन का लक्ष्य 31.24 करोड़ नग तथा मलबरी ककून उत्पादन का लक्ष्य 72600 किलोग्राम एवं कुल लाभान्वित हितग्राही 92100 लक्षित किया गया है। वर्ष 2018-19 में संचालित विभागीय योजनाओं हेतु राशि 5165.60 लाख का बजट प्रावधान है।

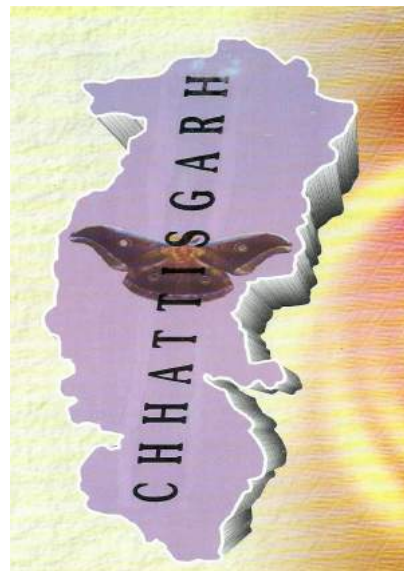
वर्ष 2019-20 में 175 नैसर्गिक रैली एवं डाबा प्रगुणन केम्प तथा टसर ककून उत्पादन का लक्ष्य 32.38 करोड़ नग तथा मलबरी ककून उत्पादन का लक्ष्य 74778 किलोग्राम एवं कुल लाभान्वित हितग्राही 95676 लक्षित किया गया है। वर्ष 2019-20 में संचालित विभागीय योजनाओं हेतु राशि 5491.56 लाख का बजट प्रस्तावित किया जावेगा।

उक्त पंचवर्षीय योजना वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में विभागीय संचालित योजना हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना संलग्न की गई है। संलग्नानुसार वर्ष 2020-2021 में राशि 5968.01 लाख, वर्ष 2021-22 में राशि 6680.12, वर्ष 2022-23 में राशि 7428.08 लाख, वर्ष 2023-24 में राशि 8225.66 लाख एवं वर्ष 2024-25 में राशि 9292.58 लाख इस प्रकार कुल व्यय राशि 37594.45 लाख रुपये पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा चाही गई पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित है।

4.16 रेशम उद्योग

प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (योजना क्रमांक 2731)

उक्त योजना के अंतर्गत रेशम प्रभाग से जुड़े विभागीय कर्मचारियों एवं हितग्राहियों को टसर, एवं मलबरी के अंतर्गत गुणवत्ता एवं मात्रात्मक कोसा उत्पादन वृद्धि, नवीन विधाओं एवं केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण से संबंधित फील्ड ट्रायल तथा उच्च गुणवत्तायुक्त टसर, मलबरी, स्वस्थ समूह का उत्पादन एवं टसर, मलबरी एवं ईरी के नवीन प्रजाति के पौधरोपण तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा अनुसंधान के माध्यम से नवीन विधाओं की खोज हेतु ट्रायल्स आदि अनुसंधान गतिविधियाँ संपादित की जाती है।



प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 27 विभागीय कर्मचारियों को एवं 198 कृमिपालक हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया है विवरण निम्नानुसार है।

प्रशिक्षण एवं अनुसंधान योजना क्रमांक 2731 अन्तर्गत प्रावधानित एवं आवंटित बजट तथा आवंटित बजट के विरुद्ध व्यय

क्र.	वर्ष	योजना का नाम/ क्रमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरुद्ध व्यय
1	2009-10	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	27.00	26.99
2	2010-11		27.00	27.00
3	2011-12		30.00	17.38
4	2012-13		30.00	29.98
5	2013-14		32.00	31.98
6	2014-15		35.55	32.58
7	2015-16		33.50	33.47
8	2016-17		36.85	31.75
9	2017-18		40.80	40.80

प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 से 2017-18 तक कुल लाभान्वित हितग्राही एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों की संख्या का विवरण :-

क्र.	वर्ष	विवरण	कुल लाभांवित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	अ.जा.	अ.ज. जा.
1	2009-10	मलबरी एवं टसर योजना के अंतर्गत	500	126	292
2	2010-11	हितग्राहियों को नर्सरी एवं पौधरोपण	845	225	452
3	2011-12	पद्धति तथा संधारण प्रक्रिया, कृमिपालन	1240	140	857
4	2012-13	भवन का निरोगीकरण, चॉकी	801	144	476
5	2013-14	कृमिपालन, नवीनतम तकनीक, संस्थागत गतिशीलन, जागरूकता एवं	1075	123	793
6	2014-15	पौधों पर होने वाली बीमारियों के संबंध में रोकथाम के उपाय, टसर ग्रेनेज की उन्नत तकनीक (निजी ग्रेन्यूर) प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित कर रेषम रोजगार हेतु परिपक्व बनाना।	1405	265	1140
7	2015-16	विभा.कर्म 51+949 हित.	1000	.	.
8	2016-17	विभा.कर्म 19+965 हित.	984	.	.
9	2017-18	विभा.कर्म 27+198 हित प्रशि. 642 अन्य	867	23	112

पालित प्रजाति के कृमिपालकों को टसर स्वस्थ डिम्ब समूह सहायता योजना (योजना क्रमांक 5662)

प्रदेश के व्यवसायिक पालित टसर कृमिपालकों को विभाग द्वारा कृमिपालक हितग्राहियों को

मात्र रु0

2/-

प्रति

स्वस्थ

समूह की

दर पर

स्व.समूह

(अण्डे)



प्रदाय किया जाता है। तथ प्रथम द्वितीय एवं तृतीय फसल में इस वर्ष रु. 10/- प्रति स्वस्थ समूह की दर सहायता राशि प्रदान की जाती है, एवं उक्त योजना के अंतर्गत प्रदेश में पालित डाबा टसर ककून उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 230 केन्द्रों (विभागीय 80 केन्द्रों/49 मलबरी से ट.परि./नये

विस्तार—100 स्थलों में 6005 हेक्टेयर एवं 151 परियोजना केन्द्रों पर 2400 हेक्टेयर तथा प्राकृतिक वन खण्डों पर 4681 हेक्टेयर कुल उपलब्ध क्षेत्र 13395 हेक्टेयर है, जिसमें ग्रामीण अंचलों के हितग्राहियों को अण्डे देकर कृमिपालन कार्य कराया जाता है। तथा उनसे उत्पादित ककून शासकीय दर से विभाग द्वारा गठित ककून बैंकों द्वारा क्रय कर लिया जाता है।

टसर स्वस्थ डिम्ब समूह योजना क्रमांक 5662 अन्तर्गत आवंटित बजट तथा आवंटित बजट के विरुद्ध व्यय

क्र.	वर्ष	योजना का नाम/ क्रमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरुद्ध व्यय
1	2009—10	टसर स्वस्थ डिम्ब समूह योजना / योजना क्रमांक 5662	80.00	75.35
2	2010—11		100.00	77.75
3	2011—12		110.00	66.62
4	2012—13		120.00	116.49
5	2013—14		155.00	121.54
6	2014—15		155.00	145.14
7	2015—16		155.00	144.51
8	2016—17		593.00	541.25
9	2017—18		1241.71	645.37

विगत छः वर्षों की पालित प्रजाति के उपयोगित टसर स्वस्थ समूह एवं कृमिपालक हितग्राहियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	इकाई	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18
1	पालित टसर ककून उत्पादन हेतु स्व.समूह प्रदाय	लाख नग में	22.32	22.041	22.25	22.56	28.12	28.29	26.86
2	टसर स्वस्थ समूह से कुल लाभांवित हितग्राही	संख्या में	10457	10925	10093	9323	13837	12234	12156
	अ.जा.		1186	1374	1149	939	1327	1522	1362
	अ.ज.जा.		7028	7031	6907	6117	7914	8029	7996

टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम (योजना क्रमांक 5146)

वर्तमान में ग्रामोद्योग संचालनालय रेशम प्रभाग के अंतर्गत टसर रेशम विकास एवं विस्तार



योजना अंतर्गत 13395 हेक्टेयर साजा, अर्जुना का टसर खाद्य पौधरोपण कुल क्षेत्र है, जिसका उपयोग टसर योजना अंतर्गत किया जा रहा है ।

टसर रेशम विकास एवं विकास कार्यक्रम योजना क्रमांक 5146 अंतर्गत आवंटित बजट एवं आवंटित बजट के विरुद्ध व्यय

क्र.	वर्ष	योजना का नाम/ क्रमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरुद्ध व्यय
1	2009-10	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम/ योजना क्रमांक 5146	723.00	710.82
2	2010-11		1131.86	899.56
3	2011-12		1138.20	1015.90
4	2012-13		1297.80	1291.45
5	2013-14		1351.60	1278.71
6	2014-15		1332.60	1322.62
7	2015-16		1706.85	1690.80
8	2016-17		1794.95	1692.47
9	2017-18		2109.50	2017.57

विगत 7 वर्षों की पालित प्रजाति के टसर ककून उत्पादन के उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	इकाई	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18
1	पालित टसर ककून उत्पादन	लाख नग में	587.012	581.44	583.026	634.026	769.367	874.00	851.549
2	लाभांवित हितग्राही एवं श्रमिकों की संख्या	संख्या में	16962	20872	18493	22525	32599	31710	31117
	अ.जा.		1815	2078	2092	2713	3181	4160	3625
	अ.ज.जा.		10668	14060	12017	13380	18110	16542	18523

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम (योजना क्रमांक 3777)

वर्तमान में ग्रामोद्योग संचालनालय रेशम प्रभाग के अंतर्गत मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार

योजना
अंतर्गत
विभाग
द्वारा



हितग्राहीयों को निःशुल्क तकनीकी मार्गदर्शन एवं योजनांतर्गत उत्पादित मलबरी ककून का मूल्य गुणवत्ता आधारित सफेद मलबरी ककून (बाय बोल्टाइन) **रु. 168/-** एवं पीला मलबरी ककून (मल्टी बोल्टाइन) **रु. 144/-** प्रति किलोग्राम है। विभागीय रेशम केन्द्रों में उपलब्ध शहतूती पौधरोपण का रखरखाव स्थानीय महिला हितग्राहियों के माध्यम से परिक्षेत्र का संधारण किया जाता है।

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम योजना क्रमांक 3777 अन्तर्गत आवंटित बजट एवं आवंटित बजट के विरुद्ध व्यय

क्र.	वर्ष	योजना का नाम/ क्रमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरुद्ध व्यय
1	2009-10	मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम योजना क्रमांक 3777,3394,5106	224.25	217.51
2	2010-11		327.30	228.61
3	2011-12		252.75	236.80
4	2012-13		271.00	270.29
5	2013-14		307.50	306.68
6	2014-15		320.00	316.82
7	2015-16		383.65	350.21
8	2016-17		420.15	403.29
9	2017-18		474.50	446.24

विगत 6 वर्षों की मलबरी ककून उत्पादन के उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है

क्र	विवरण	इकाई	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18
1	मलबरी ककून उत्पादन	कि.ग्रा. में	52340	54488	64911	66278	68918	60501	68639
2	लाभान्वित हितग्राही एवं श्रमिक	संख्या में	1639	2436	2596	3457	3242	2675	2936
	अ.जा.		143	119	285	361	349	199	147
	अ.ज.जा.		1058	1461	1559	2144	2242	1849	2211

नैसर्गिक टसर बीज प्रगुणन एवं संग्रहण कार्यक्रम (योजना क्रमांक 164)

छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जगदलपुर, (बस्तर), उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, रायपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, दुर्ग, कोरबा, जशपुर, कोरिया जिलों में हरितिमा का परिधान ओढ़े वनों से अच्छादित क्षेत्र है। उक्त जिलों में मूलतः अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवार निवास करते हैं जोकि समाज के मुख्य धारा से अभी भी पूर्णतः जुड़े नहीं हैं। यद्यपि शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहे हैं। इसी क्रम में उक्त जिलों में नैसर्गिक कोसा उत्पादन के संग्रहण के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा रहा है। इस दिशा में ग्रामोद्योग संचालनालय द्वारा प्राकृतिक वन क्षेत्रों में नैसर्गिक बीज का प्रगुणन किया जाकर, उसे सघन वन क्षेत्रों में फैलाया जाता है जिससे वनवासी हितग्राही द्वारा नैसर्गिक कोसा संग्रहण किया जाकर आय का एक अतिरिक्त साधन प्राप्त कर सकें। इस क्षेत्र में निवास करने वाले उक्त परिवार मूलतः वनों पर आधारित उपज का विपणन कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। उक्त जिलों वन खण्डों में प्राकृतिक रूप से साल, साजा, सेन्हा, धौरा, बेर के वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। इन वृक्षों में टसर कोसा की रैली, लरिया एवं बरफ प्रजाति के कोसाफल नैसर्गिक रूप से उत्पादित होते हैं।

नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं सघन विकास कार्यक्रम—कैम्प की पृष्ठभूमि एवं उपयोगिता:—

प्राकृतिक वन खण्डों से ग्रामीण वनवासी हितग्राहियों द्वारा नैसर्गिक कोसाफल के लगातार दोहन से वनों में बीज हेतु कोसाफलों की संख्या न्यून हो जाने के कारण नैसर्गिक प्रगुणन की प्रक्रिया धीमी होने से नैसर्गिक उत्पादन पर विपरीत प्रभाव होने लगाता है तथा उत्पादन कम होते जाता है। इस चिंतनीय स्थिति से निपटने हेतु ग्रामोद्योग संचालनालय द्वारा प्राकृतिक वन खण्डों में नैसर्गिक बीज प्रगुणन कार्यक्रम (इंटेसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम) के माध्यम से बीज कोसाफल की मालाएँ सघन वन क्षेत्रों के मध्य लगाई जाकर उनसे प्राप्त नर—मादा तितलियों एवं निशेचित अण्डे प्राकृतिक वन खण्डों में छोड़ा जाता है। मादा तितलियों के द्वारा उत्सर्जित अण्डों में हेंचिंग उपरांत साल, साजा, सेन्हा, धौरा, बेर की पत्तियों को आहार के रूप में ग्रहण कर अपना जीवन चक्र 45 दिवस में पूर्ण कर कोसाफल बनाते हैं। नर—मादा तितलियों एवं युग्मित अण्डे छोड़े जाने से उत्पादन में आशाजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

नैसर्गिक टसर बीज प्रगुणन एवं संग्रहण कार्यक्रम (योजना क्रमांक 164) अन्तर्गत आवंटित

बजट एवं आवंटित बजट के विरुद्ध व्यय

क्र.	वर्ष	योजना का नाम/ क्रमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरुद्ध व्यय
1	2009-10	नैसर्गिक टसर बीज प्रगुणन एवं संग्रहण कार्यक्रम योजना क्रमांक 164	156.80	156.54
2	2010-11		439.13	284.04
3	2011-12		376.00	369.75
4	2012-13		495.30	327.92
5	2013-14		534.75	521.56
6	2014-15		534.75	152.38
7	2015-16		530.75	301.28
8	2016-17		632.45	568.21
9	2017-18		754.60	701.50

नैसर्गिक कोसा का उत्पादन:-

सामान्यतः इस प्रजाति के टसर कोसा का उत्पादन वर्ष में दो बार प्राप्त होते हैं। जिसे स्थानीय संग्रहक हितग्राही भादवीं एवं चैती फसल कहते गत छः वर्षों में अनुमानित नैसर्गिक ककून संग्रहण एवं अनुमानित संग्राहक हितग्राही की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	इकाई	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18
1	नैसर्गिक टसर ककून उत्पादन	लाख नग में	1636.27	1999.77	2048.40	657.85	693.818	1110.157	1975.802
2	लाभांवित हितग्राही	संख्या में	52366	62869	83866	21469	29042	44009	46386
	अ.जा.		5299	5844	12271	3187	3905	5056	4579
	अ.ज.जा.		35300	45079	53409	12221	19083	24552	29678

4.17 छ.ग.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

1 परिचय/स्थापना –

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन, छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा विभिन्न ग्रामोद्योगों के विकास के लिए छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक— 344/116/ग्रामोद्योग/ 2001, रायपुर दिनांक 20.07.2001 द्वारा किया गया। इस आदेश के तहत मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त खादी तथा ग्रामोद्योग के सभी विधि एवं विधान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंगीकृत किये गये तथा नवम्बर 2000 के प्रथम दिन से ही सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होना माना गया।

2 उद्देश्य –

बोर्ड का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, साथ ही विक्रय योग्य वस्तुओं का निर्माण कर विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना व ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित कर, शोषण रहित एवं समता मूलक समाज की रचना का व्यापक उद्देश्य है। अर्थात् ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योगों की इकाई स्थापना कराना तथा उन्नत तकनीक के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर कारीगरों एवं दस्तकारों तथा सूत कातने वाली महिलाओं को रोजगार के व्यापक अवसर सृजित कराना है।

इस व्यापक उद्देश्य को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:— खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना, विकास एवं संवर्धन में सहयोग एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना हेतु उद्यमी भावना को प्रोत्साहित करना, खादी तथा ग्रामोद्योग के लिए संयंत्र, मशीनें और उपकरणों का प्रदाय एवं कच्चे माल की आपूर्ति।

3 प्रमुख कार्य –

प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग के सतत् विकास हेतु बोर्ड द्वारा निम्नानुसार कार्य संपादित किये जा रहे हैं:—

1. खादी तथा ग्रामोद्योग के सेक्टर के कार्यों का नियोजन एवं उन्नयन करना।
2. खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र की विक्रय योग्य वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय करना।
3. औजारों, उपकरणों एवं कच्चेमाल की व्यवस्था करना।
4. खादी तथा ग्रामोद्योग के क्षेत्र में उन्नत तकनीक के उपयोग हेतु अनुसंधान को बढ़ावा देना।
खादी तथा ग्रामोद्योग के क्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
5. खादी तथा ग्रामोद्योग के क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देना।
6. खादी तथा ग्रामोद्योग के विकासात्मक कार्यों का क्रियान्वयन करना, जिसमें आर्थिक सहायता उपलब्ध कर व्यक्तियों, संस्थाओं को वितरित करना।

छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रमुख रूप से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की जानकारी एवं भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है :—

- (1) **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम** :— भारत सरकार (खादी और ग्रामोद्योग आयोग) की यह प्रायोजित योजना है। इस योजनांतर्गत रु. 25.00 लाख तक के परियोजना लागत की ग्रामोद्योग इकाईयां स्थापित करने पर सामान्य पुरुष वर्ग को 25% तथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.

पि.व. व महिलाओं को 35% मार्जिन मनी अनुदान बोर्ड द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में सामान्य वर्ग के पुरुष को परियोजना लागत का 10% तथा अन्य को 5% स्वयं का अंशदान विनियोजित करना होता है। वर्ष 2017-18 की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार है -

(राशि रु. लाख में)

क्र.	वर्ष	लक्ष्य			पूर्ति			रिमार्क
		इकाई संख्या	अनुदान राशि	रोजगार	इकाई संख्या	अनुदान राशि	रोजगार	
1.	2017-18	422	845.00	3376	498	1024.04	3984	121%

वर्ष 2017-18 में वर्गवार उपलब्धि

(राशि रु. लाख में)

क्रमांक	वर्ग	इकाई संख्या	अनुदान	रोजगार
1	अ.जा.	57	105.18	456
2	अ.ज.जा.	44	73.17	352
	योग-	101	178.35	808

(2) मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :- यह राज्य शासन की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत राशि सेवा क्षेत्र हेतु रुपये 1.00 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र हेतु राशि रु. 3.00 लाख तथा अनुदान राशि की सीमा 35% है, जिसमें लाभार्थी द्वारा स्वयं अंशदान विनियोजन 5% है। अनुदान राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को छोटे-छोटे ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना हेतु लाभान्वित कर ग्रामोद्योग का विकास एवं स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाता है। वर्ष 2017-18 की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार है -

(राशि रु. लाख में)

क्र.	वर्ष	लक्ष्य			पूर्ति			रिमार्क
		इकाई संख्या	अनुदान राशि	रोजगार	इकाई संख्या	अनुदान राशि	रोजगार	
1.	2017-18	489	512.50	2934	799	512.50	4794	100%

वर्ष 2017-18 में वर्गवार उपलब्धि

(राशि रु. लाख में)

क्रमांक	वर्ग	इकाई संख्या	अनुदान	रोजगार
1	अ.जा.	221	176.00	1326
2	अ.ज.जा.	283	176.00	1698
	योग-	504	352.00	3024

(3)

कारीगर प्रशिक्षण :- इस योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत युवक-युवतियों को ग्रामोद्योग स्थापना संबंधी विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर उसे सफलतापूर्वक संचालित कर सकें। प्रशिक्षण ऐसा विषय है जिससे संबंधित ट्रेड के साथ-साथ व्यवसाय हेतु कच्चामाल विपणन एवं वित्तीय व्यवस्था के संबंध में व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता है। वर्ष 2017-18 की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार है -

(राशि रु. लाख में)

क्र.	वर्ष	लक्ष्य		पूर्ति		रिमार्क
		प्रशिक्षार्थी संख्या	राशि	प्रशिक्षार्थी संख्या	राशि	
2.	2017-18	201	48.43	201	48.60	100%

वर्ष 2017-18 में वर्गवार उपलब्धि

(राशि रु. लाख में)

क्रमांक	वर्ग	प्रशिक्षार्थी संख्या	प्रशिक्षण अनुदान
1	अ.जा.	66	16.20
2	अ.ज.जा.	68	16.20
	योग-	134	32.40

(4) खादी उत्पादन केन्द्र :- छ0ग0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 8 उत्पादन केन्द्र संचालित हैं, जहां ग्रामीण महिलाओं को अम्बर चरखा से सूत कटाई का कार्य नियमित रूप से दिया जा रहा है एवं बुनकरों द्वारा खादी वस्त्र का उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन केन्द्र में अनुसूचित जाति वर्ग के 71 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 77 कर्त्तिन/बुनकर को रोजगार दिया जा रहा है। सोलर चरखा आदि नवीन तकनीक के उपयोग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2017-18 की उपलब्धि निम्नानुसार है -

(राशि रु. लाख में)

वर्ष	उत्पादन लक्ष्य	पूर्ति	रोजगार	प्रतिशत
2017-18	350.00	350.01	507	100%

(5) विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार :- इसके अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में स्थित खादी ग्रामोद्योग भंडारों के माध्यम से खादी उत्पादन केन्द्रों, बांस कला केन्द्र एवं बोर्ड के माध्यम से लाभान्वित ग्रामोद्योग इकाईयों द्वारा उत्पादित सामग्रियों का विक्रय किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 की उपलब्धि निम्नानुसार है-

(राशि रु. लाख में)

वर्ष	विक्रय लक्ष्य	पूर्ति	रोजगार	प्रतिशत
2017-18	600.00	610.20	विभागीय	101%

(6) पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केन्द्र :- बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बांसकला शिल्प केन्द्र संचालित है। इसमें आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में कलात्मक वस्तुयें तैयार कर प्रदेश के भीतर एवं बाहर बिक्री एवं प्रचार-प्रसार किया जाता है, इस केन्द्र पर 42 अनुसूचित जनजाति वर्ग की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है।

उपलब्धि एवं लक्ष्य निम्नानुसार है -

(राशि रु.लाख में)

वर्ष (2017-18)		लक्ष्य	पूर्ति	रोजगार	प्रतिशत
	उत्पादन	26.08	29.63	42	113%
	विक्रय	30.60	30.64	42	100%

उपरोक्तानुसार छ0ग0 राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर राज्यपाल प्रतिवेदन 2017-18 हेतु योजनाओं की जानकारी एवं भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धि एवं अवलोकनार्थ प्रेषित है।

4.18 छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड

01. हस्तशिल्प विकास योजनाओं हेतु अनुदान :

विकास योजना कार्यक्रमों का निष्पादन कर संग्रहण एवं जॉबवर्क की सुविधा प्रदान करना है। साथ ही शिल्पियों द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प सामग्री का संग्रहण कर रोजगार एवं उत्पादन को बढ़ावा देना है। उक्त कार्यक्रम में कच्चा माल का क्रय जॉब वर्क एवं सीधे तैयार किये गये शिल्पों के विपणन की गति अन्य कारणों से संतोषप्रद न होने के कारण उपयोग की जाने वाली राशि का वर्ष में न्यूनतम दो बार रिवाल्विंग फण्ड के रूप में उपयोग करना सुनिश्चित किया जावेगा। इसके साथ ही समूह सशक्तिकरण, अध्ययन प्रवास, मोबलाईजेशन तथा विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का संचालन किया जावेगा

उद्देश्य:-

01. इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के शिल्पियों को बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराना एवं अन्य रचनात्मक सहयोग सुनिश्चित करना है ।
02. यथा-संभव हस्तशिल्प सामग्री की उत्पादन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर प्रदान करना ।
03. विकास केन्द्रों के माध्यम से सामग्री संग्रहण कर विपणन सुविधा उपलब्ध कराना
04. सुदूर क्षेत्रों के गरीब शिल्पियों के जीवन स्तर में सुधार लाना ।
05. ग्रामीण युवा/युवतियों को रोजगार से जोड़ना ।

विकास योजना कार्यक्रमों का निष्पादन कर संग्रहण, जॉबवर्क, अध्ययन प्रवास, नई डिजाइनों का क्रय, नई डिजाइनों का उत्पादन, डिजाइन कार्यशाला का आयोजन, स्व:सहायता समूह का गठन, सशक्तिकरण आदि विभिन्न विकास योजनाएं राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित की जाती है।

02. हस्तशिल्प में राज्य स्तरीय पुरस्कार :

प्रदेश में हस्तशिल्पियों के उत्साहवर्धन हेतु बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रमुख शिल्प बेलमेटल, टेराकोटा, आयरन, काष्ठ, बांस, पत्थर, कौड़ी, शीशल आदि है । राज्य शासन से प्राप्त अनुदान के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है। प्रत्येक शिल्पियों को प्रथम पुरस्कार के रूप में राशि रु. 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) एवं शाल, श्रीफल प्रदान की जाती है।

उद्देश्य :-

1. प्रदेश के शिल्पियों के कलाकृतियों का मूल्यांकन करना ।
2. शिल्पियों में प्रतिस्पर्धात्मक कार्यशैली जागृत करना ।

3. प्रदेश की संस्कृति सम्पदा में निरन्तरता वृद्धि करना ।
4. सुदूर पिछड़े इलाकों में निवासरत शिल्पियों को प्रोत्साहन करना ।
5. शिल्प क्षेत्र में अधिक से अधिक शिल्पियों को जोड़ना ।

03. विकास केन्द्रों के संचालन हेतु स्थापना अनुदान:

राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित विकास केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण, जॉब वर्क, संग्रहण, औजार उपकरण अनुदान, कर्मशाला निर्माण अनुदान, डिजाईन तकनीकी मार्गदर्शन, अध्ययन प्रवास आदि कार्य का क्रियान्वयन किया जाता है उक्त कार्यों के साथ-साथ विपणन व्यवस्थाओं को सक्षम बनाया जाता है ।

संचालित विकास केन्द्रों का कार्य व्यवसायिक न होकर विशुद्ध रूप से विकासात्मक है । अतः केन्द्रों में पदस्थ अमलों का वेतन भत्ते, स्टेशनरी, बिजली, पानी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, भवन किराया, फर्नीचर, यात्रा व्यय आदि की प्रतिपूर्ति उक्त मद से की जाती है । राज्य में बोर्ड द्वारा संचालित योजना/गतिविधियों में प्रतिवर्ष लगातार वृद्धि होने के कारण जिला कार्यालय एवं एम्पोरियमों में सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी के मानदेय भुगतान एवं अन्य व्ययों का भुगतान किया गया ।

04. सहकारी समिति/संस्थाओं को आर्थिक सहायता :

इस योजनांतर्गत राज्य की पंजीकृत सहकारी संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठन, सोसायटियों जो हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत हैं, को राशि रु. 25000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । नियमानुसार 03 वर्ष पश्चात् संस्थाओं को इस योजना में लाभलेने की पात्रता आती है ।

05. हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण अनुदान :

परम्परागत एवं प्रशिक्षित हस्तशिल्पियों के कला कौशल एवं गुणवत्ता में सुधार लाने एवं शिल्पकला में विकसित नवीन तकनीकी एवं डिजाईन प्रक्रियाओं का व्यावहारिक ज्ञान कराने हेतु हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा निम्न उद्देश्यों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया जाता है ।

उद्देश्य:-

1. शिल्पियों के शिल्प में गुणात्मक सुधार लाना ।
2. नये शिल्प का सृजन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार करना ।
3. शिल्प के माध्यम से बेरोजगार युवक/युवतियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ना
4. लुप्त हुये शिल्पों की खोज एवं प्रशिक्षण के माध्यम से पुर्नजीवित करना ।
5. अल्पकारिक सेक्टर में कार्यरत लोगों को प्रशिक्षण से अतिरिक्त आमदनी उपलब्ध कराना ।
6. हस्तशिल्प के क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से चहुमुखी विकास करना ।

एक प्रशिक्षण में कुल 20 प्रशिक्षणार्थी को लाभांशित किया जाता है एवं एक प्रशिक्षण का कुल व्यय राशि रु. 1.71 लाख होता है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	छात्रवृत्ति प्रतिमाह राशि	माह	कुल राशि
1	छात्रवृत्ति	1500	3	90000
2	कच्चा माल	.	.	27000
3	प्रशिक्षक मानदेय	9000	3	27000
4	भवन किराया	.	.	6000
5	औजार उपकरण	.	.	15000
6	अन्य विविध व्यय	.	.	6000
योग			.	171000

06. बस्तर हस्तशिल्प विकास योजना :

बस्तर में हस्तशिल्पियों के विकास के लिये राशि रु. 319.25 लाख की पंचवर्षीय योजना संचालित है। इस योजना में बस्तर जिले के कोण्डागांव, भानपुरी क्षेत्र के लगभग 14 ग्रामों के विभिन्न शिल्पों के 1500 शिल्पी लाभान्वित होंगे। योजनान्तर्गत प्रशिक्षण स्व सहायता समूह का गठन, अध्ययन प्रवास, डिजाइन विकास कार्यशाला, प्रदर्शनी प्रचार-प्रसार आदि कार्यक्रमों हेतु राज्य शासन से प्रतिवर्ष राशि प्राप्त होती है।

07. औजार-उपकरण एवं कर्मशाला निर्माण हेतु अनुदान :

प्रशिक्षित शिल्पियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु राशि रु. 3000/- से 5000/- तक की सीमा में औजार-उपकरण अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं तथा कर्मशाला निर्माण हेतु राशि रु. 7500/- से राशि रु. 10000/- तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। उपरोक्त दोनों योजनाओं में सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के शिल्पियों को 75 प्रतिशत अनुदान एवं अनुसूचित जनजाति/अनु. जाति के शिल्पियों के लिये शत प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

08. कोण्डागांव में शिल्प सिटी की स्थापना :

राज्य के परम्परागत हस्तशिल्प जैसे-बेलमेटल, काष्ठ, बांस, मिट्टी, लौह शिल्प आदि को देश एवं विदेश के बाजार में अपनी पहचान बनाने एवं परम्परागत हस्तशिल्प उत्पादन तथा तकनीकी डिजाइन के माध्यम से हस्तशिल्पियों को अधिकाधिक रोजगार में संलग्न करने/डिजाइनिंग, प्रोसेसिंग, प्रकलन सुविधाओं का विस्तार करना तथा राज्य के हस्तशिल्प उद्योग को वित्त, बाजार एवं सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता को महसूस करते हुए कोण्डागांव में एक सुविकसित सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना किया जाना है।



4.19 चिकित्सा शिक्षा

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा से संबंधित जानकारी

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के विभागीय दायित्व:-

- क/ चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा सम्बद्ध चिकित्सा व्यवसाय का प्रबंधन तथा नियंत्रण।
ख/ परिचर्या शिक्षा, प्रशिक्षण तथा व्यवसाय का प्रबंधन तथा नियंत्रण।
ग/ शासकीय कर्मचारियों को राज्य के बाहर चिकित्सा सहायता तथा उपचार से संबंधित विषय।
घ/ निजी क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय, दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय एवं फिजियोथेरेपी महाविद्यालय खोलने के संबंध में कार्यवाही।
च/ ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से सम्बन्ध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित किये गये विषयों को छोड़कर)।

विभागीय संरचना:-

राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विकास, विस्तार एवं प्रशासनिक नियंत्रण हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष के रूप में संचालक चिकित्सा शिक्षा की पृथक से स्थापना की गयी है। संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की विभागीय संरचना निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	अद्यतन स्थिति
1	संचालक	01	प्रभारी संचालक पूर्ण कालिक
2	अतिरिक्त संचालक	01	अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत
3	संयुक्त संचालक	01	रिक्त
4	उपसंचालक	02	अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यरत
5	सहायक संचालक	04	02 कार्यरत 02 रिक्त
6	सहायक संचालक वित्त	01	कार्यरत
7	अन्य	47	(19 कार्यरत एवं 28 रिक्त)
	योग	57	कुल स्वीकृत पदों के विरुद्ध 23 कार्यरत तथा 34 पद रिक्त हैं।

अधीनस्थ कार्यालय/संस्थायें :-

चिकित्सा शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों को मूर्त रूप देने हेतु निम्न संस्थायें संचालित हैं:-

क्र.	संस्था का नाम	कार्यालय प्रमुख
1	पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर	अधिष्ठाता
2	डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
3	क्षेत्रीय कैंसर संस्थान रायपुर	अधीक्षक
4	स्व.श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर	अधिष्ठाता

5	चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय जगदलपुर	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
6	छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर	अधिष्ठाता
7	छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) संबद्ध चिकित्सालय बिलासपुर	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
8	स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़	अधिष्ठाता
9	स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय रायगढ़	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
10	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव	अधिष्ठाता
11	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय राजनांदगांव	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
12	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अम्बिकापुर	अधिष्ठाता
13	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय, अम्बिकापुर	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
14	शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर	प्राचार्य
15	शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय रायपुर	प्राचार्य
16	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय रायपुर	प्राचार्य
17	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बिलासपुर	प्राचार्य
18	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जगदलपुर	प्राचार्य
19	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय रायगढ़	प्राचार्य
20	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय अम्बिकापुर	प्राचार्य
21	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय कबीरधाम	प्राचार्य
22	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय राजनांदगांव	प्राचार्य
23	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय दुर्ग	प्राचार्य
24	पैरामेडिकल कौंसिल	रजिस्ट्रार/ पाठ्यक्रम संचालक

इसके अतिरिक्त प्रदेश में निम्नलिखित निजी संस्थाएँ संचालनालय चिकित्सा शिक्षा से सम्बद्ध हैं

क्र.	संस्था का नाम
निजी चिकित्सा महाविद्यालय	
01	चन्दूलाल चन्द्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग
02	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भिलाई
03	रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, रायपुर
निजी दंत महाविद्यालय	
01	छत्तीसगढ़ दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव
02	मैत्री डेंटल कालेज अंजोरा दुर्ग
03	न्यू होराईजन डेंटल कालेज बिलासपुर
04	रूगटा डेंटल कालेज भिलाई दुर्ग
05	त्रिवेणी डेंटल कालेज बोदरी बिलासपुर

निजी नर्सिंग महाविद्यालय

क्र.	महाविद्यालय का नाम
01	मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम- रामपुर, कुम्हारी जिला- दुर्ग (छ.ग.)
02	होली कॉस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अंबिकापुर, जिला - सरगुजा (छ.ग.)
03	श्रेयस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, श्रेयस मेडिकल सेंटर, शिवनाथ कॉम्पलेक्स, जी.ई. रोड़ सुपेला, भिलाई
04	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, धमतरी किश्चयन हॉस्पिटल, धमतरी छ.ग. 493773
05	मैत्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जी.ई. रोड़ अंजोरा, दुर्ग
06	ग्रेसियस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम बेलभाठा, अभनपुर, जिला- रायपुर
07	श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अमड़ी नगर, हुडको भिलाई, जिला- दुर्ग
08	चंदुजाल चंद्राकर नर्सिंग इंस्टीट्यूट नेहरू नगर चौक, जी.ई. रोड़ भिलाई
09	कंप्यूलेस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, परी रोड़, राजनांदगांव
10	सी.जी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बजाज कालोनी न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर
11	अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वेटनरी कॉलेज के पास अंजोरा, दुर्ग
12	आदर्श कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मुर्दा रोड़ रायपुर
13	सेन्ट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोपेडिह रोड़, देवादा, राजनांदगांव
14	रस्तोगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जामुल भिलाई, मेन रोड़ राधिका नगर दुर्ग
15	कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडूका, पोस्ट-दर्दी, पेंड्रा रोड़, जिला- बिलासपुर
16	एम. जे. कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोहका जुनवानी रोड़, सुपेला भिलाई
17	महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आशीष भवन, कोटा स्टेडियम, रायपुर
18	बेथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बोरसी, दुर्ग
19	मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, चोपड़ापारा, रिंग रोड़, सूरजपुर, अंबिकापुर
20	आदेश्वर नर्सिंग इंस्टीट्यूट, सीनियर एमआईजी 14, 15 हॉउसिंग बोर्ड कालोनी बोधघाट, जगदलपुर
21	बोधनी देवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट अडावाल जगदलपुर, बस्तर
22	श्री चंद्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट, पुष्पक नगर, मोतीलाल नेहरू, भिलाई
23	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम- रिसाली, भिलाई
24	ओरियेंटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिलासपुर रोड़, कटघोरा, जिला -कोरबा
25	आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज ऑफ नर्सिंग छतौना, मंदिर हसौद, रायपुर
26	पी.जी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जं.एल.एन. हॉस्पिटल, स्ट्रीट नं. 5, हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई, दुर्ग
27	कॉलेज ऑफ नर्सिंग अपोलो हॉस्पिटल, लिंगियाडीह सीपत रोड़, बिलासपुर
28	छ.ग. कॉलेज ऑफ नर्सिंग रिसाली, धनोरा दुर्ग
29	रस्तोगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जी.ई. रोड़ टेरेसरा, अंजोरा, राजनांदगांव
30	सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेंटर, जिला जेल राजगमर रोड़, कोरबा
31	काइस्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गीदम रोड़, राजेन्द्र नगर, जगदलपुर, बस्तर
32	जगदगुरु शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मुजगहन सेजबहार, जिला- रायपुर
33	शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग जुनवानी स्मृति नगर भिलाई
34	सी.जी. इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ग्राम संकरी, नेचर सिटी कैम्पस उसलापुर, बिलासपुर
35	आदेश्वर नर्सिंग इंस्टीट्यूट, बरदेभाठा कांकर
36	संदीपनी एकेडमी ग्राम अछोटी पोस्ट गोडी तालुका धमधा, जिला- दुर्ग

37	सूर्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग परशुराम भवन लिंक रोड़, जांजगीर-चांपा
38	वी.एम कॉलेज ऑफ नर्सिंग ज्ञानोदय एसोशिएशन बिश्रामपुर सरगुजा
39	व्ही. केयर नर्सिंग कॉलेज, तिवारी बिल्डिंग केदारपुर, अंबिकापुर
40	श्री रावतपुरा सरार इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, धनेली माना रोड़, रायपुर
41	के.बी. पटेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गोदरीपारा, चिरमिरी मनेन्द्रगढ़
42	फ्लोरेस कॉलेज ऑफ नर्सिंग तुलसी रत्नाबांधा रोड़ सिविल लाईन, धमतरी
43	पार्वती इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग मदनपुर एम.जी. रोड़, शिफाली अंबिकापुर, सरगुजा
44	मार्गदर्शन संस्थान कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बैकुंठपुर कोरिया
45	संदीपनी एकादमी मधुबन रोड़, दयालबंध, बिलासपुर
46	रविशंकर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग मुक्तांगन के पास नया रायपुर
47	सूर्या नर्सिंग इंस्टीट्यूट गुरु तेग बहादुर, श्री गुरु सिंग सभा, गुरुद्वारा कॉम्पलेक्स, स्टेशन रोड़, रेल्वे स्टेशन के पास, महासमुन्द
48	प्रतीभा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग दलदल सिवनी मार्ग, विधान सभा रोड़, रायपुर
49	गायत्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कुदली रोड़, दंतेवाड़ा
50	कोलंबिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गाम- टेकरी विधान सभा के पास, रायपुर
51	हार्दिक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पुराना आरडीए बिल्डिंग देवपुरी धमतरी रोड़ रायपुर
52	सूर्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गीदम रोड़, जगदलपुर, बस्तर
53	रिलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग रत्नबांधा, बस्तर रोड़ धमतरी
54	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, गुरुनानक मार्केट मेनरोड़ दल्लीराजहरा, बालोद
55	जे.ई.एस. कॉलेज ऑफ नर्सिंग गतौरा रेल्वे स्टेशन ग्राम फरहदा, बिलासपुर
56	बिलासा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग मिशन हॉस्पिटल चाटापारा बिलासपुर
57	स्कोप कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट, कांगेर वेली स्कूल के पास, डूमरतालाब, रायपुर
58	श्री बालाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एकता चौक , दुबे कॉलोनी, मोवा रायपुर
59	जगदलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, आजाद चौक भवना ज्वेलर्स, संजय मार्केट, जगदपुर
60	मारुति इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, सी.सी.चर्च केपास मेन रोड़ दल्लीराजहरा, जिला- बालोद
61	दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सत्य विहार, विधान सभा चुदखुरी मार्ग, पचेडा आरंग, रायपुर
62	सुयश कॉलेज ऑफ नर्सिंग डूमरतालाब आमापारा पुलिस स्टेशन रायपुर
63	शिवम् कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पंजाब नेशनल बैंक फारेस्ट नाका, गरियाबंद
64	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एम.एम.आई. लालपुर, रायपुर
65	कैरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सिटी हॉस्पिटल के पास रायगढ़
66	कोण्डागांव कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोण्डागांव
67	ए.के. कॉलेज ऑफ नर्सिंग मनेन्द्रगढ़, जिला- कोरिया
68	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, कोरबा

69	वेदांती विद्या नर्सिंग इंस्टीट्यूट बेमेतरा
70	इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग रिसर्च सेन्टर, सुरजपुर
71	आसरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, रघुनाथ पुर सरगुजा
72	आयुष कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बिलासपुर
73	बीरेन्द्र दीपक कॉलेज ऑफ नर्सिंग गरियाबंद
74	लवकुश इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पथलगांव, जशपुर
75	लवकुश इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, कोण्डागांव
76	रिम्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्राम-गोढ़ी रायपुर
77	सृष्टि नर्सिंग कॉलेज ग्राम राखी रायपुर
78	श्री सी.एम. नर्सिंग कॉलेज कचांदूर दूर्ग
79	आर.बी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिलासपुर
80	डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग वाड्डफ नगर, बलरामपुर
81	मॉ मंगला कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्राम लोहरसिंग, रायगढ़
82	सी.जी.स्कूल नर्सिंग तहसील कोटा बिलासपुर
83	संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, बिलासपुर
84	गायत्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जगदलपुर
85	अपार इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कुनकुरी जशपुर

सत्र 2016 से जी.एन.एम (जनरल नर्सिंग मिडवाईफरी) पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया एवं संचालन संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, रायपुर के अधीन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली से जारी सूची अनुसार 14 शासकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र एवं 69 निजी जनरल प्रशिक्षण केंद्र संचालित है।

क्र.	संस्था का नाम
1	ए.के. स्कूल ऑफ नर्सिंग, अंबिकापुर ,कोरिया
2	आदर्श नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मुरा रोड दतरेंगा, रायपुर
3	आसरा इंस्टीट्यूट अंबिकापुर , सरगुजा
4	आदेश्वर नर्सिंग इंस्टीट्यूट जगदलपुर
5	आदेश्वर नर्सिंग इंस्टीट्यूट, कांकेर
6	अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग ,अंजोरा दुर्ग
7	अपार इंस्टीट्यूट , कुनकुरी जशपुर
8	अशरफी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, बलरामपुर
9	बिलासा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, चाटापारा, बिलासपुर
10	सी.जी. इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, बिलासपुर

11	सी.जी. इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, राजेन्द्र नगर, रायपुर
12	सी.जी. स्कूल ऑफ नर्सिंग, राजेन्द्र नगर, रायपुर
13	सी.जी. स्कूल ऑफ नर्सिंग, बिलासपुर
14	केरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रायगढ़
15	सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राजनांदगांव
16	चंदुलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल, दुर्ग
17	छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग सरगुजा
18	क्रिश्चियन हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग, बिलासपुर
19	धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, धमतरी
20	दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सत्य विहार, रायपुर
21	डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, बलरामपुर
22	फैलोशिप स्कूल ऑफ नर्सिंग, महासमुंद
23	गायत्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दंतेवाड़ा
24	गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग , जगदलपुर, बस्तर
25	शासकीय जी.एन.एम ट्रेनिंग सेंटर, रायपुर
26	शासकीय जी.एन.एम ट्रेनिंग सेंटर, बिलासपुर
27	शासकीय जी.एन.एम ट्रेनिंग सेंटर, जांजगीर चांपा
28	शासकीय जी.एन.एम ट्रेनिंग सेंटर, कोरबा
29	शासकीय जी.एन.एम ट्रेनिंग सेंटर, दुर्ग
30	शासकीय जी.एन.एम ट्रेनिंग सेंटर, धमतरी
31	शासकीय जी.एन.एम ट्रेनिंग सेंटर, महासमुंद
32	शासकीय जी.एन.एम ट्रेनिंग सेंटर, कांकेर
33	शासकीय जी.एन.एम ट्रेनिंग सेंटर, नारायणपुर
34	शासकीय जी.एन.एम ट्रेनिंग सेंटर, कोण्डागांव
35	शासकीय जी.एन.एम ट्रेनिंग सेंटर, जगदलपुर
36	शासकीय जी.एन.एम ट्रेनिंग सेंटर, दंतेवाड़ा
37	शासकीय जी.एन.एम ट्रेनिंग सेंटर, अम्बिकापुर
38	शासकीय जी.एन.एम ट्रेनिंग सेंटर, जशपुर
39	ग्रेसियस स्कूल ऑफ नर्सिंग, बचपन कैंपस, कबीरधाम
40	ग्रेसियस स्कूल ऑफ नर्सिंग, ग्राम बेलभाटा अभनपुर, रायपुर
41	इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, अंबिकापुर, सरगुजा
42	इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, विश्रामपुर, सूरजपुर
43	जे.एम.जे. मार्निंग स्टार स्कूल ऑफ नर्सिंग, रायगढ़
44	जगदगुरु शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सेजबहार, रायपुर
45	जगदलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग आदेश्वर अकेडमी कैंपस, बस्तर
46	जन स्वास्थ्य सहयोग स्कूल ऑफ नर्सिंग, बिलासपुर
47	के.बी. पटेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग , चिरमिरी, कोरिया
48	कालिदी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, राजापारा, कांकेर

49	कोंडागांव कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उमरकोट रोड, कोंडागांव, बस्तर
50	लक्ष्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग , सीतापुर, सरगुजा
51	एम.जे. कालज ऑफ नर्सिंग, कोहका, जुनवानी भिलाई, दुर्ग
52	मां मंगला, जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर, धमतरी रोड, रायपुर
53	माही नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोहाली, धमतरी
54	मार्डन मेडिकल इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ नर्सिंग धमतरी रोड, लालपुर
55	मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, कुम्हारी, दुर्ग
56	न्यू लाईफ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग बैकुंठपुर, कोरिया
57	ओरियंटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोरबा
58	पी.जी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भिलाई दुर्ग
59	प्रतिभा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग सेक्टर-01 शंकर नगर, रायपुर
60	रजवाडा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग वार्ड न0 05, बैकुंठपुर, कोरिया
61	रामकृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस 58-59, सुंदर नगर, रायपुर
62	रस्तोगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग , जी.ई रोड, राजनांदगांव
63	रस्तोगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग , माडल टाउन, नेहरू नगर, भिलाई, दुर्ग
64	रविशंकर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग , नया रायपुर
65	संदीपनी एकेडमी, जांजगीर रोड बिलासपुर
66	संदीपनी एकेडमी, ग्राम अछोटी, धमधा, दुर्ग
67	स्कूल ऑफ नर्सिंग होली क्रॉस हास्पिटल कुनकुरी
68	शिवम कॉलेज ऑफ नर्सिंग गरियाबंद
69	श्रेयस नर्सिंग स्कूल, श्रेयस शिक्षण संस्थान, सुपेला भिलाई, दुर्ग
70	श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, एकता चौक, दुबे कालोनी, रायपुर
71	श्री चंद्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट वार्ड न0 60, पुष्पक नगर, दुर्ग
72	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग , धरसीवा रायपुर
73	श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग , आमदी नगर, हुडको भिलाई, दुर्ग
74	श्री सिद्धा बालाजी स्कूल ऑफ नर्सिंग बंसी लाल भवन, मताले गली, शांति नगर, राजनांदगांव
75	सूर्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग, परशुराम भवन, जांजगीर चांपा
76	द इंवेजिकल मिशन हास्पिटल तिल्दानेवरा रायपुर
77	वी.एम. कालेज ऑफ नर्सिंग, जांजगीर, विश्रामपुर, सुरजपुर
78	रिम्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्राम गोढ़ी रायपुर
79	मां मंगला कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्राम लोहरसिंग, रायगढ़
80	कालिंदी एकेडमी ऑफ नर्सिंग साईंस महासमुंद
81	सूर्या नर्सिंग कॉलेज गीदमरोड जगदलपुर
82	बिरेन्द्र दीपक कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्राम जामगांव गरियाबंद
83	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग दल्लीराजहरा बालोद

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी :-

शैक्षणिक :-

- क/ छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में छः शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम तथा चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर में स्नातकोत्तर डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अध्ययनरत चिकित्सा छात्रों को सम्बद्ध चिकित्सालयों में विशेष प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- ख/ एमबीबीएस पाठ्यक्रम में पं० जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में 150 सीट्स छत्तीसगढ़ आर्युविज्ञान संस्थान, बिलासपुर में 150 सीट, स्व० श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर में 100 सीट, स्व० श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ में 50 सीट, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव में 100 सीट, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर में 100 एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में बी.डी.एस. पाठ्यक्रम की 100 सीट हैं। चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 95 सीट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 21 सीट्स कुल 116 सीट है। सिम्स बिलासपुर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की 06 सीट उपलब्ध है तथा चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर के स्त्री एवं प्रसूती रोग विभाग में डी.एन.बी. पाठ्यक्रम में 04 सीट उपलब्ध है।
- ग/ प्रदेश में 01 शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, रायपुर में 50 सीट का है तथा 08 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है, जिसमें रायपुर में 50 सीट, बिलासपुर में 60 सीट, जगदलपुर में 60 सीट, अंबिकापुर में 40 सीट, कर्वधा में 40 सीट, रायगढ़ में 40 सीट, दुर्ग में 50 सीट तथा राजनांदगांव में 30 सीट है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत एमएससी नर्सिंग कोर्स संचालित किये जा रहें हैं। इस हेतु शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय रायपुर में 25 सीट उपलब्ध है। शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, रायपुर में सत्र 2014-15 से पोस्ट बेसिक बी.एस. सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम की 20 सीट उपलब्ध है एवं पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग की 10 सीटें उपलब्ध है।

तालिका-A

महाविद्यालय का नाम	कुल सीट	अखिल भारतीय कोटा सीट	भारत सरकार द्वारा नाम निर्देशित	एन एम डी सी	राज्य कोटा	शिक्षण शुल्क (प्रतिवर्ष) रूपयों में
पं० जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर (UG Seats)	150	22	04	00	124	50000/-
(PG Seats)	116	57	00	00	59	22000/-
चिकित्सा महाविद्यालय	100	15	03	05	77	50000/-

जगदलपुर						
(DNB Seats)	04	04	00	00	00	38100 /—
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर	150	22	04	00	124	50000 /—
(PG Seats)	06	02	00	00	04	22000 /—
स्व० श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़	50	07	01	00	41	50000 /—
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव	100	15	03	00	82	50000 /—
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर	100	15	03	00	82	50000 /—
शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर	100	15	03	—	82	20500 /—
शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय रायपुर	50	—	—	—	50	15800 /—
शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, रायपुर	50	—	—	—	50	20000 /—
(PG Seats)	25	00	00	00	25	35000 /—
शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, बिलासपुर	60	—	—	—	60	20000 /—
शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, जगदलपुर	60	—	—	—	60	20000 /—
शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय अंबिकापुर	40	—	—	—	40	20000 /—
शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय रायगढ़	40	—	—	—	40	20000 /—
शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय कवर्धा	40	—	—	—	40	20000 /—
शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, दुर्ग	50	—	—	—	50	20000 /—
शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, राजनांदगांव	50	—	—	—	50	20000 /—

तालिका – B

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में उपलब्ध सीटों का आरक्षणवार विवरण –

कुल सीटों की संख्या				150
अखिल भारतीय कोटा सीट				22
भारत सरकार द्वारा नामित कोटा सीट				4
राज्य कोटे की सीटे				124
	अनारक्षित	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
कुल सीटे	52	40	17	15
बिना संवर्ग	29	24	9	9
महिला	16	12	5	5
सैनिक	2	1	1	0
दिव्यांग	3	2	1	1
स्व.सं.से.	2	1	1	0

तालिका- C

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर में उपलब्ध सीटों का आरक्षणवार विवरण –

कुल सीटों की संख्या				100
अखिल भारतीय कोटा सीट				15
भारत सरकार द्वारा नामित कोटा सीट				3
राज्य कोटे की सीटे				82
	अनारक्षित	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
कुल सीटे	34	26	12	10
बिना संवर्ग	20	14	7	6
महिला	10	8	4	3
सैनिक	1	1	0	0
दिव्यांग	2	2	1	1
स्व.सं.से.	1	1	0	0

तालिका- D

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में उपलब्ध सीटों का आरक्षणवार विवरण –

कुल सीटों की संख्या				150
अखिल भारतीय कोटा सीट				22
भारत सरकार द्वारा नामित कोटा सीट				4
राज्य कोटे की सीटे				124
	अनारक्षित	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
कुल सीटे	52	40	17	15
बिना संवर्ग	29	24	9	9
महिला	16	12	5	5
सैनिक	2	1	1	0
दिव्यांग	3	2	1	1
स्व.सं.से.	2	1	1	0

तालिका- E

स्व.श्रीलखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ में उपलब्ध सीटों का आरक्षणवार विवरण

कुल सीटों की संख्या				50
अखिल भारतीय कोटा सीट				7
भारत सरकार द्वारा नामित कोटा सीट				1
राज्य कोटे की सीटे				42
	अनारक्षित	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
कुल सीटे	18	13	6	5
बिना संवर्ग	10	8	4	3
महिला	5	4	2	2
सैनिक	1	0	0	0
दिव्यांग	1	1	0	0
स्व.सं.से.	1	0	0	0

तालिका- F

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव में उपलब्ध सीटों का आरक्षणवार विवरण –

कुल सीटों की संख्या				100
अखिल भारतीय कोटा सीट				15
भारत सरकार द्वारा नामित कोटा सीट				3
राज्य कोटे की सीटे				82
	अनारक्षित	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
कुल सीटे	34	26	12	10
बिना संवर्ग	20	14	7	6
महिला	10	8	4	3
सैनिक	1	1	0	0
दिव्यांग	2	2	1	1
स्व.सं.से.	1	1	0	0

तालिका- F-1

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर में उपलब्ध सीटों का आरक्षणवार विवरण –

कुल सीटों की संख्या				100
अखिल भारतीय कोटा सीट				15
भारत सरकार द्वारा नामित कोटा सीट				3
राज्य कोटे की सीटे				82
	अनारक्षित	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
कुल सीटे	34	26	12	10
बिना संवर्ग	20	14	7	6
महिला	10	8	4	3
सैनिक	1	1	0	0
दिव्यांग	2	2	1	1
स्व.सं.से.	1	1	0	0

तालिका- F-2

निजी चिकित्सा महाविद्यालय

चन्दूलाल चन्द्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (150)/रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, रायपुर (150)/श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भिलाई (150) में उपलब्ध सीटों का आरक्षणवार विवरण –

कुल सीटों की संख्या				150
प्रबंधन नियतांश कोटा				64
एनआरआई कोटा सीट				23
राज्य कोटे की सीटे				63
	अनारक्षित	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
कुल सीटे	26	20	9	8
बिना संवर्ग	14	11	5	6
महिला	8	6	3	2
सैनिक	1	1	0	0
दिव्यांग	2	1	1	0
स्व.सं.से.	1	1	0	0

तालिका-G

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में उपलब्ध सीजी पीएमटी सीटों का आरक्षण अनुसार विवरण

कुल सीटों की संख्या				100
अखिल भारतीय कोटा सीट				15
भारत सरकार द्वारा नामित कोटा सीट				3
राज्य कोटे की सीटे				82
	अनारक्षित	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
कुल सीटे	34	26	12	10
बिना संवर्ग	20	14	7	6
महिला	10	8	4	3
सैनिक	1	1	0	0
दिव्यांग	2	2	1	1
स्व.सं.से.	1	1	0	0

तालिका-H

शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, रायपुर में 50 सीटों का श्रेणी /संवर्गवार विवरण

कुल सीटों की संख्या				50
अखिल भारतीय कोटा सीट				7
भारत सरकार द्वारा नामित कोटा सीट				1
राज्य कोटे की सीटे				42
	अनारक्षित	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
कुल सीटे	21	16	07	06
बिना संवर्ग	11	12	05	04
महिला	07	04	02	02
सैनिक	01	0	0	0
दिव्यांग	01	0	0	0
स्व.सं.से.	01	0	0	0

तालिका-I

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, रायपुर में 50 सीटों का श्रेणी /संवर्गवार विवरण

क. श्रेणी	महिला	सैनिक	स्व०सं०से०	दिव्यांग	योग
1 अनारक्षित	18	01	01	01	21
2 अनुसूचित जाति	06	00	00	00	06
3 अनुसूचित जन जाति	16	00	00	00	16
4 अन्य पिछड़ा वर्ग	07	00	00	00	07
	47	01	01	01	50

तालिका-J

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, बिलासपुर में 60 सीटों का श्रेणी /संवर्गवार विवरण

क. श्रेणी	महिला	सैनिक	स्व०सं०से०	दिव्यांग	योग
1 अनारक्षित	22	01	01	01	25
2 अनुसूचित जाति	07	00	00	00	07
3 अनुसूचित जन जाति	16	01	01	01	19
4 अन्य पिछड़ा वर्ग	09	00	00	00	09
	54	02	02	02	60

तालिका-K

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, जगदलपुर में 60 सीटों का श्रेणी /संवर्गवार विवरण

क. श्रेणी	महिला	सैनिक	स्व०सं०से०	दिव्यांग	योग
1 अनारक्षित	22	01	01	01	25
2 अनुसूचित जाति	07	00	00	00	07
3 अनुसूचित जन जाति	16	01	01	01	19
4 अन्य पिछड़ा वर्ग	09	00	00	00	09
	54	02	02	02	60

तालिका-L

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, अंबिकापुर में 40 सीटों का श्रेणी /संवर्गवार विवरण

क. श्रेणी	महिला	सैनिक	स्व०सं०से०	दिव्यांग	योग
1 अनारक्षित	14	01	01	01	17
2 अनुसूचित जाति	05	00	00	00	05
3 अनुसूचित जन जाति	13	00	00	00	13
4 अन्य पिछड़ा वर्ग	05	00	00	00	05
	37	01	01	01	40

तालिका-M

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, कर्वधा में 40 सीटों का श्रेणी /संवर्गवार विवरण

क. श्रेणी	महिला	सैनिक	स्व0सं0से0	दिव्यांग	योग
1 अनारक्षित	14	01	01	01	17
2 अनुसूचित जाति	05	00	00	00	05
3 अनुसूचित जन जाति	13	00	00	00	13
4 अन्य पिछड़ा वर्ग	05	00	00	00	05
	37	01	01	01	40

तालिका-N

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, रायगढ़ में 40 सीटों का श्रेणी /संवर्गवार विवरण

क. श्रेणी	महिला	सैनिक	स्व0सं0से0	दिव्यांग	योग
1 अनारक्षित	14	01	01	01	17
2 अनुसूचित जाति	05	00	00	00	05
3 अनुसूचित जन जाति	13	00	00	00	13
4 अन्य पिछड़ा वर्ग	05	00	00	00	05
	37	01	01	01	40

तालिका-O

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, दुर्ग में 50 सीटों का श्रेणी /संवर्गवार विवरण

क. श्रेणी	महिला	सैनिक	स्व0सं0से0	दिव्यांग	योग
1 अनारक्षित	18	01	01	01	21
2 अनुसूचित जाति	06	00	00	00	06
3 अनुसूचित जन जाति	16	00	00	00	16
4 अन्य पिछड़ा वर्ग	07	00	00	00	07
	47	01	01	01	50

तालिका-P

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, राजनांदगांव में 30 सीटों का श्रेणी /संवर्गवार विवरण

क. श्रेणी	महिला	सैनिक	स्व0सं0से0	दिव्यांग	योग
1 अनारक्षित	12	00	00	00	12
2 अनुसूचित जाति	04	00	00	00	04
3 अनुसूचित जन जाति	08	00	00	00	08
4 अन्य पिछड़ा वर्ग	06	00	00	00	06
	30	00	00	00	30

ग/चिकित्सा से संबंधित विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने हेतु चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में 1085 बिस्तर, चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर में 640 बिस्तर, चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर में 470 बिस्तर, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ में 350 बिस्तर, चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव में 380

बिस्तर, चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर में 414 बिस्तर तथा क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, रायपुर में 64 शैयाओं के चिकित्सालयों की व्यवस्था है।

घ/संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत कुल स्वीकृत पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत्		रिक्त
		नियमित	संविदा	
प्रथम	956	272	333	351
द्वितीय	1295	88	446	761
तृतीय	4063	1490	126	2447
चतुर्थ	2670	844	53	1773
योग	8984	2694	958	5332

बजट :-

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के लिये वर्ष 2017-18 के लिये विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये बजट प्रावधान तथा दिसम्बर 2017 तक व्यय की जानकारी निम्न तालिका में दिया गया है।

वर्ष 2017-18 का बजट अनुमान

आंकड़े हजार रुपयों में

क्र.	मांग संख्या मुख्य शीर्ष	वर्ष 2017-18 का बजट अनुमान	
		स्वीकृत	व्यय (31 दिसम्बर 2017 तक)
1	41-2210-01-110-0102-अनुसूचित जनजाति उप-योजना (8940) चिकित्सा महा0 तथा सम्बद्ध चिकित्सालय सरगुजा	20,31,00	10,04,16
2	41-2210-01-110-0102-अनुसूचित जनजाति उप-योजना (8950) चिकित्सा महा0 तथा सम्बद्ध चिकित्सालय जगदलपुर	27,14,68	17,71,30
3	41-2210-05-105-0102- 4968-आदिवासी क्षेत्र उप-योजना चिकित्सा महा0 रायपुर	1,20,00	76,58
4	41-2210-05-105-0102-अनुसूचित जनजाति उप-योजना-5689 चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर की स्थापना	30,93,30	20,01,42
5	41-2210-05-105-0102- 8941-चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा	19,21,39	8,17,99
6	41-2210-06-003-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-2216 नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण जगदलपुर/ अंबिकापुर	6,17,70	2,83,72
	Total 41-2210	104,98,07	65,76,55
7	41-4210-01-110-0102-अनुसूचित जनजाति उप-योजना-8940 चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध चिकित्सालय सरगुजा-उपकरण	5,00	0
8	41-4210-01-110-0102-अनुसूचितजनजाति उप-योजना-8950	2,00,00	1,99,99

	चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध चिकित्सालय जगदलपुर-उपकरण		
9	41-4210-01-110-0102-अनुसूचित जनजाति उप-योजना-8950 चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध चिकित्सालय जगदलपुर-भवन	80,00	0
10	41-4210-03-105-0702-7851-टर्शरी कैंसर सेंटर-28-003 चिकित्सकीय उपकरण	2,00,00	0
11	41-4210-03-105-0702-7851-टर्शरी कैंसर सेंटर-97-001 भवन	8,00,00	0
12	41-4210-01-110-0702-अनुसूचित जनजाति उप-योजना-8940 चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध चिकित्सालय सरगुजा-उपकरण	1,00,00	0
13	41-4210-01-110-0702-अनुसूचित जनजाति उप-योजना-8940 चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध चिकित्सालय सरगुजा-भवन	1,00,00	0
14	41-4210-03-105-0102-अनुसूचित जनजाति उप-योजना-5689 चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर-उपकरण	4,00,00	1,23
15	41-4210-03-105-0102-अनुसूचित जनजाति उप-योजना-5689 चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर -भवन	2,00,00	0
16	41-4210-03-105-0102-अनुसूचित जनजाति उप-योजना-8941 चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा -उपकरण	5,00	0
17	41-4210-03-105-0102-अनुसूचित जनजाति उप-योजना-8941 चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा -भवन	5,00,00	0
18	41-4210-03-105-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना-8941 चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा -उपकरण	7,00,00	0
19	41-4210-03-105-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना-8941 चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा -भवन	10,00,00	0
	Total 41-4210	42,90,00	2,01,22
20	64-2210-01-110-0103-6967-अनुसूचित जाति उपयोजना, सिम्स चिकित्सालय, बिलासपुर	30,72,50	21,70,83
21	64-2210-05-105-0103-4968-अनुसूचित जाति उपयोजना, मेडिकल कॉलेज, रायपुर	1,50,00	1,05,81
22	64-2210-05-105-0103-6968-अनुसूचित जाति उपयोजना, मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर	44,21,20	26,74,67
23	64-2210-06-003-0103-2216-अनुसूचित जाति उपयोजना, नर्सिंग कॉलेज, बिलासपुर	3,24,38	1,63,11
	Total 64-2210	79,68,08	51,14,42

24	64-4210-01-110-0103-6967-सिम्सबिलासपुर अस्पताल-उपकरण	1,00,00	0
25	64-4210-01-110-0103-6967-सिम्स बिलासपुर अस्पताल-भवन	1,00,00	83,16

26	64-4210-01-110-0703-6967-सिम्सबिलासपुर अस्पताल-उपकरण	4,20,00	0
27	64-4210-01-110-0703-6967-सिम्स बिलासपुर अस्पताल-भवन	1,05,00	0
28	64-4210-03-105-0103-6968-अनुसूचित जाति उपयोजना, चिकित्सा महा. बिलासपुर	5,50,00	0
	Total 64-4210	12,75,00	83,16
29	79-2071-01-800-5499 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा	3,70,00	55,87
30	79-2210-01-110-1353- चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय रायपुर	78,25,37	52,14,28
31	79-2210-05-110-0000-7719 सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय, रायपुर	20,47,20	48,54
32	79-2210-01-110-962 कैंसर अस्पताल	11,07,71	2,35,53
33	79-2210-01-110 अस्पताल और औषधालय-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 6997- चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ अस्पताल	34,16,30	24,46,89
34	79-2210-01-110 अस्पताल और आषधालय-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8938- चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव अस्पताल	22,67,40	11,68,52
35	79-2210-01-110-0701-7637-राज्य कैंसर संस्थान बिलासपुर	10,00,00	0
36	79-2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) (1352) चिकित्सा महाविद्यालय	78,43,53	42,55,75
37	79-2210-05-105-1355 संचालनालय चिकित्सा शिक्षा	2,33,30	1,30,36
38	79-2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) (1915) दंत चिकित्सा महाविद्यालय	22,76,70	12,27,03
39	79-2210-05-105-0101-6869 सिकलसेल परियोजना	1,00,00	25,00
40	79-2210-05-105-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) - 6996 चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़	29,33,40	15,05,24
41	79-2210-05-105-0101-7326 पैरामेडिकल कौंसिल की स्थापना	5,00	0
42	79-2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 7328 फिजियोथेरेपी महाविद्यालय	1,68,80	75,86
43	79-2210-05-105-0101-8897 सिकलसेल इंस्टीट्यूट की स्थापना	3,00,00	1,20,00
44	79-2210-05-105-0101-8939 चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव	35,36,65	13,50,98
45	79-2210-06-003-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)-2216 नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण,	17,17,48	6,75,91

	रायपुर/कर्वधा/ रायगढ़/ दुर्ग/ राजनांगादगांव		
46	79-2210-06-112-0101-7279- चिकित्सा विश्वविद्यालय- 14-001 स्थापना अनुदान	4,00,00	1,60,00
47	79-2210-06-112-0101-7674 फार्मसी कॉलेज-14-001 स्थापना अनुदान	2,00,00	0
48	79-2210-80 सामान्य-800 अन्य व्यय - 6095 पोस्टमार्टम के लिये चिकित्सकों को मानदेय	25,00	7,61
	Total 79-2210	377,73,84	187,03,37
39	79-4210-01-110-0101-1353 चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय, रायपुर-उपकरण	9,25,00	3,70,76
40	79-4210-01-110-0101-6967 चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय रायगढ़-उपकरण	4,50,00	64,15
41	79-4210-01-110-0101-7719 सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय, रायपुर -भवन	2,00,00	0
42	79-4210-01-110-0101-7719 सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय, रायपुर -उपकरण	3,00,00	0
43	79-4210-01-110-0101-8938 चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय राजनांदगांव-उपकरण	50,00	8,87
44	79-4210-01-110-0701-1353 चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय रायपुर-उपकरण	4,20,00	0
45	79-4210-01-110-0701-1353 चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय रायपुर-भवन	1,05,00	0
46	79-4210-01-110-0701-8938 चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय राजनांदगांव-उपकरण	16,80,00	16,77,28
47	79-4210-01-110-0701-8938 चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय राजनांदगांव-भवन	0	0
48	79-4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) (1352) चिकित्सा महाविद्यालय-चिकित्सकीय उपकरण	10,00,00	0
49	79-4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) (1915) दंत चिकित्सा महाविद्यालय -चिकित्सकीय उपकरण	1,00,00	4,92
50	79-4210-03-105-0101राज्य आयोजना (सामान्य)-6996 चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़-चिकित्सकीय उपकरण	3,25,00	0
51	79-4210-03-105-0101राज्य आयोजना (सामान्य)-8897 सिकलसेल इंस्टीट्यूट की स्थापना	4,00,00	0
52	79-4210-03-105-0101राज्य आयोजना (सामान्य)-8939 चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव-भवन	1,00,00	0
53	79-4210-03-105-0101राज्य आयोजना (सामान्य)-8939 चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव-उपकरण	50,00	0

54	79-4210-03-105-0101राज्य आयोजना (सामान्य)-8939 चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव-भूमि/भवन क्रय	2,00,00	0
55	79-4210-03-105-0701राज्य आयोजना (सामान्य)-8939 चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव-चिकित्सकीय उपकरण	3,80,00	3,70,48
56	79-4210-03-105-0701राज्य आयोजना (सामान्य)-8939 चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव-भवन	34,50,00	27,17,33
57	79-4210-04-112-0101राज्य आयोजना (सामान्य)-7252 विश्वविद्यालयों के निर्माण कार्य हेतु ऋण का पुर्नभुगतान	1,00	0
58	79-4210-04-112-0101राज्य आयोजना (सामान्य)-7279 चिकित्सा विश्वविद्यालय	9,00,00	3,60,00
59	79-4210-04-112-0101-7674 फार्मसी महाविद्यालय	2,00,00	0
	Total 79-4210	112,36,00	55,73,79

कुल आबंटन एवं व्यय की जानकारी वर्ष 2017-18 माह 31 दिसंबर 2017 तक

आंकड़े हजार रुपयों में

मद	वर्ष 2017-18	
	आबंटन	व्यय
योग मांग संख्या-41 (2210-4210)	147,88,07	67,77,77
योग मांग संख्या-64 (2210-4210)	92,43,08	51,97,58
योग मांग संख्या-79 (2210-4210)	490,09,84	242,77,16
कुल योग	730,40,99	362,52,51
निर्माण कार्य-67	77,70,00	0
निर्माण कार्य-68	51,95,00	0
महायोग	860,05,99	0

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धियां

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर-

- ❖ सत्र 2016-17 में अंबिकापुर में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (100 छात्र प्रवेश क्षमता) के साथ प्रारंभ किया गया है। कलेक्टर जिला सरगुजा द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा की स्थापना हेतु ग्राम-हराटिकरा, गंगापुर, बिषमपुर, तहसील- अंबिकापुर स्थित शासकीय भूमि स्वास्थ्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को अग्रिम आधिपत्य दिया गया है। भवन निर्माण हेतु वर्ष 2017-18 में राशि रु. 6.00 करोड़ प्रावधानित है तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत अस्पताल के उन्नयन हेतु रु. 1.00 करोड़ एवं कॉलेज हेतु रु.10.00 करोड़ भवन निर्माण हेतु प्रावधानित किया गया है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर हेतु 282 पद तथा सम्बद्ध चिकित्सालय हेतु 616 पदों के सृजन आदेश जारी किये गये हैं।

चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध चिकित्सालय रायपुर –

- ❖ पं० जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में कैंसर मरीजों के समुचित ईलाज के लिए सीटी सीमुलेटर, आईसीयू यूनिट की स्थापना, लीनियर एक्सीलरेटर, रैपिड आर्क तथा आईजीआरटी मशीन स्थापित एवं कार्यरत हैं।
- ❖ डॉ० भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के लिये भारतीय चिकित्सा परिषद के मापदण्ड एवं पेंसेंट केयर हेतु नवीन उच्च तकनीकी उपकरण डी.एस.ए. मशीन, मेमोग्राफी मशीन, 128 स्लाइस सीटी स्कैन, 3 टेसला एमआरआई, नेवीगेशन सिस्टम स्थापित एवं कार्यरत है।

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर तथा सम्बद्ध चिकित्सालय –

- ❖ भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा शैक्षणिक सत्र वर्ष 2013–14 से सिम्स बिलासपुर की छात्र प्रवेश संख्या 100 से बढ़ाकर 150 छात्र प्रवेश क्षमता कर दी गई हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु पीएसएम विभाग में 01 सीट, फारेंसिक मेडिसीन विभाग में 02 तथा वर्ष 2016–17 में एनाटॉमी विभाग में स्नातकोत्तर की 03 सीटों की अनुमति भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दी गई है। महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु सतत प्रयास जारी है।

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर तथा सम्बद्ध चिकित्सालय –

- ❖ स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर में सत्र 2015–16 से 15 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आवेदन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में प्रेषित किया गया है इस हेतु **Essentiality & Desirability Certificate** शासन द्वारा जारी की जा चुकी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति अपेक्षित है।
- ❖ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर के नवीन भवन का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्रीजी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 03.10.2013 को किया गया था वर्तमान में महाविद्यालय नवीन भवन में संचालित है एवं संबद्ध चिकित्सालय का भवन निर्माण पूर्णता की ओर है। स्त्रीरोग विभाग में डीएनबी कोर्स प्रारंभ किया गया है। **(04 Seats की मान्यता Diplomist National Board, New Delhi द्वारा प्राप्त हुए हैं।)**

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ तथा सम्बद्ध चिकित्सालय –

- ❖ चिकित्सा महाविद्यालय परिसर, रायगढ़ अंतर्गत नवीन चिकित्सालय भवन का निर्माण पूर्णता की ओर है तथा बालक/बालिका छात्रावास भवन, नर्सिंग हॉस्टल, स्टॉफ क्वार्टर एवं आधुनिक उपकरणों सहित जिम भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होकर संचालित है। महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में नवीन उपकरण स्थापना एवं सुविधा जिसमें Special Newborn Care Unit, X-ray Machine, Blood Bank equipments आदि संचालन में है।

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर –

- ❖ शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में आगामी शिक्षण सत्र वर्ष 2017-18 से 06 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, इस हेतु शासन द्वारा 20 शैक्षणिक पद सृजित किये गये हैं।

प्रदेश में निजी चिकित्सा महाविद्यालय –

- ❖ भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा शैक्षणिक सत्र वर्ष 2013-14 से चन्दूलाल चन्द्राकर एजुकेशन सोसायटी दुर्ग 150 सीटों सहित संचालित है।
- ❖ भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा शैक्षणिक सत्र 2016-17 से प्रदेश में दो नये चिकित्सा महाविद्यालय श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भिलाई एवं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, रायपुर को 150 सीट प्रवेश क्षमता के साथ संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

❖ वर्ष 2017-18 की प्रस्तावित योजनायें –

- ❖ **ट्रामा यूनिट**— केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 05 हास्पिटल में ट्रामा यूनिट का उन्नयन किया जाना है इस हेतु निर्माण कार्य एवं उपकरण क्रय के लिये स्वीकृत राशि का 60 प्रतिशत भाग केंद्र सरकार तथा शेष 40 प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना है, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर एवं बिलासपुर के ट्रामा यूनिट हेतु केन्द्रीय भाग प्राप्त हो चुका है तथा वर्ष 2017-18 में रायपुर एवं बिलासपुर के ट्रामा यूनिट के प्रत्येक इकाई के लिये रु. 5.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2017-18 में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अम्बिकापुर, जगदलपुर तथा रायगढ़ में ट्रामा यूनिट की स्थापना हेतु पदों की सृजन की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
- ❖ **डी.के.एस.पी.जी.आई एण्ड रिसर्च सेंटर (सुपरस्पेशियलिटी हास्पिटल)**— सुपरस्पेशियलिटी हास्पिटल पुराने डी.के.एस. भवन में स्थापित किये जाने की प्रक्रिया जारी है। हास्पिटल में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, थोरेसिक सर्जरी एवं यूरोलॉजी जैसे विषयों के सुपरस्पेशलिस्ट प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा राज्य की जनता को किडनी, न्यूरो एवं हार्ट तथा अन्य बीमारियों के चिकित्सा सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी। चिकित्सालय हेतु 419 पदों के सृजन आदेश जारी किये गये हैं। वर्ष 2017-18 में चिकित्सालय हेतु रु. 75.49 करोड़ प्रस्तावित है साथ ही इसके अंतर्गत एम.एस.सी-60 सीट एवं बी.एस.सी.-50 सीट के साथ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना भी प्रस्तावित है।
- ❖ **राज्य कैंसर संस्थान बिलासपुर**— राज्य कैंसर संस्थान, बिलासपुर केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत स्थापित किये जाने की प्रक्रिया जारी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राशि रु. 10.00 करोड़ प्रावधानित है। वर्ष 2018-19 में भी रु. 10.00 करोड़ प्रस्तावित है।
- ❖ **मनेन्द्रगढ़ में टर्शरी कैंसर संस्थान की स्थापना**— इस हेतु केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत रु.10.00 करोड़ प्रावधानित है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी राशि रु.10.00 करोड़ प्रस्तावित है।

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु निम्नलिखित योजनाएं संचालित है :-

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर तथा सम्बद्ध चिकित्सालय -

- ❖ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर की स्थापना वर्ष 2006 में 50 सीट विद्यार्थी प्रवेश क्षमता के साथ प्रारंभ किया गया, वर्तमान में महाविद्यालय की प्रवेश क्षमता 100 सीट है।
- ❖ स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर में सत्र 2015-16 से 15 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आवेदन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में प्रेषित किया गया है इस हेतु Essentiality & Desirability Certificate शासन द्वारा जारी की जा चुकी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति अपेक्षित है।
- ❖ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर के नवीन भवन का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्रीजी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 03.10.2013 को किया गया था, वर्तमान में महाविद्यालय नवीन भवन में संचालित है एवं संबद्ध चिकित्सालय का भवन निर्माण पूर्ण हो गया है। जिसका लोकार्पण निकट भविष्य में प्रस्तावित है। स्त्रीरोग विभाग में डीएनबी कोर्स प्रारंभ किया गया है।

(04 Seats की मान्यता Diplomat National Board, New Delhi द्वारा प्राप्त हुए हैं।)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धि :-

(राशि लाख रुपयों में)

योजना का नाम	योजना क्रमांक	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
Medical College Attached Hospital, Jagdalpur	8950	2714.68	2652.61	98	वेतन भत्ते एवं स्थापना व्यय, 500 बिस्तर अस्पताल संचालित है।
Medical College, Jagdalpur	5689	3093.30	3009.44	97	वेतन भत्ते एवं स्थापना व्यय, 100 विद्यार्थी प्रतिवर्ष
REVENUE BUDGET		5807.98	5662.05	97	
Medical College Hospital Jagdalpur Equipment	8950	200.00	199.99	100	चिकित्सकीय उपकरण क्रय
Medical College Hospital Jagdalpur Building	8950	80.00	78.55	98	भवन निर्माण
Medical College Jagdalpur (Medical Equipment)	5689	400.00	355.77	89	चिकित्सकीय उपकरण क्रय
Medical College Jagdalpur (Building)	5689	200.00	78.55	39	भवन निर्माण
CAPITAL BUDGET		880.00	712.86	81	
GRAND TOTAL		6687.98	6374.91	95	

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अम्बिकापुर तथा सम्बद्ध चिकित्सालय -

- ❖ केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत (ESTABLISHMENT OF NEW MEDICAL COLLEGES ATTACHED WITH DISTRICT/REFERRAL HOSPITALS) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अम्बिकापुर की स्थापना के लिये राशि रुपये 189.00 करोड़ की योजना स्वीकृत है।

- ❖ सत्र 2016-17 में अंबिकापुर में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (100 छात्र प्रवेश क्षमता) के साथ प्रारंभ किया गया है। कलेक्टर जिला सरगुजा द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा की स्थापना हेतु ग्राम-हराटिकरा, गंगापुर, बिषमपुर, तहसील- अंबिकापुर स्थित शासकीय भूमि स्वास्थ्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को अग्रिम आधिपत्य दिया गया है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर के नवीन भवन निर्माण हेतु शासन से रुपये 374.08 करोड़ (रुपये तीन सौ चौहत्तर करोड़ आठ लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुआ है।
- ❖ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर हेतु 282 पद तथा सम्बद्ध चिकित्सालय हेतु 616 पदों के सृजन आदेश जारी किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धि :-

योजना का नाम	योजना क्रमांक	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत	(राशि लाख रुपयों में) भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
Medical College Attached Hospital, Surguja	8940	2552.00	1980.18	78%	वेतन भत्ते एवं स्थापना व्यय, 500 बिस्तर अस्पताल संचालित है।
Medical College, Surguja	8941	1922.19	1300.92	68%	वेतन भत्ते एवं स्थापना व्यय, 100 विद्यार्थी प्रतिवर्ष
REVENUE BUDGET		4474.19	3281.10	73%	
Medical College Hospital Surguja Equipment	8940	5.00	4.99	100%	चिकित्सकीय उपकरण क्रय
Tursri Cancer Centre Equipment(CSS)	7851	200.00	0.00	0%	केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत टर्शरी कैंसर संस्थान की स्थापना (चिकित्सकीय उपकरण क्रय)
Tursri Cancer Centre Building(CSS)	7851	800.00	0.00	0%	केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत टर्शरी कैंसर संस्थान की स्थापना (भवन निर्माण)
Medical College Hospital Surguja Equipment(CSS) Equipment	8940	100.00	81.44	81%	चिकित्सकीय उपकरण क्रय
Medical College Hospital Surguja Building(CSS) Building	8940	100.00	0.00	0%	भवन निर्माण
Medical College Surguja (Medical Equipment)	8941	5.00	0.00	0%	चिकित्सकीय उपकरण क्रय
Medical College Surguja (Building)	8941	500.00	491.03	98%	भवन निर्माण
Medical College Surguja (Medical Equipment) CSS	8941	700.00	529.14	76%	चिकित्सकीय उपकरण क्रय
Medical College Surguja (Building) CSS	8941	1000.00	0.00	0%	भवन निर्माण
CAPITAL BUDGET		3410.00	1106.60	32%	
GRAND TOTAL		7884.19	4387.70	56%	

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, अम्बिकापुर एवं जगदलपुर :-

- ❖ शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, अम्बिकापुर की स्थापना वर्ष 2009 में 40 सीट तथा जगदलपुर की स्थापना 60 सीट प्रवेश क्षमता के साथ हुआ। वर्तमान में जगदलपुर नर्सिंग महाविद्यालय 30 सीटों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धि :-

(राशि लाख रूपयों में)

योजना का नाम	योजना क्रमांक	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
Nursing College Jagdalpur, Ambikapur	2216	617.70	390.82	63%	कुल 130 महिला विद्यार्थी प्रतिवर्ष लाभान्वित
REVENUE BUDGET		617.70	390.82	63%	

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर :-

- ❖ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति के एम.बी.बी.एस छात्र/छात्राओं के स्टाइफण्ड भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्नानुसार बजट प्रावधानित था :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धि :-

(राशि लाख रूपयों में)

योजना का नाम	योजना क्रमांक	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर	4968	120.00	119.96	100%	41 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।
REVENUE BUDGET		120.00	119.96	100%	

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर तथा सम्बद्ध चिकित्सालय -

- ❖ भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा शैक्षणिक सत्र वर्ष 2013-14 से सिम्स बिलासपुर की छात्र प्रवेश संख्या 100 से बढ़ाकर 150 छात्र प्रवेश क्षमता कर दी गई है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु पीएसएम विभाग में 01 सीट, फारेंसिक मेडिसीन विभाग में 02 तथा एनाटॉमी विभाग में स्नातकोत्तर की 03 सीटों की अनुमति भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दी गई है। महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु सतत् प्रयास जारी है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धि :-

(राशि लाख रूपयों में)

योजना का नाम	योजना क्रमांक	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6

चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय बिलासपुर	6967	3072.50	2945.33	96%	वेतन भत्ते एवं स्थापना व्यय, 500 बिस्तर अस्पताल संचालित है।
चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर	6968	4479.20	3733.27	83%	वेतन भत्ते एवं स्थापना व्यय, 150 विद्यार्थी प्रतिवर्ष
REVENUE BUDGET		7551.70	6678.60	88%	
चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय बिलासपुर—चिकित्सकीय उपकरण	6967	100.00	97.74	98%	चिकित्सकीय उपकरण क्रय
चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय बिलासपुर— भवन	6967	100.00	83.16	83%	भवन निर्माण
चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय बिलासपुर—चिकि. उपकरण (केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत)	6967	420.00	0.00	0%	चिकित्सकीय उपकरण क्रय
चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय बिलासपुर —भवन (केन्द्र प्रवर्तितयोजनान्तर्गत)	6967	105.00	0.00	0%	भवन निर्माण
चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर— चिकित्सकीय उपकरण	6968	550.00	550.00	100%	चिकित्सकीय उपकरण क्रय
CAPITAL BUDGET		1275.00	730.90	57%	
GRAND TOTAL		8826.70	7409.50	84%	

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, बिलासपुर :-

- ❖ शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, बिलासपुर की स्थापना वर्ष 2009 में 60 सीट प्रवेश क्षमता के साथ हुआ। नर्सिंग महाविद्यालय, बिलासपुर में 20 सीटों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धि :-

(राशि लाख रुपयों में)

योजना का नाम	योजना क्रमांक	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
नर्सिंग महाविद्यालय बिलासपुर	2216	324.38	200.03	62%	कुल 80 महिला विद्यार्थी प्रतिवर्ष लाभान्वित
REVENUE BUDGET		324.38	200.03	62%	

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर :-

❖ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति के एम.बी.बी.एस छात्र/छात्राओं के स्टायफण्ड भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्नानुसार बजट प्रावधानित था :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धि :-

(राशि लाख रूपयों में)

योजना का नाम	योजना क्रमांक	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर	4968	150.00	138.09	92%	35 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे है।
REVENUE BUDGET		150.00	138.09	92%	

4.20 लोक निर्माण विभाग

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में कुल 50 सड़क कार्य पूर्ण और 58 सड़क कार्य प्रगति पर थे। इन कार्यों के अंतर्गत 326.25 कि.मी. सड़को का निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया। 27 पुल पूर्ण एवं 69 पुल कार्य प्रगति पर थे। इसी प्रकार भवन कार्य के अंतर्गत 45 कार्य पूर्ण एवं 97 कार्य प्रगति पर थे। उक्त सभी कार्य आदिवासी क्षेत्रों में किये जाने से वहाँ आवागमन की सुविधा सुलभ होती है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ सभी निवासियों को होता है, जिसमें क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होता है। मंडी, उद्योग तथा व्यापार की गतिविधि बढ़ने से आदिवासियों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है। भवन कार्य के अंतर्गत स्कूल, आश्रम तथा अस्पताल बनने से आदिवासीयों को सीधे लाभ मिलता है।

मुख्य योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

1. सड़क एवं पुल कार्य (मांग संख्या -42)

(अ). **न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत :-** इस योजना में 16 सड़क कार्य पूर्ण किये गये तथा 23 सड़क कार्य प्रगति पर रहे इस योजना के अंतर्गत 72.80 कि.मी. सड़क कार्य किया गया। इस योजना के तहत रु. 57.99 करोड़ का व्यय किया गया है।

(ब). **राज्य मार्ग :-** इस योजना के अंतर्गत 02 सड़क पूर्ण 05 सड़क कार्य प्रगति पर थे। जिसमें रु. 39.15 करोड़ का व्यय हुआ एवं 48.80 कि.मी. सड़क निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया।

(स). **मुख्य जिला मार्ग :-** इस योजना के अंतर्गत 09 सड़क कार्य पूर्ण एवं 18 सड़क कार्य प्रगति पर थे, जिसमें रु. 129.37 करोड़ का व्यय हुआ है तथा 125.57 कि.मी. सड़क निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया।

(द). **वृहत पुलों का निर्माण :-** इस योजना के अंतर्गत 27 पुल कार्य पूर्ण तथा 69 पुल के कार्य प्रगति पर रहे तथा रु. 177.13 करोड़ का व्यय किया गया है।

(य). **हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार :-** इस योजना के अंतर्गत 9 पूर्ण, (हेलीपैड), 02 कार्य प्रगति पर थे। इन पर रु. 4.53 करोड़ का व्यय किया गया है।

(र) **नाबार्ड :-** इस योजना में 14 सड़क पूर्ण तथा 10 सड़क कार्य प्रगति पर थे। वर्ष 2017-18 में रु. 32.46 करोड़ व्यय हुआ है जिसमें 79.08 कि.मी. सड़क निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया है।

(ल) **आर.आर.पी.-2 :-** इस योजना में 38 सड़क में से 35 कार्य का निविदा आमंत्रित किये गये थे तथा 3 कार्य अपेक्षित है। 11 पुल कार्य निविदा स्तर रहे। वर्ष 2017-18 में रु. 186.69 करोड़ केन्द्र सरकार के नियमानुसार आर.आर.पी. 2 के खाते में जमा किया गया है।

2. भवन कार्य (मांग संख्या – 68)

(अ). मांग संख्या—68 :— मांग संख्या—68 में भवन कार्यों के तहत 45 नग भवन पूर्ण किये तथा 97 कार्य प्रगति पर रहे, इन कार्यों पर वर्ष 2017—18 में रु. 114.42 करोड़ व्यय किया गया है। योजना अंतर्गत पूर्ण हुए महत्वपूर्ण भवन निम्नानुसार है :—

- 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,
- 15 शैक्षणिक संस्थान
- 13 महाविद्यालय भवन
- 04 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन
- 02 पॉलीटेक्निक भवन
- 01 विशेष अधोसंरचना विकास योजना
- 01 शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय अंतर्गत
- 02 भूराजस्व कार्यालय भवन
- 01 मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम
- 01 नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम के अंतर्गत
- 01 रोजगार कार्यालय भवन
- 02 पशुपालन विभाग

3 मांग संख्या —76 :—

(अ). ए.डी.बी. सहायता के कार्य (आदिवासी क्षेत्र अंतर्गत):— इस योजना के अंतर्गत ए.डी.बी. बैंक से ऋण प्राप्त कर राज्य की महत्वपूर्ण सड़कों का उन्नयन का कार्य किया जाना है। इसमें द्वितीय फेस में 3 कार्य लिये गये हैं, जिसमें से 02 कार्य प्रगति पर हैं तथा 01 कार्य सी.जी.आर.डी.सी. के द्वारा निर्माण किया जाना है। इसमें वर्ष 2017—18 में रु. 91.95 करोड़ का व्यय हुआ है।

4.21 खनिज विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को लाभान्वित करने हेतु खनिज नियमों में निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं :-

01. गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व का 95 प्रतिशत राशि, आदिवासी अधिसूचित जिलों के विकास हेतु संबंधित पंचायतों/जनपद पंचायतों/संचालक पंचायत छत्तीसगढ़ को आबंटित किया जाता है। वर्ष 2017-18 में रुपये 13654.19 लाख की राशि अधिसूचित जिलों को आबंटित की गई है।
02. टिन खनिज एक सामरिक महत्व का खनिज है, जिसके पर्याप्त दोहन हेतु शासन कटिबद्ध है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर, सम्पूर्ण बस्तर क्षेत्र में निवास कर रहे स्थानीय अनुसूचित जनजातियों की सहकारी समितियों को टिन खनिज के कलेक्शन के अधिकार दिये गये हैं, जिसे राज्य शासन के उपक्रम छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा समय-समय पर निर्धारित मूल्य पर क्रय किया जाता है। इसमें लगभग एक हजार अनुसूचित जनजाति के सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल राशि रुपये 9009783.00 (नब्बे लाख नौ हजार सात सौ तिरासी मात्र) का भुगतान छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा स्थानीय अनुसूचित जनजाति के सदस्यों/सहकारी समितियों को किया गया है।
03. राज्य के आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों में स्वीकृत खनिज रियायतों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित समथा निर्णय के अनुपालन में क्षेत्र के विकास हेतु अतिरिक्त राजस्व प्रावधानित है। साथ ही खनन क्षेत्रों के तहत निवासरत् आदिवासी वर्ग को रोजगार में प्राथमिकता प्रावधानित है।



4.22 समाज कल्याण विभाग

आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में अनुसूचित जनजातियों के लिए समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाएं वर्ष 2017-18

—:0:—

निःशक्तजन छात्रवृत्ति एवं वृत्तियां :-

अनुसूचित जनजाति वर्ग के निःशक्त विद्यार्थियों को प्राथमिक विद्यालय स्तर कक्षा 5 वीं तक रुपये 50/- प्रतिमाह, पूर्व माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 वीं तक रुपये 60/- प्रतिमाह, उच्चतर माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 वीं तक रुपये 70/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 40 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर निम्नानुसार दर पर छात्रवृत्ति दी जाती है :-

कक्षा	दैनिक छात्र (प्रतिमाह रुपये)
प्राथमिक स्तर	150/-
पूर्व माध्यमिक स्तर	170/-
माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर	190/-

वित्तीय वर्ष 2017-18 की वित्तीय भौतिक उपलब्धि

1. मांग संख्या -41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

बंटन (लाख रुपये में)	व्यय (लाख रुपये में)	हितग्राही
62.00	47.12	3215

कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना :-

निःशक्त व्यक्तियों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता के व्यक्तियों को अधिकतम रुपये 6 हजार तक मूल्य के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि

1. मांग संख्या -41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

बंटन (लाख रुपये में)	व्यय (लाख रुपये में)	हितग्राही
40.00	37.72	841

स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान:-

निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत प्रदेश में निःशक्तजनों के शिक्षण-प्रशिक्षण तथा समग्र पुनर्वास में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर उनके द्वारा आवेदन करने पर पात्रता/नियमानुसार सहायक अनुदान स्वीकृति किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि

1. मांग संख्या -41- (2235) आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

बंटन (लाख रुपये में)	व्यय (लाख रुपये में)	हितग्राही
80.00	78.43	372

निःशक्त बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

निःशक्त बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु विशेष विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है जिसमें कक्षा-1 ली से कक्षा 05 वीं तक शिक्षा दी जा रही है।

वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि वर्ष 2017-18

(राशि लाख में)

मांग संख्या	आबंटन	व्यय	हितग्राही संख्या
41 / 2235.79	283.53	279.67	198

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित पेंशन योजनाओं की जानकारी

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :-

राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 से संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 से 79 वर्ष आयुवर्ग के वृद्ध व्यक्तियों को राशि 350/- प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को राशि 650/- प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। इनमें राशि 150/- राज्य शासन का अंशदान है।

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :-

राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना फरवरी 2009 से संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 79 वर्ष आयुवर्ग के विधवा को राशि 350/- प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। इनमें राशि 50/- राज्य शासन का अंशदान है।

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना :-

राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना फरवरी 2009 से संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 79 वर्ष आयुवर्ग के गंभीर (एक प्रकार की निःशक्तता जो 80 प्रतिशत से अधिक हो) एवं बहुनिःशक्त को राशि 500/- प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। इनमें राशि 200/- राज्य शासन का अंशदान है।

4. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :-

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का प्रारंभ सन् 1995 से हुआ है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया स्त्री या पुरुष जिनकी आमदनी से

परिवार का अधिकांश खर्च चलता है तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक 60 वर्ष से कम हो के प्राकृतिक/आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस मुखिया को राशि 20,000/- की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

मासिक प्रगति प्रतिवेदन (जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर)
सामाजिक सहायता कार्यक्रम

माह-मार्च-2018

मांग संख्या	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	हितग्राही
82	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	5040.00	5145.84	200071
82	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	1692.00	1807.08	52718
82	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (7340)	396.00	367.03	10058
82	राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	460.00	390.30	1952
	योग मांग संख्या - 82 -	7588	7710.24	264799
83-191	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	228.00	224.42	8633
83-191	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	129.60	96.94	2960
83-191	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (7340)	14.40	11.26	403
83-191	राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	40.00	31.00	155
	योग मांग संख्या 83 -191-	412.00	363.61	12151
83-192	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	120.00	114.86	3937.00
83-192	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	90.00	89.79	2232
83-192	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (7340)	19.00	16.34	434
83-192	राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	60.00	34.40	172
	योग मांग संख्या 83 -192-	289.00	255.39	6775
83-193	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	250.00	207.32	6397
83-193	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	75.60	75.46	1919
83-193	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (7340)	27.00	19.26	497
83-193	राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	50.00	28.00	140
	योग मांग संख्या 83 -193-	402.60	330.04	8953
	योग मांग संख्या 83	1103.60	949.04	27879
15	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	2500.00	2809.52	114318
15	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	756.00	829.60	22413
15	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (7340)	219.60	227.94	6259
15	राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	100.00	79.80	399
	योग मांग संख्या - 15 -	3575.60	3946.86	143389
53-192	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	270.00	233.21	9454
53-192	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	57.60	64.56	2164
53-192	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (7340)	36.00	25.10	454
53-192	राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	40.00	29.00	145
	योग मांग संख्या 53 - 192	403.60	351.87	12217
53-193	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	162.00	154.16	5579
53-193	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	108.00	90.19	2025
53-193	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (7340)	27.00	21.95	575

53-193	राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	30.00	18.40	92
	योग मांग संख्या 53 - 193	327.00	284.70	8271
	योग मांग संख्या - 53 -	730.60	636.57	20488
	योग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	8570.00	8889.32	348389
	योग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	2908.80	3053.61	86431
	योग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (7340)	739.00	688.87	18680
	योग राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	780.00	610.90	3055
	महायोग	12997.80	13242.70	456555

4.23 मछली पालन

(अ) आदिवासी उपयोजना

I. जलाशयों तथा नदियों में मत्स्योद्योग विकास

मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना तथा मत्स्य प्रजनन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से आदिवासी क्षेत्र के विभागीय जलाशयों का प्रबंधन एवं मत्स्य पालन विकास मत्स्योद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है। राज्य में प्रवाहित नदियों में प्रग्रहण मात्स्यिकी (केप्चर फिशरीज) अन्तर्गत अत्यल्प हो गये मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु इन नदियों में उत्तम गुणवत्ता वाले मत्स्य भण्डारण को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से आदिवासी बाहुल्य बस्तर क्षेत्र के इन्द्रावती तथा सबरी नदी में प्रतिवर्ष मत्स्य बीज संचयन कार्यों के लिए अन्य प्रभार, अनुरक्षण एवं लघु निर्माण मद में व्यय करने का प्रावधान होता है।

उपरोक्त अंतर्गत उपशीर्ष 2405 के तहत रु. 140.00 लाख प्रावधानित राशि में से रु. 140.00 लाख का व्यय कर उन्नत किस्म के 198.88 लाख स्टे.फ़ाई का संचयन कर जलाशयों एवं नदियों में मत्स्योद्योग विकास किया गया।

II. मत्स्य बीज उत्पादन

आदिवासी क्षेत्र के विभागीय मत्स्य बीज उत्पादन इकाईयों से आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक पर विभागीय तौर पर मत्स्य बीज उत्पादन कर विभागीय व निजी क्षेत्र की मत्स्य बीज मांग पूर्ति करना योजना का मुख्य उद्देश्य है। उत्पादित मत्स्य बीज का उपयोग विभागीय जलाशयों में संचयन, नदियों में संचयन आदि के अतिरिक्त निजी मत्स्य पालकों, सहकारी संस्थाओं आदि को विक्रय हेतु किया जाता है। इसके अन्तर्गत अन्य प्रभार मद में मत्स्य बीज उत्पादन, संवर्धन, संचयन एवं प्रबन्धन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। अनुरक्षण मद के अन्तर्गत बिजली, पानी आदि की व्यवस्था की जाती है। लघु निर्माण मद में विभागीय हैचरियों, फार्म तथा फार्म पर स्थित अन्य अद्योसंरचना की मरम्मत आदि के लिए राशि व्यय की जाती है।

आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक पर विभागीय तौर पर मत्स्य बीज उत्पादन के लिए विभागीय मत्स्य बीज हैचरी फार्म तथा फार्म पर स्थित नवीन अद्योसंरचना निर्माण के लिए वृहद निर्माण मद अन्तर्गत राशि व्यय की जाती है। उपरोक्त अंतर्गत उपशीर्ष 2405 के तहत रु. 182.00 लाख प्रावधानित राशि के विरुद्ध रु. 181.99 लाख का व्यय कर आदिवासी क्षेत्रों में 4045 लाख स्टे. फ़ाई का उत्पादन कर 6800 अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

III. मत्स्य सहकारी समिति के सदस्यों का दुर्घटना बीमा

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत केन्द्र : राज्य के 50 : 50 के आनुपातिक अंशदान से योजना संचालित होती है। योजनान्तर्गत मत्स्य जीवी दुर्घटना बीमा के संबंध में वार्षिक बीमा प्रीमियम राशि रु. 12.00 प्रति हितग्राही के मान से (केन्द्र व राज्य का बराबर-बराबर अंशदान अर्थात् रु. 6.00 केन्द्रांश तथा रु. 6.00 राज्यांश) व्यय का प्रावधान है। राज्यांश राशि रु. 6.00 प्रति हितग्राही के मान से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "फिशकोपफेड" नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है। फिशकोपेड केन्द्रांश राशि रु. 6.00 प्रति हितग्राही राज्यांश राशि में जोड़कर सीधे बीमा कम्पनी को जमा कराती है। अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के मछुआरों का मत्स्य पालन/मत्स्याखेट के दौरान दुर्घटना की स्थिति में अस्थाई अपंगता पर रु. 1.00 लाख तथा स्थाई अपंगता अथवा मृत्यु पर रु. 2.00 लाख का बीमा लाभ प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 6.81 लाख के विरुद्ध राशि रु. 0.96 लाख व्यय कर 67000 हितग्राहियों को बीमित किया गया।

IV. शिक्षण-प्रशिक्षण (राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण)

आदिवासी जाति वर्ग के प्रगतिशील मछुआरों को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु देश के अन्य राज्यों में अपनाई जा रही मछली पालन तकनीकी से परिचित कराने के उद्देश्य से प्रति मछुआरा रु. 2500/- की लागत पर 10 दिवसीय अध्ययन भ्रमण प्रशिक्षण पर भेजा जाता है। स्वीकृत योजनानुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी रु. रु. 750/- शिष्यवृत्ति, रु. 1500/- आवागमन व्यय तथा रु. 250/- विविध व्यय का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि रु. 6.75 लाख के विपक्ष में रुपये 6.75 लाख का व्यय कर 270 उन्नत मछलीपालकों को राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण हेतु भेजा गया।

V. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - यह योजना वर्ष 2007-08 से राज्य में लागू है। योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के माध्यम से हितग्राही को निम्नानुसार लाभान्वित किया जा रहा है :-

- 1- **मछुआरों के लिए फुटकर मछली विक्रय योजना-** सभी संवर्ग के फुटकर मछुआ मत्स्य हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू-बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रु. 6000/- तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- 2- **संतुलित एवं परिपूरक आहार के प्रयोग हेतु सहायता -** सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक, अनु.जनजाति महिला कृषकों को प्राथमिकता कृषकों को शासकीय/विभागीय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा जिन्हें दीर्घावधि तक पट्टे पर तालाब आवंटित किए गए हैं, सहायता दी जाती है।
- 3- **मत्स्य बीज संवर्धन हेतु 0.5 हे. के संवर्धन पोखर निर्माण हेतु सहायता-** शासकीय/कृषकों की भूमि पर 0.5 हे. जलक्षेत्र के तालाब का निर्माण कर मत्स्य बीज संवर्धन हेतु अधिकतम रुपए 3.50 लाख सहायता दी जावेगी।
- 4- **मत्स्याखेट हेतु नाव जाल उपकरण क्रय हेतु आर्थिक सहायता-** सभी वर्ग मत्स्य पालक/मत्स्य पालक समूह/मछुआ सहकारी समितियां जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए तालाब/जलाशय पट्टे पर आवंटित किए गए हैं। मत्स्य पालकों को नाव जाल क्रय हेतु रु. 25 हजार की सहायता तथा मछुआ सह. समिति को नाव/ड्रेग नेट एवं गिल नेट क्रय हेतु रु. 1.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- 5- **मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन -** 0.50 हैक्ट. के मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कार्य हेतु रु 0.40 लाख की सहायता प्रति हितग्राही दी जाती है।
- 6- **तालाबों में अंगुलिका संचयन कार्यक्रम-** तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फ्राई के स्थान पर फिंगरलिंग संचयन करवाने के लिए रु 0.03 लाख की सहायता दी जाती है।
- 7- **तालाबों में चूना प्रयोग-** तालाबों की मत्स्य उत्पादकता हेतु चूना का उपयोग हेतु रु 0.02 लाख/हैक्ट. की सहायता दी जाती है।
- 8- **विस्तार सेवाएं-** जिलों एवं राज्य मुख्यालय पर मत्स्य पालन की जानकारी देने एवं योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु मत्स्य कृषक संगोष्ठी एवं मेले का आयोजन किया जाता है। इसके तहत योजनान्तर्गत रुपये 380.62 लाख का प्राप्त आबंटन के विरुद्ध 380.61 लाख व्यय कर 1175 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

VI. नीलक्रांति योजना :- यह योजना वर्ष 2016-17 से राज्य में लागू है। इस योजनांतर्गत निम्नानुसार घटकों के माध्यम से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

- 1- **मत्स्य बीज संवर्धन केन्द्र का निर्माण** — इस हेतु रुपये 6.00 लाख की सहायता दी जाती है। (रु. 2.40 लाख केन्द्रांश एवं रु. 3.60 लाख कृषक का अंशदान)
- 2- **स्वयं कि भूमि पर तालाब निर्माण** — नवीन तालाब निर्माण के लिये रु. 7.00 लाख प्रति हेक्टेर का प्रावधान है। (रु. 2.80 लाख केन्द्रांश एवं रु. 4.20 लाख कृषक का अंशदान) स्वयं के व्यय से या बैंक ऋण दोनों स्थितियों में अनुदान देय है।
- 3- **तालाबों/टैंकों का पुनरुद्धार एवं एक्वाकल्चर** — तालाबों एवं टैंकों के पुनरुद्धार के लिये रु. 3.50 लाख की सीमा में एवं इनपुट्स के लिये रु. 1.50 लाख की सीमा में कुल रु. 5.00 लाख की सहायता दी जाती है। (रु. 2.00 लाख केन्द्रांश एवं 3.00 लाख कृषक अंशदान)
- 4- **मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना** — नवीन मत्स्य बीज हैचरी के निर्माण हेतु रु. 25.00 लाख (रु. 10.00 लाख केन्द्रांश एवं रु. 15.00 लाख कृषक का अंशदान) की सहायता दी जाती है।
- 5- **बर्फ संयंत्र की स्थापना** — बर्फ संयंत्र की स्थापना के लिये रु. 11.00 लाख प्रति इकाई की सहायता दी जाती है। (रु. 4.40 लाख केन्द्रांश एवं रु. 6.60 कृषक का अंशदान)
- 6- **आटो रिक्शा के साथ आईस बाक्स** — आटो रिक्शा के साथ आईस बाक्स के लिये रु. 2.00 लाख प्रति इकाई की सहायता दी जाती है। (रु. 0.80 लाख केन्द्रांश एवं रु. 1.20 लाख कृषक का अंशदान)
- 7- **मोटर साइकिल के साथ आइस बाक्स** — मोटर साइकिल के साथ आइस बाक्स हेतु रु. 0.60 लाख प्रति इकाई की सहायता दी जाती है। (रु. 0.24 लाख केन्द्रांश एवं रु. 0.36 लाख कृषक का अंशदान)
- 8- **साइकिल के साथ आइस बाक्स** — साइकिल के साथ आइस बाक्स हेतु रु. 0.03 लाख प्रति इकाई की सहायता दी जाती है। (रु. 0.012 लाख केन्द्रांश एवं रु. 0.018 लाख कृषक का अंशदान)
- 9- **फुटकर मत्स्य विक्रय दुकान की स्थापना** — फुटकर मत्स्य विक्रय दुकान की स्थापना हेतु रु. 10.00 लाख प्रति इकाई की सहायता दी जाती है। (रु. 4.00 लाख केन्द्रांश एवं 6.00 लाख कृषक अंशदान/महासंघ)
- 10- **बचत सह राहत** — बंद ऋतु में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के कारण रोजगार से वंचित मछुवारों को तीन माह तक रु. 1500/- प्रति माह की सहायता दी जाती है। इसके तहत हितग्राही से 9 माह अंशदान से रुपये 1500/- एवं केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा 50:50 में रु. 3000/- कुल 4500/- रु. बैंक में जमाकर हितग्राही सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2017-18 में रु. 950.05 लाख का प्राप्त आबंटन के विरुद्ध रु. 941.59 लाख का व्यय कर 2525 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता अंतर्गत

I. मत्स्य पालन प्रसार

अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों को निम्नानुसार घटकों के अंतर्गत वस्तु विशेष के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाती है :-

- (अ) **झींगा पालन** — झींगा पालन हेतु हितग्राही को तीन वर्षों में कुल रु.15000/- की सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

- (ब) नाव जाल आबंटन – प्रति मछुआ एक बार रु 10000/—का नाव जाल प्रदाय किया जाता है ।
- (स) फिंगरलिंग संचयन – हितग्राही को अधिक उत्पादन प्राप्त हो इस उद्देश्य से प्रति वर्ष रु. 2000/— का बड़े आकार का मत्स्य बीज पांच वर्षों में प्रदाय किया जाता है ।
- (द) नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मत्स्य बीज संचयन – नक्सल क्षेत्र के बीजापुर तथा दंतेवाड़ा जिले के 500 हेक्टेयर ग्रामिण तालाबों में मत्स्य बीज संचयन किया जाता है ।
- (इ) मत्स्य बीज संवर्धन – 0.50 हेक्टर के मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कार्य हेतु रुपये 30000/— की सहायता दी जाती है ।
- (फ) मछुआरों के लिए फुटकर मछली विक्रय योजना—सभी संवर्ग के फुटकर मत्स्य विक्रय योजना/ कार्यक्रम के तहत हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू-बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रु. 6000/— तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। उक्त योजना/ कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त आवंटन रु. 252.40 लाख में से रु. 251.95 लाख का व्यय कर 5120 हितग्राहियों को आर्थिक सहायता/अनुदान दिया गया।

II. शिक्षण और प्रशिक्षण

आदिवासी जाति वर्ग के मछुआरों को मछली पालन की तकनीकी एवं मछली पकड़ने, जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का प्रशिक्षण तहत 10 दिवसीय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत अन्य प्रभार मद में राशि व्यय की जाती है । प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण व्यय रु.1250/— स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत रु. 75/— प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी के मान से शिष्यवृत्ति, रु. 400/— की लागत मूल्य का नायलोन धागा तथा रु. 100/— विविध व्यय अंतर्गत शामिल है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 75.00 लाख में से 74.97 लाख व्यय कर 6000 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया ।

III. मछुआ सहकारिता

आदिवासी जाति मछुआरों की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु सहकारिता के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीर्घ अवधि के लिए पट्टे पर उपलब्ध तालाब की पट्टा राशि, मत्स्य बीज, क्रय एवं संचयन, नायलोन धागा, डोंगा क्रय पर आयटमवार अधिकतम सीमा के आधीन लगातार 3 वर्षों में रु. 25000/— तक आर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदाय किया जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार नवीन योजनांतर्गत आदिवासी मछुआरों के पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु आयटमवार अधिकतम सीमा के आधीन लगातार तीन वर्षों में रुपये 3.00 लाख तक अर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 67.75 लाख में से राशि रु. 67.68 लाख व्यय कर 71 समितियों के सदस्यों को लाभान्वित किया गया ।

(ब) अनुसूचित जाति उपयोजना

I. मत्स्य सहकारी समिति के सदस्यों का दुर्घटना बीमा

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत केन्द्र : राज्य के 50 : 50 के आनुपातिक अंशदान से योजना संचालित होती है। योजनान्तर्गत मत्स्य जीवी दुर्घटना बीमा के संबंध में वार्षिक बीमा प्रीमियम राशि रु. 12.00 प्रति हितग्राही के मान से (केन्द्र व राज्य का बराबर-बराबर अंशदान अर्थात् रु. 6.00 केन्द्रांश तथा रु. 6.00 राज्यांश) व्यय का प्रावधान है। राज्यांश राशि रु. 6.00 प्रति हितग्राही के मान से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से “फिशकोपफेड” नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है । फिशकोपेड

केन्द्रांश राशि रु. 6.00 प्रति हितग्राही राज्यांश राशि में जोड़कर सीधे बीमा कम्पनी को जमा कराती है। अनुसूचित जाति वर्ग के मछुआरों का मत्स्य पालन/मत्स्याखेट के दौरान दुर्घटना की स्थिति में अस्थाई अपंगता पर रु. 1.00 लाख तथा स्थाई अपंगता अथवा मृत्यु पर रु. 2.00 लाख का बीमा लाभ प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 1.32 लाख के आवंटन के विपक्ष में रुपये 0.19 लाख व्यय कर 13000 हितग्राहियों को बीमित किया गया।

II. शिक्षण-प्रशिक्षण (राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण)

अनुसूचित जाति वर्ग के प्रगतिशील मछुआरों को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु देश के अन्य राज्यों में अपनाई जा रही मछली पालन तकनीकी से परिचित कराने के उद्देश्य से प्रति मछुआरा रु. 2500/- की लागत पर 10 दिवसीय अध्ययन भ्रमण प्रशिक्षण पर व्यय किया जाता है। स्वीकृत योजनानुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी रु. 750/- शिष्यवृत्ति, रु. 1500/- आवागमन व्यय तथा रु. 250/- विविध व्यय का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि रु. 4.50 लाख के आवंटन के विपक्ष में राशि रुपये 4.50 लाख व्यय कर 180 उन्नत मछलीपालकों को राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण हेतु भेजा गया।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता अंतर्गत

I. **मत्स्य पालन प्रसार** अनुसूचित जाति के मत्स्य पालकों को हितग्राही को निम्नानुसार घटकों के अंतर्गत वस्तु विशेष के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाती है :-

- (अ) **झींगा पालन** - झींगा पालन हेतु हितग्राही को तीन वर्षों में कुल रु.15000/- की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- (ब) **फिंगरलिंग संचयन** - हितग्राही को अधिक उत्पादन प्राप्त हो इस उद्देश्य से 6150/- का बड़े आकार का मत्स्य बीज तीन वर्षों में प्रदाय किया जाता है।
- (स) **मत्स्य बीज संवर्धन** - 0.50 हेक्टर के मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कार्य हेतु रुपये 30000/- की सहायता दी जाती है।
- (द) **मछुआरों के लिए फुटकर मछली विक्रय योजना**-सभी संवर्ग के फुटकर मत्स्य विक्रय योजना/कार्यक्रम तहत हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू-बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रु. 6000/- तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
उक्त योजना/कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त आवंटन रु. 65.20 लाख में से रु. 65.08 लाख का व्यय कर 1385 हितग्राहियों को आर्थिक सहायता/अनुदान दिया गया।

II. शिक्षण और प्रशिक्षण

अनुसूचित जाति वर्ग के मछुआरों को मछली पालन की तकनीकी एवं मछली पकड़ने, जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का प्रशिक्षण तहत 10 दिवसीय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत अन्य प्रभार मद में राशि व्यय की जाती है। प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण व्यय रु. 1250/- स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत रु. 75/- प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी के मान से शिष्यवृत्ति, रु. 400/- की लागत मूल्य का नायलोन धागा तथा रु. 100/- विविध व्यय अंतर्गत शामिल है।

इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 18.75 लाख के विपक्ष में रु. 18.73 लाख व्यय कर 1500 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया ।

III. मछुआ सहकारिता

अनुसूचित जाति मछुआरों की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु सहकारिता के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीर्घ अवधि के लिए पट्टे पर उपलब्ध तालाब की पट्टा राशि, मत्स्य बीज, क्य एवं संचयन, नायलोन धागा, डोंगा क्य पर आयटमवार अधिकतम सीमा के अध्ययन लगातार 3 वर्षों में रु. 25000/- तक आर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदाय किया जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार नवीन योजनांतर्गत अनुसूचित जाति के मछुआरों के पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु आयटमवार अधिकतम सीमा के आधीन लगातार तीन वर्षों में रुपये 3.00 लाख तक अर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 36.00 लाख के विपक्ष में रु. 35.91 लाख व्यय कर 34 समितियों के सदस्यों को लाभान्वित किया गया ।

IV. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—यह योजना वर्ष 2007-08 से राज्य में लागू है । योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के माध्यम से हितग्राही को निम्नानुसार लाभान्वित किया जा रहा है :-

- 1- **मछुआरों के लिए फुटकर मछली विक्रय योजना**— सभी संवर्ग के फुटकर मछुआ मत्स्य हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू-बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्य हेतु प्रति मछुआरा रु. 6000/- तक की आर्थिक सहायता दी जाती है ।
- 2- **संतुलित एवं परिपूरक आहार के प्रयोग हेतु सहायता** — सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक, अनु.जनजाति महिला कृषकों को प्राथमिकता कृषकों को शासकीय/विभागीय एवं तृस्तरीय पंचायतों द्वारा जिन्हें दीर्घावधि तक पट्टे पर तालाब आवंटित किए गए हैं, सहायता दी जावेगी ।
- 3- **मत्स्य बीज संवर्धन हेतु 0.5 हे. के संवर्धन पोखर निर्माण हेतु सहायता**— शासकीय/कृषकों की भूमि पर 0.5 हे. जलक्षेत्र के तालाब का निर्माण कर मत्स्य बीज संवर्धन हेतु अधिकतम रूपए 3.50 लाख सहायता दी जावेगी ।
- 4- **मत्स्याखेट हेतु नाव जाल उपकरण क्य हेतु आर्थिक सहायता**— अनुसूचित जाति वर्ग मत्स्य पालक/मत्स्य पालक समूह/मछुआ सहकारी समितियां जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए तालाब/जलाशय पट्टे पर आवंटित किए गए हैं। मत्स्य पालकों को नाव जाल क्य हेतु रु. 25 हजार की सहायता तथा मछुआ सह. समिति को नाव/ड्रेग नेट एवं गिल नेट क्य हेतु रु. 1.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है ।
- 5- **मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन** — 0.50 हैक्ट. के मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कार्य हेतु रु 0.40 लाख की सहायता प्रति हितग्राही दी जाती है ।
- 6- **तालाबों में अंगुलिका संचयन कार्यक्रम**— तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फ्राई के स्थान पर फिंगरलिंग संचयन करवाने के लिए रु 0.03 लाख की सहायता दी जाती है ।
- 7- **तालाबों में चूना प्रयोग**— तालाबों की मत्स्य उत्पादकता हेतु चूना का उपयोग हेतु रु 0.02 लाख/हैक्ट. की सहायता दी जाती है ।
- 8- **विस्तार सेवाएं**— जिलों एवं राज्य मुख्यालय पर मत्स्य पालन की जानकारी देने एवं योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु मत्स्य कृषक संगोष्ठी एवं मेले का आयोजन किया जाता है ।

इस योजनांतर्गत रुपये 74.47 लाख का प्राप्त आबंटन के विरुद्ध रु. 74.47 लाख व्यय कर 1393 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ।

V. नीलक्रांति योजना -

यह योजना वर्ष 2016-17 से राज्य में लागू है। इस योजनांतर्गत निम्नानुसार घटकों के माध्यम से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

- 1- **मत्स्य बीज संवर्धन केन्द्र का निर्माण** - इस हेतु रुपये 6.00 लाख की सहायता दी जाती है। (रु. 2.40 लाख केन्द्रांश एवं रु. 3.60 लाख कृषक का अंशदान)
- 2- **स्वयं कि भूमि पर तालाब निर्माण** - नवीन तालाब निर्माण के लिये रु. 7.00 लाख प्रति हेक्टेर का प्रावधान है। (रु. 2.80 लाख केन्द्रांश एवं रु. 4.20 लाख कृषक का अंशदान) स्वयं के व्यय से या बैंक ऋण दोनों स्थितियों में अनुदान देय है।
- 3- **तालाबों/टैंकों का पुनरुद्धार एवं एक्वाकल्चर** - तालाबों एवं टैंकों के पुनरुद्धार के लिये रु. 3.50 लाख की सीमा में एवं इनपुट्स के लिये रु. 1.50 लाख की सीमा में कुल रु. 5.00 लाख की सहायता दी जाती है। (रु. 2.00 लाख केन्द्रांश एवं 3.00 लाख कृषक अंशदान)
- 4- **मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना** - नवीन मत्स्य बीज हैचरी के निर्माण हेतु रु. 25.00 लाख (रु.10.00 लाख केन्द्रांश एवं रु.15.00 लाख कृषक का अंशदान) की सहायता दी जाती है।
- 5- **बर्फ संयंत्र की स्थापना** - बर्फ संयंत्र की स्थापना के लिये रु. 11.00 लाख प्रति इकाई की सहायता दी जाती है। (रु.4.40 लाख केन्द्रांश एवं रु. 6.60 कृषक का अंशदान)
- 6- **आटो रिक्षा के साथ आइस बाक्स** - आटो रिक्षा के साथ आइस बाक्स के लिये रु. 2.00 लाख प्रति इकाई की सहायता दी जाती है। (रु. 0.80 लाख केन्द्रांश एवं रु. 1.20 लाख कृषक का अंशदान)
- 7- **मोटर साइकिल के साथ आइस बाक्स** - मोटर साइकिल के साथ आइस बाक्स हेतु रु. 0.60 लाख प्रति इकाई की सहायता दी जाती है। (रु. 0.24 लाख केन्द्रांश एवं रु. 0.36 लाख कृषक का अंशदान)
- 8- **साइकिल के साथ आइस बाक्स** - साइकिल के साथ आइस बाक्स हेतु रु. 0.03 लाख प्रति इकाई की सहायता दी जाती है। (रु. 0.012 लाख केन्द्रांश एवं रु. 0.018 लाख कृषक का अंशदान)
- 9- **फुटकर मत्स्य विक्रय दुकान की स्थापना** - फुटकर मत्स्य विक्रय दुकान की स्थापना हेतु रु. 10.00 लाख प्रति इकाई की सहायता दी जाती है। (रु. 4.00 लाख केन्द्रांश एवं रु. 6.00 लाख कृषक अंशदान/महासंघ)
- 10- **मछुआरों का दुर्घटना बीमा** - मछली पालन का कार्य करने वाले 18-70 वर्ष के मत्स्यजीवियों का शत-प्रतिशत अनुदान पर दुर्घटना बीमा की जाता है। (रु. 6.00 केन्द्रांश एवं रु. 6.00 राज्यांश, कुल रु. 12.00 प्रति कृषक) दुर्घटना में मृत्यु/स्थायी विकलांगता होने पर रु. 2.00 लाख एवं अस्थायी अपंगता पर रु. 1.00 लाख की सहायता दी जाती है।

11-बचत सह राहत – बंद ऋतु में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के कारण रोजगार से वंचित मछुवारों को तीन माह तक रु. 1500/- प्रति माह की सहायता दी जाती है। इस के तहत हितग्राही से 9 माह अंशदान से रुपये 1500/- एवं केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा 50:50 में रु. 3000/- कुल 4500/- रु. बैंक में जमाकर हितग्राही सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2017-18 में रु. 73.34 लाख का प्राप्त आबंटन के विरुद्ध रु. 73.17 लाख का व्यय कर 250 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

// वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी वर्ष 2017-18 //

(अ) आदिवासी उपयोजना :-

अनुसूचित जन जातियों के विकास हेतु वर्ष 2017-18 में क्रियान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों अंतर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों संबंधी तालिका निम्नानुसार प्रदर्शित है :-

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वित्तीय			भौतिक		लाभान्वितों की संख्या
		आबंटन	व्यय	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जलाशय एवं नदियों में मत्स्योद्योग का विकास	140.00	140.00	100	198.88	198.88	365
2.	मत्स्य बीज उत्पादन	182.00	181.99	100	4045	4045	4045
3.	राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	6.75	6.75	100	270	270	270
4.	मत्स्य कृषकों का दुर्घटना बीमा	0.96	0.96	100	67000	67000	67000
5.	मत्स्य पालन प्रसार (मत्स्य पालकों को अनुदान)	252.40	251.95	99.83	5129	5120	5120
6.	मत्स्य सह समितियों को अनुदान	67.75	67.68	99.90	71	71	1775
7.	कृषकों को शिक्षण-प्रशिक्षण	75.00	74.97	99.96	6000	6000	6000
8.	नील क्रांति योजना	950.05	941.59	99.53	2533	2525	2525
9.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	380.62	380.61	100	1175	1175	1175
योग :-		2055.53	2046.50	99.56	—	—	—

*** **

4.24 जल संसाधन

छत्तीसगढ़ एक आदिवासी एवं अनुसूचित जन जातियों की बाहुल्यता भरा हुआ राज्य है यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र लगभग 44% घने जंगलों से आच्छादित है एवं विभिन्न खनिज संपदाओं से भरपूर है। इन्हीं घने जंगलों के बीच छत्तीसगढ़ के आदिवासी व अनुसूचित जाति के लोग आदिम युग से निवासरत है जो जंगलों में उत्पन्न वन संपदा व खेती-कार्य में काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। जिन आदिवासी या जनजातियों के पास खेती-योग्य भूमि है, वे शासन द्वारा निर्मित जल संसाधनों में उपलब्ध जल से सिंचाई कर कम समय में उगने वाले फसलों को उगाते हैं।

इन आदिवासी व अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा हर वर्ष सिंचाई विभाग के लिए प्रावधानित वार्षिक बजट में से एक बड़ा हिस्सा इस मद में रखा जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में जल संसाधन विभाग हेतु आबंटित कुल बजट रु. 2599.39 करोड़ के विरुद्ध कुल व्यय रु. 1671.86 करोड़ (64.32%) किया गया। आबंटित बजट में से आदिवासी क्षेत्र उपयोगना एवं अनुसूचित जाति उपयोगना के लिए क्रमशः रु. 779.67 करोड़ (30.05%) एवं रु. 340.02 करोड़ (13.08%) का प्रावधान रखा गया था।

उपयोगनाओं की वित्तीय व भौतिक उपलब्धियां :-

(अ) आदिवासी क्षेत्र उपयोगना:- आदिवासी उपयोगना के अंतर्गत ऐसी सिंचाई योजनाएं शामिल की जाती हैं जिसमें कम से कम 50% अनुसूचित जनजाति परिवारों को एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों का कम से कम 50% क्षेत्र को लाभ प्राप्त हो सके। इस मद में आबंटित राशि 779.67 करोड़ में से रु. 452.17 करोड़ व्यय कर वृहद, मध्यम व लघु सिंचाई योजनाओं को पूरा किया गया जिससे भौतिक लक्ष्य 27688 हे. के विरुद्ध 22315 हे. में सिंचाई-सुविधा प्रदान की गई है। इस प्रकार आबंटित राशि रु. 779.67 करोड़ में व्यय की गई राशि रु. 452.17 करोड़ लगभग 58.00% आता है जो कि संतोषप्रद है।

4.25 पुलिस विभाग

- (1) अजाक पुरस्कार:- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनु.जाति/जनजाति एवं महिलाओं/अवयस्क बालक/बालिकाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों के ऊपर होने वाले अत्याचार उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने पीड़ितों को राहत पहुंचाने तथा त्वरित वैधानिक कार्यवाही करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 07 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को 15 अगस्त 2017, 05 पुरस्कार मान0मुख्य मंत्री द्वारा एवं 02 पुरस्कार मान.पुलिस महानिदेशक द्वारा पुरस्कार से अलंकृत किया गया हैं।
- (2) अजाक अपराध:-वर्ष-2017 में अनुसूचित जाति के कुल -282 एवं अनुसूचित जाति के कुल-438 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। इनमें अनुसूचित क्षेत्र में घटित अपराध भी पंजीबद्ध हैं।
- (3) राहत राशि:-वर्ष-2017-18 के अर्न्तगत अनुसूचित जाति के 10 प्रकरणों में एवं अनुसूचित जनजाति के 56 प्रकरणों में कुल-66 लाभांवितों के लिए 72,37,500/-राहत राशि स्वीकृत की गई हैं। इनमें अनुसूचित क्षेत्र के राहत राशि के प्रकरण भी शामिल हैं।
- (4) अजाक थानों की स्वीकृति-वर्ष 2017-18 में शासन के पत्र दि. 16.11.17 के द्वारा युक्तीयुक्त के तहत 14 नवीन अजाक थानों की स्वीकृति प्रदान की गई जिसको शासन के पत्र दि0 02.04.18 के द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी हेतु शासन द्वारा भेजा गया हैं।
- (5) टोल फ्री नं0-शासन द्वारा अनु.जाति/जनजाति अत्याचार संबंधी शिकायतों /समस्याओं पर त्वरित वैधानिक कार्यवाही की सुविधा हेतु अजाक शाखा पु0मु0रायपुर में हेल्पलाईन नं0-1800-2339924 टोल फ्री नं0 1036 स्थापित है, जिस पर वर्ष 2017 में अनुसूचित जाति के 09 प्रकरण एवं अनुसूचित जनजाति के 02 प्रकरण के तहत लाभांवित हुए हैं।

प्रपत्र – 3

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत वर्ष 2015, 2016 एवं वर्ष 2017 में पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरणों के निराकरण की स्थिति पर चर्चा

1- दर्ज प्रकरणों की स्थिति :-

क्र	अपराध शीर्ष	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			योग		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1.	हत्या	6	3	5	7	7	8	13	10	13
2.	गंभीर चोट	6	5	6	4	11	25	10	16	31
3.	बलात्कार	79	100	93	147	165	173	226	265	266
4.	अपहरण	3	4	1	12	10	13	15	14	14
5.	डकैती	0	0	0	0	5	1	0	5	1
6.	लूट	0	0	2	0	0	0	0	0	2
7.	आगजनी	1	0	0	0	0	1	1	0	1
8.	चोट	33	27	43	45	47	48	78	74	91
9.	अन्य भा.द.वि.	91	108	131	165	166	166	256	274	297
	योग	219	247	281	380	411	435	599	658	715
1.	पी.ओ.ए. एक्ट	0	0	1	0	0	3	0	0	4
2.	पी.सी. आर.एक्ट	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	0	0	1	0	0	3	0	0	4
	महायोग	219	247	282	380	411	438	599	658	720

2- निराकरण की स्थिति :-

(अ) अनुसूचित जाति

क्रं.	वर्ष	रिपोर्ट	विवेचना	खात्मा	खारजी	चालान	सजा	रिहा	पेंडिंग अदालत	पेंडिंग पुलिस	ट्रांसफर
1.	2015	219	218	3	2	210	40	75	95	3	1
2.	2016	247	246	1	1	238	15	63	160	6	1
3.	2017	282	281	1	1	241	6	16	219	38	1
	योग	748	745	5	4	689	61	154	474	47	3

(ब) अनुसूचित जनजाति

क्रं.	वर्ष	रिपोर्ट	विवेचना	खात्मा	खारजी	चालान	सजा	रिहा	पेंडिंग अदालत	पेंडिंग पुलिस	ट्रांसफर
1.	2015	380	375	3	1	369	55	156	158	2	5
2.	2016	411	409	3	3	393	37	94	262	10	2
3.	2017	438	434	0	2	385	9	29	347	47	4
	योग	1229	1218	6	6	1147	101	279	767	59	11

कुल (अनुसूचित जाति/जनजाति) पंजीबद्ध अपराध के निराकरण का विवरण

क्रं.	वर्ष	रिपोर्ट	विवेचना	खात्मा	खारजी	चालान	सजा	रिहा	पेंडिंग अदालत	पेंडिंग पुलिस	ट्रांसफर
1.	2015	599	593	6	3	579	95	231	253	5	6
2.	2016	658	655	4	4	631	52	157	422	16	3
3.	2017	720	715	1	3	626	15	45	566	85	5
	योग	1977	1963	11	10	1836	162	433	1241	106	14

एजेण्डा क्रमांक-8
टोलफ्री हेल्पलाईन नं. 1036 के तहत लाभान्वितों की समीक्षा

क्र.	वर्ग	दर्ज शिकायत	निराकरण	लंबित
2015	अनु0 जाति	54	50	3
	अनु0 जनजाति	35	32	1
2016	अनु0 जाति	10	10	0
	अनु0 जनजाति	8	8	0
2017	अनु0 जाति	9	9	0
	अनु0 जनजाति	2	2	0

एजेण्डा क्रमांक – 11

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित अधिनियम 2015 के अंतर्गत वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में स्वीकृत राहत राशि की समीक्षा एवं चर्चा

(राशि लाखों में)

क्रं.	वर्ष	प्रावधानित बजट राशि	व्यय राशि	कुल लाभान्वितों की संख्या	लाभान्वित संख्या	
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2015-16	1012500	1012500	16	3	13
2	2016-17	1230000	1230000	21	4	17
3	2017-18	7237500	7237500	66	10	56
	योग	9480000	9480000	103	17	86

4.26 संस्कृति विभाग –

विभाग द्वारा पुरखौती मुक्तांगन पर अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत कार्य किया गया। पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय राज्य का एक महत्वपूर्ण संग्रहालय है जो नया रायपुर के 200 एकड़ क्षेत्र में जन जाति उपयोजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। राज्य के पारंपरिक जनजाति शिल्पियों के द्वारा इसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आकार प्रदान किया जा रहा है। जिसमें छत्तीसगढ़ की जनजाति, संस्कृति, कला शिल्प, प्राकृतिक संरचना, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण जैव विविधता को प्रदर्शित करते हुये विकास कार्य संपन्न कराये जा रहें हैं। पुरखौती मुक्तांगन में लोक जनजाति के शिल्प निर्माण कार्यशालाओं में पुरातन और नवाचार के अनेक उपदानों को संकलित किया गया है जिससे छत्तीसगढ़ के पुरखों के विविध कालखण्डों को जीवन मूल्य की विरासत को एक ही स्थान में देखा और समझा जा सकता है। वर्ष 2017-18 में बजट राशि रु. 510.00 लाख के विरुद्ध राशि रु. 499.00 लाख का व्यय किया गया है, जो 98% के लगभग है, जिसमें बस्तर संभाग के आदिवासी कलाकारों द्वारा मृदा शिल्प, काष्ठ शिल्प, लौह शिल्प, गड़वा शिल्प का निर्माण, धुरवा गृह निर्माण, माड़िया गृह निर्माण, मारिया गृह निर्माण, घोटूल गृह का निर्माण, अबुझमाड़िया गृह का निर्माण, बस्तर के पुरातन संरचना (नारायण पाल मंदिर) निर्माण, ढोल काल गणेश (पहाड़, स्थानीय वनस्पति के समान पर्यावरण संरचना भवन) का निर्माण, बस्तर के जंगल, पहाड़, स्थानीय वनस्पति के समान पर्यावरण संरचना (ऊँचाई 25 फिट, 4000 वर्ग मीटर) का निर्माण, जगदलपुर के प्राचीन दंतेश्वरी मंदिर का आकर्षक प्रवेश द्वार का निर्माण, आदिवासी युक्त प्रदर्शनी शिल्प का निर्माण, बस्तर में दशहरा रथ की मृदा में अंकित चित्र का कहानी का प्रदर्शन स्थल (गोल घर) का निर्माण किया गया है।

राज्य की संस्कृति, परंपरा, पुरातत्व, पर्यावरण और जीव-सृष्टि की सन्निधि में विकास की कल्पना को साकार करने हेतु पुरखौती मुक्तांगन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और राज्य के पारंपरिक शिल्पियों के द्वारा इसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आकार प्रदान करने का संकल्प जीवन्त हुआ। पुरखौती मुक्तांगन रायपुर से लगभग 20 कि.मी. की दूरी पर ग्राम- उपरवारा में लगभग 200 एकड़ भूमि पर आकार ग्रहण कर रहा है।

लगभग 200 एकड़ में परिक्षेत्र में फैला पुरखौती मुक्तांगन शैक्षणिक केन्द्र होगा जिसमें छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, कलाशिल्प, प्राकृतिक संरचना और भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण और जैव विविधता को प्रदर्शित करने हेतु विकास कार्य संपन्न कराये जा रहें हैं।

सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते विकास कार्यों की झलकियां



4.27 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की योजनाएं एवं उपलब्धियाँ

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्रमुख कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन कर कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकना, कृषकों की कृषि उपज का समर्थन मूल्यपर उपार्जन, लेव्ही चावल का उपार्जन, नाप-तौल की कमी से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन कर उपभोक्ताओं को न्याय प्रदान करना है ।

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली :- राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन नागरिक आपूर्ति निगम के 129 पीडीएस प्रदाय केन्द्र एवं 12 हजार 296 उचित मूल्य दुकानों के जरिए किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रतिमाह 58.04 लाख राशनकार्डधारियों को पात्रतानुसार राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

उचित मूल्य दुकान –

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 12 हजार 296 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। इनमें से सहकारी समितियों द्वारा 4,451 दुकान, ग्राम पंचायत द्वारा 4,169 दुकान, महिला स्व-सहायता समूह द्वारा 3,496 दुकान, वन सुरक्षा समितियों द्वारा 144 तथा नगरीय निकाय द्वारा 36 उचित मूल्य दुकान संचालित की जा रही हैं।

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उचित मूल्य दुकानों का कम्प्यूटरीकरण मार्च, 2012 से कोरपीडीएस के माध्यम से प्रारंभ किया गया था, किन्तु राज्य की सभी दुकानों में टैबलेट के जरिए कम्प्यूटरीकरण का कार्य अगस्त, 2015 से किया जा रहा है । राज्य में उचित मूल्य दुकानों का कम्प्यूटरीकरण एंड्रायड आधारित टैबलेट के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में 11 हजार 898 उचित मूल्य दुकान कम्प्यूटरीकृत हैं । उचित मूल्य दुकान स्तर तक कम्प्यूटरीकरण से राशनकार्डधारियों को राशन सामग्री वितरण की जानकारी आनलाईन उपलब्ध होगी ।

खाद्य अधिकार पुस्तिका (राशनकार्ड) –

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 58.04 लाख राशनकार्ड प्रचलित हैं। इनमें से 14 लाख 74 हजार 491 अन्त्योदय गुलाबी राशनकार्ड, 42 लाख, 53 हजार 333 प्राथमिकता राशनकार्ड, 58 हजार 671 एकल निराश्रित राशनकार्ड, 7 हजार 540 अन्नपूर्णा गुलाबी राशनकार्ड तथा 10 हजार 125 निःशक्तजन हरा राशनकार्ड कुल 58 लाख 04 हजार 160 राशनकार्ड प्रचलित हैं। इन राशनकार्डों में पात्रता अनुसार प्रतिमाह राशन सामग्री प्रदाय की जा रही है।

2. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का क्रियान्वयन

प्रदेश के गरीब और जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रता अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लागू होने के पूर्व खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 राज्य में लागू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा राज्य की 78 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् 2 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति

सदस्य के मान से खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गई है जबकि राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून के जरिए 84 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् 2.14 करोड़ लोगों को न्यूनतम 7 किलो प्रति सदस्य के मान से चावल वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर 3 रुपये प्रतिकिलो है जबकि राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून के जरिए अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले 58.04 लाख परिवारों को 1 रुपये प्रतिकिलो की दर से चावल वितरित किया जा रहा है। राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है –

अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत राशन सामग्री की पात्रता हेतु परिवारों की श्रेणियां निम्नानुसार है :-

- (1) अन्त्योदय परिवार, (2) प्राथमिकता परिवार,

1. अन्त्योदय परिवार :-

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में अन्त्योदय परिवारों की श्रेणी में ऐसे परिवारों को सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है जो विशेष कमजोर सामाजिक समूहों के अंतर्गत चिन्हांकित किए गए हों। विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूह में शामिल हैं— केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विशेष कमजोर जनजाति समूह के समस्त परिवार, ऐसे परिवार जिसके मुखिया विधवा अथवा एकाकी महिला है, मुखिया लाईलाज बीमारी से पीड़ित हैं, मुखिया निःशक्त व्यक्ति हैं, मुखिया 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं और जिनके पास आजीविका के सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहायता नहीं है, मुखिया विमुक्त बंधवा मजदूर है और परिवारों का कोई अन्य समूह जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जावे। वर्तमान में अन्त्योदय श्रेणी के कुल 14.74 लाख राशनकार्ड हैं।

2. प्राथमिकता वाले परिवार :-

इस श्रेणी के अंतर्गत मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन उनकी पात्रता की सीमा तक समस्त परिवार खाद्य सामग्री प्राप्त करने हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार पात्र हैं। इसके अतिरिक्त भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार, सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार, ऐसे परिवार जिसके मुखिया असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं तथा समस्त परिवार जिसके मुखिया भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, उन्हें प्राथमिकता वाले परिवार की श्रेणी में शामिल किया गया है। वर्तमान में प्राथमिकता श्रेणी के कुल 42.53 लाख राशनकार्ड हैं।

3. मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना :-

इस योजना का क्रियान्वयन राज्य में अप्रैल 2007 से किया जा रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को प्रतिमाह 1.03 लाख टन चावल का आबंटन प्राप्त हो रहा है जबकि राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रतिमाह 1.53 लाख टन चावल का वितरण किया जा रहा है। इस प्रकार प्रतिमाह 50 हजार टन चावल का वितरण राज्य शासन द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जा रहा है।

4. अन्त्योदय अन्न योजना :-

यह योजना अति गरीब परिवारों के लिये मार्च, 2001 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अति गरीब परिवारों को रूपए 1.00 प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार, प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है। राज्य को योजनांतर्गत प्रतिमाह 7,18,900 हितग्राहियों हेतु केन्द्र शासन से 25,162 मेट्रिक टन चावल का स्थायी आबंटन प्राप्त हो रहा है एवं राज्य के 7.69 लाख अतिरिक्त जारी अन्त्योदय राशनकार्डों हेतु चावल की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। वर्तमान में योजनांतर्गत 14.74 लाख राशनकार्ड प्रचलित है।

5. रिफाईन्ड आयोडाईज्ड अमृत नमक वितरण योजना :-

इस योजना में राज्य के अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले 58.04 लाख परिवारों को अनुसूचित क्षेत्र में निःशुल्क प्रतिमाह 02 किलो एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में निःशुल्क प्रतिमाह 1 किलो रिफाईन्ड आयोडाईज्ड नमक प्रति कार्ड वितरित किया जा रहा है तथा इसके वितरण में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस योजना के क्रियान्वयन से विशेषकर अनुसूचित क्षेत्रों के परिवारों को अतिरिक्त लाभ मिला है एवं घेंघा रोग के नियंत्रण में भी सहायता मिली है।

6. अन्त्योदय अन्न योजनांतर्गत चना का प्रदाय :-

जनवरी 2013 से राज्य के सभी अनुसूचित विकासखण्डों के 23.79 लाख अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 2 किलो चना 5 रूपए प्रति किलो के मान से प्रदाय किया जा रहा है। चना वितरण में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है जिसका भुगतान वितरण एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज़ कार्पोरेशन को किया जाता है।

7. अन्नपूर्णा योजना :-

भारत सरकार की यह योजना राज्य में अक्टूबर, 2001 से लागू की गई है। इस योजनांतर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बेसहारा वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं किन्तु उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्डधारियों को स्पेशल अन्त्योदय राशनकार्ड जारी किया गया है। स्पेशल अन्त्योदय राशनकार्ड में हितग्राहियों को प्रतिमाह 10 किलो चावल निःशुल्क तथा 25 किलो चावल 1 रूपए प्रति किलो की दर से प्राप्त करने की पात्रता है। प्रदेश में इस योजना से लाभान्वित होने वाले हितग्राही कार्डधारियों की संख्या 7,540 है।

8. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना :-

राज्य में महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान के लिए ग्रामीण और सुदूर अंचल में घरेलू गैस जैसे स्वच्छ और प्रदूषणरहित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू है। घरेलू गैस सस्ता और प्रदूषणमुक्त ईंधन है और भोजन पकाने में सुगम होने के साथ-साथ महिलाओं के भोजन पकाने में समय की भी बचत हो रही है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बीपीएल परिवार को निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर लगभग 1600 रूपए की

सब्सिडी उपलब्ध करा रही है । राज्य शासन द्वारा हितग्राही के 200 रुपए के अंशदान पर डबल बर्नर गैस चूल्हा तथा प्रथम रिफिल की सब्सिडी प्रदाय की जा रही है, जिसकी अनुमानित सब्सिडी 1500 रुपए प्रति हितग्राही है। इस प्रकार बीपीएल महिलाओं को इस योजना के जरिए 3100 रुपए की सब्सिडी प्रदाय की जा रही है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में 10 लाख, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 9.34 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन जारी किया गया है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में 15.19 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन वितरण का लक्ष्य है ।

अनुसूचित जाति उपयोजना मद अंतर्गत योजनावार व्यय एवं भौतिक उपलब्धि की जानकारी वित्तीय वर्ष 2017-18 चतुर्थ त्रैमास (माह अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018) की स्थिति में

(राशि लाखों में)

स. क्र.	विभाग का नाम	मांग संख्या	योजना का नाम	योजना क्रमांक	बजट प्रावधान	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि वार्षिक (अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 तक)	व्यय का प्रतिशत	भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि			अनु.ज.जा. के लाभान्वितों (परिवार) की संख्या
									ईकाई	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	खाद्य विभाग	64	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	8919	23.80	23.80	23.70	100%	-	-	-	.
2	—	64	अन्नपूर्णा योजना	5065	12.61	12.61	6.97	55%	No. of Families	0.01	0.01	.
3	—	64	अन्त्योदय अन्न योजना	5456	1080.00	1080.00	653.58	61%	No. of Families	1.87	1.87	.
4	—	64	अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्रों को प्रोत्साहन सहायता	5591	29.62	29.62	28.37	96%	No. Beneficiary	-	-	.
5	—	64	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	6839	36000.00	36000.00	24571.80	68%	No. of Families	8.47	8.47	.
6	—	64	शक्कर वितरण योजना	8933	1680.00	1680.00	917.98	55%	No. of Families	8.10	8.10	.
7	—	64	रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान	9993	909.72	909.72	909.72	100%	No. of Families	8.10	8.10	.
8	—	64	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	7800	300.00	300.00	300.00	100%	No. Beneficiary	1.12	-	.
9	—	64	मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना	7801	324.00	324.00	0.00	0%	-			
10	—	64	नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	3229	12.00	12.00	12.00	100%	-			
11	—	64	राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	3248	6000.00	6000.00	5400.00	90%	-			
12	—	64	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सहायता	6964	17.46	17.46	0.59	3%	-			
13	—	64	महिलाओं को नवीन गैस कनेक्शन पर आर्थिक सहायता	7317	0.60	0.60	0.00	0%	-			
14	—	64	राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन	8674	3900.00	3900.00	3900.00	100%	-			

			में हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति									
15	—“—	64	नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु	7478	120.00	120.00	0.00	0%	No. of FPS			
16	—“—	64	पहुँचविहीन क्षेत्रों हेतु वर्षाश्रुत में खाद्यान्न भंडारण हेतु सहायता	6914	30.00	30.00	30.00	100%	No. of FPS in Remort area	237		
17	—“—	64	नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	8545	66.00	66.00	33.74	51%	-			
योग					50505.81	50505.81	36788.45	73%	-	-	-	.

अध्याय – 5
विकास कार्यक्रमों की समीक्षा

शासन के विभिन्न विभागों के लिए “आदिवासी उपयोजना” (TSS) के अंतर्गत बजट में
प्रावधानित राशि/प्राप्त आबंटन एवं व्यय की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2017–18)

(राशि लाखों में)

स. क.	विभाग का नाम	प्रावधान	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
1	2	6	8	9
1	कृषि	129934.56	105186.98	80.95
2	उद्यानिकी	12777.16	6840.12	53.53
3	पशुधन विकास	3690.72	2646.67	71.71
4	मत्स्य	2055.53	2046.50	99.56
5	खाद्य नागरिक आपूर्ति	229774.37	169004.34	73.55
6	सहकारी संस्थाएं	10006.01	7013.10	70.09
	योग	<u>388238.35</u>	<u>292737.71</u>	<u>75.40</u>
7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	310501.151	265904.985	85.64
8	पंचायत	20518.00	20253.50	98.71
	योग	<u>331019.15</u>	<u>286158.49</u>	<u>86.45</u>
9	आ.जा.तथा अनु.जा.	141777.59	102373.76	72.21
	योग	<u>141777.59</u>	<u>102373.76</u>	<u>72.21</u>
10	जल संसाधन	77967.00	45217.85	58.00
	योग	<u>77967.00</u>	<u>45217.85</u>	<u>58.00</u>
11	ऊर्जा (छ.ग.वि.वि.कं.)	129247.00	109488.77	84.71
12	ऊर्जा (क्रेडा)	32198.00	31326.00	97.29
	योग	<u>161445.00</u>	<u>140814.77</u>	<u>87.22</u>
13	वाणिज्य एवं उद्योग	4321.18	2298.47	53.19
14	भौमिकी एवं खनिकर्म	6769.39	5512.33	81.43
15	ग्रामोद्योग – रेशम	1996.31	1346.87	67.47
16	ग्रामोद्योग – खादी	247.00	247.00	100.00
17	हाथकरघा	281.02	253.50	90.21
	योग	<u>13614.90</u>	<u>9658.17</u>	<u>70.94</u>
18	वन	27010.00	21909.74	81.12
	योग	<u>27010.00</u>	<u>21909.74</u>	<u>81.12</u>

19	समाज कल्याण	11279.15	11209.03	99.38
20	खेल एवं युवा कल्याण	834.10	395.12	47.37
21	स्कूल शिक्षा	396356.90	332092.67	83.79
22	उच्च शिक्षा	14135.40	8237.26	58.27
23	चिकित्सा शिक्षा	15309.87	11273.39	73.63
24	जनशक्ति-रोजगार पक्ष	177.56	67.06	37.77
25	प्रशिक्षण पक्ष	9404.95	6984.07	74.26
26	तकनीकी शिक्षा	5914.90	3797.43	64.20
27	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	110469.55	95994.87	86.90
28	आयुर्वेद	5393.27	4392.62	81.45
29	लो.स्वा.यांत्रिकी	24466.90	18951.15	77.46
30	नगरीय प्रशासन	21738.00	19668.40	90.48
31	जनसंपर्क	1800.00	1611.16	89.51
32	संस्कृति	510.00	499.00	97.84
33	हस्त शिल्प वि.बो.	215.59	71.67	33.24
34	महिला एवं बाल विकास	64228.55	46056.55	71.71
	योग	<u>682234.69</u>	<u>561301.45</u>	<u>82.27</u>
35	योजना आर्थिक सांख्यिकी	2900.00	2874.18	99.11
	योग	<u>2900.00</u>	<u>2874.18</u>	<u>99.11</u>
36	लोक निर्माण	197445.11	82651.19	41.86
37	विधि और विधायी	70.00	15.82	22.60
	योग	<u>197515.11</u>	<u>82667.01</u>	<u>41.85</u>
	कुल योग	<u>2023721.79</u>	<u>1545713.13</u>	<u>76.38</u>

5.1 वन विभाग :-

जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। जनजातियों को कृषि के पश्चात् सर्वाधिक आय वनों तथा वन उपजों से ही होती है। वन विभाग वन एवं वानिकी कार्य के अतिरिक्त वन ग्रामों की जनजातियों तथा विशेष जनजातियों के लिए कृषि, सिंचाई, पेयजल संबंधी कार्य भी क्रियान्वित करता है। वन विभाग को वर्ष 2017-18 में आदिवासी उपयोजना/विशेष केन्द्रीय सहायता केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत मांग संख्या-41 में राशि 27010.00 लाख रुपये का प्रावधान था जिसके विरुद्ध राशि रु.26326.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ एवं राशि रु. 21909.74 लाख रुपये व्यय किये गये। विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत	भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि			
						इकाई	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	अनु.ज.जा. के लाभान्वितों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पर्यावरणवानिकी	700.00	700.00	678.71	96.96	प्रथम वर्ष हे.			
						द्वितीय वर्ष हे.			
						रखरखाव हे.	350	350	47510
	बिगड़े वनों का सुधार	8620.00	8620.00	8441.36	97.93	प्रथम वर्ष हे.	34097	32909	
						द्वितीय वर्ष हे.	14464	13413	
						रखरखाव हे.	99301	99301	590895
	संयुक्त वन प्रबंध सुदृढीकरण एवं विकास	275.00	275.00	261.75	95.18	प्रशिक्षण	6	4	18323
	नदी तट वृक्षारोपण योजना	550.00	550.00	541.35	98.43	प्रथम वर्ष हे.	74	74	
						द्वितीय वर्ष हे.	49	49	
						रखरखाव हे.	435	435	
						रखरखाव (पौधे लाख में)	790.00	790.00	37895
	हरियाली प्रसार योजना	3300.00	3300.00	3059.83	92.72	प्रथम वर्ष (पौधे लाख में)	75.06	75.06	
						द्वितीय वर्ष (पौधे लाख में)	13.00	13.00	
						रखरखाव (पौधे लाख में)			214188
	पौधा प्रदाय योजना	44.00	44.00	41.75	94.89	पौधे लाख में (तैयारी)	4.00	4.00	
						पौधे लाख में (वितरण)	4.00	4.00	2923

	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	400.00	400.00	341.40	85.35	प्रथम वर्ष हे.	140	129	
						द्वितीय वर्ष हे.			
						रखरखाव हे.	100	100	23898
	बांस वनों का पुनरोद्धार	2000.00	2000.00	1566.51	78.33	प्रथम वर्ष हे.	1717	1717	
						द्वितीय वर्ष हे.	4649	4649	
						रखरखाव हे.	11229	11229	109656
	बाड़ी बांस योजना	380.00	380.00	68.11	17.92	प्रथम वर्ष हे.			
						द्वितीय वर्ष हे.			
						रखरखाव हे.			4768
	अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	225.00	225.00	218.46	97.09	प्रथम वर्ष हे.	125	125	
						द्वितीय वर्ष हे.	5	4	
						रखरखाव हे.	285	285	15292
	वन अधिकारों की मान्यता	55.00	55.00	52.17	94.85	मुनारा (संख्या)	16922	8992	3652
	सड़कें तथा मकान निर्माण कार्य	1210.00	1210.00	1178.69	97.41	भवन संख्या	42	23	
						सड़क निर्माण कि.मी.	32.00	27.00	82508
	कर्मचारी कल्याण योजना	130.00	130.00	113.19	87.07	भवन (संख्या में)	44	32	7923
	एकीकृत वन सुरक्षा	684.00	0.00	0.00	0.00	प्रथम वर्ष हे.			
						द्वितीय वर्ष हे.			
						रखरखाव हे.			0
	भू-जल संरक्षण कार्य	275.00	275.00	234.49	85.27	प्रथम वर्ष हे.			
						द्वितीय वर्ष हे.	1735	1735	
						रखरखाव हे.	34769	34769	16414
	ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघुवनोपज/औषधी रोपण	825.00	825.00	767.43	93.02	प्रथम वर्ष हे.	430	430	
						द्वितीय वर्ष हे.	1119	683	
						रखरखाव हे.	1970	1970	53720

	लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना	270.00	270.00	269.80	99.93	प्रथम वर्ष हे.			
						द्वितीय वर्ष हे.	11570	11570	
						रखरखाव हे.	100	100	18886
	सामाजिक वानिकी	330.00	330.00	314.57	95.32	प्रथम वर्ष हे.	230	205	
						द्वितीय वर्ष हे.			
						रखरखाव हे.	819	819	22020
	वनमार्गों पर रपटा / पुलिया निर्माण	1450.00	1450.00	1448.12	99.87	रपटा / पुलिया (संख्या)	241	213	101368
	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	2487.00	2487.00	725.13	29.16	—			50759
	ग्रीन इंडिया मिशन	190.00	190.00	190.00	100.00				1330000
	पारिस्थितिकीय सेवा विकास परियोजना	304.00	304.00	0.00	0.00				0
	लघु वनोपज संग्राहकों की सामूहिक बीमा योजना	330.00	330.00	330.00	100.00	प्रीमियम राशि			23100
	लाख विकास योजना	210.00	210.00	210.00	100.00	हितग्राहियों का प्रशिक्षण (संख्या में)			14700
	लघु वनोपज कार्य हेतु लघुवनोपज संघ को अनुदान	1500.00	1500.00	781.00	52.07	लघु वनोपज क्रय एवं प्रसंस्करण			54670
	लघु वनोपज कार्य हेतु लघुवनोपज संघ को अनुदान (के.क्षे.)	200.00	200.00	0.00	0.00				0
	प्रसंस्करण ईकाई	66.00	66.00	75.92	115.03	प्रसंस्करण ईकाई			5314
	योग	27010.00	26326.00	21909.74	81.12				1533682

5.2 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

वर्ष 2017-18 में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत राशि रुपये 4321.18 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके विरुद्ध राशि रु.4321.18 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ एवं राशि रुपये 2298.47 लाख व्यय किया गया। विभाग की प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

स. क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	प्राप्त आवंटन	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत	भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि		
						इकाई	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ब्याज अनुदान	574.30	574.30	532.58	92.74	Not fixed	Not fixed	175
2	नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना	1967.18	1967.18	0.00	0.00	Not fixed	Not fixed	0
3	अंशपूँजी सहायता योजना	45.70	45.70	45.70	100.00	Not fixed	Not fixed	3
4	अपारेल् ट्रेनिंग डिजाईन सेंटर (ATDC) की स्थापना	20.00	20.00	20.00	100.00	Not fixed	Not fixed	0
5	लागत पूँजी अनुदान	1600.00	1600.00	1599.58	99.97	Not fixed	Not fixed	50
6	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	114.00	114.00	100.61	88.25	-	-	212
योग—		4321.18	4321.18	2298.47	53.19	-	-	440

5.3 ऊर्जा विभाग

वर्ष 2017-18 में ऊर्जा विभाग को आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत राशि रुपये 129247.00 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके विरुद्ध राशि रु.100218.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ एवं राशि रुपये 109488.77 लाख व्यय किया गया। विभाग की प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

क्रं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	प्राप्त आवंटन	व्यय राशि (प्रावधिक)	कुल व्यय का प्रतिशत	भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि (प्रावधिक)			अनुसूचित जन जातियों के लाभान्वितों की संख्या
						इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि (प्रावधिक)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	0.00	0.00	1898.75		ग्राम विद्युतीकरण	6	6	1940
						एकल बत्ती	380	1940	
						सघन विद्युतीकरण	40	118	
2	पाँच अश्व शक्ति तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय	72768.00	55507.00	60453.40	83.08	सभी पात्र उपभोक्ता	—	129449	129449
3	बी.पी.एल. कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय	18031.00	15712.00	12808.84	71.04		—	757899	757899

4	कृषि पम्पों का ऊर्जीकरण {सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित एनीकटों तथा राज्य के नदी-नालों के किनारे पर पम्पों का ऊर्जीकरण सहित}	4910.00	2250.00	4312.51	87.83	पम्प	—	7802	7802
5	शासकीय स्कूलों/अस्पतालों एवं आंगनवाड़ियों का विद्युतीकरण	0.00	0.00	2056.72		स्कूल, अस्पताल एवं आंगनवाड़ी	—	2996	—
6	मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना	1800.00	409.00	1133.11	62.95	मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का चिन्हांकन संबंधित नगर निगम/ नगरीय निकाय के जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर किया जाता है।			
7	मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना	9500.00	9500.00	8218.34	86.51	मजराटोला/ बसाहटों से संबंधित विद्युतीकरण के कार्य	—	1369	समस्त रहवासी
8	उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	22236.00	16840.00	16840.00	75.73	—	—	—	—
9	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना		0.00	1494.87		अविद्युतीकृत ग्राम	56	56	
						बी.पी.एल. निवासियों को विद्युत उपलब्धता	67730	38357	
						फीडर पृथक्करण	67	5	
						नया उपकेन्द्र	39	15	
						उपकेन्द्र (क्षमतावृद्धि)	34	8	
						अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर	6	2	
	अन्य कार्य	—	—						
10	एकीकृत विद्युत विकास योजना		0.00	272.22		नगरीय क्षेत्रों में विद्युत अधोसंरचना के सुदृढीकरण से संबंधित कार्य	70 नगर	0	
11	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रयोगशाला की स्थापना	0.00	0.00	0.00		—	—	—	—
12	उदय योजनान्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी को अनुदान	0.00	0.00	0.00		—	—	—	—

	योग	129247.00	100218.00	109488.77	84.71				
--	-----	-----------	-----------	-----------	-------	--	--	--	--

5.4 ऊर्जा (क्रेडा)

वर्ष 2017-18 में ऊर्जा (क्रेडा) को आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत राशि रूपये 35605.00 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके विरुद्ध राशि रु.32198.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ एवं राशि रूपये 31326.00 लाख व्यय किया गया। विभाग की प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-
(राशि लाखों में)

क्र	योजना का नाम	बजट प्रावधान	प्राप्त आवंटन	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत	भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि			अनु.ज.जा. के लाभान्वितों की संख्या
						इकाई	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	
	2	5	6	7	8	9	10	11	12
1	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	2787.00	1147.50	1147.50		ग्रामों का विद्युतीकरण	141, 382 एवं 383 परियोजनाओं का क्रियान्वयन		
2	प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना)	950.00	950.00	950.00		सोलर होम लाइट के माध्यम से विद्युतीकरण	2215	0	0
3	ग्रामीण उर्जा को अनुदान	280.00	112.00	0.00		नग	530नग होम लाइट से विद्युतीकरण	0	0
4	राज्य के अविद्युतीकृत ग्रामीण मजराटोला/बसाहटों में विद्युतीकरण	2317.00	797.00	797.00		नग	8100 नग होम लाइट से विद्युतीकरण	2800	2800
5	सौर सुजला योजना	26629.00	26629.00	26629.00		नग	9500	9640	9640
	सोलर पेयजल हेतु सहायक अनुदान	760.00	760.00	0.00		नग	0	0	0
6	सौर उर्जा आधारित विभिन्न योजनाओं जैसे रूफ टाप सोलर पावर प्लांट हेतु सहायक अनुदान	850.00	849.50	849.50		कि.वा.	2100	1375	1375
7	उर्जा संरक्षण एवं दक्षता कार्यक्रम	70.00	70.00	70.00		प्रचार-प्रसार	प्रचार-प्रसार	0	0
8	विद्यमान संयंत्रों की क्षमता का उन्नयन और नियमित रखरखाव व संचालन	380.00	380.00	380.00		संचालन व संधारण	स्थापित सौर संयंत्रों का संचालन व संधारण	0	0
9	सौर उर्जा को छोड़कर अन्य गैर पारम्परिक स्रोत के प्रोत्साहन हेतु अनुदान	57.00	23.00	23.00		लमसम	सर्वे एवं अनुसंधान का काय	0	0
10	बायो एनर्जी आधारित कार्यक्रम	75.00	30.00	30.00		लमसम	1140नग घरेलू, 380घमी.संस्थागत बायोगैस, 380नग कुक स्टोव्ह, 1140जैनए गैसीफायर,	300	300
11	छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास एजेंसी हेतु स्थापना अनुदान	450.00	450.00	450.00		स्थापना व्यय	स्थापना व्यय	0	0

महायोग	35605.00	32198.00	31326.00	87.98					
--------	----------	----------	----------	-------	--	--	--	--	--

5.5 पशु चिकित्सा विभाग

वर्ष 2017-18 में पशु चिकित्सा विभाग को आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत राशि रूपये 3690.72 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके विरुद्ध राशि रु.2921.04 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ एवं राशि रूपये 2646.67 लाख व्यय किया गया। विभाग की प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

स. क.	योजना का नाम	बजट का प्रावधान	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत	भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि			अनु.ज.जा. के लाभान्वितों की संख्या
						इकाई	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पशु चिकित्सालय एवं औषधालय	457.72	449.18	200.00	44.53	—	—	—	—
2	गौवंश योजना	1.00	0	0	0	—	—	—	—
3	कुक्कुट प्रक्षेत्रों का विकास	240.00	239.98	239.98	100.00	28 दिवसीय 45 चूजे	8888	8888	8888
4	सूकर वितरण अनुदान	103.98	103.98	103.98	100.00	1 नर सूकर + 2 मादा सूकर	1153	1153	1153
5	नस्ल सुधार हेतु सांडों का वितरण	45.00	45.00	44.00	97.78	1 सांड	196	192	192
6	नस्ल सुधार हेतु बकरों का वितरण	40.00	40.00	40.00	100.00	1 बकरा	1000	989	989
7	नाबार्ड योजना अन्तर्गत पशुधन एवं कुक्कुट उद्यमिता विकास हेतु अनुदान	684.00	0	0	0	—	—	—	—
8	राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना	380.00	380.00	374.83	98.64	डेयरी	87	67	67
9	राज्य बकरी उद्यमिता विकास	19.00	19.00	5.30	27.89	—	—	—	—
योग (अ)		1970.70	1277.14	1008.09	78.93	—	11324	11289	11289
10	पशु चिकित्सालय एवं औषधालय की स्थापना	45.00	45.00	43.38	96.40	—	—	—	—
11	नवीन गहन पशु विकास परियोजना की स्थापना	60.00	60.00	57.30	95.50	—	—	—	—
योग (ब)		105.00	105.00	100.68	95.89	—	0	0	0

केन्द्र प्रवर्तित योजना									
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1615.00	1538.90	1537.90	99.94	—	—	—	—
2	राष्ट्रीय मिशन फार प्रोटीन सप्लीमेंटेशन फार गोट (एन.एम. पी.एस.)	0.02	0	0	0	—	—	—	—
योग (स)		1615.02	1538.90	1537.90	99.94	—	0	0	0
महायोग (अ + ब + स)		3690.72	2921.04	2646.67	90.61	—	11324	11289	11289

5.6 कृषि विभाग

वर्ष 2017-18 में कृषि विभाग को आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत रुपये 129934.56 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके विरुद्ध प्राप्त आबंटन राशि रु.110887.39 लाख है तथा राशि रुपये 105186.98 लाख व्यय किया गया। विभाग की प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	प्रावधान	प्राप्त आबंटन	व्यय	भौतिक लक्ष्य (ई)	लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि (ई)	अनु. जन जाति लाभान्वित हितग्राही
1	2	3	4	5	6	7	8
1	धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना	79800.01	79800.00	77581.54	-	-	-
2	कृषक समग्र विकास योजना	3272.94	3272.94	2987.85	933787	656075	131444
3	जनजागरण अभियान के लिये शिविरार्थियों को प्रोत्साहन	60.00	60.00	53.90	1810	1360	4270
4	सूखा प्रभावित किसानों को निःशुल्क धान बीज वितरण	0.10	0.10	0	-	-	-
5	जैविक खेती मिशन	987.29	987.29	903.16	10099	7148	8376
6	गन्ना कृषकों को बोनस	900.00	900.00	900.00	-	-	-
7	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	150.00	150.00	138.84	10	10	10
8	फसल प्रदर्शन योजना	1140.00	1140.00	1085.20	16782	22859	32219
9	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	4750.00	4729.91	4729.91	-	-	-
10	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	0.01	0	0	-	-	-
11	कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना	570.00	570.00	561.00	57	66	66

12	कृषि श्रमिकों को दक्षता उन्नयन हेतु अनुदान	210.00	210.00	206.53	467	458	458
13	खलिहान बीमा योजना	1.50	1.50	0	-	-	-
14	नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	4978.00	0	0	-	-	-
15	भू-जल संवर्धन	0.10	0.10	0	-	-	-
16	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का रखरखाव	0.01	0.01	0	-	-	-
17	शाकम्भरी योजना	1520.00	1520.00	377.43	9718	490	490
18	किसान समृद्धि हेतु अनुदान	610.00	610.00	589.80	884	1868	1868
19	माइक्रोमाइनर सिंचाई योजना	970.00	970.00	963.08	50	32	1041
20	छ.ग.राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्ययसाय हेतु अनुदान	0.10	0.10	0	-	-	-
21	इं.गां.कृ.वि. रायपुर को अनुदान	500.30	250.30	250.00	-	-	-
22	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	4750.00	2589.07	2589.07	-	-	-
23	नेशनल मिशन On oilseeds & oilpam	304.00	92.42	90.27	8727	11692	11692
24	NMAET सबमिशन ऑन सीड एवं प्लांटिंग मटेरियल योजना	265.00	264.23	256.90	10298	16774	65662
25	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	4214.40	2176.32	2041.71	82095	86491	86491
26	NMSA रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट योजना	704.10	180.24	166.43	2014	1170	1726
27	NMSA स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना	885.60	539.16	524.09	844883	923396	923396
28	NMSA क्लार्इमेट चेंज एण्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडलिंग एवं नेटवर्किंग	25.00	0.00	0.00	-	-	-
29	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	800.10	508.10	118.18	4192	1924	1200

30	परंपरागत कृषि विकास योजना	600.00	242.06	237.54	4996	4996	3818
31	टारगेटेड राईस फेलो एरिया	950.00	889.87	840.97	67227	56862	56862
32	रिक्लेमेशन ऑफ प्राब्लम स्वायल	950.00	33.05	32.74	396	239	239
33	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)	6650.00	4806.19	3986.01	123428	114718	114718
34	NMAET सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन	1120.00	863.20	863.20	-	-	-
35	कृषि यांत्रिकीकरण अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान	1140.00	503.90	150.30	6565	1221	1221
36	कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत यांत्रिकीकरण रोपाई, जुताई एवं बुआई पर अनुदान	38.00	0.00	0.00	-	-	-
37	कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना	380.00	380.00	338.00	38	44	44
38	कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर उत्पादकता वृद्धि हेतु मशीनों का प्रचार प्रसार	38.00	24.00	0.00	3	-	-
39	एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन	5700.00	1623.33	1623.33	-	-	-

5.7 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

वर्ष 2017-18 में उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत राशि रुपये 12777.16 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके विरुद्ध प्राप्त आबंटन राशि रु.7515.78 लाख है तथा राशि रुपये 6840.12 लाख व्यय किया गया। विभाग की प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

क्र	योजना का नाम	बजट प्रावधान	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत (आबंटन अनुसार)	भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि			अनु.ज.जा. लाभान्वित कृषक
						ईकाई	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सघन फलोद्यान विकास	210.00	210.00	205.60	97.90	हेक्टेयर	819	859.00	1549

	योजना								
2	उद्यानिकी प्रशिक्षण	35.00	35.00	30.50	87.14	—	—	—	—
3	नर्सरी में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम	110.00	110.00	109.85	99.86	हेक्टेयर	60	49.00	0
4	टपक सिंचाई योजना	7.60	7.60	0.00	0.00	संख्या	56	0.00	0
5	नदी के कछार/तटो पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना	57.00	57.00	56.99	99.98	हेक्टेयर	485	489.85	1748
6	कम्यूनिटी फेंसिंग योजना	225.00	225.00	221.90	98.62	हेक्टेयर	412.50	284.50	373
7	सब्जी फसलों के विविधिकरण हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	9.50	9.50	9.48	99.79	संख्या	280	0	0
8	नाबार्ड पोषित संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना	874.00	0.00	0.00	0.00		—	—	—
9	पिपरमेंट क्षेत्र विस्तार योजना	40.00	40.00	40.00	100.00	हेक्टेयर	250	13	0
10	प्रधानमंत्री फसलबीमा योजना	402.80	379.80	379.80	100.00		—	—	4798
योग(राज्ययोजना)		1970.90	1073.90	1054.12	98.16	—	—	—	—
(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं									
11	एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना	5343.96	4942.10	4725.84	95.62	रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण			
						अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर (शा क्षेत्र) (सं.)	3	3	—
						साग सब्जी एवम मसाला बीज उत्पादन (शास.क्षेत्र) (हे.)	32	20	—
						साग सब्जी एवम मसाला बीज उत्पादन (निजि क्षेत्र) (हे.)	16	11	0
						नये उद्यानों की स्थापना			
						नवीन रोपण फल बहुवर्षीय (हे.)	296	352	521

					रख-रखाव द्वितीय वर्ष (हे.)	576	576	1103
					रख-रखाव तृतीय वर्ष (हे.)	256	203	491
					स्ट्राबेरी (हे.)	16	20	63
					केला (टी.सी.) (हे.)	393	393	504
					केला -द्वितीय वर्ष रखरखाव (हे.)	320	320	534
					पपीता (हे.)	320	320	417
					योग(नये उद्यान की स्था.)			
					सब्जी क्षेत्र विस्तार (हे.)	1072	1350	3233
					पुष्प विकास योजना (हे.)	240	240	529
					मसाला विकास योजना (हे.)	1121	1121	1905
					एरोमेटिक काप स्कीम (हे.)	64	51	2148
					काजू(हे.)	280	154	104
					जल संसाधन स्रोतों का निर्माण			
					कम्प्यूनिटि टैंक (यूनिट)	4	4	13
					वाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम (यूनिट)	32	62	62
					पुराने बगीचों का जीर्णोधार (हे.)	192	192	360
					जैविक कृषि			
					जैविक कृषि का अंगीकरण (हेक्टेयर)	192	12	12
					जैविक कृषि का प्रमाणीकरण (क्लस्टर)	22	22	0
					संरक्षित खेती			
					ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर (वर्ग मी.)	26724	26724	6
					शेड नेट हाऊस (वर्ग मी)	204480	204480	69
					प्लास्टिक टनल (वर्ग मी)	0	0	
					प्लास्टिक मलचिंग (हे.)	5148	5148	4088
					आई.पी.एम. (हे.)	320	256	359
					मधुमक्खी पालन (फ्रेम/ संख्या/ सेट)	1600	1510	1372
					उद्यानिकी यंत्रीकरण (सेट)	704	255	149
					मानव संसाधन विकास (संख्या)	497	479	295
					आई.पी.एच.एम. -पैक हाऊस (इकाई)	127	127	86
					कोल्ड स्टोरेज	3	0	0
					प्रोसेसिंग यूनिट	5	0	0

						प्रिजरवेशन यूनिट (लो कास्ट)	274	306	217
						कोल्ड रूम	15	1	0
						बाजार अधोसंरचना की स्थापना/शा./प्राइवेट/कार्पोरेट सेक्टर			
						1.रूरल मार्केट(संख्या)	4	0	0
						2.रिटेल मार्केट(संख्या)	3	0	0
						कुल चेम्बर(संख्या)	32	30	21
12	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	1683.32	399.27	46.50	11.65	ड्रिप सिंचाई (हेक्टेयर)	1189.40	291	250
						स्प्रिंकलर सिंचाई (हेक्टेयर)	114	0	0
13	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)	3040.00	830.47	812.57	97.84	फल (हे.)	399	348	1215
						सब्जी विस्तार क्षेत्र (हे.)	608	556	1771
						मसाला विकास योजना (हे.)	352	352	1037
						पुष्प विकास योजना (हे.)	64	64	94
						जैविक खेती (एडाप्सन) (हे.)	1440	0	0
						जैविक खेती (प्रमाणीकरण)(संख्या)	29	0	0
						मानव संसाधन विकास (एचआरडी)	320	306	219
						उद्यानिकी यंत्रीकरण (सेट)	1	0	0
						पैक हाऊस (संख्या)	16	16	18
						मसाला फसल प्रदर्शन (संख्या)	288	255	321
						शहरी क्षेत्रों में सब्जी बीज कीट वितरण (संख्या)	1440	1013	596
						सब्जी मिनीकीट- उन्नत किस्म (सं.)	5760	5740	6289
						अपग्रेडिंग नर्सरी (सं.)	3	0	0
						आई.पी.एम.प्रदर्शन(सं.)			
						शेड नेट हाऊस (वर्ग मी)	23	20	27
						प्रोसेसिंग यूनिट	1	0	0
						प्रिजरवेशन यूनिट (लो कास्ट)	10	7	9
						मिनि प्लग टाइप वेजि.सीडलिंगयूनिट (संख्या)	4	0	0
14	नेशनल मिशन आन आईलसीड एवं आइलपाम	422.31	142.54	79.96	56.10	आईलपाम रोपण (हे.)	480	213	74
						जैतुन पौध रोपण	67.20	65	2
15	एनएमएसए नेशनल	316.67	127.50	121.13	95.00	छोटी नर्सरी (शा. क्षेत्र) (संख्या)	2	2	-

	मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री					बड़ी नर्सरी (शा. क्षेत्र)(संख्या)	4	3	—
						हाईटेक नर्सरी (शा. क्षेत्र)(संख्या)	4	3	—
						परिधीय वानिकी पौध रोपण (हे)	768	322	—
						सघन वानिकी पौध ब्लॉक वृक्षारोपण(हे)	64	27	—
योग(केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं)		10806.26	6441.88	5786.00	89.82	—	—	—	—
कुल योग		12777.16	7515.78	6840.12	91.01	—	-	-	-

5.8 सहकारिता विभाग

वर्ष 2017-18 में सहकारिता विभाग को आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत राशि रुपये 10006.01 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके विरुद्ध प्राप्त आबंटन राशि रु.7013.10 लाख है तथा राशि रुपये 7013.10 लाख व्यय किया गया। विभाग की प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग / योजना का नाम	प्रावधान	प्राप्त आबंटन	व्यय	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	अनु. जनजाति लाभान्वित हितग्राही
1	सहकारी समितियों में अंशक्रय करने हेतु अनुदान	36.00	13.00	13.00	सदस्य	7200	2600	2600
2	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय में उन्नयन	50.00	50.00	50.00	संस्था	5	5	-
3	जनजातिय सेवा समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	20.00	0.00	0.00	संस्था	200	-	-
4	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान	7032.00	4332.00	4332.00	संस्था	472	472	-
5	विपणन सहकारी समितियों का सुदृढीकरण (अनुदान)	10.00	3.60	3.60	संस्था	3	1	-
6	सहकारी संस्थाओं के लिये अंशपूँजी	118.00	96.50	96.50	संस्था	54	2	-
7	सहकारी शक्कर कारखाना ऋण	2500.00	2500.00	2500.00	संस्था	1	1	-

8	विपणन सहकारी समितियों का सुदृढीकरण (ऋण)	50.00	18.00	18.00	संस्था	3	1	-
9	नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	190.00	0.00	0.00	संस्था	34	-	-

5.9 स्वास्थ्य विभाग

विभाग को वर्ष 2017-18 में राशि रु 142500.70 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध राशि रु 121990.56 लाख का व्यय किया गया।

(राशि लाखों में)

क्रं	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय राशि (लाख में)	लाभान्वित संख्या
1	2	3	5	6
1	संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय	146.10	119.10	
2	छत्तीसगढ़ इमरजेंसी मेडिकल रेस्पॉस सर्विस	2000.00	2000.00	
3	जिला चिकित्सालय का उन्नयन	9050.00	5296.00	
4	मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना	6500.00	6500.00	15 लाख एपीएलपरिवार
5	मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	160.00	0.00	
6	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	15253.00	15253.00	42 लाख एपीएलपरिवार
7	स्वास्थ्य मितानिन योजना हेतु अनुदान	86.00	86.00	69900 मितानिन प्रशिक्षण
8	जीवनज्योति चलित औषधालय की स्था.	178.00	178.00	
9	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	49500.00	49500.00	
10	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	8811.70	8030.81	
11	उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	4326.50	4326.50	
12	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मुलभूत सेवायें)	13579.90	10474.96	
13	शीत ज्वर	1948.90	1101.85	
14	छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि के गठन हेतु आर्थिक सहायता /सहायक अनुदान	3320.00	3175.00	3542 हितग्राही
15	टी.बी. के रोकथाम हेतु	700.00	0.00	
16	यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	2.00	0.00	

5.10 नगरीय प्रशासन विभाग

वर्ष 2017-18 में नगरीय प्रशासन विभाग को आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत राशि रुपये 21738.00 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके विरुद्ध प्राप्त आबंटन राशि रु.21738.00 लाख है तथा राशि रुपये 19668.40 लाख व्यय किया गया। विभाग की प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

स. क.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत	भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि			अनु.ज.जा. के लाभान्वित की संख्या
						ईकाई (निकाय)	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आदि उप.पेय. शौच. व्यव.	287.00	287.00	287.00	100.00%	168	168	168	568640
2	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	501.00	501.00	500.00	99.80%	77	7320	9624	9624
3	स्वच्छ भारत मिशन	6320.00	6320.00	4431.40	70.12%	168	168	168	568640
4	अमृत मिशन	4200.00	4200.00	4200.00	100.00%	9	9	-	-
5	सबके लिए आवास	4200.00	4200.00	4200.00	100.00%	-	6000	5658	-
6	नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान	3050.00	3050.00	3050.00	100.00%	168	168	101	447350
7	अधोसंरचना विकास (अनु.)	3000.00	3000.00	3000.00	100.00%	168	168	112	452215
8	मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन	180.00	180.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
	योग	21738.00	21738.00	19668.40	90.48%				

5.11 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

वर्ष 2017-18 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत राशि रुपये 24466.90 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके विरुद्ध प्राप्त आबंटन राशि रु.21435.18 लाख है तथा राशि रुपये 18951.15 लाख व्यय किया गया। विभाग की प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

स. क.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत	भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि		
						ईकाई	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्रामीण जलप्रदाय सर्वेक्षण एवं जांच पड़ताल	140.90	44.94	44.92	99.96			

2	शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में जप्रयो और बड़े शहरों में जल निकास योजना का सर्वेक्षण (नलकूप खनन, नलजल योजना, शालाओं में नलकूप खनन कार्य)	24.40			0.00	नलकूप खनन कार्य, नलजल योजना, शालाओं में नलकूप खनन कार्य	2318	2172
3	चलित प्रयोगशाला की स्थापना	16.60	16.60	8.04	48.43		—	—
4	जगदलपुर जल प्रदाय	0.10	0.00	0.00	0.00		—	—
5	चिरमिरी आवर्धन ज.प्र.यो.	0.10	0.00	0.00	0.00		—	—
6	बड़े बचेली ज.प्र.यो.	30.00	0.00	0.00	0.00		—	—
7	मनेन्द्रगढ़ आवर्धन जल प्रदाय	250.00	85.69	85.69	100.00		—	—
8	खरसिया ज.प्र.यो.	0.10	0.00	0.00	0.00		—	—
9	कांकेर ज.प्र.यो.	0.10	0.00	0.00	0.00		—	—
10	जशपुर ज.प्र.यो.	0.10	0.00	0.00	0.00		—	—
11	सूरजपुर ज.प्र.यो.	0.10	0.00	0.00	0.00		—	—
12	झगराखण्ड ज.प्र. यो.	0.10	0.00	0.00	0.00		—	—
13	राजपुर ज.प्र.यो.	216.00	216.00	216.00	100.00		—	—
14	बलरामपुर ज.प्र. यो.	0.10	0.00	0.00	0.00		—	—
15	कुसमी ज.प्र.यो.	0.10	0.00	0.00	0.00		—	—
16	किरंदूल ज.प्र.यो.	20.00	0.00	0.00	0.00		—	—
17	सुकमा ज.प्र.यो.	0.10	0.00	0.00	0.00		—	—
18	नगरी ज.प्र.यो.	224.00	222.56	222.56	100.00		—	—
19	कोतबा ज.प्र.यो.	0.10	0.00	0.00	0.00		—	—
20	बस्तर आवर्धन ज. प्र.यो.	226.00	0.00	0.00	0.00		—	—
21	फरसगांव आवर्धन ज.प्र.यो.	200.00	199.57	199.57	100.00		—	—
22	केशकाल आवर्धन ज.प्र.यो.	190.00	187.07	187.07	100.00		—	—
23	कुदरगढ़ नलजल प्रदाय योजना	0.10	0.00	0.00	0.00		—	—
24	नई लेदरी ज.प्र.यो.	0.10	0.00	0.00	0.00		—	—
25	खोंगापानी नल ज.प्र.यो.	0.10	0.00	0.00	0.00		—	—
26	नवीन नगरीय आवर्धन जल प्रदाय योजना	400.00	400.00	400.00	100.00		—	—
27	चिरमिरी आवर्धन ज.प्र.यो.	500.00	500.00	500.00	100.00		—	—
28	नगरीय निकाय क्षेत्रों में नलकूप खनन कार्य	75.00	70.80	49.16	69.44		—	—
29	निर्देशन	50.00	50.00	1.19	2.38		—	—
30	प्रशासन	30.00	30.00	10.00	33.33		—	—

31	समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल प्रदाय	1904.60	1904.60	1903.47	99.94		—	—
32	पाइप द्वारा ग्रामीण ज.प्र.यो.	1178.00	1163.00	969.19	83.34		—	—
33	शालाओं में पेयजल व्यवस्था	380.00	380.00	377.55	99.36		—	—
34	पाइपों द्वारा ग्रामीण ज.प्र.यो. (नाबार्ड पोषित योजनाएँ)	2900.000	2396.72	1725.33	71.99		—	—
35	सौर उर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना	5393.00	5361.27	4903.95	91.47		—	—
36	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम — 26	5154.000	4083.49	3395.27	83.15		—	—
37	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम — 27	2673.000	1922.87	1552.19	80.72		—	—
38	नगरीय नई जल प्रदाय योजना (6215)	2200.00	2200.00	2200.00	100.00		—	—
	योग	24376.90	21435.18	18951.15			—	—
1	ग्रामीण ज.प्र.यो. का संधारण	50.00	0.00	0.00	0.00		—	—
2	शुद्ध पेयजल योजना	40.00	0.00	0.00	0.00		—	—
	योग	90.00	0.00	0.00	0.00		—	—
	महायोग	24466.90	21435.18	18951.15	88.41		—	—

5.12 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक विकास एवं शैक्षणिक उत्थान हेतु अनेक जनहितकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों के विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन तथा अत्याचार एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग निरंतर प्रयत्नशील है। उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं जिससे इन वर्गों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और वे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर राज्य के विकास में योगदान हेतु सक्षम हो रहे हैं।

वर्ष 2017-18 में आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत राशि रुपये 141777.59 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके विरुद्ध राशि रुपये 102376.77 लाख व्यय किया गया। विभाग की प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

स. क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार 275(1)	4459.31	3449.96	1939.58	43.50
2	आश्रम	21155.00	21155.00	18995.40	89.79

3	मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना	1000.00	1000.00	806.47	80.65
4	विशेष पिछड़ी जन जाति आश्रम	57.00	57.00	32.46	56.95
5	मुख्य मंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	1510.90	1510.90	1343.42	88.92
6	कन्या शिक्षा परिसर	664.00	664.00	506.03	76.21
7	छात्रावास	23113.50	23113.50	20362.44	88.10
8	विशेष कोचिंग केन्द्र योजना	100.00	100.00	73.55	73.55
9	छात्र भोजन सहाय योजना	900.00	900.00	778.84	86.54
10	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	2600.00	2600.00	1991.17	76.58
11	युवा कैरियर निर्माण योजना	550.90	550.90	377.73	68.57
12	सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना	18.00	18.00	3.80	21.11
13	विज्ञान वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन	262.40	262.40	201.14	76.65
14	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाधान्न	1800.00	1800.00	1716.03	95.34
	योग	58191.01	57181.66	49128.06	84.43
1	विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाएँ से स्थानीय विकास कार्यक्रम	8000.00	3664.18	1486.27	18.58
2	पंडो एवं भुजिया विकास अभिकरण	100.00	100.00	100.00	100.00
3	बस्तर विकास प्राधिकरण	1075.00	1075.00	426.17	39.64
4	सरगुजा, जशपुर विकास प्राधिकरण	615.00	615.00	615.00	100.00
5	अनुसूचित जन जाति के हितग्राहियों को ऋण उपलब्धता बाबत	2000.00	200.00	200.00	10.00
6	आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास	809.00	809.00	694.67	85.87
7	छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास कार्यक्रम	60.00	60.00	60.00	100.00
8	आदिवासी पिछड़े विशेष समूह	236.00	236.00	131.46	55.70
9	व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना	824.50	824.50	413.23	50.12
	योग	13719.50	7583.68	4126.80	30.08
1	विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	9600.00	9600.00	7581.00	78.97
2	विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना(नाबार्ड)	100.00	100.00	100.00	100.00
3	विवेकानंद उन्नयन योजना (1002)	500.00	500.00	0.00	0.00
	योग	10200.00	10200.00	7681.00	75.30
1	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार 275(1)	14210.64	11550.04	11301.28	79.53
2	विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाएँ से स्थानीय विकास कार्यक्रम	17208.66	15015.93	15467.99	89.88
3	बस्तर विकास प्राधिकरण	2800.00	2800.00	2785.52	99.48
4	सरगुजा, जशपुर विकास प्राधिकरण	3235.00	3235.00	3171.40	98.03
5	छत्तीसगढ़ अ0जा0 सहकारी विकास निगम को अंशपूजी धनवेष्टन	50.00	50.00	0.00	0.00
	योग	37504.30	32650.97	32726.19	87.26
1	शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये (प्राथमिक स्तर)197	5000.00	5000.00	856.09	17.12
2	शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये (माध्यमिक स्तर)196	8000.00	8000.00	691.93	8.65
	योग	13000.00	13000.00	1548.02	11.91

1	विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	33.00	33.00	20.33	61.61
2	शिक्षक आवास गृह—	15.00	15.00	0.78	5.20
3	जिला/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों का भवन निर्माण	22.00	22.00	0.00	0.00
4	शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण	2000.00	2000.00	716.21	35.81
	योग	2070.00	2070.00	737.32	35.62

विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं, विषिष्ट विद्यालयों (आवासीय व्यवस्था/छात्रावास) एवं क्रीड़ा परिसरों का विवरण

क.	संस्था का प्रकार	संस्थाओं की संख्या	अनु.क्षेत्रों में संचालित संस्थाओं की संख्या
1	एकलव्य आवासीय विद्यालय	25	19
2	प्रयास आवासीय विद्यालय	07	03
3	आस्था गुरुकुल आवासीय विद्यालय, दंतेवाड़ा	01	01
4	क्रीडा परिसर	16	14
5	कन्या शिक्षा परिसर (आवासीय व्यवस्था)	14	13
6	गुरुकुल विद्यालय (आवासीय व्यवस्था)	01	01
7	आदर्श विद्यालय (आवासीय व्यवस्था)	06	06

अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विद्यालयों में अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिये विभाग द्वारा निम्नानुसार छात्रावास एवं आश्रम संचालित किए जा रहे हैं :-

1. छात्रावास/आश्रम :- छ0ग0 राज्य में कुल 2047 छात्रावासों में 96445 विद्यार्थी प्रवेष्टित हैं। जिसमें से कुल 1288 अनुसूचित जनजाति प्री. मैट्रिक छात्रावासों की 61427 सीटों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के (13 संपूर्ण जिले व अनुसूचित क्षेत्र में शामिल 06 आंशिक जिलों) 1130 अनुसूचित जनजाति प्री. मैट्रिक छात्रावासों की 55218 सीट्स पर विद्यार्थी प्रवेष्टित हैं।

इसी प्रकार राज्य के 341 अनुसूचित जाति प्री. मैट्रिक छात्रावासों की 14190 सीटों के विरुद्ध उपरोक्त उल्लेखित अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के 142 अनुसूचित जाति प्री. मैट्रिक छात्रावासों की 5621 सीट्स पर तथा राज्य के 8 अन्य पिछड़ा वर्ग प्री. मैट्रिक छात्रावासों की 400 सीटों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के 7 अन्य पिछड़ा वर्ग प्री. मैट्रिक छात्रावासों की 350 सीट्स पर विद्यार्थी प्रवेष्टित हैं।

301 अनुसूचित जनजाति पो. मैट्रिक छात्रावासों की 14615 सीटों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के 13 संपूर्ण जिले व अनुसूचित क्षेत्र में शामिल 06 आंशिक जिलों के 262 अनुसूचित जनजाति पो. मैट्रिक छात्रावासों की 12442 सीट्स पर विद्यार्थी प्रवेशित हैं। 90 अनुसूचित जाति पो. मैट्रिक छात्रावासों की 4640 सीटों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के 35 अनुसूचित

जाति पो. मैट्रिक छात्रावासों की 2467 सीट्स पर एवं 19 अन्य पिछड़ा वर्ग पो. मैट्रिक छात्रावासों की 1050 सीटों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के 12 अन्य पिछड़ा वर्ग पो. मैट्रिक छात्रावासों की 658 सीट्स पर विद्यार्थी प्रवेष्टित हैं।



कन्या आश्रम, सिंगारभाट, जिला-कांकेर

छ0ग0 राज्य में कुल 1226 आश्रमों में 76866 विद्यार्थी प्रवेष्टित हैं। जिनमें से अनुसूचित जनजाति के 1099 आश्रमों की 72543 सीटों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के 1175 अनुसूचित जनजाति आश्रमों



की 73822 सीट्स शामिल है। इसी प्रकार राज्य के 22 अनुसूचित जाति आश्रमों की 1102 सीटों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के 51 अनुसूचित जाति आश्रमों की 3044 सीट्स पर विद्यार्थी प्रवेष्टित है।



कन्या छात्रावास मडकामीरास दंतेवाड़ा

2 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति :-

कक्षा 11वीं एवं उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। अनुसूचित जनजाति के रु. 2.50 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार के छात्र इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं। वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजाति के 49924 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए हैं, छात्र/छात्राओं को संस्था द्वारा प्रभारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य देय राशि (Excluding amount refundable to the student after completion of the course) की भी पात्रता होती है। प्री. मैट्रिक तथा कक्षा 11वीं व 12वीं तक की पो0 मैट्रिक छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग द्वारा वितरित की जा रही है।

छ0ग0 राज्य में वर्ष 2017-18 में महाविद्यालयीन स्तर पर वितरित पो0मै0 छात्रवृत्ति की जानकारी निम्नानुसार है :-

छात्रवृत्ति का	कुल वितरित छात्रवृत्ति	अनु.क्षेत्रों में वितरित छात्रवृत्ति
----------------	------------------------	--------------------------------------

प्रकार	अनु.ज.जा.		अनु.जा.		अनु.ज.जा.		अनु.जा.	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
पो.मैट्रिक (महाविद्यालयीन) छात्रवृत्ति	49924	3764.14	39384	3194.92	39380	2572.09	13937	1148.69

विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति तथा भुगतान ऑन लाइन किया जा रहा है।

3 खेल परिसर :- राज्य में अध्ययन के साथ-साथ खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिये विभाग द्वारा 16 खेल परिसर संचालित किए जा रहे हैं। जिनमें से 14 खेल परिसर अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित किये जा रहे हैं। इनमें से 6 परिसर कन्याओं के लिए हैं। प्रत्येक परिसर में अधिकतम 100 छात्र/छात्राएं आवासीय सुविधा सहित खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2017-18 में कुल 1437 छात्र/छात्राओं ने क्रीड़ा परिसर में प्रशिक्षण



कन्या क्रीडा परिसर जयपुर की खिलाड़ी छात्राएं

प्राप्त किया। प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिमाह रु. 850 शिष्यवृत्ति, 500 रु. पोषण आहार हेतु वर्ष में एक बार रु. 3000 संपूर्ण खेल पोषाक के लिये (जिसमें ड्रेस, जूता, मोजा तथा संबंधित खेल की पोषाक शामिल है) तथा रु. 500 शाला गणवेश के लिए दिए जाते हैं। विद्यार्थियों द्वारा वर्ष 2011-12 एवं 2016-17 तक राष्ट्रीय स्तर पर 104 तथा राज्य स्तर पर 2575 कुल 2679 पदक विभिन्न स्पर्धाओं में प्राप्त किये गये हैं। रत्नागिरी (महाराष्ट्र) में आयोजित 63वें राष्ट्रीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता 2018 में धरमपुरबालक क्रीडा परिसर के छात्र पदम कुमार ने मिनी वर्ग में (14 वर्ष से कम) में 80 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त कर विषिष्ट उपलब्धि अर्जित की।

4 अशासकीय संस्थाओं को अनुदान :- छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के आर्थिक, परम्परागत मूल संस्कृति, सामाजिक उत्थान से संबंधित गतिविधियों में अशासकीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अशासकीय संस्थाओं को अनुदान सहायता स्वीकृत करने हेतु अशासकीय संस्था अनुदान नियम-2006 बनाया गया है।

राज्य में निवासरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के विकास हेतु संचालित विभिन्न प्रवृत्तियों के लिए कुल 12 अशासकीय संस्थाओं को विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। इन अशासकीय संस्थाओं के द्वारा छात्रावास, औषधालय, बालवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, आरोग्य सेवा केन्द्र आदि प्रवृत्तियां संचालित की जा रही हैं। अशासकीय संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रुपये 2800.00 लाख अनुदान स्वीकृत किया गया है।

5 निर्माण योजनाएं :- राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक छात्रावास/आश्रमों में भवनों का निर्माण विभिन्न निर्माण एजेन्सी द्वारा किया जाता है, साथ ही निर्मित भवनों के रख-रखाव का कार्य भी किया जाता है। प्रतिवर्ष विभाग में उपलब्ध बजट प्रावधान अनुसार लगभग 50 छात्रावास/आश्रम भवनों का निर्माण कराया जाता है। विभाग द्वारा राज्य में संचालित 2373 छात्रावास/आश्रमों में से 2300 भवन युक्त छात्रावास/आश्रम शालाओं का रख-रखाव विभाग द्वारा किया जाता है। छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रं/एफ16-65/2016/25/2, दिनांक 29.07.2017 द्वारा प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप अनु. जनजाति कन्या छात्रावास/आश्रम शालाओं में सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैनात महिला नगर सैनिकों के लिये आवास निर्माण लागत राशि रु 03.05 लाख प्रति ईकाई के मान से वर्ष 2017-18 में 196 कन्या छात्रावास/आश्रम शालाओं में महिला गार्ड रुम का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यालयीन स्वीकृति आदेश क्रं/निर्माण/632/2016-17/6170, दिनांक 08.09.2017 द्वारा राशि रु 597.80 लाख जारी किया गया है।

आदिवासी उपयोजना अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभाग को आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत 141777.59 लाख के प्रावधान के विरुद्ध 102376.77 लाख का व्यय किया गया। विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का आबंटन व्यय निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1.	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	4400.00	4400.00
2.	छात्रावास	23113.50	20362.44
3.	आश्रम	21155.00	18995.40
4.	विशेष पिछड़ी जन जाति आश्रम	57.00	32.46
5.	युवा कैरियर निर्माण योजना	550.90	377.73
6.	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	2600.00	1991.17
7	मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना	1510.90	1343.42
8.	मेघावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की योजना	1000.00	506.47
9	छात्र भोजन सहाय योजना	900.00	788.84
10	विशेष कोचिंग केन्द्र	100.00	73.55
11	व्यासायिक प्रशिक्षण योजना	824.50	415.23
12	आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास	809.00	694.67
13	बस्तर विकास प्राधिकरण	3875.00	3211.71

14.	सरगुजा जशपुर विकास प्राधिकरण	3850.00	3760.61
15	विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाएँ	25208.66	16954.26
16	आदिवासी विशेष पिछड़े समूह	2986.00	1597.89
17.	वन बंधु कल्याण योजना	1278.28	636.72
18.	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार (अनुच्छेद 275(1))	18669.95	13240.86
19	पंडो एवं भुंजिया विकास अभिकरण	100.00	100.00

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में क्रियान्वित विकास योजनाएं :-

अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति देने के उद्देश्य से आदिवासी उपयोजना की अवधारणा स्वीकृत की गई है तथा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास योजनाओं के माध्यम से स्थानीय विकास कार्यक्रमों को बल प्रदान किया गया है। योजना निर्माण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग को गति देने के उद्देश्य से प्रदेश में उन्नीस (19) एकीकृत आदिवासी परियोजनाएँ, 9 माडा पाकेट, एवं 2 लघु अंचल संचालित हैं।

परियोजना के गठन के साथ ही उनको क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से परियोजना सलाहकार मण्डलों का गठन किया गया है। परियोजना सलाहकार मण्डल के अनुमोदन पश्चात् ही अनुमोदित योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित विकास विभागों को उपलब्ध कराये गए आबंटन के अनुसार किया जाता है ताकि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उन्हें सामान्य वर्ग के समतुल्य लाना संभव हो सके। आदिवासी उपयोजना के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों तथा आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में परिवारमूलक/हितग्राहीमूलक कार्यों के साथ-साथ स्थानीय विकास एवं मूलभूत सुविधाओं के कार्य कराये जाते हैं यथा-नलकूप खनन एवं विद्युतीकरण, सौर सिंचाई योजना, पेयजल, विद्यालय/छात्रावास भवन, स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि कार्य लिये जाते हैं।

परियोजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता, स्थानीय विकास कार्यक्रम एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में प्राप्त आबंटन तथा स्वीकृत कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	भारत सरकार से प्राप्त राशि	आबंटित राशि	स्वीकृत कार्य
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (आई.टी.डी.पी., माडा पाकेट, लघु अंचल एवं पी.व्ही.टी.जी. विकास अभिकरण/प्रकोष्ठ द्वारा स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु)	14327.57	12435.373	14
2	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह योजना)	1089.50	1089.50	07
3	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	10964.51	10869.52	54

उपरोक्त योजनाओं में परियोजनावार/सेक्टरवार लिये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट 5 (अ), (ब), (स), (द), (इ) एवं (ई) में संलग्न है।

परियोजनाओं को प्रदत्त आबंटन दो भागों में विभक्त होता है, प्रथम राजस्व मद एवं द्वितीय पूंजी मद। राजस्व मद के अन्तर्गत परिवार मूलक आर्थिक विकास के कार्य लिए जाते हैं तथा पूंजीमद अन्तर्गत अधोसंरचना विकास एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राशि दी जाती है। केन्द्र शासन के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 25.05.2003 के अनुसार परियोजना मद की राशि का 30 प्रतिशत पूंजीमद एवं 70 प्रतिशत राशि राजस्व मद में व्यय किया जाना है।

अध्याय – 6

विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास

6.1 छत्तीसगढ़ की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 78.22 लाख है। वर्ष 2005-06 के सर्वेक्षण आधार पर राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों की ग्राम संख्या, परिवार संख्या एवं कुल जनसंख्या निम्नानुसार है :-

क्र.	विशेष पिछड़ी जनजाति का नाम	जिला	ग्राम संख्या	कुल परिवार	कुल जनसंख्या
1	2	3	4	5	6
1	कमार	गरियाबंद	217	3350	14386
		धमतरी	126	1454	5740
		महासमुंद	73	671	2898
		कांकेर	13	67	264
	योग		429	5542	23288
2	बैगा	कबीरधाम	268	7890	36123
		बिलासपुर	52	2256	9691
		कोरिया	127	4279	16811
		राजनांदगांव	35	975	3495
		मुंगेली	40	1275	5742
	योग		522	16675	71862
3	पहाड़ी कोरवा	सरगुजा	140	2374	9509
		जशपुर	97	3097	13011
		कोरबा	33	610	2397
		बलरामपुर	134	2986	12555
	योग		404	9067	37472
4	बिरहोर	रायगढ़	28	243	959
		जशपुर	14	118	414

		बिलासपुर	6	86	367
		कोरबा	34	353	1294
	योग		82	800	3034
5	अबूझामाड़िया	नारायणपुर	201	3895	19401
		दंतेवाड़ा	8		
		बीजापुर	41		
	योग		201	3895	19401
	कुल योग		1638	35979	155057

जिलों के पुनर्गठन के पश्चात निर्मित नवीन जिलों में उपरोक्तानुसार विशेष पिछड़ी जनजाति पाये जाने के फलस्वरूप पूर्व से गठित अभिकरणों का पुनर्गठन करते हुए 07 नवीन विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्रकोष्ठों का गठन किया गया है।

वर्ष 2015-16 में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों (PVTG's) के आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के नवीनतम सर्वेक्षण के आधार पर विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों (PVTG's) की जनसांख्यिकीय जानकारी के अनंतिम आंकड़े निम्नानुसार है :-

क्र.	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का नाम	अभिकरण/प्रकोष्ठ का नाम	जिला	विकासखंड	ग्राम संख्या	परिवार संख्या	कुल जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कमार	गरियाबंद	गरियाबंद	गरियाबंद	71	1972	6192
2				छुरा	59	1088	3862
3				मैनपुर	51	1428	4392
4				फिंगेष्वर	18	205	651
5			बलौदा बाजार	कसडोल	2	40	159
				योग	201	4733	15256
6		नगरी	धमतरी	नगरी	88	1243	4735
7				मगरलोड	26	449	1643
				धमतरी	5	20	83
				योग	119	1712	6461
8		महासमुंद	महासमुंद	महासमुंद	41	460	1425
9				बागबहरा	32	387	1378
10				पिथौरा	2	44	169
				योग	75	891	2972

11		भानुप्रतापपुर	कांकेर	नरहरपुर	13	78	262
				योग	13	78	262
12			कोण्डागांव	बड़ेराजपुर	1	9	34
				योग	1	9	34
		योग कमार			409	7423	24985
1	<u>बिरहोर</u>	जषपुर	जषपुर	दुलदुला	1	16	56
2				पत्थलगांव	2	36	111
3				कांसाबेल	4	28	102
4				बगीचा	4	58	182
5				कुनकुरी	1	25	73
				योग	12	163	524
6		धरमजयगढ़	रायगढ़	धरमजयगढ़	17	219	675
7				घरघोड़ा	2	13	52
8				तमनार	3	49	142
9				लैलुंगा	3	23	83
				योग	25	304	952
10		कोरबा	कोरबा	कोरबा	9	145	445
11				करतला	3	13	39
12				पौडी उपरोडा	12	188	559
13				पाली	11	160	499
				योग	35	506	1542
14		बिलासपुर	बिलासपुर	कोटा	4	104	337
15				मस्तुरी	2	39	123
				योग	6	143	460
		योग बिरहोर			78	1116	3478
1	<u>पहाड़ी कोरवा</u>	जषपुर	जषपुर	बगीचा	80	3847	14054
2				मनोरा	12	238	1017
				कुनकुरी	1	9	32
				योग	93	4094	15103
3		बलरामपुर	बलरामपुर	राजपुर	43	1529	5875
4				कुसमी	24	751	3262
5				शंकरगढ़	48	1347	5739
6				बलरामपुर	9	164	693
				योग	124	3791	15569
7		अंबिकापुर	सरगुजा	लखनपुर	8	186	717

8				सीतापुर	9	190	701
9				बतौली	16	409	1620
10				उदयपुर	5	170	633
11				अंबिकापुर	11	298	1152
12				मैनपाट	16	354	1463
13				लुंझा	63	1054	4235
				योग	128	2661	10521
14		कोरबा	कोरबा	कोरबा	23	609	2328
15				पौडी उपरोड़ा	4	33	126
				योग	27	642	2454
		योग पहाड़ी कोरवा			372	11188	43647
1	बैगा	कबीरधाम	कबीरधाम	पंडरिया	78	4624	17244
2				बोड़ला	184	6631	27435
				योग	262	11255	44679
3		बिलासपुर	बिलासपुर	गौरेला	17	2094	8006
4				कोटा	32	1520	5168
5				तखतपुर	2	60	247
				योग	51	3674	13421
6		कोरिया	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	23	437	1536
7				खड़गवा	24	355	1213
8				भरतपुर	84	5142	15993
				योग	131	5934	18742
9		राजनांदगांव	राजनांदगांव	छुईखदान	39	1347	4552
				योग	39	1347	4552
10		मुंगेली	मुंगेली	लोरमी	41	2357	8371
				योग	41	2357	8371
		योग बैगा			524	24567	89765
1	अबुझमाड़िया	नारायणपुर	नारायणपुर	ओरछा	236	4632	22387
2				नारायणपुर	13	154	723
		योग अबुझमाड़िया		योग	249	4786	23110
		कुल योग			1632	49080	184985

उपरोक्त सर्वेक्षण के अनुसार विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की जनसंख्या में वृद्धि परिलक्षित हुई है।

6.2 भारत शासन द्वारा निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर किसी अनुसूचित जनजाति समुदाय को विशेष पिछड़ी जनजाति की मान्यता प्रदाय की जाती है।

1. कृषि में पूर्व प्रौद्योगिकी का चलन (झूम खेती)
2. साक्षरता का निम्न स्तर।
3. अत्यंत पिछड़े व दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करना।
4. स्थिर या घटती हुई जनसंख्या दर का होना।

6.3 विशेष पिछड़ी जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास अभिकरणों का गठन संयुक्त म.प्र. राज्य में रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत किया गया था। इन अभिकरणों से संबंधित कार्यकारिणी समिति/षासी निकाय में विशेष पिछड़ी जनजाति के ही अध्यक्ष एवं 5 सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित अभिकरण क्षेत्र के विधायक, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष को भी सदस्य मनोनीत किया गया है। यह कार्यकारिणी अभिकरण क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ राज्य में 06 पी.व्ही.टी.जी विकास अभिकरण एवं 09 प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण/प्रकोष्ठ का नाम
1	अबूझमाड़ विकास अभिकरण, नारायणपुर
2	बैगा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, बिलासपुर
3	बैगा विकास प्रकोष्ठ, मुंगेली
4	बैगा विकास प्रकोष्ठ, राजनांदगांव
5	बैगा विकास प्रकोष्ठ, कोरिया
6	पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ, कोरबा
7	बैगा विकास अभिकरण, कवर्धा
8	पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण, अम्बिकापुर
9	पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, जशपुर
10	पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ, बलरामपुर
11	बिरहोर विकास प्रकोष्ठ, धरमजयगढ़
12	कमार विकास अभिकरण, गरियाबन्द
13	कमार विकास प्रकोष्ठ, नगरी
14	कमार विकास प्रकोष्ठ, भानुप्रतापपुर
15	कमार विकास प्रकोष्ठ, महासमुंद

6.4 पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य के मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर योजनाएं संचालित की जा रही है। अभिकरणों की समीक्षा बैठकों में प्राप्त प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं तथा क्रियान्वयन की कमियों को दूर करने की दृष्टि से नयी कार्ययोजना बनायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत कार्य हेतु राशि रु.1089.50 लाख का आबंटन तीन किस्त में प्राप्त हुआ है। तृतीय किस्त की राशि वर्षान्त में प्राप्त होने तथा वर्ष 2018-19 में जारी किये जाने के फलस्वरूप व्यय राशि रु.325.239 लाख (29.85%) है शेष आबंटन का उपयोग वर्ष 2018-19 में किया जा रहा है। अभिकरणवार कार्ययोजना परिशिष्ट 9 (इ) पर संलग्न है।

6.5 इन विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरणों द्वारा उपरोक्त प्राप्त आबंटन से विभिन्न क्षेत्रों में निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं :—

1. जैविक खेती संवर्धन, माईक्रो सिंचाई प्रणाली अंतर्गत 03 एच.पी.डीजल पंप का प्रदाय, सौर सुजला योजना अंतर्गत बोरवेल सह सोलर पंप की स्थापना, रोजगार सह आय मूलक कार्यक्रम अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।
2. विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के सामाजिक सुरक्षा हेतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा सांस्कृतिक संवर्धन अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी महोत्सव, परंपरागत नृत्य आदि हेतु सहायता।
3. विशेष रूप से कमजोर जनजाति अभिकरणों एवं प्रकोष्ठों के प्रशासनिक सुदृढीकरण हेतु कम्प्यूटर खरीदी एवं आपरेटर का वेतन प्रदाय।

6.6 राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002–03 में पंडों तथा भुंजिया जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के समतुल्य मानते हुए इनके लिए पृथक-पृथक विकास अभिकरणों का गठन किया गया।

6.7 पंडो विकास अभिकरण :—सूरजपुर एवं सरगुजा जिले में निवासरत पंडो जनजाति आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक दृष्टि से अन्य जनजातियों से पिछड़ी हुई है। पंडो जाति के पिछड़ेपन को दूर कर इनके सर्वांगीण विकास हेतु सरगुजा जिले के 14 विकासखण्डों में निवासरत पंडों जनजाति के लिए जिला मुख्यालय सूरजपुर में पंडों विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। वर्ष 2017–18 में इसके लिए रु. 50.00 लाख का प्रावधान राज्य आयोजना में रखा गया है। इस राशि से पंडो जनजाति के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के कार्य किए गए।

6.8 भुंजिया विकास अभिकरण की स्थापना :— राज्य के गरियाबंद, धमतरी एवं महासमुन्द जिलों के गरियाबंद, छुरा, मैनपुर, फिंगेश्वर, नगरी, महासमुन्द, खल्लारी तथा बागबाहरा विकासखण्डों में निवासरत भुंजिया जनजाति आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ी हुई है। इनके सर्वांगीण विकास हेतु भुंजिया जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। वर्ष 2017–18 में इसके लिए रु 50.00 लाख का प्रावधान राज्य आयोजना मद रखा गया है। इस राशि से भुंजिया जनजाति के लिए सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास की योजनाएं संचालित की जा रही है।

6.9 शैक्षिक विकास हेतु पहल

1. राज्य की पहाड़ी कोरवा जनजाति शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ी हैं इन्हें शिक्षा की ओर आकर्षित करने तथा शिक्षा के लिए प्रेरित करने हेतु पहाड़ी कोरवा क्षेत्र में संचालित प्राथमिक शालाओं को आश्रम में परिवर्तित किया जा रहा है। अंबिकापुर जिले में 20 पहाड़ी कोरवा आश्रम तथा 01 छात्रावास में कुल 444 पहाड़ी



पहाड़ी कोरवा आश्रम सिलसिला

कोरवा विद्यार्थी प्रवेशित हैं। इसी प्रकार जशपुर जिले में पहाड़ी कोरवा कुल 20 आश्रम संचालित हैं जिनमें 351 विद्यार्थी प्रवेशित हैं। बिरहोर जनजाति भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी होने के कारण इस जनजाति समूह के बच्चों के लिए जशपुर जिले तथा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विकासखंड में शिक्षा हेतु बिरहोर आश्रम संचालित किया जा रहा है।



बलरामपुर जिले में 21 पहाड़ी कोरवा आश्रम

संचालित है जिसमें 1068 विद्यार्थी प्रवेशित हैं। पहाड़ी कोरवा जनजाति की कन्याओं को अच्छी शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखण्ड में पहाड़ी कोरवा कन्या शिक्षा परिसर संचालित किया जा रहा है जिसमें 268 छात्राएं प्रवेशित हैं।

2. भारत सरकार की सहायता से प्रदेश के 08 जिलों क्रमशः कोरिया, बलरामपुर, अंबिकापुर, कबीरधाम, धमतरी, बिलासपुर, गरियाबंद, जशपुर में 09 आवासीय विशेष रूप से कमजोर जनजाति के लिए आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है

इनमें से 07 भवन अनुसूचित क्षेत्र में स्थित हैं जिनमें से 05 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 04 भवनों का निर्माण कार्य पूर्णता पर है।

6.10 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के समेकित विकास हेतु मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के समेकित विकास हेतु राज्य में 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

1. आवासहीन परिवारों के लिए आवास
2. पेयजल विहीन ग्रामों में पेयजल की उपलब्धता
3. विद्युत विहीन ग्रामों का विद्युतीकरण
4. स्वास्थ्य परीक्षण
5. खाद्य सुरक्षा प्रदान करना
6. 0—6 वर्ष आयु के बच्चों तथा गर्भवती माताओं को कुपोषण से बचाने के लिये पोषण आहार (न्यूट्रीषियस फूड) का प्रदाय सुनिश्चित करना।
7. कौशल उन्नयन
8. सामाजिक सुरक्षा
9. वन अधिकार पत्रों का वितरण
10. जाति एवं निवास प्रमाण पत्र प्रदाय
11. सूचना जागरूकता हेतु रेडियों तथा दैनंदिन आवश्यकता हेतु छाता एवं कम्बल प्रदाय।

छत्तीसगढ़ राज्य में केन्द्र शासन द्वारा राज्य की पांच जनजातियों तथा राज्य शासन द्वारा दो जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। वर्ष 2005—06 तथा वर्ष 2015—16 में प्रारंभ नवीनतम बेस लाईन सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

date 10-05-2017



पी.व्ही.टी.जी. परिवारों को रेडियो तथा छाता वितरण

मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति (मार्च 2018)

क्र.	सूत्र का विवरण	सूत्र का संक्षिप्त विषय	इकाई	कुल लक्ष्य	लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	आवासहीन परिवारों के लिए आवास	आवासहीन परिवारों के लिए आवास गृह उपलब्ध कराना।	आवासहीन परिवार संख्या	56466	32075	56.80
2	पेयजल विहीन ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था	पेयजल विहीन ग्रामों एवं मजरो, पारा, टोलो में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना।	ग्राम संख्या	2112	2112	100.00
3	विद्युत विहीन ग्रामों का विद्युतीकरण	विद्युतविहीन ग्रामों, मजरो, पारा, टोलों में विद्युतीकरण।	ग्राम संख्या	2112	1596	75.57
4	स्वास्थ्य परीक्षण	समस्त विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के परिवारों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना जिसमें सिकलसेल, एनीमिया परीक्षण, मलेरिया, एनीमिया हीमोग्लोबिन ब्लड ग्रुप, आंत्रशोध, चर्मरोग, क्षय रोग आदि एवं उपचार की समुचित व्यवस्था शामिल है।	हित.संख्या	218863	147439	67.37
		स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराना।	परिवार संख्या	56466	39723	70.35
		हेल्थ कार्ड	परिवार संख्या	218863	126860	57.96
5	खाद्य सुरक्षा प्रदान करना	प्रत्येक परिवार को राशन कार्ड उपलब्ध कराना।	परिवार संख्या	56466	46722	82.74

मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति (मार्च 2018)

6	0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों तथा गर्भवती माताओं को कुपोषण से बचाने के लिए पोषण आहार प्रदाय सुनिश्चित करना।	0 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण आहार	षिषु संख्या	40404	39286	97.23
		गर्भवती माताओं को पोषण आहार।	माताओं की संख्या	5909	3732	63.13
		शिशुवती माताओं को पोषण आहार।	शिशुवती माता संख्या	5230	3314	63.37
		कुपोषित बच्चों को पोषण आहार।	षिषु संख्या	5120	3976	77.66
7	कौशल उन्नयन	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के युवकों को प्रशिक्षण देकर कौशल उन्नयन एवं स्वरोजगार हेतु तैयार करना।	हित.संख्या	56466	7220	12.79
8	सामाजिक सुरक्षा	जनधन योजना	हित.संख्या	112932	47282	41.87
		प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से लाभान्वित कराना।	हित.संख्या	112932	48313	42.78
9	वन अधिकार पत्रों का वितरण	समस्त पात्र व्यक्तियों को व्यक्तिगत वन अधिकार का वितरण।	हित.संख्या	56466	20124	35.64
		सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण	ग्राम संख्या	2112	980	46.40
10	जाति एवं निवास प्रमाण पत्र प्रदाय	जाति प्रमाण पत्र	हित.संख्या	218863	34170	15.61
		निवास प्रमाण पत्र	हित.संख्या	218863	35266	16.11

मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति (मार्च 2018)

11	सूचना जागरूकता हेतु रेडियो तथा दैनंदिनी आवश्यकता हेतु छाता एवं कंबल प्रदाय	दैनिक उपयोग हेतु प्रति परिवार 02 कंबल प्रदाय	परिवार संख्या	112932	88866	78.69
		विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रति परिवार एक रेडियो का प्रदाय।	परिवार संख्या	56466	50678	89.75
		दैनिक उपयोग हेतु प्रति परिवार एक छाता प्रदाय।	परिवार संख्या	56466	50676	89.75

वर्ष 2015-16 में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा किये जा रहे नवीन बेसलाईन सर्वेक्षण के आधार पर विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की जनसंख्या एवं परिवार संख्या में परिवर्तन/वृद्धि संभावित है। उक्त योजना राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों सहित उपयोजना क्षेत्रों में भी क्रियान्वित की जा रही है।

* * * * *

अध्याय — 7

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी

(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

— 00 —

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं। ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 बनाये गये। यह नियम भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 01 जनवरी 2008 से प्रभावशील है, तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम 2012 दिनांक 06.09.2012 से प्रभावशील है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2007 के क्रियान्वयन बाबत दिनांक 08.02.2008 के द्वारा समस्त



कलेक्टर को निर्देशित किया जाकर दिनांक 06.10.2008 को आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, छ.ग.रायपुर को नोडल अधिकारी घोषित किया गया।

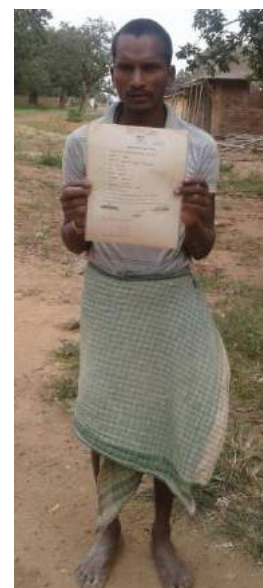
अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नानुसार छ. ग.शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्र. /987/ 25- 3/2008/आजावि दिनांक 07.07.2008 के द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 की कंडिका 9 के प्रावधान अनुसार निम्नानुसार राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया।

1. मुख्य सचिव,छ.ग. शासन — अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव,छ.ग. शासन,वन विभाग — सदस्य
3. प्रमुख सचिव,छ.ग. शासन, राजस्व विभाग — सदस्य
4. सचिव, छ.ग. शासन,आदिम जाति तथा
अनुसूचित जाति विकास विभाग — सदस्य
5. सचिव, छ.ग. शासन,पंचायत एव ग्राम विकास विभाग — सदस्य
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक — सदस्य
7. जनजातीय सलाहकार परिषद के 3 अनुसूचित जनजाति सदस्य
(माननीय अध्यक्ष, आदिम जाति मंत्रणा परिषद द्वारा मनोनीत) — सदस्य
- 8 आयुक्त/संचालक आदिम जाति तथा
अनुसूचित जाति विकास छ.ग. — सदस्य/सचिव

मुख्य सचिव, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य/ सचिव को अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग का दायित्व सौंपा गया।

छ.ग.राज्य में अधिनियम के क्रियान्वयन के अंतर्गत कुल 13788 वन अधिकार समितियां गठित है। छत्तीसगढ़ राज्य वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है।

वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य तथा अनुसूचित क्षेत्र मे प्राप्त दावों में से पात्रता अनुसार वर्ष 2017-18 तक वितरित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्रों की जानकारी निम्नानुसार है :-



व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारक हितग्राही

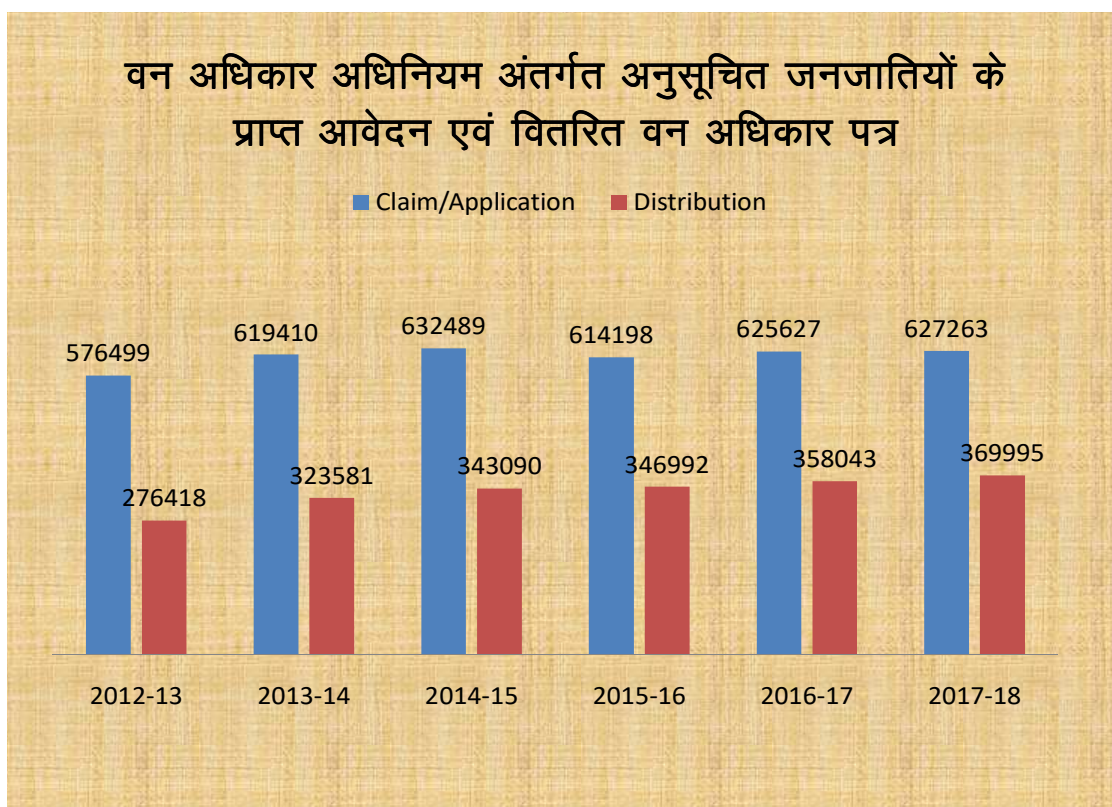
व्यक्तिगत वन अधिकार (वर्ष 2017-18 की स्थिति में)

व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र					
वन अधिकार हेतु प्राप्त आवेदन/ दावों की संख्या		वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या		वितरित भूमि (हेक्टे. में)	
एस.टी.	ओ.टी.एफ.डी.	एस.टी.	ओ.टी.एफ.डी.	एस.टी.	ओ.टी.एफ.डी.
627263	228887	369995	28186	316125.889	22405.016

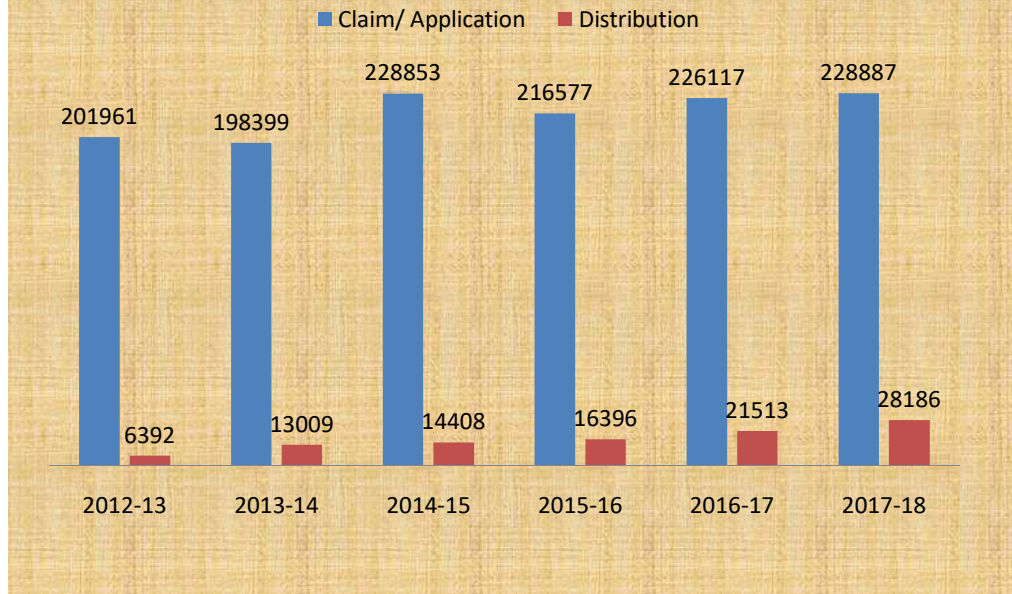
सामुदायिक वन अधिकार (वर्ष 2017-18 की स्थिति में)

सामुदायिक वन अधिकार पत्र		
वन अधिकार हेतु प्राप्त आवेदन/दावों की संख्या	वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या	वितरित भूमि (हेक्टे. में)
31515	18178	743391.977

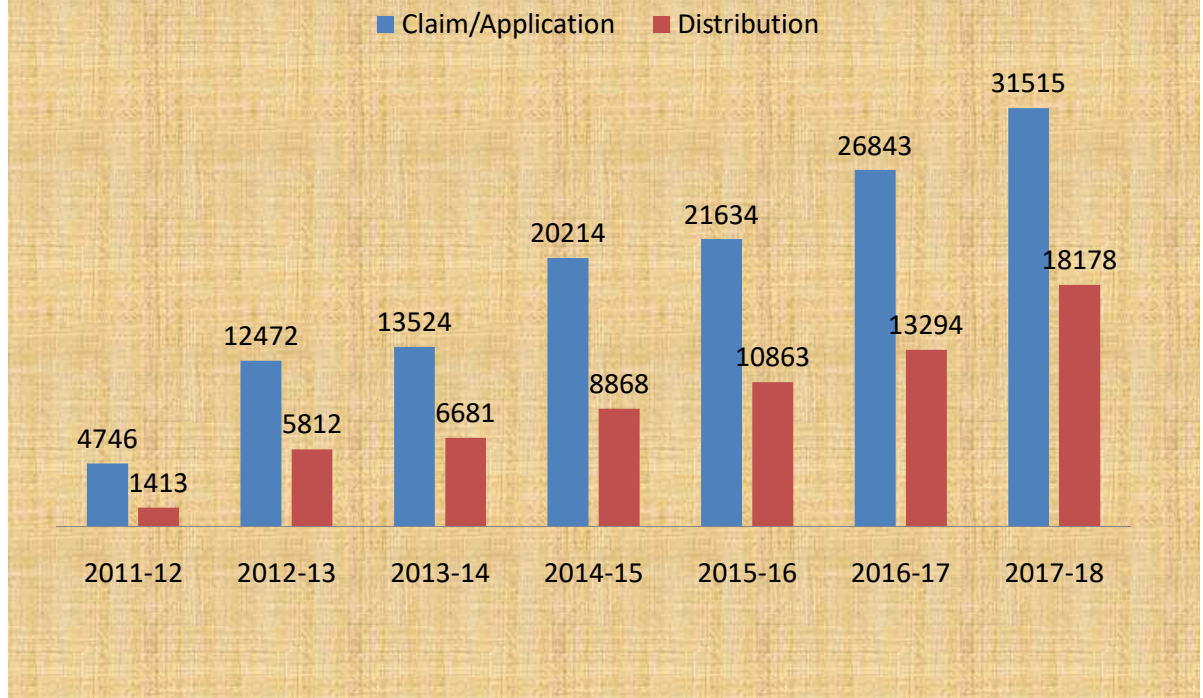
वन अधिकार के समस्त निरस्त प्रकरणों को पुनर्विचार में लेकर पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र वितरित किए जा रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा नियमित अंतराल पर बैठक आयोजित कर प्रगति की समीक्षा की जाती है। वर्षवार संचयी रूप से वितरित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का विवरण बार डायग्राम के रूप में दर्शित है जिसमें उपरोक्त तालिका में दर्शित राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की जानकारी सम्मिलित है :-



वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत ओ.टी.एफ.डी. के प्राप्त आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र



वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकारों के प्राप्त आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र



आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकार पत्र धारकों की आजीविका में स्थायित्व से आय में वृद्धि

वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकार पत्र धारक अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी हितग्राहियों को वितरित भूमि में सीमांकन हेतु मुनारों की स्थापना के साथ-साथ राज्य शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण से विकास कार्य किए जा रहे हैं। सिंचाई के साधन, खाद, बीज एवं कृषि उपकरण उपलब्ध करा कर वन अधिकार पत्र धारक कृषकों के भूमि में अधिक उत्पादन के प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके फलस्वरूप वितरित भूमि में फसल का उत्पादन बढ़ा है एवं वन अधिकार पत्र धारकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।

ऐसे वन अधिकार पत्र धारक जिनके पास आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं अब तक कुल 101248 वन अधिकार पत्र धारक हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराया गया है। प्रगति का विवरण तालिका में दर्शित है :-



भूमि समतलीकरण एवं मेढ़ बंधान कार्य	
हितग्राही	98132
भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	111936.30
स्वीकृत राशि (लाख में)	38581.97
खाद एवं बीज हेतु स्वीकृत सहायता	
हितग्राही	203521
स्वीकृत राशि (लाख में)	3122.92
कृषि उपकरण हेतु स्वीकृत सहायता	
हितग्राही	9613
स्वीकृत राशि (लाख में)	1153.88
सिंचाई हेतु स्वीकृत कार्य (नलकूप, कुंआ, स्टापडेम इत्यादि)	
स्वीकृत कार्य	30303
सिंचित भूमि का रकबा	2239.9
स्वीकृत राशि (लाख में)	21588.37

वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत पात्र आवेदकों को वितरित वन अधिकार पत्रों के डिजिटাইजेशन तथा उन्हें वितरित वन भूमि की जियो टैगिंग एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किए जाने के संबंध में जानकारी एकत्र कर ऑनलाईन एंट्री करने एवं इस हेतु साफ्टवेयर तैयार करने का कार्य इस योजना के तहत किया जा रहा है।



- इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों में राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में संपूर्ण रूप से स्थित 13 जिले क्रमशः सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोण्डागांव, कांकेर, बस्तर, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर तथा कोरबा एवं आंशिक रूप से 06 जिले क्रमशः राजनांदगांव, बिलासपुर, धमतरी, बालोद, गरियाबंद, रायगढ़ के वन अधिकार पत्र धारक हितग्राही शामिल हैं।
- इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
- प्रत्येक हितग्राही का अभिलेख/प्रोफाइल ऑनलाईन उपलब्ध हो सकेगा।
- उपलब्ध जानकारी का उपयोग राजस्व, वन एवं अन्य संबंधित विभाग कर सकेंगे।
 - वितरित वन अधिकार पत्रों की **Scanning, uploading एवं digitization**
 - वितरित वन अधिकार भूमि की **Geo-referencing**
 - हितग्राहियों के आधार नंबर की आर्गेनिक सीडिंग
 - हितग्राहियों को आबंटित भूमि का नक्शा, खसरा एवं बी-1 की **Scanning, uploading**
 - हितग्राहियों के जनधन खातों की प्रविष्टि
 - हितग्राहियों को शासन स्तर से दी जा चुकी सुविधाओं की प्रविष्टि
 - राज्य में निवासरत पी.वी.टी.जी. समूहों के बसाहटों की **Geo-referencing**
 - पी.वी.टी.जी. समूहों की परिवार अनुसूची एवं ग्राम अनुसूची की प्रविष्टि
 - नवीन दावों की प्रविष्टि
 - क्रियान्वयन एजेंसी :- **CHIPS (Chhattisgarh InfoTech and Biotech Promotion Society)**
 - संभावित परियोजना लागत :- रु. 454.49 लाख
 - भारत सरकार से वर्ष 2017-18 में स्वीकृत राशि :- रु. 319.00 लाख



छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक दिनांक 01 जुलाई, 2018 का कार्यवाही विवरण

माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक दिनांक 01 जुलाई 2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के समिति कक्ष क्रमांक एस-0-12 में आयोजित की गई। इस बैठक में संलग्न परिशिष्ट एक एवं दो में दर्शित माननीय सदस्यगण एवं अधिकारीगण उपस्थित हुए।

बैठक के प्रारंभ में परिषद् के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्रीजी एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा किया गया। अध्यक्ष महोदय के अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा पूर्व निर्धारित एजेण्डावार निम्नानुसार विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिए गए :-

एजेण्डा क्रमांक – एक :

दिनांक 31-03-2017 की बैठक के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा :

पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (1.1)

बैठक दिनांक 12-07-2016 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि पत्र क्रमांक एफ 13-22/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 28-05-2016 द्वारा समस्त कलेक्टरों को शासकीय शालाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शाला छोड़ने के पूर्व उनके स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु सक्षम राजस्व प्राधिकारियों द्वारा संबंधित शालाओं में ही शिविर का आयोजन कर विद्यार्थियों को उनके निवास प्रमाण पत्र एवं स्थायी जाति प्रमाण पत्र तैयार कर वितरित करने की कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए। तथा प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं। जिस पर परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया था कि शासन स्तर से समस्त कलेक्टरों को निर्देशित किया जाये कि :-

- (क) निवास प्रमाण पत्र एवं स्थायी जाति प्रमाण -पत्र बनाने हेतु शालाओं में सम्मेलन आयोजित किया जाये तथा इस आयोजन में प्रधान पाठक/प्राचार्य आवश्यक रूप से सक्रिय भागीदारी निभाएं।
- (ख) समस्त ग्राम पंचायत सचिव एवं राजस्व निरीक्षक/पटवारी इस कार्य में पूर्ण सहयोग करें।

परिषद् की बैठक दिनांक 31-03-2017 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ज्ञापन क्रमांक एफ 13-22/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 29-08-2016 द्वारा समस्त कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 31-08-2016 द्वारा समस्त कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पंचायत संचालनालय के पत्र दिनांक 12-09-2016 द्वारा समस्त कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिस पर निर्णय लिया गया कि कक्षा आठवीं से बारहवीं तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त पात्र विद्यार्थियों को 29 अप्रैल 2017 तक जाति प्रमाण-पत्र के साथ निवास प्रमाण-पत्र भी जारी करने के संबंध में समस्त कलेक्टरों को निर्देशित किया जाए।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में अवगत कराया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 13-22/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 12/04/2017 द्वारा समस्त कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है।

निर्णय :- चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(1.1.2) पूर्व बैठक में कक्षा आठवीं से बारहवीं तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण एवं निवास प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में चर्चा की गई एवं समस्त अध्ययनरत विद्यार्थियों को पात्रता के आधार पर यथाशीघ्र 29 अप्रैल 2017 तक जाति प्रमाण पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देश समस्त कलेक्टर द्वारा जारी किये जाए। जिस पर चर्चा उपरांत आगामी बैठक में वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मार्च, 2018 की स्थिति में भौतिक लक्ष्य 20,90,227 के विरुद्ध 16,18,412 छात्र/छात्राओं का स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है। शेष 4,71,815 विद्यार्थियों का अस्थायी जाति प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति प्रदाय किये जाने हेतु बनाया जा चुका है।

निर्णय :- परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि शेष प्रमाण पत्र 15 अगस्त 2018 के पूर्व तैयार कर वितरित कराया जाये। इस हेतु वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जाये। माननीय सदस्य श्री रामसेवक पैकरा द्वारा अवगत कराया गया कि सूरजपुर, सरगुजा जिला में भुंया जाति का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। स्थिति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/कलेक्टर सूरजपुर, सरगुजा)

पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (1.2)

बैठक दिनांक 12-07-2016 में परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया था कि :-

(क) लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र के नर्मदापारा एवं टपरकेला ग्राम न तो राजस्व ग्राम न ही वन ग्राम में सम्मिलित है जिसके कारण उक्त ग्रामों में किसी प्रकार का वन अधिकार/पट्टा नहीं मिला है। इनका परीक्षण कर लिया जाए।

(ख) असर्वेक्षित 382 गोंवों में सर्वेक्षण कार्य दिसम्बर 2016 तक पूर्ण किया जाए।

(ग) राजस्व सचिव इन 813 ग्रामों के सर्वेक्षण की समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि शासन द्वारा निर्धारित योजनायें जो कि सामान्य राजस्व ग्रामों में लागू हैं इन ग्रामों में भी उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त हो, यथा बीज, खाद, सहकारी बैंकों से ऋण आदि। पूर्व बैठक दिनांक 31-03-2017 में बिन्दु क्रमांक (क)

के संबंध में कलेक्टर सरगुजा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार अवगत कराया गया कि विकास खण्ड लुण्ड्रा के ग्राम नर्मदापारा, घंघरी एवं भकुरा के मध्य में 25 हेक्टेयर भूमि न तो राजस्व विभाग के अभिलेख में अंकित है और न ही वन विभाग के अभिलेख में अंकित है। उक्त भूमि नारंगी क्षेत्रान्तर्गत आती है। जिसमें कुल 44 कब्जेधारियों द्वारा कब्जा किया गया है। उक्त भूमि को शासकीय भूमि का पट्टा प्रदान नहीं किया जा सकता। यदि उस क्षेत्र को राजस्व विभाग अथवा वन विभाग को प्रदान किया जाता है तो कब्जे धारियों को पट्टा प्रदान किया जा सकता है।

विकास खण्ड लुण्ड्रा के ग्राम टपरकेला की सीमा से लगी कुल 7 हेक्टेयर भूमि नारंगी क्षेत्रान्तर्गत आती है। जिसमें कुल 14 कब्जे धारियों द्वारा कब्जा किया गया है। उक्त भूमि को शासकीय भूमि का पट्टा प्रदान नहीं किया जा सकता। यदि उस क्षेत्र को राजस्व विभाग अथवा वन विभाग को प्रदान किया जाता है तो कब्जेधारियों को पट्टा प्रदान किया जा सकता है।

(ख) राजस्व विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार कलेक्टर्स से प्राप्त नवीन जानकारी के आधार पर कुल 1083 ग्रामों का सर्वे/रि-सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है। सर्वे/रि-सर्वे की सूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। इन ग्रामों का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कराया गया है। 1083 ग्रामों के विरुद्ध 870 ग्रामों का डिजिटल नक्शा प्राप्त हो चुका है जिसे सत्यापन हेतु जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराया गया है।

दिनांक 31-03-2018 की बैठक में चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया था कि राज्य के 1083 ग्रामों के सर्वे/रिसर्वे की प्रगति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये। यह कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के 1083 ग्रामों में से 966 ग्रामों के डिजिटल नक्शे तैयार कर जिला कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं एवं 405 ग्रामों के नक्शों का सत्यापन कार्य सम्पन्न किया जा चुका है। शेष ग्रामों के नक्शों का सत्यापन जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है। सत्यापन कार्य 30 सितंबर, 2018 तक पूर्ण कराने के निर्देश सभी जिला कलेक्टर को दिये गये हैं।

निर्णय :- परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही राजस्व विभाग)

(1.2.2) दिनांक 31-03-2018 की बैठक में चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया था उक्त 1083 ग्रामों में जिला सरगुजा के विकासखण्ड लुण्ड्रा के ग्राम नर्मदापारा, घंघरी एवं भकुरा तथा टपरकेला के अतिरिक्त ग्राम सुरंगपानी ग्राम पंचायत कुकराझार, विकासखण्ड पथलगांव, जिला जशपुर एवं ग्राम बरमुड़ा विकासखण्ड तमनार जिला रायगढ़ के राजस्व ग्रामों में शामिल होने की वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वन वृत्त अंबिकापुर के प्रतिवेदन अनुसार जिला सरगुजा के सरगुजा वनमंडल में विकासखण्ड लुण्ड्रा के ग्राम नर्मदापारा घंघरी एवं भकुरा की 25 हेक्टेयर भूमि तथा टपरकेला की सीमा से लगी कुल 7 हे.भूमि वन भूमि नहीं है एवं अतिक्रमण की गई है जिसके कारण उक्त भूमि वन के रूप में अधिसूचित करने योग्य नहीं है।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि तहसील पथलगांव, राजस्व निरीक्षक मण्डल बागबहार प0ह0नं0 34, ग्राम पंचायत सुरंगपानी के अंतर्गत आश्रित ग्राम कुकराझार स्थित है। ग्राम कुकराझार (सुरंगपानी), बन्दोबस्त क्रमांक 237, पूर्व से ही राजस्व ग्राम था। तत्कालीन तहसील धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ में तत्कालीन राजस्व निरीक्षक मण्डल पथलगांव, तत्कालीन प0ह0नं0 28 के अंतर्गत यह ग्राम रहा है, जो जिला विभाजन के बाद जशपुर जिला में शामिल हुआ। विभाग के पत्र दिनांक 17-10-2016 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना पर ग्राम कुकराझार जिला जशपुर को सर्वेक्षण हेतु चयनित एवं अधिसूचित ग्रामों की सूची में सम्मिलित किया जा चुका है। जिला सरगुजा एवं रायगढ़ की जानकारी अप्राप्त है।

मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त द्वारा अवगत कराया गया है कि रायगढ़ वनमंडल के विकासखण्ड तमनार के ग्राम देवगढ़ का आश्रित मोहल्ला बरमुड़ा है, ग्राम बरमुड़ा के नाम से स्वतंत्र ग्राम नहीं है। अतः ग्राम देवगढ़ के आश्रित बरमुड़ा को स्वतंत्र ग्राम घोषित करने की कार्यवाही राजस्व विभाग से संबंधित है एवं राजस्व विभाग के द्वारा राजस्व ग्राम घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है।

राजस्व सर्वेक्षण हेतु जिलों द्वारा भेजी गई ग्रामों की सूची में उपर्युक्त ग्रामों का उल्लेख नहीं होने के कारण इन ग्रामों को विधिवत राजस्व ग्राम घोषित कर सर्वेक्षण के प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु राजस्व विभाग द्वारा जिला कलेक्टरों को पत्र लिखे गये हैं।

निर्णय :-

- (1) जिलाध्यक्षों द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर अध्यक्ष द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई। साथ ही निर्देश दिया गया कि माननीय विधायक को 15 दिन के भीतर वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध करायी जाये।
- (2) माननीय सदस्य श्री रामसेवक पैकरा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रतापपुर विकासखण्ड के ग्राम करसी, नवाडीह एवं सिलफिली वन भूमि है अथवा राजस्व भूमि है यह स्थिति स्पष्ट नहीं होने से रिकार्ड संघारण में दिक्कत आ रही है।

- (3) माननीय सांसद बस्तर ने अवगत कराया कि जगदलपुर नजूल की जमीन है, इसका कोई रिकार्ड नहीं है एवं इस वजह से नजूल क्षेत्र पर वन अधिकार पट्टे प्रदाय नहीं किए जा रहे हैं। आगामी बैठक में वस्तुस्थिति तथा प्रगति से अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही, राजस्व विभाग/आयुक्त सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग)

पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (1.3)

बस्तर में केन्द्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने हेतु 300 एकड़ जमीन होने की शर्त हटाकर उसके स्थान पर 100 एकड़ जमीन में राष्ट्रीय आदिवासी विश्व विद्यालय खोलने की स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया जावे तथा जमीन की उपलब्धता के संबंध में कलेक्टर कांकेर एवं कलेक्टर बस्तर से जानकारी माँगी जावे। परिषद् को अवगत कराया गया था कि माननीय मंत्री, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा भूमि सीमा के संबंध में माननीय केन्द्रीय मंत्री मानव संसाधन मंत्रालय से उक्त संबंध में अनुरोध किया गया है। भूमि की उपलब्धता के संबंध में परिषद् को अवगत कराया गया है कि कलेक्टर कोण्डागांव एवं कलेक्टर दंतेवाड़ा द्वारा अपने-अपने जिले में क्रमशः 200 एकड़ तथा 292.77 एकड़ भूमि का चयन कर नक्शा खसरा आदि उपलब्ध कराया गया है।

परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया था कि नेशनल ट्राईबल युनिवर्सिटी के लिए बेस्ट लोकेशन एवं कनेक्टिविटी वाली जगह का चयन किया जाना चाहिए इस दृष्टि से कोण्डागांव दंतेवाड़ा की अपेक्षा ज्यादा उपयुक्त है। अतः तदनुसार इस दिशा में कार्यवाही की जावे।

मान. केन्द्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास, भारत सरकार के पत्र दिनांक 08-10-2014 द्वारा माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोलना संभव प्रतीत नहीं होने से अवगत कराया गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में बस्तर में केन्द्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने संबंधी विषय को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

चर्चा उपरान्त परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि पुनः मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पुनर्विचार हेतु लिखा जाए।

(1.3.1.) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पुनर्विचार हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को छ.ग.राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में पत्र क्रमांक एफ 16-9/2013/38-2 दिनांक 17-12-2015 द्वारा लेख किया गया है।

बैठक दिनांक 17-12-2015 में परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि बस्तर विश्वविद्यालय में जनजातीय विषयों पर अध्ययन हेतु एक पृथक विभाग का सृजन किया जाय।

बैठक दिनांक 12-07-2016 में उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बस्तर विश्व विद्यालय को पाठ्यक्रम निर्धारित कर कार्यकारी परिषद् से अनुमोदन कराने हेतु लिखा गया है। यह कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जावेगी। जिस पर परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि :-

(क) शासन स्तर से ही सृजन करने का आदेश जारी किया जाये तथा इस पृथक विभाग के सृजन हेतु जो भी सेटअप की आवश्यकता होगी वह शासन स्तर से मंजूर किया जाये। सम्पूर्ण कार्यवाही 02 माह में पूर्ण की जावे।

(ख) अमरकंटक जनजाति विश्व विद्यालय का क्षेत्रीय (Regional) स्टडी सेंटर बस्तर में स्थापित करने हेतु मानव संसाधन मंत्रालय, केन्द्र सरकार को पुनः प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।

(क) परिषद् की बैठक दिनांक 31.03.2017 में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सेटअप सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(ख) मान.श्री प्रकाश जावड़ेकर, मंत्री मानव संसाधन विकास भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 30-08-2016 में लेख किया गया है कि राज्य रुसा के अंतर्गत

विद्यमान स्वायत्त कॉलेज के उन्नयन अथवा कॉलेज कलस्टर को बस्तर जिला में एक जनजातीय विश्वविद्यालय में तबदील करने के लिए अपनी राज्य उच्चतर शिक्षा योजना (एसएचईपी) में प्रस्तावित कर सकता है। बस्तर जिले के जगदलपुर में बस्तर विश्वविद्यालय को अपनी पहुंच, साम्यता और गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से अवसंरचना अनुदान प्रदान किए गए हैं।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बैठक दिनांक 17-12-2015 में परिषद द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार बस्तर विश्वविद्यालय में जनजातीय विषयों पर अध्ययन हेतु एक पृथक विभाग के सृजन के संबंध में है कि बस्तर विश्वविद्यालय को रूरल टेक्नालॉजी, मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला तथा वानिकी एवं वन्यजीव अध्ययनशाला विभाग के लिये वित्त विभाग की सहमति से विभागीय पत्र क्रमांक 3249 दिनांक 27-08-2012 द्वारा 18 अस्थायी पदों के सृजन की सहमति दी गई है।

बैठक दिनांक 01.07.2018 में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सितम्बर 2018 तक नियुक्ति की कार्यवाही कर ली जायेगी।

निर्णय :- परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जनजाति समूह का विस्तृत अध्ययन कराया जाये। आवश्यक हो तो जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक से मदद ली जा सकती है।

(कार्यवाही-उच्च शिक्षा विभाग)

(1.3.2) पूर्व बैठक में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राईबल विश्वविद्यालय अमरकंटक द्वारा बस्तर में एक स्टडी सेंटर स्थापित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली को पत्र लिखा गया है। जिस पर निर्णय लिया गया था कि – (1) अमरकंटक जनजाति विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय स्टडी सेंटर स्थापना की कार्यवाही की प्रगति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये। (2) बस्तर क्षेत्रीय स्टडी सेंटर के अलावा अमरकंटक जनजाति विश्वविद्यालय का सरगुजा विश्वविद्यालय में भी क्षेत्रीय स्टडी सेंटर प्रारंभ करने हेतु कार्यवाही की जाये।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि अमरकंटक जनजातीय विश्वविद्यालय के बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्रीय स्टडी सेंटर प्रारंभ किये जाने के संबंध में विभागीय अर्धशासकीय पत्र दिनांक 06-04-2017 एवं 19-09-2017 के संदर्भ में भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 13-04-2017 एवं 30-10-2017 द्वारा लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय के नये अध्ययन केन्द्र को स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के पूर्व विश्वविद्यालय को पहले अमरकंटक (मध्यप्रदेश) में अपने मुख्य परिसर में अपने कार्यों को व्यवस्थित करने एवं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राईबल यूनिवर्सिटी (IGNTU) की अवसंरचना और शिक्षण के संबंध में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होने से विश्वविद्यालय के लिए अमरकंटक में अपने मुख्य परिसर को सुदृढ़ करने और अन्य केन्द्रों को खोलने से पहले कुछ और समय प्रतीक्षा करने का लेख किया गया है।

निर्णय :- चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (1.4)

(1.4.1) ऐसे व्यक्तिगत वन अधिकार प्रकरण जो कि राजस्व भूमि होने के कारण निरस्त किये गये हैं, उन प्रकरणों की सूची 01 माह में कमिश्नर सरगुजा तथा बस्तर राजस्व विभाग को प्रेषित करें। राजस्व विभाग मंत्रीपरिषद् से इस संबंध में आदेश प्राप्त करें।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में प्रस्तुत संभागीय आयुक्त सरगुजा के प्रतिवेदन अनुसार पांच जिले के कुल 18868 प्रकरण निरस्त किये गये हैं। सूची राजस्व विभाग को प्रेषित कर दी गई है। संभागीय आयुक्त बस्तर के जिला बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा,

कोण्डागांव में कुल 5877 वन अधिकारी प्रकरण राजस्व भूमि में होने के कारण निरस्त किये गये । जिला कांकेर एवं बीजापुर से जानकारी अप्राप्त है। जिस पर निर्णय लिया गया था कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि कांकेर में 8788, बीजापुर में 303 इस प्रकार कुल 9091 ऐसे व्यक्तिगत वन अधिकार प्रकरण जो राजस्व भूमि होने के कारण निरस्त किये गये हैं।

निर्णय :- परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि दिनांक 12.07.2016 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राजस्व विभाग समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें, इस निर्देश के साथ कार्यवाही पूर्ण मान्य की जाती है।

(कार्यवाही-राजस्व विभाग)

(1.4.2) परिषद् की दिनांक 31.03.2017 में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ओटीएफडी के वन अधिकार पत्रों से संबंधित आवेदनों में निरस्तीकरण की संख्या 90 प्रतिशत से भी अधिक होने के संबंध में चिंता जताई गई एवं यह निर्देश दिये गये कि ऐसे जिले जहां पर अत्यधिक संख्या में ओटीएफडी प्रकरणों में निरस्तीकरण हुआ है वहां पर पुनः परीक्षण करा लिया जाए। जिस पर निर्णय लिया गया था कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाए। दिनांक 01.07.2018 की बैठक में राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के सभी 24 जिलों में ओटीएफडी के निरस्त प्रकरणों में पुनर्विचार की कार्यवाही की जा रही है तथा पुनर्विचार उपरांत पात्र पाए गए 19,720 हितग्राहियों को वन अधिकार दावे स्वीकृत किए गए हैं तथा वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है।

निर्णय :- परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि यह निरन्तर प्रक्रिया है, अतः चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की जाती है।

पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (1.6)

(1.6.3) गरियाबंद जिले के अमलीपदर में कन्या स्कूल का भवन अपूर्ण है जबकि इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा करवाया गया है। लोकार्पण के उपरान्त भी भवन अपूर्ण होने के लिये जवाबदेही निर्धारित कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे, तथा इस भवन को पूर्ण करने की कार्यवाही शीघ्र की जावे।

परिषद् की बैठक दिनांक 31.03.2017 में प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 29-08-2016 एवं स्मरण पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा कलेक्टर गरियाबंद से पालन प्रतिवेदन/जांच रिपोर्ट चाहा गया है। जिस पर निर्णय लिया गया था कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि कलेक्टर जिला- गरियाबंद से प्राप्त जानकारी अनुसार अमलीपदर कन्या स्कूल भवन निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2006-07 में स्वीकृत किया गया है। इस अवधि में नियंत्रणकर्ता अधिकारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर रहे हैं। गरियाबंद जिले का गठन वर्ष 2012 में हुआ है।

अतः इस संबंध में तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायपुर श्री के. आर.ठाकुर एवं श्री प्रकाश अनंत, उप यंत्री, आदिवासी विकास रायपुर लोकार्पण के उपरांत भी भवन अपूर्ण होने के लिए पूर्ण रूपेण जिम्मेदार हैं। उक्त अपूर्ण भवन को पूर्ण करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी जिला- गरियाबंद द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करते हुए राशि रुपये 45,49,652/- मात्र की स्वीकृति एवं आबंटन प्राप्त होते ही अपूर्ण निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया लिया जायेगा। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पत्र दिनांक 21-12-2017 द्वारा कलेक्टर, रायपुर को निर्देशित किया गया है तथा संबंधित उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

निर्णय :- परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि अपूर्ण कार्य को मुख्यमंत्री घोषणा मद में मान्य कर पूर्ण कराया जाये। इस निर्णय के साथ कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग/वित्त विभाग)

(1.6.5) राजनांदगाँव जिले के मानपुर बोरिया में अपूर्ण भवन को पूर्ण किया जावे।

परिषद् की बैठक दिनांक 31.03.2017 में लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के तहत मानपुर के ग्राम बोरिया में हाईस्कूल भवन निर्माण हेतु 49.75 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। विद्युतीकरण सहित भवन निर्माण कार्य दिनांक 20-03-2017 को पूर्ण कर लिया गया है। भवन का हस्तांतरण शिक्षा विभाग द्वारा नहीं लिया गया है। जिस पर निर्णय लिया गया था कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के तहत मानपुर के ग्राम बोरिया-ठेकेदारी में हाईस्कूल भवन निर्माण हेतु रुपये 49.75 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। विद्युतीकरण सहित भवन निर्माण कार्य दिनांक 20-03-2017 को पूर्ण कर दिनांक 31-03-2017 को संबंधित विभाग को भवन हस्तांतरित कर दिया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया है कि भवन का हस्तांतरण शिक्षा विभाग को हो चुका है।

निर्णय :- चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (1.7)

राज्य के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोरिया, जशपुर जैसे आदिवासी बाहुल्य जिलों में जहाँ औसत जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, में पुनर्गणना का कार्य कराए जाने का आग्रह जनगणना निदेशालय से किया गया है। परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया था कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या में कमी आने तथा उसके कारणों के संबंध में व्यापक अन्वेषण/अध्ययन कार्य बस्तर विश्वविद्यालय के माध्यम से कराया जाए।

अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर से प्रारंभिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने अध्ययन हेतु रुपये 10.00 लाख की मांग की गई है। चर्चा उपरान्त परिषद् द्वारा तदनुसार सहमति दी गई।

इस संबंध में परिषद् को अवगत कराया गया कि आयुक्त, आ.जा.तथा अनु.जा. विकास के पत्र दिनांक 20-11-2015 द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय को उक्त कार्य हेतु रुपये 10.00 लाख का आबंटन जारी कर दिया गया है।

परिषद् द्वारा दिनांक 17-12-2015 की बैठक में निर्णय लिया गया कि अध्ययन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु एक वर्ष की समयावधि निर्धारित की जावे।

दिनांक 12-07-2016 की बैठक में अपर मुख्य सचिव, आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि जिला नारायणपुर एवं सुकमा हेतु प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा जिला बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, जशपुर एवं कोरिया में यह कार्य प्रगति पर है। प्रतिवेदन अनुसार अनुसंधान कार्य प्रगति पर है तथा प्रतिवेदन निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कर प्रस्तुत किया जायेगा। जिस पर परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि अध्ययन प्रतिवेदन की प्रगति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या में कमी आने तथा उनके कारणों के संबंध में शोध अध्ययन की कार्यवाही छ.ग.राज्य के 07 जिलों यथा बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, जशपुर, कोरिया में की जा रही है। इन 07 जिलों में शोध अध्ययन की व्यावहारिक एवं मैदानी कार्यवाही की जाकर सांख्यिकी डाटा व जानकारियां प्राप्त हुई हैं, उसके विस्तृत विश्लेषण के साथ ही प्रति सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है जिसमें कुछ समय लगने की संभावना है और इस कारण अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने में किंचित विलंब हो रहा है। अंतिम प्रतिवेदन उक्तानुसार कार्यवाही के बाद यथाशीघ्र प्रेषित की जायेगी। जिस पर परिषद् द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिए गए :-

(1.7.1) मानव विकास सूचकांक के आधार पर सबसे वंचित वर्ग का जिलों में क्लस्टर के रूप में चयन कर तुलनात्मक आंकड़े रखे जायें।

(1.7.2) प्राथमरी डाटा एकत्र कर उसके आधार पर अध्ययन निष्पादित किया जाए न की सेंकडरी डाटा के आधार पर ।

(1.7.3) अध्ययन हेतु यदि अतिरिक्त राशि एवं समय की आवश्यकता हो तो तदनुसार सूचित किया जाए।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा पुर्नअध्ययन के कार्य कराये जाने हेतु रुपये 12.95 लाख की अतिरिक्त राशि की मांग की गई है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा वांछित राशि प्रदान कर दी गई है।

बस्तर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि अध्ययन की कार्यवाही 7-8 माह में पूर्ण कर ली जायेगी।

निर्णय :- परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाए।

(कार्यवाही-उच्च शिक्षा विभाग)

पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (1.8)

पूर्व बैठक में परिषद् के माननीय सदस्य श्री महेश गागड़ा के द्वारा राज्य में संचालित प्रयास विद्यालयों में गणित विषय एवं जीवविज्ञान विषय के अंतर्गत विद्यार्थियों की संख्या अनुपात तय करने का अनुरोध किया गया था। बीजापुर में इन्द्रावती टाईगर रिजर्व के बफर जोन की अधिसूचना निरस्त करने का अनुरोध किया गया था तथा बीजापुर में हवाई पट्टी का उन्नयन कराए जाने की मांग की गई थी। आयुक्त, बस्तर संभाग के द्वारा अवगत कराया गया था कि बीजापुर में हवाई पट्टी के उन्नयन के लिए राशि का प्रावधान किया जा चुका है परंतु वन भूमि के कारण कठिनाई आ रही है। जिस पर निर्णय लिया गया कि उक्त विषयों पर परीक्षण कर संबंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

परिषद को अवगत कराया गया कि प्रयास आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों की इच्छानुसार गणित अथवा जीव- विज्ञान विषय में अध्ययन एवं कोचिंग की व्यवस्था की जाती है।

परिषद को अवगत कराया गया कि इन्द्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र का पुनः परीक्षण कर सीमाओं का पुनः निर्धारण करने हेतु शासन द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जो सीमाओं का पुनः निर्धारण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर इन्द्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र का पुनः निर्धारण किया जावेगा।

परिषद को अवगत कराया गया कि बीजापुर वन मंडल अंतर्गत रकबा 43.956 हेक्टेयर में एयर स्ट्रिप निर्माण का पंजीयन क्रमांक आबंटित किया गया है। वर्तमान में उक्त प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) छत्तीसगढ़ के कार्यालय में प्रक्रियाधीन है।

इस संबंध में प्रमुख सचिव, वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम सभा के अनुमोदन पश्चात प्रकरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार, वन मंत्रालय को भेजी जावेगी। चर्चा उपरांत परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वीकृति हेतु प्रकरण शीघ्र भारत सरकार को भेजा जावे।

इस संबंध में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि बीजापुर में हवाई पट्टी का उन्नयन का वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरण राज्य शासन के पत्र दिनांक 30-05-2015 द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा गया है। तथा इन्द्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमाओं के पुनर्निर्धारण संबंधी प्रस्ताव राष्ट्रीय अन्य जीव बोर्ड की अनुमति हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र दिनांक 13-07-2015 द्वारा भेजा गया है। उक्त दोनों प्रकरण भारत सरकार स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

परिषद द्वारा बैठक दिनांक 17-12-2015 में निर्णय लिया गया कि बीजापुर में हवाई पट्टी के उन्नयन हेतु भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव एवं इन्द्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के सीमाओं के पुनर्निर्धारण संबंधी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सम्पर्क कर उक्त प्रस्तावों पर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन विभाग विशेष प्रयास करे। साथ ही लोक निर्माण विभाग एवं संभाग आयुक्त बस्तर मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करें।

बैठक दिनांक 12-07-2016 में लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विमानन विभाग की अनुशंसा अनुसार, बीजापुर में नवीन हवाई पट्टी निर्माण का कार्य जिला निर्माण समिति के माध्यम से कराया जाना है तथा इस संबंध में दिनांक 05-12-2014 को विमानन विभाग को विभागीय सहमति प्रदान कर दी गई है।

बैठक दिनांक 12-07-2016 में प्रमुख सचिव, वन द्वारा अवगत कराया गया कि बीजापुर हवाई पट्टी हेतु 39.604 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को दिनांक 06-01-2016 को प्रेषित किया गया है। उक्त क्षेत्र इन्द्रावती टाईगर रिजर्व का बफर क्षेत्र होने के कारण राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण को भी लिखा गया था। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा दिनांक 15-03-2016 को सशर्त अनुमति दी गई है।

वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 25-02-2016 को 9 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी। उक्त जानकारी अगले सप्ताह तक प्रेषित कर दी जावेगी।

इन्द्रावती टाईगर रिजर्व की सीमाओं के पुनर्निर्धारण हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्ताव दिनांक 13-07-2015 को प्रेषित किया गया था, जिस पर निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। उक्त समिति द्वारा मौके का निरीक्षण किया जाना है। उक्त समिति के निर्णय के आधार पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

आयुक्त बस्तर संभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिनांक 26-02-2016 को बीजापुर में प्रस्तावित हवाई पट्टी का स्थल निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा कलेक्टर बीजापुर को निर्देशित किया गया कि एयर स्ट्रीप निर्माण हेतु शासकीय भूमि के अतिरिक्त निजी भूमि सम्मिलित होने पर निजी भूमि स्वामी को नियमानुसार मुआवजा आदि के प्रकरण तैयार किये जायें। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि वन विभाग के अधिकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय में जाकर उक्त प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की सप्तम बैठक में इन्द्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण हेतु प्रस्ताव पर राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए नियमानुसार उक्त प्रस्ताव को केन्द्रीय वन्यजीव बोर्ड को प्रेषित करने हेतु निर्णय लिया गया। जिस पर कार्यालय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) द्वारा प्रस्ताव केन्द्रीय वन्यजीव बोर्ड को प्रेषित कर दिया गया है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त क्षेत्र का स्थल निरीक्षण करने हेतु तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया। गठित दल द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 24-07-2016 को किया गया तथा उनके द्वारा चाही गयी जानकारी उन्हें प्रदाय की जा चुकी है। उनके प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जावेगा। इस प्रकरण की कार्यवाही भारत सरकार स्तर पर लंबित है।

बीजापुर शहर में एयर स्ट्रिप निर्माण के संबंध में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 37वीं बैठक में सशर्त अनुमति दिनांक 15-03-2016 को जारी कर दी गयी है। जिसे आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बीजापुर तथा मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) जगदलपुर को प्रेषित की जा चुकी है। शर्त क्रमांक 2 की पूर्ति हेतु भारतीय वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान देहरादून को लेख किया गया है।

प्रमुख सचिव, वन विभाग द्वारा बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि इस प्रयोजन हेतु रुपये दस करोड़ की आवश्यकता है। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि वांछित राशि रुपये दस करोड़ की व्यवस्था एन.एम.डी.सी के सी.एस.आर मद से अथवा खनिज विकास निधि से कराई जाये।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि इस प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के पत्र दिनांक 06-09-2016 के द्वारा बीजापुर में हवाई पट्टी निर्माण हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति सशर्त जारी की गई है। शर्तों की पूर्ति किये जाने तथा शर्तों के अनुसार कैम्पा मद से राशि जमा कराये जाने हेतु उप निदेशक इंद्रावती टायगर रिजर्व बीजापुर द्वारा आवेदक विभाग को लगातार पत्राचार किया जा रहा है एवं कलेक्टर बीजापुर को भी लेख किया गया है। वर्तमान में प्रकरण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बीजापुर एवं जिला निर्माण विभाग स्तर पर लंबित है। वर्तमान में उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार के कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा है। वन विभाग को अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई है।

निर्णय :- परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि इस विषय में मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन की अध्यक्षता में गठित हाईपॉवर कमेटी की बैठक में कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही वन विभाग एवं आयुक्त, बस्तर संभाग)

पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (1.9)

(1.9.3) नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के आश्रितों को ब्लाक मुख्यालयों की नगर पंचायतों में भी आवश्यकता अनुसार आवास उपलब्ध कराया जाये तथा कौशल उन्नयन के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि पत्र दिनांक 29-03-2016 द्वारा नगर पंचायतों के अंतर्गत किये जाने वाले समस्त कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला कौशल विकास प्राधिकरण अंतर्गत जिला कलेक्टरों के माध्यम से किये जाने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों के विभिन्न विकासखंडों में दिए गए प्रशिक्षण की जानकारी दी गई। सिपेट रायपुर में नक्सल पीड़ितों को आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि नक्सल प्रभावित जिले/नगरीय निकायों— कोण्डागांव, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया में **प्रधानमंत्री आवास योजना—“सबके लिये आवास योजना”**

के प्रावधानों के तहत निकाय सीमा अंतर्गत निवासरत पात्र हितग्राहियों की सूची में नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के परिजनों को शामिल करते हुए भूमि चयन उपरांत आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इस अनुक्रम में कलेक्टर, जिला सुकमा को कुल 22 आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिये प्रधान मंत्री आवास योजना अंतर्गत विशेष प्रावधान पर योजना का लाभ देने हेतु छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 16-08-2017 के द्वारा आत्म समर्पित नक्सलियों के लिये भूमि उपलब्ध कराते हुये पट्टे प्रदान किये जाने हेतु लेख किया गया है, ताकि संबंधित को लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) के तहत योजना का लाभ प्रदान किया जा सके।

इसी प्रकार नगरीय निकायों में निवासरत नक्सल पीड़ित व्यक्तियों अथवा उनके परिजनों को ब्लॉक मुख्यालय के नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत कौशल उन्नयन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

बीजापुर में 02 नक्सल पीड़ित व्यक्तियों को डोमेस्टिक डॉटा एण्ट्री आपरेटर तथा मल्टीकुशिन कुक, नारायणपुर में 04 व्यक्तियों को कॉमर्सियल ब्दिकल ड्राईवर लेवल-04 तथा कांकेर में -22 नक्सल पीड़ित व्यक्तियों को हैंड एम्ब्रोडरी का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

निर्णय :- परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के लिये बनाये जा रहे आवास सुरक्षित स्थानों में कलस्टर्स में निर्मित किये जायें, तदनुसार कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(कार्यवाही- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

(1.9.4) नारायणपुर जिले के जिला मुख्यालय में शासकीय भूमि पर माड़िया निवास के नाम से 20 से 25 कमरों का सामुदायिक भवन निर्माण किया जावे, तथा 01 दाल-भात केन्द्र भी भवन के परिसर में खोला जाय।

परिषद् की बैठक दिनांक 31.03.2017 में अवगत कराया गया कि नारायणपुर एवं ओरछा में सामुदायिक भवन का प्राक्कलन प्रतिभवन रु. 50.00 लाख (पचास लाख) के मान से कलेक्टर नारायणपुर के पत्र दिनांक 02-09-2016 के द्वारा प्राधिकरण प्रकोष्ठ को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। जिस पर परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के आश्रितों को ब्लॉक मुख्यालयों के नगर पंचायतों में आवास उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही कर आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराई जाये।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में अवगत कराया गया कि कलेक्टर जिला-नारायणपुर ने सूचित किया है कि नारायणपुर में माड़िया निवास के नाम से 20 कमरों का सामुदायिक भवन एवं 01 दाल-भात केन्द्र की प्रशासकीय स्वीकृति राशि रु. 50.00 लाख मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान निधि से प्रदान किया गया है। निर्माण एजेंसी जिला निर्माण समिति नारायणपुर है तथा वर्तमान में निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। इस माड़िया सामुदायिक भवन में दाल-भात केन्द्र की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पृथक से खाद्य विभाग को भेजी गई है, स्वीकृति प्राप्त होते ही प्रारंभ कर दी जावेगी।

निर्णय :- चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (1.10)

माननीय मंत्री आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि बस्तर संभाग में अनेक आदिवासियों की जमीन कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर गैर आदिवासियों को बेची गई है। संभागीय आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर द्वारा ऐसे प्रकरणों को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लिया जाकर कार्यवाही की गई थी। इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की जाये। निर्णय लिया गया कि इस संबंध में आगामी बैठक के पूर्व स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की जाये।

आयुक्त बस्तर संभाग बस्तर द्वारा जानकारी दी गई है कि आदिवासियों की जमीन कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर गैर आदिवासियों को बेची गई है। संभागीय आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर द्वारा ऐसे प्रकरणों को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लिया जाकर कार्यवाही किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

- 1)मान.कमिश्नर न्यायालय से पुनरीक्षण आदेशोपरांत प्राप्त कुल प्रकरण संख्या-77
- 2)मा.न्यायालय राजस्व मण्डल छ.ग.सर्किट कोर्ट जगदलपुर की ओर सुनवाई पूर्व मांग अनुसार प्रेषित प्रकरण -27
- 3)कलेक्टर न्यायालय से पुनरीक्षण की कार्यवाही में कुल निर्णित प्रकरण संख्या-50

कुल प्रकरण संख्या -77

- 1)अंतिम आदेश पश्चात आदिवासी पक्ष को कब्जा सौंपा गया-23
- 2)अंतिम आदेशानुसार निरस्त किये गये प्रकरण (भूमि आदिवासी पक्ष से गैर आदिवासी पक्ष को अनुमति पश्चात अंतरित न होने की स्थिति में -03
- 3)अनुविभाग स्तर पर कब्जा सौंपने हेतु प्रक्रियाधीन प्रकरण संख्या -07
- 4)मान.उच्च न्यायालय/राजस्व मंडल/व्यवहार न्यायालय से स्थगन पर कार्यवाही स्थगित प्रकरण संख्या -17

कुल प्रकरण संख्या-50

जिला कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा एवं कोण्डागांव अंतर्गत कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

परिषद की बैठक दिनांक 17-12-2015 में निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से समस्त संभाग आयुक्त एवं कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी किये जाये।

सचिव, राजस्व विभाग द्वारा बैठक दिनांक 12-07-2016 में अवगत कराया गया कि बस्तर संभाग के जिला बस्तर एवं दंतेवाड़ा में नगरीय क्षेत्र में आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों को बेचने की अनुमति दी गई थी। ऐसे मामलों की संख्या बस्तर में 77 तथा दंतेवाड़ा में 10, इस तरह कुल 87 मामले पाये गये थे। आयुक्त बस्तर संभाग के द्वारा इन सभी 87 मामलों को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लिया गया। अभी तक की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्यवाही का विवरण	जिलेवार की गई कार्यवाही		
		बस्तर	दंतेवाड़ा	योग
1	कुल प्रकरण संख्या	77	10	87
2	आयुक्त बस्तर द्वारा स्वमेव पुनरीक्षण में लिये गये प्रकरण संख्या	77	10	87
3	आयुक्त बस्तर द्वारा निराकृत प्रकरण संख्या	77	10	87
4	आदिवासियों को वापस करने तथा कब्जा सौंपने के आदेश पारित प्रकरण संख्या	77	10	87
5	आदिवासियों को कब्जा सौंपे गये प्रकरण संख्या	26	7	33
6	कब्जा सौंपने की कार्यवाही अ.वि.अ.के पास विचाराधीन	7	1	8
7	माननीय उच्च न्यायालय /राजस्व मंडल/ व्यवहार न्यायालय में लंबित/ स्थगन	44	2	46

जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में संभागीय आयुक्त बस्तर द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 87 प्रकरण पुनरीक्षण में लिये जिनमें से 27 प्रकरण राजस्व मंडल में लंबित हैं, 01 प्रकरण उच्च न्यायालय में लंबित है, कुल 59 प्रकरण निराकृत किये गये जिसमें से 31 प्रकरणों में कब्जा वापस सौंपा गया तथा 10 प्रकरणों में कब्जा सौंपने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कुल 18 प्रकरण उच्च न्यायालय/राजस्व मंडल/व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त हैं। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि: आगामी कार्यवाही से अवगत कराया जाए।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जिला बस्तर के कुल 77 प्रकरणों में से 33 प्रकरणों में आदिवासी भूमि स्वामी का कब्जा वापस दिलाया गया है। शेष 44 प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय/ राजस्व मंडल में लंबित है।

जिला दंतेवाड़ा के कुल 10 प्रकरणों में से 07 प्रकरणों में आदिवासी भूमि स्वामी का कब्जा वापस दिलाया गया है। शेष 03 प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय/ राजस्व मंडल में लंबित है।

निर्णय :- परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल में लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु तत्परता से पहल की जाये, तदनुसार कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(कार्यवाही-विधि विभाग/राजस्व विभाग)

पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (1.12)

बैठक दिनांक 17-12-2015 में निर्णय लिया गया कि :-

- (अ) कोरिया जिला में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दिये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया जावे।
- (द) माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) के परिवारों को एक नग कम्बल, एक नग ट्रांजिस्टर रेडियो ब्रांडेड कम्पनी का एवं एक नग छाता कैम्पा मद के ब्याज की राशि से प्रदाय किया जाय।

बैठक दिनांक 12-07-2016 को विभागों द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया :-

- (अ) आयुक्त, सरगुजा संभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कोरिया जिले के अनुकम्पा नियुक्ति हेतु 13 आवेदनों में से 06 को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। पद रिक्त नहीं होने के कारण शेष आवेदनों पर कार्यवाही नहीं की जा सकी है।
- (द) वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश के सघन वनों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों में नागरिक सहयोग के निर्माण एवं वन संरक्षण संबंधी सूचनाओं के संज्ञान हेतु आवश्यक सामग्री कैम्पा निधि से प्रदान करने का प्रस्ताव मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29-12-2015 को सम्पन्न राज्य कैम्पा संचालन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सघन वनक्षेत्रों में निवासरत विशेष जनजाति समूह में वनों में अग्नि प्रसार की रोकथाम में सहयोग एवं वन संरक्षण में सहयोग की दृष्टि से प्रत्येक परिवार को दो-दो कंबल प्रदाय करने हेतु कैम्पा निधि के अर्जित ब्याज से रुपये 250.00 लाख की राशि दो वित्तीय वर्ष में व्यय की जाए। संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में 35,979 परिवार को दो-दो कंबल के हिसाब से कुल 71,958 नग कंबल प्रदाय करने हेतु रुपये 179.895 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। कंबल वितरण का कार्य अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन) छत्तीसगढ़ रायपुर के अधीन किया जा रहा है। जिस पर परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि :-

(1.12.1) कोरिया जिले के शेष 07 अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का नियमानुसार शीघ्र निराकरण किया जाये।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार कलेक्टर कोरिया द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कर 03 अभ्यर्थियों को राजस्व विभाग अंतर्गत भृत्य के पद पर नियुक्ति की जा चुकी है। 01 अभ्यर्थी गोद पुत्र होने संबंधी पात्रता प्रमाण पत्र की मांग की गई है। 01 प्रकरण पुलिस विभाग के द्वारा मंगाये जाने पर पुलिस अधीक्षक कोरिया की ओर प्रेषित किया गया है। शासन के निर्देशानुसार राजस्व विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के लिये सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त नहीं होने से 02 अभ्यर्थियों के प्रकरण मूलतः उनके विभागाध्यक्ष की ओर प्रेषित किया जा चुका है। परिषद द्वारा नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने का निर्देश दिया गया।

कलेक्टर कोरिया द्वारा अवगत कराया गया है कि जिले में शेष 07 अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण किया गया। कार्यवाही निम्नानुसार है :-

- (1) 03 अभ्यर्थियों को राजस्व विभाग अंतर्गत भृत्य के पद पर नियुक्ति की जा चुकी है।
- (2) 01 अभ्यर्थी द्वारा सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिले में सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त नहीं होने के कारण आवेदन कलेक्टर कोरिया के पत्र क्रमांक 958 दिनांक 07-02-2017 द्वारा संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रायपुर को प्रेषित किया गया है।
- (3) 01 अभ्यर्थी का आवेदन पत्र जिले में सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त नहीं होने के कारण कलेक्टर कोरिया के पत्र क्रमांक 1410 दिनांक 23-02-2017 द्वारा विकास आयुक्त नया रायपुर को प्रेषित किया गया है।
- (4) 01 अभ्यर्थी का आवेदन कलेक्टर कोरिया के पत्र क्रमांक 2041 दिनांक 17-03-2017 द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला कोरिया को प्रेषित किया गया है।
- (5) 01 अभ्यर्थी से गोद पुत्र होने संबंधी सक्षम न्यायालय से विधि सम्मत गोदनामा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु कलेक्टर कोरिया के पत्र क्रमांक 2528 दिनांक 30-03-2017 द्वारा लेख किया गया है।

निर्णय :- परिषद द्वारा चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(1.12.4) विशेष पिछड़ी जनजातियों (पीव्हीटीजी) के प्रत्येक परिवार को 02 कंबल, 01 ट्रॉजिस्टर, एवं 01 छाता वितरण की प्रगति से आगामी बैठक में अवगत करावें।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में अवगत कराया गया कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) हेतु मुख्यमंत्री के 11 सूत्रीय कार्यक्रम अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के 30100 परिवारों को (प्रति परिवार 02 कंबल के मान से) कुल 60,199 कंबलों का वितरण दिसम्बर, 2016 तक किया गया है। शेष परिवारों को कंबल वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कंबल का वितरण वन विभाग द्वारा कैम्पा (क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) निधि की अर्जित ब्याज की राशि से किया गया है। छाता एवं रेडियो प्रदाय करने हेतु वर्ष 2016-17 के विभाग के बजट में राशि रु.435.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। विभागीय आदेश क्र.एफ-18-31/2016/25/2 दिनांक 27-12-2016 द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय के प्रत्येक परिवार को छाता एवं रेडियो प्रदाय करने के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया गया है। अब तक 5841 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय परिवारों को कुल 5841 नग रेडियो एवं 5841 छाता का वितरण जिलों द्वारा किया गया है। जिस पर निर्णय लिया गया था कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवार को वितरण की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति की जानकारी से आगामी बैठक में अवगत करावें।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य कैम्पा निधि के अर्जित ब्याज की राशि से विशिष्ट पिछड़ी जनजाति के 55,575 परिवारों को प्रति परिवार 02 कंबल के मान से 1,11,150 नग कंबल का वितरण किया गया है। इसी प्रकार विशेष

रूप से कमजोर जनजाति समूह के परिवारों को सूचना जागरूकता हेतु 42,625 नग रेडियो एवं दैनिक उपयोग हेतु 43,499 नग छाता का वितरण आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया गया है। शेष परिवारों को रेडियो एवं छाता वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

निर्णय :- माननीय सदस्य श्रीमती मुन्नीबाई द्वारा अवगत कराया गया कि सरगुजा तथा बलरामपुर में पहाड़ी कोरवाओं को कंबल का वितरण नहीं हुआ है। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा वन विभाग को निर्देश दिये गये कि वस्तुस्थिति के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाये, तदनुसार कार्यवाही पूर्ण मान्य की जाये।

(कार्यवाही वन विभाग)

पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु क्रमांक (1.14)

(1.14.1) श्री महेश गागड़ा, माननीय वन मंत्री ने जानना चाहा कि बस्तर संभाग के 22000 हेक्टेयर नारंगी क्षेत्र को वन भूमि से राजस्व भूमि में डी-नोटीफाई करने की कार्यवाही में विलंब हो रहा है। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि विधि विभाग 01 माह में अपना अभिमत प्रेषित करें। यदि आवश्यक हो तो महाधिवक्ता छ0ग0 से भी अभिमत प्राप्त कर लें।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में विधि एवं विधायी विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रशासकीय विभाग (वन) से प्राप्त विषयांकित प्रकरण में महाधिवक्ता उच्च न्यायालय छ.ग. का अमूल्य अभिमत प्राप्त करने हेतु दिनांक 26-07-2016 एवं 01-02-2017 को स्मरण पत्र प्रेषित किया गया है। वांछित अभिमत अपेक्षित है। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया था कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में इस संबंध में विधि एवं विधायी कार्य द्वारा अवगत कराया गया कि विद्वान महाधिवक्ता, बिलासपुर से प्राप्त अभिमत के महत्वपूर्ण अंश निम्नानुसार है :-

“Therefore, it is hereby advised that in order to go ahead with the de-notification plan of forest lands as revenue lands it would be proper to move appropriate application before the Supreme Court in W.P.(C) NO. 202/1995 T.N. Godhavaman & Simultaneously approach the Central Government seeking its approval.”

It is clarified that any attempt to circumvent the Supreme Court and The Government of India would be disastrous as, the situation from the date of de-notification in 1973 and 1974 has changed drastically and environmental jurisprudence has grown by leaps and bounds altering the very way of looking at forest and wild life. It is therefore be imperative to move appropriate application W.P.(C) No. 202/1995 T.N. Godhavarman and to approach the Central Government of india and after having satisfied the two authorities regarding its bonafides the Government of Chhattisgarh may proceed to record the de-notified forest land in 1973 and 1974 in their revenue records as revenue lands.

उक्त अभिमत पर विधि विभाग द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई है। विधि विभाग के उक्त अभिमत को इस विभाग के पत्र दिनांक 12-09-2017 द्वारा वन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

निर्णय :- परिषद् द्वारा इस निर्देश के साथ कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई कि वन विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही वन विभाग)

(1.16) श्री चिंतामणि महाराज, माननीय सदस्य ने विशेष पिछड़ी जनजाति (पीव्हीटीजी) क्षेत्रों विशेष रूप से सरगुजा संभाग में अन्य देशों के अनाधिकृत रूप से निवासरत लोगों के संबंध में

कार्यवाही करने का प्रस्ताव परिषद के समक्ष रखा गया। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि सरगुजा संभाग के जिलों में पुलिस अधीक्षक के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति (पीव्हीटीजी) बाहुल्य क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से निवासरत बाहरी व्यक्तियों के संबंध में सर्वे किया जाकर प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। इसी तरह की कार्यवाही अन्य संभागों में भी की जावे। जबरिया धर्मांतरण के प्रकरण पाये जाने पर नियमानुसार सख्ती से कार्यवाही की जावे।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में निर्णय के परिपालन में पुलिस मुख्यालय द्वारा समस्त पुलिस इकाईयों को पत्र दिनांक 01-09-2016 एवं 25-03-2017 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। जिस पर निर्णय लिया गया था कि कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को पुनः पत्र लिखा जाये।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में पुलिस मुख्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि विशेष पिछड़ी जनजाति (पीव्हीटीजी) विशेष रूप से सरगुजा संभाग में अन्य देशों के अनाधिकृत रूप से निवासरत लोगों के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज के समस्त जिलों में सर्वे कराया गया। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सरगुजा रेंज के अंतर्गत जिला-सूरजपुर में मात्र एक प्रकरण निर्मित हुआ है। सूरजपुर में दिनांक 06-08-2016 को एक नाइजिरियन नागरिक नाम-लक्की ओगबेबर निवासी द्वारा अपनी पत्नि श्रीमती अन्नपूर्णा कुर्रे निवासी प्रतापपुर के साथ सूरजपुर में वीजा समाप्ति दिनांक 28-01-2013 के उपरांत भ्रमण करते पाये जाने पर पुलिस थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 335/16 धारा 14 विदेशी विषयक अधिनियम 1946 कायम हुआ है, जिसकी विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश किया गया है। आदेश प्राप्त उपरांत नाइजिरियन नागरिक को स्वदेश वापस भेजने की कार्यवाही की जावेगी। इसके अलावा वर्तमान में अनाधिकृत रूप से निवासरत विदेशी व्यक्तियों का और कोई जानकारी परिलक्षित नहीं हुई है।

निर्णय :- चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(1.17) माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा सम्माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि केन्द्र शासन द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस (सीआरपीएफ) हेतु **“बस्तर बटालियन”** के नाम से नई बटालियन स्वीकृत की गई है। इस बटालियन की विशेषता यह है कि केवल बस्तर संभाग के 700 युवक ही उक्त बटालियन में भर्ती हेतु पात्र होंगे। भर्ती हेतु आवश्यक अर्हतायें यथा ऊर्चाई आदि में विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। निर्धारित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 10वीं पास युवकों को विशेष कोचिंग दी जावेगी। परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि **“बस्तर बटालियन”** की भांति ही सरगुजा बटालियन गठन करने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जावे। परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में गृह विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सरगुजा बटालियन के गठन हेतु पुलिस मुख्यालय को औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु लिखा गया है एवं प्रकरण प्राप्त होने पर भारत सरकार के प्रेषित किया जाएगा। जिस पर निर्णय लिया गया था कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में गृह विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पत्र दिनांक 12-07-2017 द्वारा छ.ग.जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार **“बस्तर बटालियन”** की भांति ही **“सरगुजा बटालियन”** गठन करने के संबंध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया है।

निर्णय :- चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

पूर्व बैठक का एजेण्डा क्रमांक – तीन

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा:-

(3.1) शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में कक्षा पहली से बारहवीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों की आकस्मिक मृत्यु होने पर, चाहे किन्हीं भी कारणों से मृत्यु हुई हो, उसके शोक संतप्त परिवार को आर्थिक सहायता दी जाये। जिस पर निर्णय लिया गया था कि शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में कक्षा पहली से बारहवीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों (सभी वर्गों) की आकस्मिक मृत्यु होने पर, चाहे किन्हीं भी कारणों से मृत्यु हुई हो, उसके शोक संतप्त परिवार को रुपये एक लाख की आर्थिक सहायता दी जायेगी।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में कक्षा पहली से बारहवीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों (सभी वर्गों) की आकस्मिक मृत्यु होने पर, चाहे किन्हीं भी कारणों से मृत्यु हुई हो, उसके शोक संतप्त परिवार को रुपये एक लाख की आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में नस्ती क्रमांक एफ 24-7/2005/20-3/पार्ट, दिनांक 30-08-2017 द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

निर्णय :- चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(3.2) कतिपय जातियां जिन्हें मात्रात्मक सुधार की आवश्यकता होने के कारण अनुसूचित जनजाति का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा।

विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य शासन द्वारा भरिया, गोंड़, गोड़, पंडो, पण्डो, पन्डो, धांगड़, नगवंसी, नगवन्सी, नागबंसि, नगबंसी, नगवासी, नागबसि नगबसी, गदबा, कोड़ाकू एवं कोंद, के प्रकरण भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, को मात्रात्मक त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित किया गया है। निम्नलिखित जातियों के संदर्भ में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सहमति दिये जाने के उपरान्त प्रकरण राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग को सहमति हेतु भेजे जाने की सूचना प्राप्त हुई है:- 1.कोड़ाकू 2.कोंद 3.भरिया 4.पंडो, पण्डो, पन्डो, 5. धांगड़ 6. गोंड़ 7. गदबा, 8. नगवंसी, नगवन्सी, नागबंसि, नगवासी, नागबसि, नगबसी। परिषद द्वारा उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशंसा किया गया था कि 1. कोड़ाकू 2. कोंद 3. भरिया 4. पंडो, पण्डो, पन्डो, 5. धांगड़ 6. गोंड़ 7. गदबा 8. नगवंसी, नगवन्सी, नागबंसि, नगवासी, नागबसि, नगबसी जातियों के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग के समतुल्य राज्य मद से राज्य छात्रवृत्ति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रावास/ आश्रमों में स्वीकृत सीट में से रिक्त होने की स्थिति में प्रवेश दिये जायें। इन जाति कि विद्यार्थियों, व्यक्तियों को उक्त सुविधाओं के अलावा अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त कोई संवैधानिक अधिकार एवं जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की पात्रता भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची में इन जातियों का नाम सम्मिलित करने की अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात ही होगी।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भारत सरकार द्वारा अंग्रेजी भाषा/लिपि में अधिसूचित की गई अनुसूचित जनजातियों /अनुसूचित जातियों में स्थानीय बोली के कारण कुल 27 जातियों के उच्चारणगत/लेख/ ध्वन्यात्मक (Phonetic Values) विभेद को सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 30-12-2017 द्वारा मान्य किया जाकर समस्त विभागों को निर्देश जारी किये गये हैं।

निर्णय :- चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(2) पूर्व बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मात्रात्मक त्रुटियों के निराकरण के संबंध में मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल जल्द ही नई दिल्ली में संबंधितों से मिलकर राज्य का पक्ष रखें।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में अवगत कराया गया कि इस संबंध में माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा माननीय केन्द्रीय मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली से भेंट कर मात्रात्मक त्रुटियों का निराकरण शीघ्र करने का अनुरोध किया गया है।

निर्णय :- परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य के माननीय संसद सदस्यों से इस संबंध में अनुरोध पत्र लिखा जाये कि वे 1. सौरा, संवरा, 2. भूर्इया, भूर्इयां, भूयां 3. धनुहार, धनुवार, 4. किसान 5. धांगड़ जातियों को छ0ग0 राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु संसद में विधेयक पारित कराने की पहल करें। इसी तरह मात्रात्मक सुधार/वर्तनी त्रुटि के प्रकरण जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में लंबित हैं के निराकरण हेतु भी अनुरोध किया जाये विवरण इस प्रकार है – 1. कोड़ाकू 2. कोंद 3. भरिया 4. पंडो, पण्डो/पन्डो 5. गोंड़ 6. गदबा 7. नगवंसी/नगवन्सी, नागबंसी, नगबंसी, नगवासी, नागबंसी और नगबंसी

(कार्यवाही-आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान/
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)

(3.4) दंतेवाड़ा एवं कोरबा में जिला प्रशासन द्वारा अन्य स्त्रोतों से राशि की व्यवस्था कर एजुकेशन हब विकसित किये गये हैं। अन्य जिलों में भी इस तरह की पहल यथा 2000 सीटर आवासीय विद्यालय आदि समावेशन (convergence) के माध्यम से की जाये। संभागीय आयुक्त आगामी बैठक में प्रगति से अवगत करायेंगे। दिनांक 01.07.2018 की बैठक में अवगत कराया गया कि राज्य में जावंगा जिला दंतेवाड़ा एवं सुकमा में एजुकेशन हब संचालित है तथा कोरबा, नारायणपुर, सरगुजा, बसौली जिला जगदलपुर, बीजापुर एवं बलरामपुर में एजुकेशन हब निर्माणाधीन है।

निर्णय :- चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(3.5) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (p.v.t.g) के सदस्यों के नसबंदी विषय पर चर्चा हुई। संयुक्त मध्यप्रदेश के समय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र दिनांक 13.12.1979 द्वारा इन जातियों के नसबंदी के संबंध में कतिपय प्रबंध लगाये गये हैं। यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में लगाये गये प्रतिबंध के शिथिलीकरण हेतु सही स्तर से परीक्षण कर निर्णय लिया जाये।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13-12-1979 एवं पत्र दिनांक 01-04-2015 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न निर्देश प्रसारित किए गए हैं :-

(1) परिपत्र दिनांक 13-12-1979 में सम्मिलित विशेष संरक्षित उपजाति समूहों के पुरुष या महिलायें जो नसबंदी के इच्छुक हो, स्वेच्छा से नसबंदी कराने के आशय का आवेदन पत्र संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। नसबंदी कराने हेतु स्वेच्छा से आवेदन पत्र दिया गया है, एवं उन्हें आपरेशन के परिणामों की जानकारी दे दी गई है। अतः नसबंदी की जा सकती है। इस संबंध में अधीनस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या सिविल सर्जन अथवा स्वास्थ्य विभाग के अन्य जानकार अमले का सहयोग लिया जा सकता है।

(2) अनुविभागीय दण्डाधिकारी के इस प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित का आपरेशन किया जा सकेगा। इस प्रमाण पत्र को संबंधित व्यक्ति के अभिलेख में हिफाजत/संरक्षित रखा जायेगा। नसबंदी आपरेशन केवल पूर्ण सुविधा संपन्न शासकीय चिकित्सालय में ही किया जावेगा। किसी भी स्थिति में यह आपरेशन शिविरों में अथवा अशासकीय/निजी अस्पतालों में नहीं किया जावेगा।

(3) विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के अतिरिक्त अन्य जनजातियों में नसबंदी सुविधा पूर्व प्रचलित प्रक्रिया अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र दिनांक 13-12-1979 के पृष्ठ क्रमांक-3 की कड़िका (6) जिसमें सामान्य और आदिम जाति दोनों वर्ग के आदिवासी सदस्यों को नसबंदी सुविधाएं उपलब्ध कराना, नसबंदी हेतु प्रेरित किया जाना तथा क्षति पूर्ति राशि के हकदार होने का उल्लेख है, यह निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

निर्णय :- चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

एजेण्डा क्रमांक – दो

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 का अनुमोदन।

(2.1) विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया जिसे सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा क्रमांक – तीन

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा :

(3.1) विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत वर्ष 2017-18 के प्रावधान एवं व्यय की जानकारी अवलोकनार्थ परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(3.2) विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत वर्ष 2018-19 के बजट प्रावधान वर्ष 2017-18 के बजट प्रावधान की तुलनात्मक स्थिति के साथ प्रस्तुत किया गया।

(3.3) विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद के सचिवालय के गठन का प्रस्ताव परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :- परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि जनजाति सलाहकार परिषद सचिवालय की स्थापना की जाय। इस संबंध में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)

(3.4) विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा प्रस्तावित किया गया कि आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को सोसायटी स्वरूप में पुनर्गठित किया जाए।

निर्णय :- परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के समुचित संचालन हेतु इस हेतु सोसायटी स्वरूप में पुनर्गठित किया जाए।

(कार्यवाही-आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान/
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)

(3.5) विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा प्रस्तावित किया गया कि छ.ग.राज्य जनजाति संस्कृति एवं भाषा अकादमी का गठन किया जाए।

निर्णय :- परिषद द्वारा इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी गई। तथा निर्देशित किया गया कि प्रस्ताव के संबंध में राज्य के माननीय सांसद/विधायकों/जिला पंचायत अध्यक्षों को पत्र लिख कर अकादमी के स्वरूप के संबंध में उनके सुझाव एक माह के भीतर प्राप्त किया जाए एवं तदनुसार कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही-आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान/
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)

(3.6) माननीय सदस्य श्री खेलसाय सिंह, विधायक, प्रेमनगर द्वारा अवगत कराया गया कि गणेशपुर, बरबसपुर, परमेश्वरपुर आदि ग्रामों में वन विभाग द्वारा तिरंगा पट्टा जारी किया गया है, जिसका वन अधिकार हितग्राहियों को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इन हितग्राहियों को भी वन अधिकार पत्र जारी किया जाए।

निर्णय :- परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि परीक्षण कर समुचित कार्यवाही करते हुए स्थिति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही- वन विभाग)

(3.7) माननीय सदस्य श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, विधायक, मानपुर-मोहला द्वारा अवगत कराया गया कि प्री.मै. अनुसूचित जनजाति छात्रावास, कौड़ीकसा में 50 छात्र रहते हैं, परन्तु भवन 20 सीटर है। अतः विद्यार्थियों को असुविधा हो रही है।

निर्णय :- परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि परीक्षण कर समुचित कार्यवाही करते हुए स्थिति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही- आ.जा. तथा अनु.जा. वि.विभाग)

(3.8) माननीय सदस्य श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, विधायक, मानपुर-मोहला द्वारा अवगत कराया गया कि कौड़ीकसा में आर्सेनिक युक्त गन्दा पानी आता है, जिसके उपचार की आवश्यकता है। इसी तरह मानपुर में नल-जल व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से संचालित नहीं है।

निर्णय :- परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि परीक्षण कर समुचित कार्यवाही करते हुए स्थिति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग)

(3.9) माननीय सदस्य श्री खेलसाय सिंह, विधायक, प्रेमनगर द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम शिवपुर, विकासखंड रामानुजनगर, जिला-सुरजपूर में 100 सीटर आश्रम भवन निर्माणाधीन है, जो पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही नहीं होने के कारण अधूरा है।

निर्णय :- परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि परीक्षण कर समुचित कार्यवाही करते हुए स्थिति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही- आ.जा. तथा अनु.जा. वि.विभाग)

अंत में विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्रीजी, माननीय मंत्रीगण एवं परिषद् के सदस्यों तथा अधिकारीगण को बैठक में उपस्थित होने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(रीना बाबासाहेब कंगाले)

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक
दिनांक 01-07-2018 में उपस्थित सदस्यों की सूची

क्रमांक	नाम	पद
1.	माननीय डॉ रमन सिंह	अध्यक्ष एवं मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन
2.	माननीय श्री केदार कश्यप	उपाध्यक्ष एवं मंत्री, आ. जा. तथा अनु. जा. वि. विभाग
3.	माननीय श्री रामसेवक पैकरा	सदस्य एवं मंत्री, गृह विभाग
4.	माननीय श्री महेश गागड़ा	सदस्य एवं मंत्री, वन, विधि और विधायी कार्य विभाग
5.	माननीय श्री दिनेश कश्यप	सदस्य एवं लोक सभा सदस्य बस्तर
6.	माननीय श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया	सदस्य एवं संसदीय सचिव
7.	माननीय श्री गोवर्धन सिंह मांझी	सदस्य एवं संसदीय सचिव
8.	माननीय श्री श्रवण मरकाम	सदस्य एवं विधायक सिहावा
9.	माननीय श्री चिन्तामणी महाराज	सदस्य एवं विधायक लुण्ड्रा
10.	माननीय श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम	सदस्य एवं विधायक मोहला-मानपुर
11.	माननीय श्री खेलसाय सिंह	सदस्य एवं विधायक प्रेमनगर
12.	श्रीमती मुन्नी बाई	अध्यक्ष, पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण अंबिकापुर (विशेष आमंत्रित)
13.	श्री मंगटू राम नूरेटी	अध्यक्ष, अबुझमाड़ विकास अभिकरण नारायणपुर (विशेष आमंत्रित)

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक
दिनांक 01-07-2018 में उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्रमांक	नाम	पद
1.	श्री अजय सिंह	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
2.	श्री सी.के.खेतान	अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
3.	श्री अमन सिंह	प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
4.	श्री अमिताभ जैन	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
5.	सुश्री ऋचा शर्मा	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
6.	श्री सुबोध कुमार सिंह	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग
7.	श्री गौरव द्विवेदी	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
8.	श्री ए.एन.उपाध्याय	पुलिस महानिदेशक
9.	श्री आशीष कुमार भट्ट	संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर
10.	सुश्री रीना बाबासाहेब कंगाले	विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग
11.	सुश्री निहारिका बारिक	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य विभाग
12.	सुश्री रीता शांडिल्य	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन एवं सहकारिता विभाग
13.	श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
14.	श्री पंकज कुमार सिन्हा	अतिरिक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग
15.	श्री एल.एस.केन	अपर आयुक्त रायपुर संभाग
16.	श्री दिलीप वासनीकर	आयुक्त बस्तर संभाग
17.	श्री महावीर राम	उपायुक्त सरगुजा संभाग
18.	श्री आर.के.सिंह	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
19.	श्री मुदित कुमार सिंह	प्रबंध संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर
20.	श्री निरंजन दास	संचालक, नगरीय प्रशासन
21.	श्री आलोक कुमार सिन्हा	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, रायपुर
22.	श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा	चिप्स, रायपुर

23.	श्री संदीप टिकरिहा	चिप्स, रायपुर
24.	श्री मदन मोहन राउत	चिप्स, रायपुर
25.	श्री हरिश सिंहा	चिप्स, रायपुर
26.	श्री कृष्णनंदन कुमार	चिप्स, रायपुर
27.	डॉ. स्वपन कुमार कोले,	विभागाध्यक्ष, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

*** **

प्रपत्र-9 (अ)
विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत अनुमोदित कार्ययोजना अनुसार स्वीकृत कार्यो का जिला/परियोजनावार विवरण
वर्ष 2017-18

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	स्वीकृत ईकाई / राशि	प्रति ईकाई लागत	बस्तर	कोण्डगांव	बीजापुर	देवाड़ा	सुकमा	नारायणपुर	कांकेर	गरियाबंद	धमतरी	बालोद	राजनांदगांव	विलासपुर	कोरबा	कोरिया	सरगुजा	बलरामपुर	सुरजपुर	जशपुर	रायगढ़	दुर्ग	रायपुर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
1	Construction of 500 seater Hostels in 15 TD Block HQ in TSP area (unit cost approved by GOI 10.00 cr.)	15	1	2	2	1	1	1	2	1				1			1		1			1			15
	Rs.	2500.00	1457.12	333.32	333.32	166.66	166.66	166.66	333.32	166.76				166.66			166.66		166.66	166.66		166.66			2500.00
2	Construction of Five PRAYAS school building (unit cost approved by GOI 15.00 cr.)	5	1	1						1					1			1					1		5
	Rs.	1859.32	1726.40	371.86						371.88					371.86			371.86					371.86		1859.32
3	Construction works of 13 hostels sanctioned under Education scheme	13	1		2					1					1				1		5				10
	Rs.	1221.74	187.96		187.96					93.98					93.98				93.98		469.90				939.80
4	Completion of TRI building and Museum at State Headquarters. (Sanctioned by GoI during 2014-15)	1	1																					1	1
	Rs.	1726.61	2726.61																					1726.61	1726.61
5	i. Construction of 500 Seater ST Girls Hostel (PRAYAS) at Saddu, Raipur	1	1																					1	1
	Rs.	812.40	1726.40																					812.40	812.40
	ii. Construction of Post matric (Boys) hostel building at Kumhrawand Agriculture collage at Jagdalpur	1	1	1																					1
	Rs.	106.69	288.59	106.69																					106.69

क्र.	योजना का नाम	स्वीकृत ईकाई / राशि	प्रति इकाई लागत	बस्तर	कोयडागांव	बीजापुर	दंतेवाड़ा	सुकमा	नारायणपुर	कांकेर	गरियाबंद	धमतरी	बालोद	राजनंदगांव	विलासपुर	कोरबा	कोरिया	सरगुजा	बलरामपुर	सूरजपुर	जशपुर	रायगढ़	डुर्ग	रायपुर	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	
	iii. Construction of 05 Girls Education Complex Building Bijapur, Sukma, Bhanpuri, Bahigaon of Bastar division & Bhoramdev of Kabeerdham District.	5	1	1	1	1		1																	4	
	Rs.	1700.00	1161.26	311.26	311.26	311.26		311.26																		1245.04
6	Coaching to the student of class 9, 10, 11 & 12th in science, Maths & English subject in Eklavya, Model Schools, Girls education complex, Krida parisar etc. (@ Rs. 10400.00 per month for 3 months)	50	1	5	2	2	5	1	2	3	1	1	1	3	1	1	3	2	2	2	4	2				43
	Rs.	62.40	0.312	6.240	2.496	2.496	6.240	1.248	2.496	3.744	1.248	1.248	1.248	3.744	1.248	1.248	3.744	2.496	2.496	2.496	4.992	2.496				53.664
7	Smart/Knowledge class Rooms in Ashram Schools. A. Integrated Learning Tool b. Interactive Multimedia content c. Exploriments (Science Concepts through interactive Simulations) d. Educational Science Videos e. Teacher Capacity Building	50	1	4	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	3	3	4	3	3	3	3				45
	Rs.	87.50	1.75	7.00	5.25	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	1.75	1.75	1.75	1.75	3.50	5.25	5.25	7.00	5.25	5.25	5.25	5.25				78.75
8	Use of solar energy in Residential Schools, Hostel & Ashram (Solar pump set, LED Light with Battery backup)	45	1	2	4		4	5	3		3	3				4		4		4		3	2			41
	Rs.	225.00	5.00	10.00	20.00		20.00	25.00	15.00		15.00	15.00				20.00		20.00		20.00		15.00	10.00			205.00

क्र.	योजना का नाम	स्वीकृत ईकाई / राशि	प्रति इकाई लागत	बस्तर	कोण्डागांव	बीजापुर	दरवाड़ा	सुकमा	नारायणपुर	कांकर	गरियाबंद	धमतरी	बालोद	राजनांदगांव	बिलासपुर	कोरबा	कोरिया	सरगुजा	बलरामपुर	सूरजपुर	जशपुर	रायगढ़	डुर्ग	रायपुर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
9	Establishment of RO water purifier unit (250 lt. per hour) for Drinking water in hostel & ashrams	40	1	2	3		3	3			3	3			2	4		3		4		3	1		34
	Rs.	120.00	3.00	6.00	9.00		9.00	9.00			9.00	9.00			6.00	12.00		9.00		12.00		9.00	3.00		102.00
10	Establishment of solar electric plant in EMRS	16	1	2	1	1	1		1	1				1	1	1	1	1		1	1	1			15
	Rs.	160.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00				10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00	10.00			150.00
11	Distribution of Sanitary napkin to all resident of girls hostels & ashrams with establishment of incinerator for disposal.	400	1	29	22	16	12	15	18	20	9	7	10	13	16	30	19	29	22	21	22	27			357
	Rs.	300.00	0.75	21.75	16.50	12.00	9.00	11.25	13.50	15.00	6.75	5.25	7.50	9.75	12.00	22.50	14.25	21.75	16.50	15.75	16.50	20.25			267.75
12	Digitization of records of forest rights distributed under FR act 2006 including geo referencing of distributed land.	24		35745	54002	8171	9904	9896	4783	23418	20993	13476	1866	13352	16232	42280	14201	19389	21206	29260	14222	11310			363706
	Rs.	319.00	13.29	28.8057	43.5435	6.6033	7.9750	7.9750	3.8599	18.8848	16.9389	0.8779	1.4993	10.7503	13.0790	34.1011	11.4521	15.6310	17.0984	23.6060	11.4521	9.1234			293.25670
13	Tubwell mining, submersible pump Electrification			54	68				99																221
	Rs.			81.00	102.00				236.22																419.22
14	Construction of bridges			42	55				118																215
	Rs.			478.75	1057.25				712.78																2248.78
	Total	Unit		35890	54165	8194	9932	9924	5028	23447	21010	13491	1878	13371	16256	42323	14228	19433	21235	29296	14257	11350	4	2	364714
		Rs.		1782.68	2098.58	512.52	232.38	535.89	1330.68	683.75	50.69	43.13	12.00	202.65	511.67	105.10	211.36	457.74	301.98	255.76	518.09	237.78	384.86	2539.0	13008.28

प्रपत्र-9 (ब)

विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत अनुमोदित कार्ययोजना अनुसार स्वीकृत कार्यो का जिला/माडावार विवरण वर्ष 2017-18
(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	स्वीकृत ईकाई / राशि	प्रति ईकाई लागत	बलौदाबाजार	महासमुन्द-1	महासमुन्द-2	रुकजा	सारंगढ़	गोपालपुर	कवर्धा	नचनिया	गंगरेल	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Construction works of 13 hostels sanctioned under Education scheme	13	1							3			3
	Rs.	1221.74	187.96							281.94			281.94
2	Construction of 05 Girls Education Complex Building Bijapur, Sukma, Bhanpuri, Bahigaon of Bastar division & Bhoramdev of Kabeerdham District.	5	1							1			1
	Rs.	1700.00	1161.26							311.26			311.26
3	Coaching to the student of class 9, 10, 11 & 12th in science, Maths & english subject in Eklavya, Model Schools, Girls education complex, Krida parisar etc. (@ Rs. 10400.00 per month for 3 months)	50	1							2			2
	Rs.	62.40	0.312							2.496			2.496
4	Smart/Knowledge class Rooms in Ashram Schools. A. Integrated Learning Tool b. Interactive Multimedia content c. Exploriments (Science Concepts through interactive Simulations) d. Educational Science Videos e. Teacher Capacity Building	50	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Rs.	87.50	1.75	0	1.75	0	0	0	0	0	0	0	1.75
5	Use of solar energy in Residential Schools, Hostel & Ashram (Solar pump set, LED Light with Battery backup)	45	1				2						2
	Rs.	225.00	5.00				10.00						10.00
6	Establishment of RO water purifier unit (250 lt. per hour) for Drinking water in hostel & ashrams	40	1				4						4
	Rs.	120.00	3.00				12.00						12.00
7	Establishment of solar electric plant in EMRS	16	1							1			1
	Rs.	160.00	10.00							10.00			10.00
8	Distribution of Sanitary napkin to all resident of girls hostels & ashrams with establishment of incinerator for disposal.	400	1	2	4	3	1	1	0	3	1	0	15
	Rs.	300.00	0.75	1.50	3.00	2.25	0.75	0.75	0.00	2.25	0.75	0.00	11.25

9	Digitization of records of forest rights distributed under FR act 2006 including geo referencing of distributed land.	24		5817	8345		919			11573			26654
	Rs.	319.00	13.29166	4.68930	6.73090		0.73370			9.34670			21.50060
	Total	Unit		5819	8350	3	926	1	0	11583	1	0	26683
		Rs.		6.18930	11.48090	2.25000	23.48370	0.75000	0.00000	617.29270	0.75000	0.00000	662.19660

प्रपत्र-9 (स)

विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत अनुमोदित कार्ययोजना अनुसार स्वीकृत कार्यों का जिला/लघुअंचलवार विवरण वर्ष 2017-18
(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	स्वीकृत इकाई / राशि	प्रति इकाई लागत	बच्चेराभाठा	धुरीबांधा	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	Distribution of Sanitary napkin to all resident of girls hostels & ashrams with establishment of incinerator for disposal.	400	1	1	1	2
	Rs.	300.00	0.75	0.75	0.75	1.50
	Total	Unit		1	1	2
		Rs.		0.750	0.750	1.500

प्रपत्र-9 (द)

विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत अनुमोदित कार्ययोजना अनुसार स्वीकृत कार्यो का जिला/अभिकरणवार विवरण वर्ष 2017-18
(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	स्वीकृत ईकाई / राशि	प्रति ईकाई लागत	प.को. अभिकरण अविकापुर	प.को. / बिरहोर		प.को. / बिरहोर		प.को. प्रकोष्ठ बलरामपुर	बैगा अभिकरण कबीरधाम	बैगा / बिरहोर		बिरहोर प्रकोष्ठ धरमजयगढ़	बैगा प्रकोष्ठ कोरिया	बैगा प्रकोष्ठ राजनांदगांव	बैगा प्रकोष्ठ मुंगेली	कमार अभिकरण गरियाबंद	कमार प्रकोष्ठ नगरी	कमार प्रकोष्ठ महासमुंद	कमार प्रकोष्ठ भानुप्रतापपुर	अबुझमाड़ अभिकरण नारायणपुर	योग
					जशपुर	कोरबा	बैगा	बिरहोर														
											प.को.	बिरहोर										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Coaching to the student of class 9, 10, 11 & 12th in science, Maths & english subject in Eklavya, Model Schools, Girls education complex, Krida parisar etc. (@ Rs. 10400.00 per month for 3 months)	50			1				1	1			1				1					5
	Rs.	62.40	0.312		1.248				1.248	1.248			1.248				1.248					6.240
2	Smart/Knowledge class Rooms in Ashram Schools. A. Integrated Learning Tool b. Interactive Multimedia content c. Exploriments (Science Concepts through interactive Simulations) d. Educational Science Videos e. Teacher Capacity Building	50		1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
	Rs.	87.50	1.75	1.75	0	0	0	0	1.75	1.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.75	7.00

3	Use of solar energy in Residential Schools, Hostel & Ashram (Solar pump set, LED Light with Battery backup)	45														2							2
	Rs.	225.00	5.00													10.00							10.00
4	Establishment of RO water purifier unit (250 lt. per hour) for Drinking water in hostel & ashrams	40														2							2
	Rs.	120.00	3.00													6.00							6.00
5	Establishment of solar electric plant in EMRS	16																					0
	Rs.	160.00	10.00																				0.00
6	Distribution of Sanitary napkin to all resident of girls hostels & ashrams with establishment of incinerator for disposal.	400		5	2	0	0	1	5	2	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	6		26
	Rs.	300.00	0.75	3.75	1.50	0.00	0.00	0.75	3.75	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.75	0.00	4.50		19.50
7	Digitization of records of forest rights distributed under FR act 2006 including geo referencing of distributed land.	24														5264							5264
	Rs.	319.00														4.24270							4.24270
	Total	Unit		6	3	0	0	1	7	4	0	0	1	2	0	5268	3	0	1	0	7		5303
		Rs.		5.50000	2.74800	0.00000	0.00000	0.75000	6.74800	4.49800	0.00000	0.00000	1.24800	1.50000	0.00000	20.24270	2.74800	0.00000	0.75000	0.00000	6.25000		52.9827

प्रपत्र-9 (इ)
विशेष रूप से कमजोर बैगा जनजाति हेतु केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना अंतर्गत अभिकरणवार कार्ययोजना वर्ष 2017-18

(राशि लाखों में)

क्र.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रु.में)	बैगा विकास अभिकरण, बिलासपुर		बैगा विकास अभिकरण, कबीरधाम		बैगा विकास प्रकोष्ठ राजनांदगांव		बैगा विकास प्रकोष्ठ बैकुंठपुर		बैगा विकास प्रकोष्ठ मुंगेली		योग बैगा	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	जैविक खेती संवर्धन													
1	जैविक खाद्य का उत्पादन (धान, कोदों, कुटकी, दाल, तिलहन, सब्जी बीज, वर्मी कम्पोस्ट, नाडेप एवं परंपरागत फसलें (यूनिट लागत पर है 0.232 लाख)	0.232	118	27.376	439	101.848	42	9.744	204	47.308	70	16.240	873	202.516
2	माईको सिंचाई प्रणाली संवर्धन													
1	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह हेतु 03 एच. पी. डीजल पंप का प्रदाय (90 प्रतिशत सब्सिडी) (यूनिट लागत 20,000) 80 यूनिट हेतु)	0.20	5	1.000	17	3.400	2	0.400	8	1.600	3	0.600	35	7.000
3	बोरवेल सह सोलर पंप की स्थापना													
1	क्रेडा के माध्यम से सौर सुजला योजना अंतर्गत बोरवेल सह सोलर पंप की स्थापना	5.72	1	5.720	2	11.440	0	0.000	1	5.720	0	0.000	4	22.880
4	रोजगार सह आयमूलक कार्यक्रम													
1	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम –मोटर ड्रायविंग, सोलर टेक्नियन / इलेक्ट्रीशियन, हस्तशिल्प, प्लंबरिंग, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, मोबाईल फोन मरम्मत, कम्प्यूटर मरम्मत, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण, हैंडपंप मैकेनिक, बांस शिल्प प्रशिक्षण, लाख उत्पादन प्रशिक्षण।	0.35	56	19.600	210	73.500	20	7.000	98	34.300	33	11.550	417	145.950
5	सामाजिक सुरक्षा													
	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	0.0033	947	3.125	3529	11.646	341	1.125	1642	5.419	561	1.851	7020	23.166

क्र.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रु.में)	बैगा विकास अभिकरण, बिलासपुर		बैगा विकास अभिकरण, कबीरधाम		बैगा विकास प्रकोष्ठ राजनांदगांव		बैगा विकास प्रकोष्ठ बैकुंठपुर		बैगा विकास प्रकोष्ठ मुंगेली		योग बैगा	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	जनजातीय संस्कृति एवं परंपराओं का संवर्धन													
1	सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी महोत्सव, परंपरागत नृत्य, आदि हेतु सहायता (अभिकरण हेतु 3.00 लाख, प्रकोष्ठ हेतु 1.00 लाख)		1	3.000	1	3.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	5	9.000
7	प्रशासनिक सुदृढीकरण													
1	पी.व्ही.टी.जी अभिकरण की प्रशासनिक इकाई का सुदृढीकरण (कम्प्यूटर खरीदी हेतु 0.50 लाख, आपरेटर का वेतन प्रतिवर्ष 1.44 लाख)	1.94	1	1.940	1	1.940	1	1.940	1	1.940	1	1.940	5	9.700
	योग		1129	61.761	4199	206.774	407	21.209	1955	97.287	669	33.181	8359	420.212

विशेष रूप से कमजोर पहाड़ी कोरवा जनजाति हेतु केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना अंतर्गत अभिकरणवार कार्ययोजना वर्ष 2017-18

(राशि लाखों में)

क्र.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रु.में)	पहाड़ी कोरवा अंबिकापुर		पहाड़ी कोरवा जशपुर		पहाड़ी कोरवा कोरबा		पहाड़ी कोरवा बलरामपुर		योग पहाड़ी कोरवा	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जैविक खेती संवर्धन											
1	जैविक खाद्य का उत्पादन (धान, कोदों, कुटकी, दाल, तिलहन, सब्जी बीज, वर्मी कम्पोस्ट, नाडेप एवं परंपरागत फसलें (यूनिट लागत पर हे.0.232 लाख)	0.232	116	26.912	158	36.656	29	6.728	153	35.496	456	105.792
2	माईको सिंचाई प्रणाली संवर्धन											
1	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह हेतु 03 एच.पी. डीजल पंप का प्रदाय (90 प्रतिशत सब्सिडी) (यूनिट लागत 20,000) 80 यूनिट हेतु)	0.20	5	1.000	6	1.200	0	0.000	6	1.200	17	3.400
3	बोरवेल सह सोलर पंप की स्थापना											
1	क्रेडा के माध्यम से सौर सुजला योजना अंतर्गत बोरवेल सह सोलर पंप की स्थापना	5.72	1	5.720	1	5.720	0	0.000	1	5.720	3	17.160
4	रोजगार सह आयमूलक कार्यक्रम											
1	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम –मोटर ड्रायविंग, सोलर टेक्निशियन/ इलेक्ट्रीशियन, हस्तशिल्प, प्लंबिंग, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, मोबाईल फोन मरम्मत, कम्प्यूटर मरम्मत, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण, हैंडपंप मैकेनिक, बांस शिल्प प्रशिक्षण, लाख उत्पादन प्रशिक्षण।	0.35	55	19.250	76	26.600	14	4.900	73	25.550	218	76.300
5	सामाजिक सुरक्षा											
	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	0.0033	929	3.066	1271	4.194	235	0.775	1227	4.050	3662	12.085

क्र.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रु.में)	पहाड़ी कोरवा अंबिकापुर		पहाड़ी कोरवा जशपुर		पहाड़ी कोरवा कोरबा		पहाड़ी कोरवा बलरामपुर		योग पहाड़ी कोरवा	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	जनजातीय संस्कृति एवं परंपराओं का संवर्धन											
1	सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी महोत्सव, परंपरागत नृत्य, आदि हेतु सहायता (अभिकरण हेतु 3.00 लाख, प्रकोष्ठ हेतु 1.00 लाख)		1	3.000	1	3.000	1	1.000	1	1.000	4	8.000
7	प्रशासनिक सुदृढीकरण											
1	पी.व्ही.टी.जी अभिकरण की प्रशासनिक इकाई का सुदृढीकरण (कम्प्यूटर खरीदी हेतु 0.50 लाख, आपरेटर का वेतन प्रतिवर्ष 1.44 लाख)	1.94	1	1.940	1	1.940	1	1.940	1	1.940	4	7.760
	योग		1108	60.88 8	1514	79.310	280	15.34 3	1462	74.95 6	4364	230.497

विशेष रूप से कमजोर बिरहोर जनजाति हेतु केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना अंतर्गत अभिकरणवार कार्ययोजना वर्ष 2017-18

(राशि लाखों में)

क्र.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रु.में)	बिरहोर जशपुर		बिरहोर बिलासपुर		बिरहोर कोरबा		बिरहोर रायगढ़		योग बिरहोर	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जैविक खेती संवर्धन											
1	जैविक खाद्य का उत्पादन (धान, कोदों, कुटकी, दाल, तिलहन, सब्जी बीज, वर्मी कम्पोस्ट, नाडेप एवं परंपरागत फसलें (यूनिट लागत पर हे.0.232 लाख)	0.232	5	1.160	4	0.928	16	3.712	12	2.784	37	8.584
2	माईको सिंचाई प्रणाली संवर्धन											
1	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह हेतु 03 एच.पी. डीजल पंप का प्रदाय (90 प्रतिशत सब्सिडी) (यूनिट लागत 20,000) 80 यूनिट हेतु)	0.20	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	बोरवेल सह सोलर पंप की स्थापना											
1	क्रेडा के माध्यम से सौर सुजला योजना अंतर्गत बोरवेल सह सोलर पंप की स्थापना	5.72	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	रोजगार सह आयमूलक कार्यक्रम											
1	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम -मोटर ड्रायविंग, सोलर टेक्निशियन/ इलेक्ट्रीशियन, हस्तशिल्प, प्लंबरिंग, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, मोबाईल फोन मरम्मत, कम्प्यूटर मरम्मत, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण, हैंडपंप मैकेनिक, बांस शिल्प प्रशिक्षण, लाख उत्पादन प्रशिक्षण।	0.35	3	1.050	2	0.700	7	2.450	6	2.100	18	6.300
5	सामाजिक सुरक्षा											
	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	0.0033	42	0.139	37	0.122	126	0.416	94	0.310	299	0.987
6	जनजातीय संस्कृति एवं परंपराओं का संवर्धन											
1	सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी महोत्सव, परंपरागत नृत्य, आदि हेतु सहायता (अभिकरण हेतु 3.00 लाख, प्रकोष्ठ हेतु 1.00 लाख)		0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	1.000	1	1.000
7	प्रशासनिक सुदृढीकरण											
	पी.व्ही.टी.जी अभिकरण की प्रशासनिक इकाई का सुदृढीकरण (कम्प्यूटर खरीदी हेतु 0.50 लाख, आपरेटर का वेतन प्रतिवर्ष 1.44 लाख)	1.94	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	1.940	1	1.940
	योग		50	2.349	43	1.750	149	6.578	114	8.134	356	18.811

विशेष रूप से कमजोर कमार एवं अबूझमाड़िया जनजाति हेतु केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना अंतर्गत अभिकरणवार कार्ययोजना वर्ष 2017-18

(राशि लाखों में)

क्र.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रु.में)	कमार गरियाबंद		कमार नगरी		कमार भानुप्रतापपुर		कमार महासमुंद		योग कमार		अबूझमाड़ नारायणपुर	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	जैविक खेती संवर्धन													
1	जैविक खाद्य का उत्पादन (धान, कोदों, कुटकी, दाल, तिलहन, सब्जी बीज, वर्मी कम्पोस्ट, नाडेप एवं परंपरागत फसलें (यूनिट लागत पर हे.0.232 लाख)	0.232	175	40.600	70	16.240	3	0.696	35	8.120	283	65.656	236	54.752
2	माईको सिंचाई प्रणाली संवर्धन													
1	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह हेतु 03 एच.पी. डीजल पंप का प्रदाय (90 प्रतिशत सब्सिडी) (यूनिट लागत 20,000) 80 यूनिट हेतु)	0.20	7	1.400	3	0.600	0	0.000	1	0.200	11	2.200	9	1.800
3	बोरवेल सह सोलर पंप कीस्थापना													
1	क्रेडा के माध्यम से सौर सुजला योजना अंतर्गत बोरवेल सह सोलर पंप की स्थापना	5.72	1	5.720	1	5.720	0	0.000	0	0.000	2	11.440	1	5.720
4	रोजगार सह आयमूलक कार्यक्रम													
1	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम –मोटर ड्रायविंग, सोलर टेक्निशियन/ इलेक्ट्रीशियन, हस्तशिल्प, प्लंबिंग, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, मोबाईल फोनमरम्मत, कम्प्यूटर मरम्मत, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण, हैंडपंप मैकेनिक, बांस शिल्प प्रशिक्षण, लाख उत्पादन प्रशिक्षण।	0.35	84	29.400	33	11.550	0	0.000	17	5.950	134	46.900	113	39.550

क्र.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रु.में)	कमार गरियाबंद		कमार नगरी		कमार भानुप्रतापपुर		कमार महासमुंद		योग कमार		अबूझमाड़ नारायणपुर	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	सामाजिक सुरक्षा													
	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	0.0033	1406	4.640	560	1.848	26	0.086	283	0.934	2275	7.508	1895	6.254
6	जनजातीय संस्कृति एवं परंपराओं का संवर्धन													
1	सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी महोत्सव, परंपरागत नृत्य, आदि हेतु सहायता (अभिकरण हेतु 3.00 लाख, प्रकोष्ठ हेतु 1.00 लाख)		1	3.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	4	6.000	1	3.000
7	प्रशासनिक सुदृढीकरण													
1	पी.व्ही.टी.जी अभिकरण की प्रशासनिक इकाई का सुदृढीकरण (कम्प्यूटर खरीदी हेतु 0.50 लाख, आपरेटर का वेतन प्रतिवर्ष 1. 44 लाख)	1.94	1	1.940	1	1.940	1	1.940	1	1.940	4	7.760	1	1.940
	योग		1675	86.700	669	38.898	31	3.722	338	18.144	2713	147.464	2256	113.016

प्रपत्र-9 (ई)
संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत स्वीकृत कार्य योजना का विवरण वर्ष 2017-18

(राशि लाखों में)

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	वर्ष 2017-18 की स्थिति में कमिटेड लायबिलिटी	वर्ष 2017-18 में स्वीकृत राशि	भारत सरकार से प्राप्त आवंटन	कार्य स्थल से संबंधित परियोजना/ माडा/ जिले का नाम	कार्य स्थल का नाम
1.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु आवर्ती मद (5302 विद्यार्थी प्रति विद्यार्थी 42000.00 के मान से)	2226.84	2226.84	1756.02	बस्तर, कांकेर, सरगुजा, सूरजपुर, रायगढ़, जशपुर, दंतेवाड़ा, कोरिया, बीजापुर, कोरबा, बिलासपुर, कोण्डागांव, नारायणपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव, धमतरी, गरियाबंद, बालोद, बलौदा बाजार, बलरामपुर, महासमुंद, सुकमा एवं मुंगेली।	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करपावण्ड जिला बस्तर, बेसोली जिला बस्तर अंतागढ़ जिला कांकेर, मैनापट जिला सरगुजा, शिवप्रसाद नगर, जिला सूरजपुर छोटेमुडपार जिला रायगढ़, सन्ना जिला जशपुर, कटेकल्याण जिला दंतेवाड़ा, खड़गवा जिला कोरिया, भैरमगढ़ जिला बीजापुर, छुरी कटघोरा जिला कोरबा,, डोंगरिया, मरवाही जिला बिलासपुर, मर्दापाल जिला कोण्डागांव, नारायणपुर जिला नारायणपुर, तरेगांव जंगल जिला कबीरधाम, पेण्डी जिला राजनांदगांव, नगरी, जिला धमतरी, छुरा, जिला-गरियाबंद, डौंडी, जिला-बालोद, कसडोल, जिला-बलौदाबाजार, बलरामपुर, जिला-बलरामपुर, सक्ती, जिला-महासमुंद, महासमुंद, जिला-महासमुंद, सुकमा, जिला-सुकमा एवं लोरमी, जिला-मुंगेली।

2	एकलव्य आवासीय विद्यालयों में आवश्यक सामग्री की पूर्ति फर्नीचर, किचन, डायनिंग, छात्रावास एवं मनोरंजन हेतु	100.00	100.00	100.00	—	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करपावण्ड जिला बस्तर, अंतागढ़ जिला कांकेर, मैनपाट जिला सरगुजा, शिवप्रसाद नगर, जिला सूरजपुर छोटमुडपार जिला रायगढ़, सन्ना जिला जशपुर, कटेकल्याण जिला दंतेवाडा, पोंडी जिला कोरिया, तरेगांव जंगल जिला कबीरधाम, पेण्डी जिला राजनांदगांव,
3	09 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण	3471.00	3471.00	3471.00	गरियाबंद, बालोद, बलरामपुर, सुकमा, धमतरी, जांजगीर चांपा, महासमुंद, बलौदा बाजार, मुंगेली।	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन गरियाबंद जिला गरियाबंद, बालोद जिला बालोद, बलरामपुर जिला बलरामपुर, सुकमा जिला सुकमा, नगरी जिला धमतरी, चांपा जिला जांजगीर—चांपा, महासमुंद जिला महासमुंद, कसडोल जिला बलौदाबाजार, लोरमी जिला मुंगेली
4.	05 प्रयास आवासीय विद्यालय भवन निर्माण	1642.50	1642.50	1642.50	आई.टी.डी.पी. अंबिकापुर, जगदलपुर, भानुप्रतापपुर, गौरेला तथा कलेक्टर दुर्ग।	सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर, दुर्ग, बिलासपुर
5	15 आदिवासी विकासखंडों में 500 सीटर छात्रावास/आश्रम भवनों का निर्माण प्रति इकाई लागत रु. 1524.20 लाख	4000.00	4000.00	4000.00	आई.टी.डी.पी. राजनांदगांव (चौकी) बैकुण्ठपुर, धरमजयगढ़, रामानुजगंज, सूरजपुर, जगदलपुर, कोण्डागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, भानुप्रतापपुर	राजनांदगांव (चौकी), कोरिया (बैकुण्ठपुर), धरमजयगढ़ (खरसिया), रामानुजगंज, सूरजपुर (प्रतापपुर), कोण्डागांव (केशकाल, फरसगांव), नारायणपुर, दंतेवाडा (गीदम), सुकमा (कोंटा), बीजापुर (भैरमगढ़), कांकेर (नरहरपुर)

*** **